खण्ड-376, अंक-5
मंगलवार, 20 फाल्गुन, शक संवत् 1907
(11 मार्च, 1986 ई0)

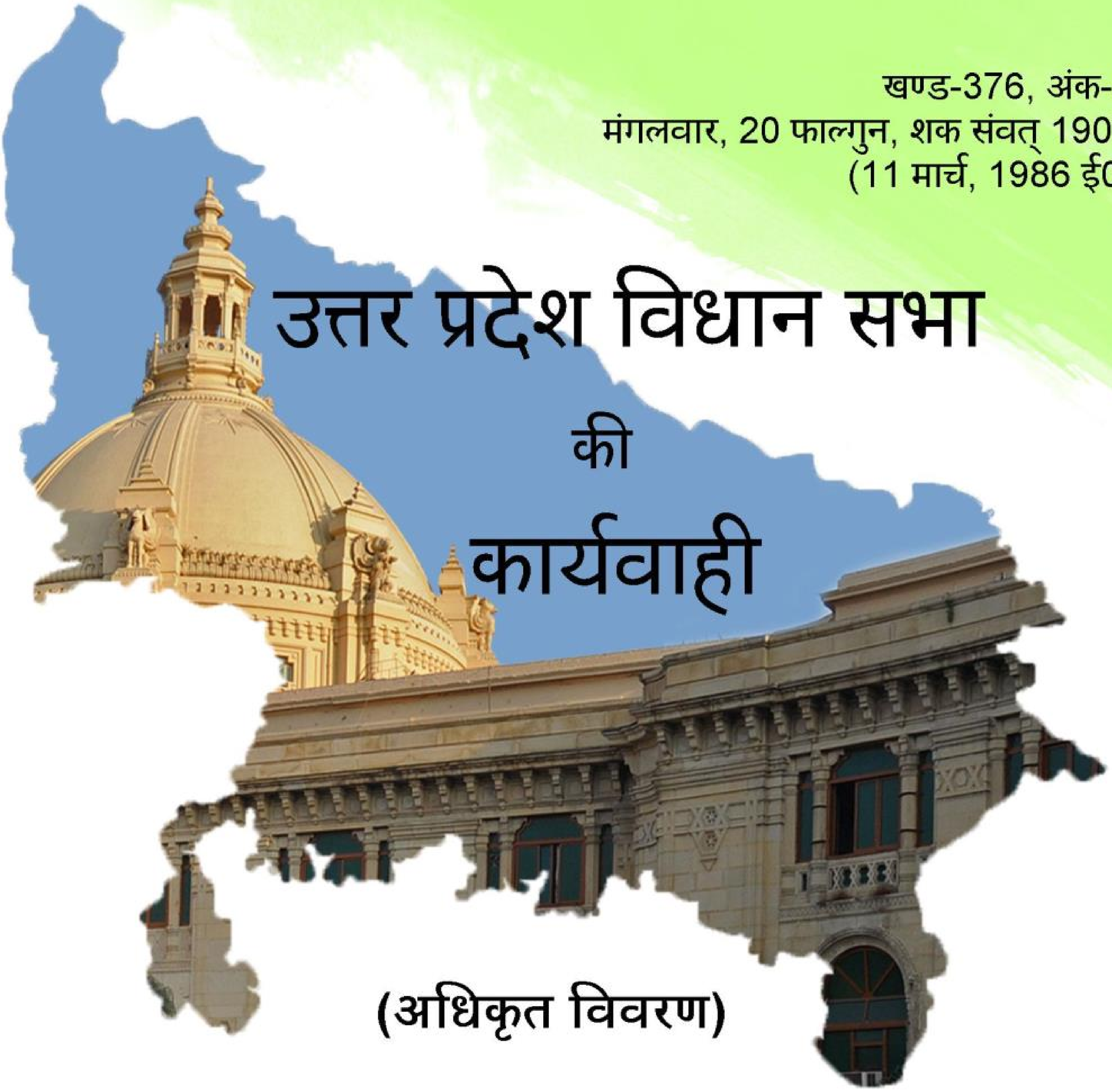

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 376 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1986

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1–2
प्रश्नोत्तर	3–82
फिरोजाबाद, आगरा में बिजली की नियमित आपूर्ति न होने से छात्रों को कठिनाई होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	82–83
जनपद फतेहपुर सीकरी, आगरा के अनेक ग्रामों में गर्दन-तोड़ बुखार के प्रकोप से दर्जनों व्यक्तियों की मृत्यु होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	83
ग्राम सभा सेमरी, तरकुलवा, देवरिया के हरिजनों का उत्पीड़न किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	83–84
नगरपालिका छिबरामऊ, फर्रुखाबाद के नलकूपों की खराबी से पेयजल संकट उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	84
ग्राम बेहटा थाना काकोरी, लखनऊ के निवासी श्री पांचू लाल के अपहरण तथा मृत्यु के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	84
छाता मथुरा के कतिपय गांवों में पेयजल संकट उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	85
हिन्दू इन्टर कालेज अतर्रा बांदा में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार व्याप्त होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	85
रामनगर बस्ती में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत निर्माण कार्य में धन के दुरुपयोग एवं घोटाले के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	85–86
दिनांक 10-3-86 को कार्यवाही से मुख्य मन्त्री के वक्तव्य के कुछ अंश निकाले जाने की मांग के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न उठाए जाने का प्रयास	86
'भारत का संविधान' के हिन्दी तथा संस्कृत संस्करणों की 'उद्देशिका' में प्रयुक्त शब्दावली में भिन्नता के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	86–83
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति का वर्ष 1985–86 का चौबीसवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	88
श्री भजन लाल द्वारा क्रय किए गए इंजन के बदले जाने अथवा उक्त इंजन की निर्माता फर्म को ब्लैक-लिस्ट करने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गयी)	88
जनपद झांसी के क्षेत्र गरौठा से लखनऊ को सीधी परिवहन निगम की बस सेवा द्वारा जोड़े जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गयी) ..	88
जनपद वाराणसी के अन्तर्गत चकिया में पत्थर खदान मजदूरों एवं सत्याग्रहियों-पर लाठी चार्ज के सम्बन्ध में वक्तव्य	89–92
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	92–99

1986–87 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—
अनुदान संख्या 71—सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान),
अनुदान संख्या 72—सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन),
अनुदान संख्या 73—सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास),
अनुदान संख्या 74—सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन),
तथा अनुदान संख्या 75—सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) (जारी) 99–100

सार्वजनिक निर्माण विभाग का बजट प्रस्तुत करते समय विभाग से सम्बन्धित अधिकारियों के अधिकारी दीर्घा से अनुपस्थित रहने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न 100–102

1986–87 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—
अनुदान संख्या 71—सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान),
अनुदान संख्या 72—सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)
अनुदान संख्या 73—सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास)
अनुदान संख्या 74—सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)
तथा अनुदान संख्या 75—सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) (जारी) 103–148

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अनुदानों की मांगों पर चर्चा का उत्तर भाषण कैबिनेट स्तर के मन्त्री द्वारा न दिए जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न 149–151

1986–87 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 71—सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या 72—सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन), अनुदान संख्या 73—सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास), अनुदान संख्या 74—सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) तथा अनुदान संख्या 75—सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) (स्वीकृत) .. 151–158

"उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द और समाज विरोधी क्रिया-कलाप (निवारण) विधेयक, 1986" को दिनांक 13 मार्च, 1986 के पूर्व निर्धारित कार्य-क्रम के उपरान्त लिए जाने के सम्बन्ध में कार्य-मन्त्रणा समिति का प्रस्ताव (स्वीकृत) 158

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की अस्वीकृत सूचनाओं को आगामी उपवेशनों में ग्राह्यता के लिए पुनः सुने जाने के सम्बन्ध में उठाये गए प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय 158

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाओं पर दिये गये वक्तव्य में सूचनांकित विषय से अतिरिक्त विषय को कार्यवाही से निकाल दिए जाने के सम्बन्ध में उठाए गये औचित्य के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय .. 158–163

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं 163

शाहजहांपुर में भारतीय खाद्य निगम के गेहूं की बिक्री में अधिकारियों द्वारा कथित अनियमितता किए जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य 163–165

जनपद हरदोई के पिहानी नगर में तहसील मुख्यालय स्थापित किए जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गयी) 165

पत्रियां 166–175

दिव्यांग सहायता केंद्र पटेरा गढ़चिरोली

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मगलवार, दिनांक 11 मार्च, 1986

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे।

अचल सिंह, श्री	फतेहपुर	बल्देव सिंह आर्य, श्री	उत्तरकाशी
अच्युतानन्द तिवारी, डा0	गोरखपुर	बसंत सिंह गहलौत, श्री	बिजनौर
अजीजुर्रहमान, श्री	बिजनौर	बुधपाल सिंह "खुर्जावाले", श्री	बुलंदशहर
अमीर आलम खां, श्री	मुजफ्फरनगर	बैजनाथ, श्री	देवरिया
अरविन्द तिवारी, श्री	जालौन	बृजेन्द्र पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
अरुण प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा	ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री	फर्रुखाबाद
अशोक सेहरा, श्री	आगरा	भगवान दास, श्री	मुरादाबाद
उमा त्रिपाठी, श्रीमती	हरदोई	भोला सिंह, श्री	इलाहाबाद
ओमवती, श्रीमती	बिजनौर	मंगलदेव, श्री	गोण्डा
काजी मोहिउद्दीन, श्री	सहारनपुर	महावीर सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
किरनपाल सिंह, श्री	बुलंदशहर	महेन्द्र सिंह भाटी, श्री	गाजियाबाद
कुशल पाल सिंह, श्री	मथुरा	मान बहादुर सिंह, श्री	गोण्डा
खान गुफरान जाहिदी, श्री	फतेहपुर	मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा
गौरी शंकर भइया, श्री	बलिया	मुहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
जगदीश नरायन, श्री	हमीरपुर	मैनेजर सिंह, श्री	बलिया
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	गोरखपुर	मोहम्मद वसीम अंसारी, श्री	रायबरेली
जय नारायण शर्मा, श्री	मेरठ	रजनी कान्त दत्त, श्री	वाराणसी
जागन सिंह, श्री	रामपुर	रणजीत, श्री	देवरिया
तेज बहादुर गंगवार, श्री	पीलीभीत	रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री	रायबरेली
दिनेश जौहरी, डा0	बरेली	राकेशधर त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	बस्ती	राजेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
देव कुमार यादव, श्री	बांदा	राजेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
नत्थू लाल विकल, श्री	बरेली	राम औतार मिश्र, श्री (उर्फ ननकू)	शाहजहांपुर
नरेन्द्र देव, श्री	मिर्जापुर	राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद	रामचन्द्र बख्श सिंह, श्री	बाराबंकी
नरेश चन्द्र, श्री	लखनऊ	राम नरेश, श्री	मैनपुरी
नारायण हरि शर्मा, श्री	अलीगढ़	राम पाल सिंह एडवोकेट, श्री	गोण्डा
निरोत्तम सिंह, श्री	बदायूं	राम रतन सिंह, श्री	सीतापुर
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर	राम लक्षन, श्री	गोरखपुर
पुष्कर सिंह, श्री	गढ़वाल	रेवती रमण सिंह, श्री	इलाहाबाद
फसीउर्रहमान, श्री (उर्फ मुन्नन खां)	गोण्डा	विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री	बलिया
फागू चौहान, श्री	आजमगढ़	विजय लक्ष्मी, श्रीमती	बलिया
फूल सिंह सौदाई, श्री	मुजफ्फरनगर		

विजय सिंह, श्री	मिर्जापुर
विजय सिंह राणा, श्री	आगरा
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री	मुरादाबाद
शिव मंगल सिंह, श्री	बलिया
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	गोरखपुर
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री	इलाहाबाद
सरदार सिंह, श्री	मथुरा
सरोज वर्मा, श्रीमती	मेरठ
सुग्रीव सिंह, श्री	देवरिया
सुरेन्द्र कपिल, श्री	सहारनपुर
सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	रायबरेली
सुरेश चन्द्र, श्री	नैनीताल
सैयद अली अशरफी, श्री	पीलीभीत
सैयद सईदुल हसन, श्री	बुलंदशहर
हरदेव, श्री	बलिया
हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
हर शरन सिंह, श्री	मेरठ
हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
हर्ष वर्धन, श्री	गोरखपुर

नोट :—श्री सिब्तेरजी, शिक्षा मंत्री, श्री निसार अहमद अंसारी, लघु उद्योग एवं हथकरघा राज्य मंत्री, कु0 सरस्वती अम्माल, श्रम राज्य मंत्री।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, दिनांक 11 मार्च, 1986

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् की परीक्षण-रिपोर्ट की मांग

**1—श्री बदन सिंह—

क्या सरकार बतायेगी कि मुख्य मंत्री राष्ट्रीय जल स्रोत परिषद् के सदस्य हैं ? यदि हां, तो 9 जनवरी, 86 को केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में गठित उप समिति की बैठक में क्या निर्णय लिये गए हैं ? क्या यह भी सही है कि राष्ट्रीय जल नीति निर्धारित करते समय प्रदेश में मीठे एवं खारे भूजल सम्पदा के आंकलन नियोजित एवं भूवैज्ञानिक ढंग से उपयोग हेतु पृथक-पृथक डाटा बैंक स्थापित करेगी? यदि हां, तो यह कार्य सरकार राज्य भूगर्भ जल सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों द्वारा कराये जाने की सोच रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री भोला शंकर मौर्य)—

जी हां ।

परिषद् द्वारा गठित कार्यकारी दल की 9-1-86 को प्रथम बैठक हुई थी । उसमें कुछ बिन्दुओं पर विचार-विमर्श हुआ । सभी सदस्यों ने अपने मत व्यक्त किए थे । कार्यकारी दल द्वारा आगामी बैठकों में विचार-विमर्श उपरान्त संस्तुतियां राष्ट्रीय जल-संसाधन परिषद् के सम्मुख प्रस्तुत की जायेगी ।

भूजल के प्राक्कलन, नियोजन उपयुक्तता वैज्ञानिक ढंग से उसका उपयोग तथा उसके संबंध में डाटा बैंक स्थापित करने के प्रकरण पर भी विचार हुआ । प्रदेश सरकार इस कार्य को प्रदेश के भूगर्भ जल-सर्वेक्षण संगठन द्वारा करा रही है तथा भविष्य में भी उसी से कराने का उसका प्रस्ताव है । इस कार्य में केन्द्रीय भूगर्भ जल बोर्ड की भी सहायता ली जायेगी ।

भूगर्भ जल के उपयोग, जल-स्तर के ऊंचे/नीचे होना, उत्पन्न जल-भराव (वाटर लागिंग) आदि की स्थिति में समय-समय पर परिवर्तन होता रहता है, अतः संगठन द्वारा निरन्तर अध्ययन किया जाना एवं संबंधित आंकड़ों का अपडेटिंग किया जाना आवश्यक है ।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के दूसरे खण्ड को पढ़ने से पता लगता है कि भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन का काम बड़ा महत्वपूर्ण है । वह भूजल का प्राक्कलन करता है और सारा नियोजन करके जल सम्पदा को उपयोगी बनाने का काम करता है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब यह संगठन इतना महत्वपूर्ण है तो उसे तीन वर्ष से पुनर्गठित न करने तथा इस विभाग के निदेशक की नियुक्ति न करने का क्या कारण है ?

श्री भोला शंकर मौर्य—

मान्यवर, यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि 9 जनवरी, 1986 को जो बैठक हुई थी केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में, उसमें उत्तर प्रदेश की ओर से भी किसी ने प्रतिनिधित्व किया था । यदि किया था तो उस विचार-विमर्श में सरकार की ओर से क्या राय या प्रतिवेदन बैठक में प्रस्तुत किया गया, उसके बारे में सदन को जानकारी देने का कष्ट करेंगे ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, इसमें माननीय मुख्य मंत्री जी ने भाग लिया था और इसमें प्रदेश का जो विचार था, वह माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बैठक में रखा था। इस बैठक का जो निष्कर्ष निकला, उसे मैं बिन्दुवार पढ़ रहा हूं :–

1–इस बात पर सर्वसम्मति से सहमति हुई कि पानी एक बहुमूल्य राष्ट्रीय संसाधन है जिसकी कमी है और इसी प्रकार इस पर कार्यवाही करने की जरूरत है ।

2–इस पर भी सर्वसम्मति से सहमति थी कि राष्ट्रीय जल संसाधन नीति निर्धारित करने की तत्काल आवश्यकता है जिससे कि उपलब्ध जल संसाधनों, सतही व भूगर्भीय, का सर्वाधिक उपयोग देश के हित में हो सके । इस बात पर भी सामान्य सहमति थी कि उपलब्ध जल संसाधनों का सावधानीपूर्वक आंकलन होना चाहिए तथा इस दिशा में अन्तर्राज्यीय सहयोग की आवश्यकता है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह था कि खारे पानी के संबंध में उस समिति में क्या राय प्रस्तुत की गई थी जिससे कि प्रदेश में खारे पानी की समस्या को दूर किया जा सके ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

आपने प्रदेश के रुख के बारे में जानकारी चाही थी, वह मैं दे रहा हूं । जल की उपयुक्तता के बारे में सभी सदस्य सहमत थे कि भूतल के जल (केवल नदियों का ही जल नहीं, बल्कि झीलों, तालाबों, और भरावों के जल) तथा भूगर्भ के जल के गुण और दोषों के विषय में, ऐसे स्थानों पर जहां उन्हें एकत्रित किया जा रहा हो, निरन्तर अध्ययन किया जाना चाहिए ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, आप देखें सवाल कुछ है जवाब कुछ है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, यह अनावश्यक पढ़ रहे हैं ।

श्री भोला शंकर मौर्य–

मैं खारे पानी के बारे में ही बता रहा हूं । यह सब जल की उपयुक्तता से ही संबंधित है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

माननीय मुख्य मंत्री जी का क्या मत था, वह बतायें ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

उनका मत यही है कि इस पर हम सर्वे करायेंगे । परीक्षण की एक निरन्तर प्रक्रिया है । मान्यवर, कोई स्टेज ऐसी नहीं आई कि तय किया जा सके कि इसके लिए क्या करने जा रहे हैं । मान्यवर, कार्यकारी दल, जिसके सदस्य माननीय मुख्य मंत्री जी हैं, कोई डिसीजन टेकिंग बाडी नहीं है, वे केवल संस्तुति करेंगे जल संसाधन परिषद् को । इस पर विचार-विमर्श चल रहा है, परीक्षण की स्टेज पर है । यह अभी कहना उचित नहीं होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं ?

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब नियोजित ढंग से इस जल सर्वेक्षण संगठन से काम करवा रहे हैं तो प्रदेश का जल स्तर क्यों गहरा होता चला जा रहा है ? दूसरे प्रदेश में सूखे की विभीषिका क्यों पैदा हो रही है ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, उसमें इन्हीं सब चीजों पर अध्ययन किया जा रहा है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, जल की निकासी, वर्षा होने के बाद एकदम हो जाती है । भूगर्भ में

पानी की स्थिति नीचे चली जा रही है। वाटर लेबिल घट रहा है। इस वाटर लेबिल को बराबर बनाए रखने के लिए, ताकि लोगों को पीने का पानी और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके, कोई कार्यवाही हो।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करें।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, वाटर लेबिल को मेंटेन रखने और बाढ़ के पानी के अनुरक्षण के संबंध में उस बोर्ड में कोई विचार किया गया ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, इस पर परीक्षण चल रहा है। अभी इस पर विचार हुआ है। मैं इसमें यह अर्ज कर दूं कि इस पर भी सहमति व्यक्त की गई कि गुण व दोषों का अध्ययन ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि जल को दोषों से मुक्त करना भी महत्वपूर्ण है। गंगा नदी को स्वच्छ करने की परियोजना के अलावा, देश की अन्य प्रमुख नदियों के जल को स्वच्छ करने की परियोजनाएं भी बनाई जानी चाहिए ताकि उनका जल पूर्व की भांति अच्छा हो जाय।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मेरा सवाल कुछ और है, मंत्री जी दूसरी बात कह रहे हैं।

मान्यवर, मेरा कहना था जो पानी बाढ़ के कारण बह जाता है उसका अनुरक्षण नहीं हो पाता जिससे वाटर टेबिल भी नीचे होता जा रहा है। जो पानी बाढ़ से बह जाता है उसकी रक्षा हो सके और वाटर लेबिल बढ़ सके इस संबंध में शासन ने क्या कार्यवाही की है और क्या बोर्ड में इस पर कभी विचार भी हुआ है ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, मैंने पहले ही अर्ज कर दिया कि इन सब बातों पर परीक्षण चल रहा है जो हमारा सबग्रुप बना हुआ है वह इसका अध्ययन कर रहा है। इस पर विचार-विमर्श और वाद-विवाद भी हो रहा है जब कोई निष्कर्ष निकल आयेगा तभी अंतिम रूप से कोई कार्यवाही की जा सकती है।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, यह एक जनहित का मामला है अतएव क्या सरकार प्रदेश में भूगर्भ जल सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों की प्रदेश स्तर पर एक आयोग गठित करेंगे, जिससे मीठे और खारे पानी का जो दुरुपयोग हो रहा है उसे बन्द किया जा सके। यदि सरकार आयोग गठित नहीं कर रही है तो जो परीक्षण किया जा रहा है क्या उस परीक्षण में कोई विशेष इलाका लिया गया है या फिर यों ही परीक्षण किया जा रहा है?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, अभी तो केवल परीक्षण चल रहा है, इस पर विचार-विमर्श हो रहा है जब कोई निष्कर्ष निकल आयेगा तो माननीय प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में जो जल संस्थान परिषद् बना हुआ है उसमें इस पर निर्णय हो पायेगा।

श्री हरिशचन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी बार-बार कह रहे हैं कि परीक्षण हो रहा है मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह परीक्षण कब तक पूरा हो जायेगा और कौन इसके परीक्षण में लगे हुए हैं ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि भूगर्भ जल संस्थान इसका परीक्षण कर रहा है। जल संस्थान परिषद् इन्हीं कार्यों के लिए बना हुआ है उसमें जो सबग्रुप बना हुआ है, जैसा कि माननीय बदन सिंह जी ने पूछा भी था कि 5 और 9 फरवरी को इसकी मीटिंग भी हुई थी तो उसका क्या निष्कर्ष निकला ?

मान्यवर, निष्कर्ष का अभी सवाल नहीं उठता है क्योंकि जो यह ग्रुप है यह केवल रिकमंडेशन करेगा और जल संस्थान परिषद् में इस पर कोई निर्णय लिया जायेगा।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी को इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। प्रदेश में जल निगम द्वारा, अल्प सिंचाई द्वारा और सिंचाई के द्वारा जितनी बोरिंग हो रही है वे सब अप्रशिक्षित और अवैज्ञानिक छिद्रण करने वालों द्वारा किया जा रहा है जिस कारण अन्धाधुंध बोरिंग होने से जल स्तर नीचे गिरता जा रहा है। माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जल निगम द्वारा, अल्प सिंचाई द्वारा और सिंचाई द्वारा जितनी बोरिंगें होंगी उनके लिए क्या आप भू-गर्भ-जल संरक्षण के वैज्ञानिकों और अभियन्ताओं द्वारा पूरा करवाने हेतु परामर्श लेना जरूरी कर देंगे?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है अगर माननीय सदस्य जिज्ञासा प्रकट करते हैं तो वो मुझे लिखकर दे दें और मैं इसे दिखवा लूंगा।

(प्रश्न संख्या 2 पुकारे जाने पर।)

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, वाटर लेबिल गिरता जा रहा है और खारा पानी बढ़ता जा रहा है माननीय मंत्री जी को इसकी कोई जानकारी नहीं है इसलिए आप इस प्रश्न को स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने कह तो दिया कि परीक्षण हो रहा है।

जमशेद ट्रेडर्स द्वारा खराब पशु आहार का विक्रय

**2–श्री कौशिक रमा शंकर–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विशेष पशुधन उत्पादन कार्यक्रम में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को वर्णशंकर बछियों के पालन पोषण हेतु जो अनुदान पर दाना दिया जाता है, उसकी पूर्ति के माध्यम क्या हैं ? क्या यह सही है कि "जमशेद ट्रेडर" द्वारा पूर्ति किया गया दाना खराब होने के कारण कई किसानों के यहां से लौटाया गया, फिर भी उसी से पूर्ति कराई जाती है ? क्या उक्त ठेकेदार या कमीशन एजेन्ट को ब्लैक लिस्ट करने हेतु कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पशुधन राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

विशेष पशुधन उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत वर्णशंकर बछियों के पालन पोषण हेतु पशु आहार की पूर्ति पी0सी0एफ0 बदायूं, पी0 सी0 डी0 एफ0 वाराणसी तथा यू0 पी0 एग्रो लखनऊ से क्रय करके की जाती है।

"जमशेद ट्रेडर" यू0 पी0 एग्रो के अधिकृत विक्रेता हैं। उनके द्वारा पूर्ति किया गया पशु आहार यू0 पी0 एग्रो द्वारा बनाया जाता है। यह सही है कि कुछ किसानों ने पशु आहार खराब होने के कारण लौटाया परन्तु उसके बदले में अच्छा आहार पूर्ति कर दिया गया।

यू0 पी0 एग्रो के प्रबन्ध निदेशक के आश्वासन पर कि भविष्य में उच्च कोटि के दाने की ही पूर्ति की जावेगी, पशु आहार क्रय किया जाता है। यह देखने के लिए कि पूर्ति किया जा रहा पशु आहार आई0 एस0 आई0 मानक के अनुसार है उसके नमूने लिए जाते हैं और उन नमूनों का विश्लेषण कराया जाता है।

"जमशेद ट्रेडर" यू0 पी0 एग्रो के अधिकृत विक्रेता हैं। उनके द्वारा जिस पशु आहार की पूर्ति की जाती है वह पशु आहार यू0 पी0 एग्रो औद्योगिक निगम

द्वारा बनाया जाता है अतः उक्त विक्रेता को ब्लैक लिस्ट करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता।

श्री कौशिक रमाशंकर–

माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि जो पशु आहार वर्णसंकर बछियों को दिया गया, वह खराब था, जिसके कारण वर्णशंकर बछियां गम्भीर रूप से बीमार भी हुईं। मेरा मूल प्रश्न यह था कि जो पशु आहार खराब पाया गया, तो जिस फर्म ने दिया था, उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? माननीय मंत्री जी ने बता दिया कि बदले में अच्छा आहार दे दिया गया। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब इस बात को स्वीकार कर लिया कि जो पशु आहार वितरित किया गया था, वह खराब था, जिससे बछियों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा तो उस फर्म के खिलाफ कोई कर्यवाही क्यों नहीं की गयी?

श्री हुकुम सिंह–

जहां तक प्रश्न के पहले भाग का संबंध है कि यह स्वीकार किया गया कि पशु आहार खराब था जिसके कारण बछियां बीमार पड़ीं, तो यह तो मैंने स्वीकार ही नहीं किया। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, इसमें खराब होना, अधोमानक होना या मानकों के अनुरूप न होना, कई चीजें हैं। हर कन्साइनमेंट का परीक्षण करते हैं और उसके बाद यदि आहार में कुछ कमी पायी जाती है तो उसको वापस करते हैं और दूसरा जो मानक के अनुरूप है, उसको ले लेते हैं तथा उसकी आपूर्ति कर देते हैं। कार्यवाही वाली बात तो मूल उत्तर में ही कह दी है कि किन परिस्थितियों में कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा गया।

श्री अशोक बाजपेयी–

प्रदेश के कृषि विभाग के पास एग्रो निगम के अन्तर्गत एक कैटिल फील्ड डिवीजन है, जो पशु आहार बनाने का निर्माण कार्य करता है। मैं जानना चाहता हूं कि जब सरकारी संस्थान इसी काम को करता है तो प्राइवेट ट्रेडर्स से क्यों खरीदा जा रहा है?

श्री हुकुम सिंह–

यह जो प्राइवेट ट्रेडर है, यह आहार का निर्माता या बनाने वाला नहीं है। यह आहार एग्रो द्वारा ही बनाया गया, यह फर्म इसकी सोल एजेण्ट है। लखनऊ रीजन के कई वितरक हैं, एग्रो से लेते हैं और दे देते हैं, वे निर्माता नहीं हैं।

श्री सत्यपाल सिंह–

मैं जानना चाहता हूं कि विशेष पशुधन उत्पादन कार्यक्रम में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को, उठाने का जो कार्यक्रम चल रहा है, यह क्या प्रदेश के सभी जिलों में चलाया जा रहा है या केवल गिने-चुने जिलों में ही है? दूसरी बात, जो स्वीकार किया है कि पशु आहार खराब था लेकिन वे परिस्तितियां बता दी हैं, जिनके अन्तर्गत कार्यवाही आवश्यक नहीं थी, तो जब कार्यवाही नहीं की गयी, तो क्या दूसरी फर्म से खरीदने का कार्य किया है?

श्री हुकुम सिंह–

इसके 3 निर्माता हैं, जिनसे ले रहे हैं विभाग स्वयं निर्माण कर रहा है, पी0सी0डी0एफ0 की फैक्ट्री है, उसमें निर्माण हो रहा है और एग्रो कारपोरेशन है, ये तीनों ही सरकारी निर्माता हैं। यह जो प्राइवेट वाली बात है, जैसा मैंने पहले निवेदन किया था, ये निर्माता नहीं हैं, केवल सरकारी एजेन्सी से क्रय करने के बाद इसकी आपूर्ति करते हैं।

(श्री राजेन्द्र गुप्त का नाम पुकारे जाने पर)

श्री सत्यपाल सिंह–

मेरे आधे प्रश्न का जवाब ही नहीं दिया ।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें, मैंने मा0 राजेन्द्र गुप्त जी को बुला लिया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसी के संदर्भ में जानना चाहूंगा कि इन्होंने कहा है कि हर कन्साइनमेंट की चैकिंग होती है, इसमें दर्शाया गया है कि प्राइवेट सोल एजेण्ट है, डिस्ट्रीब्यूटर ने बेच दिया, वह खराब पाया गया, रिप्लेस कर दिया गया । इसमें दो बातें हो सकती हैं । अगर सही मायने में पशु आहार डिस्ट्रीब्यूटर को दिया गया और बाद में खराब पाया गया तो हो सकता है कि सोल एजेण्ट ने मिलावट कर दी हो या जहां से लिया गया वहां से सब-स्टैण्डर्ड मिला हो । जब शासन के संज्ञान में आया कि पशु आहार खराब है, तो क्या इन बिन्दुओं पर भी जांच करायी? यदि हां, तो क्या परिणाम प्रकाश में आये हैं कि वहां से सही आने के बाद कहीं वितरण के समय न मिला दिया हो या कन्साइनमेंट ही खराब था जो कि बेचने के लिये भेज दिया गया ?

श्री हुकुम सिंह–

जो पशु आहार के बैग आपूर्ति किए गए वह सही रूप से सीलबन्द पाये गये तो यही आभास हुआ कि कहीं मिलावट की बात नहीं है । अब यह बात है कि आई0 एस0 आई0 के द्वारा जैसे 20 प्रतिशत प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिये, इसमें कभी 18 प्रतिशत या कभी 17 प्रतिशत ही पाया गया तो उसके अनुसार हमने कटौती की या फिर कन्साइनमेंट को बदल कर अच्छे किस्म का कन्साइनमेंट जो था उसकी आपूर्ति की गयी।

प्रधान प्रभु दयाल–

इस रातिब के खाने से जो पशुओं की क्षति हुई है क्या मंत्री जी उसकी क्षतिपूर्ति कराने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

इस ट्रेडर के द्वारा केवल लखनऊ रीजन में ही आपूर्ति की जाती है । इसमें ऐसा कहीं नहीं पाया गया कि किसी पशु को इसके खाने से मृत्यु हुई हो ।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मंत्री जी ने अपने मूल उत्तर में कहा है कि कुछ किसानों ने पशु आहार खराब होने के कारण लौटाया परन्तु उसके बदले में अच्छा आहार पूर्ति कर दिया गया । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जैसा कि अभी गुप्ता जी ने भी कहा कि क्या इस बात की सम्भावना नहीं हो सकती है कि वितरक उसमें गोलमाल करें ? दूसरी बात यह कि कोई पशु आहार निगम द्वारा या एग्रो के द्वारा खराब बनाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करने का आपके पास कोई साधन है या कोई उपाय है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आभारी हूं माननीय सदस्य का, गुप्ता जी ने भी इसी सम्बन्ध में प्रश्न किया था कि जो पशु आहार अधो-मानक है उसके बारे में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जाती है । इसके बारे में हम अधिनियम बनाने जा रहे हैं। हमारे विभाग ने इस अधिनियम के बनाये जाने की कार्यवाही शुरू कर दी है, इस सम्बन्ध में न्याय विभाग की राय ली जा रही है शीघ्र ही वह कानून बन जायेगा ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

कानूनी सहायता और परामर्श समितियों का गठन एवं उन्हें उपयोगी व प्रभावी बनाये जाने की मांग

*1—श्री जयराम वर्मा—(अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के जिलों में कानूनी सहायता और परामर्श समितियां कायम हैं? यदि हां, तो उसके कौन-कौन पदाधिकारी और सदस्य होते हैं? यह समितियां गरीब वादकारियों को किस प्रकार सहायता और परामर्श देती हैं? क्या यह सही है कि उन समितियों से कोई विशेष लाभ गरीब जनता को नहीं पहुंचा है? यदि हां, तो उन्हें अधिक उपयोगी बनाने के लिए सरकार क्या विचार कर रही है?

गृह एवं न्याय राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)—

जी हां। उक्त समितियों के पदाधिकारी एवं सदस्यों की सूची संलग्न है। यह समितियां गरीब वादकारियों को निम्न-प्रकार से सहायता और परामर्श देती हैं:—

(क) विधिक मामलों में परामर्श, चाहे मामले न्यायालय में लम्बित हों अथवा नहीं।

(ख) कानूनी कार्यवाहियों में अधिवक्ताओं की सेवायें नि:शुल्क उपलब्ध कराना।

(ग) आदेशिका फीस, साक्षियों के व्यय और किन्हीं कानूनी कार्यवाहियों के संबंध में देय या उपगत सभी अन्य प्रभार का भुगतान। यह सहायता इस अर्थ में अंश-दान के रूप में होगी कि यह केवल कमी को पूरा करने के लिये दी जा सकती है बाकी व्यय पक्षकार द्वारा उपगत किया जायेगा। इस प्रकार यह सहायता मामले के लिये आवश्यक व्यय और पक्षकार के साधनों के सन्तुलन पर निर्भर होगी।

(घ) कानूनी कार्यवाहियों में निर्णयों, आदेशों, साक्ष्य और अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियों की पूर्ति।

(च) कानूनी दस्तावेजों का आलेखन।

(छ) वादकारियों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों से सम्बन्धित विधियों की जानकारी, विधिक साक्षरता का प्रसार और

(ज) वादकारियों के छोटे-छोटे मामलों को शिविरों और लोक अदालतों में सुलह और समझौता के आधार पर निस्तारण।

यह सही नहीं है कि जिला कानूनी सहायता समितियों से विशेष लाभ गरीब जनता को न प्राप्त हुआ हो, फिर भी समितियों को अधिक उपयोगी और प्रभावी बनाये जाने के लिये सतत प्रयत्न किया जा रहा है। अब लोक अदालतों का आयोजन किया जाने लगा है। तहसील स्तर पर भी कानूनी सहायता और परामर्श समितियों के गठन का प्रस्ताव है जिसके लिये कार्य-वाही की जा रही है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 166 पर।)

श्री कौशिक रमा शंकर—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन समितियों के जरिये जो कार्य किया जा रहा है गरीबों को कानूनी सहायता वगैरह देने के संबंध में उसके संबंध में शासन के पास कौन से शस्त्र हैं जिनसे शासन को यह ज्ञात होता है कि यह समितियां अपने कर्तव्य का पालन कर रही हैं?

नोट:—नियम 29(4) का तारांकित प्रश्न संख्या 1 श्री कौशिक रमा शंकर की रुचि पर लिया गया।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, इसके लिए लीगल एड कमेटीज हैं और उन कमेटियों का एक दफ्तर हर जिले में होता है और उस दफ्तर में जिसका मामला होता है, वह जाता है और लीगल एड कमेटीज के माध्यम से वह अपनी दरख्वास्त देता है। हर जिले में रेगुलर लीगल एड कमेटी बनी हुई है।

श्री शारदानन्द अंचल–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी मेरी निश्चित जानकारी मानते हुए कि जो परामर्शदात्री समितियां कायम हैं वे बिल्कुल अक्षम हैं और गरीबों को न्याय दिलाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं कर रही हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, लीगल एड कमेटीज बहुत सक्षम हैं और हमें हर्ष और गर्व है कि वे बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। अभी तक लीगल एड कमेटीज द्वारा एक लाख तीस हजार वादों का निस्तारण किया जा चुका है और पूरे भारत में उत्तर प्रदेश का दूसरा नम्बर है। मान्यवर, यह कहना गलत है, सत्य से परे है और फिर आगे प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री नत्था राम रावत–

मान्यवर, बाराबंकी जिले में हरिजनों और निर्बलों के मुकदमों में क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न नहीं बनता।

श्री राम सागर–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो भूमिहीन गरीब थे उनको 10–12 साल पहले पट्टे दिये गये और उनके खिलाफ सब बड़े लोगों ने ले लिया और वह मुकदमा अब तक चल रहा है। बहुत से गरीबों ने पैसे खर्च होने की वजह से पैरवी छोड़ दी तो ऐसे लोगों को जिनको पट्टे दिये गये और लम्बे समय से विवाद चल रहा है तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसे भूमिहीन लोगों को सहायता देना शुरू करेंगे?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, उन्हें तो प्राथमिकता ही है इस कार्य में।

श्री लक्ष्मीनारायण–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो जन प्रतिनिधि हैं, एम0एल0ए0 हैं, एम0पी0 हैं और अधिवक्ता रहे हैं, उनको इस परामर्शदात्री समिति में रखने पर माननीय मंत्री जी विचार करेंगे?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, रखे जाते हैं।

*2–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, कु0 अलमेलु अम्माल तथा श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

[दिनांक 19-2-86 को सदन में चर्चा हो जाने के कारण निरस्त]

लखनऊ नगर महापालिका के अन्तर्गत आने वाली बस्तियों के लिए विद्युत आपूर्ति

*3–श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर महापालिका के अन्तर्गत आने वाली बस्तियों के लिए, विद्युत के लिए 1984–85 तथा 1985-86 में कितना धन आवंटित किया गया और उसमें से कितने का उपयोग हुआ? क्या यह सही है कि इस वर्ष बस्तियों में विद्युत लगाने हेतु कोई योजना नहीं थी, जिसके कारण कार्य शून्य रहा? ऐसा क्यों?

नगर विकास राज्य मंत्री (श्रीमती पद्मा सेठ)–

नगर महापालिका, लखनऊ सीमा के अन्दर आने वाली बस्तियों में मार्ग प्रकाश

व्यवस्था से सम्बन्धित नव निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु वर्ष 1984–85 में रु0 18.00 लाख तथा वर्ष 1985–86 में 21.87 लाख का प्राविधान रक्खा गया था। उक्त मद के अन्तर्गत वर्ष 1984–85 में रु0 11.00 लाख तथा वर्ष 1985–86 में अब तक रु0 14.00 लाख व्यय किया गया।

जी नहीं।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीया मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि आपका जो मूल उत्तर आया है कि नगर महापालिका लखनऊ की सीमा के अन्दर आने वाली बस्तियों के मार्ग की प्रकाश व्यवस्था से सम्बन्धित नव निर्माण कार्यों के लिये 1984–85 में 18 लाख रु0 और 1985-86 में 21 लाख रु0 का प्राविधान रखा गया था। 18 लाख में से 11 लाख और 21 लाख में से 14 लाख रुपया खर्च हुआ जैसा कि उत्तर दिया गया है। तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूं कि जितना रुपया आया, वह क्यों नहीं खर्च किया गया, क्या उसकी जरूरत नहीं थी और दूसरी चीज मैं यह जानना चाहती हूं कि नव निर्माण कार्य के लिये जो रुपया आया है क्या वह उसी पर खर्च हुआ है ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

मान्यवर, 18 लाख और 21 लाख रुपये की धनराशि का प्राविधान किया गया था, लेकिन नगर महापालिका ने अपने स्तर से जो रुपया लगा सकती है, उसी से खर्च किया गया है।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

मान्यवर, माननीया मंत्री जी ने दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, जो रुपया खर्च हुआ है, वह कहां पर खर्च हुआ है?

श्रीमती पद्मा सेठ–

मान्यवर, अगर आप कहें तो मैं पढ़कर सुना दूं। नव निर्माण कार्यों हेतु आवंटित धनराशि में से नये एवं पुराने कार्यों की मरम्मत के कार्य किये जाते हैं। वर्ष 1984-85 में निम्न 8 बस्तियों में कार्य कराये गये, दरियापुर, दरियायी मस्जिद (एक मीनारी), नाई टोला, हरचन्दपुर, चमरटोलिया, फतेहपुर, रामगंज, मोहिनी का पुरवा, लकड़मंडी एवं जोशी टोला। वर्ष 1985–86 में निम्न बस्तियों में नये प्रकाश बिन्दु लगाने हेतु लखनऊ इलेक्ट्रिक सप्लाई अन्डरटेकिंग को भुगतान किया गया : छोटी पकरी, बड़ी पकरी, बरगवां, भोला खेड़ा, मदारी खेड़ा, हैदरगंज, पीरबक्श, थरी, मुराहू टोला, जाफर खेड़ा, इमारन टोला, दौदा खेड़ा, बरौरा, हुसेनबारी, अहिवरन खेड़ा और गोखले बिहार।

श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगी कि जिन बस्तियों को पढ़कर माननीय मंत्री जी ने सुनाया है, वहां पर एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ है और पैसे का अपहरण किया गया है, क्या इसको सही मानकर वे इसकी जांच करायेंगी ।

श्री अध्यक्ष–

इसका प्रश्न नहीं उठता है।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

माननीया मंत्री जी ने लिस्ट पढ़कर सुना दिया, मैं उनके साथ जाने के लिये तैयार हूं। चमरटोलिया में आज तक भी नहीं है। मैं आपकी पीठ से रक्षा चाहती हूं। हम इसीलिये यहां पर आती हैं कि जब काम नहीं होता है तो सदन के माध्यम से अपनी बात कहने का अवसर मिलता है। दूसरी चीज मैं यह जानना चाहती

है कि जो माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है "जी नहीं" उसका क्या तात्पर्य है। उसका अर्थ माननीय मंत्री जी समझा दें।

श्रीमती पद्मा सेठ–

मान्यवर, जैसे जैसे धन उपलब्ध होता जायेगा वैसे वैसे हम काम कराते जायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय तिवारी जी मुनासिब यह होगा कि आप दोनों की समस्या है, आप दोनों तय कर लीजिए।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

अवकाश प्राप्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पुनः नौकरियों में न रखे जाने संबंधी कथित शासनादेश

*1–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार ने कोई ऐसा निर्देश उत्तर प्रदेश शासन को दिया है कि अवकाश प्राप्त अधिकारियों या कर्मचारियों को पुनः नौकरियों में न रखा जाय? यदि हां, तो उत्तर प्रदेश शासन ने 1984 से अब तक ऐसे कितने आई0 ए0 एस0 और पी0 सी0 एस0 अधिकारियों को अवकाश ग्रहण करने के बाद पुनः सेवा का अवसर प्रदान किया है तथा ऐसा करने से पी0 सी0 एस0 सेवा के कितने वरिष्ठ अधिकारी आई0 ए0 एस0 कैडरों में लिये जाने से वंचित रह गए? यदि हां, तो ऐसा क्यों हुआ ?

पर्यटन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

भारत सरकार से ऐसे कोई निर्देश राज्य शासन को प्राप्त नहीं हुए हैं। वर्ष 1984 से अब तक अधिवर्षता आयु प्राप्त करने के बाद आई0 ए0 एस0 तथा पी0 सी0एस0 अधिकारियों को राज्य शासन द्वारा निम्नवत् सेवा विस्तार/पुनर्नियुक्ति का अवसर प्रदान किया गया:–

	सेवा विस्तार	पुनर्नियुक्ति
आई0 ए0 एस0	3	20
पी0 सी0 एस0	4	9

उक्त सेवा विस्तार के फलस्वरूप पी0 सी0 एस0 संवर्ग के प्रवरण सूची में सम्मिलित केवल दो अधिकारी आई0 ए0 एस0 में प्रोन्नति पाने से कुछ माह के लिए वंचित रहे। आई0 ए0 एस0 अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति नि-संवर्गीय पद पर होने के कारण उससे पी0 सी0 एस0 अधिकारियों की आई0 ए0 एस0 में प्रोन्नति प्रभावित नहीं होती।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, भारत सरकार के यह स्पष्ट निर्देश हैं कि बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए सेवा विस्तार और पुनर्नियुक्ति न की जाय। इस बारे में प्रधान मंत्री ने भी बार-बार घोषणाएं की हैं। क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि उस घोषणा के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार के कार्मिक अनुभाग द्वारा जो राजकीय पत्र संख्या 1/2-1973-कार्मिक-2 दिनांक 7 अक्टूबर, 1985 जारी किया गया है जिसमें हरिश्चन्द्र गुप्ता, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन ने शासन के समस्त सचिवों और विशेष सचिवों को पत्र प्रेषित करते हुए यह अपेक्षा की थी कि मुख्य मंत्री ने यह निर्देश दिए हैं कि विभिन्न स्तरों के कर्मचारियों/अधिकारियों को सेवा विस्तार न दिया जाय और सेवा विस्तार के मामले सामान्य रूप से मुख्य मंत्री जी को अग्रसारित न किए जायं। इस शासनादेश के बावजूद, माननीय मंत्री जी

से मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो सेवा विस्तार और पुनर्नियुक्ति आई0 ए0 एस0 कैडर में इन्होंने बताया कि 3 का सेवा विस्तार और 20 की पुनर्नियुक्ति की गयी है, तो क्या उत्तर प्रदेश शासन ने ऐसा शासनादेश जारी किया है? यदि हां, तो उसका उल्लंघन करके इतनी बड़ी तादाद में आई0 ए0 एस0 और पी0 सी0 एस0 की सेवा विस्तार और पुनर्नियुक्ति क्यों की गयी और जो की गयी उसके कारण क्या थे?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि उन्होंने शासनादेश को ठीक समझा नहीं या ठीक से पढ़ा नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई ब्लाइन्ड डिसीजन हो गया है कि नहीं करेंगे। सामान्य परिस्थितियों में नहीं करेंगे। अभी एक जगह पर 28 फरवरी को एक जिलाधिकारी पद से मुक्त हो रहे थे और वहां 2 मार्च को चुनाव था। अब हम किस जिलाधिकारी को पहली मार्च को भेजते जो 2 मार्च को चुनाव कराता। मान्यवर, इसमें प्राविधान है कि सामान्य परिस्थितियों में नहीं करेंगे लेकिन जो अपरिहार्य मामले होंगे तो गुण दोष को देखते हुए हम पूरी तरह से सक्षम हैं। सामान्य परिस्थितियों में किसी को एक्सटेन्शन नहीं देंगे।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मुझे लगता है कि आई0 ए0 एस0 कैडर से यह सरकार भयभीत हो गयी है। आपने पी0 सी0 एस0 में 4 की सेवा विस्तार किया और 9 को पुनर्नियुक्ति दी, हो सकता है कि वे बड़े विशेषज्ञ रहे हों और शासन को जरूरत रही हो लेकिन 20 आई0 ए0 एस0 की पुनर्नियुक्ति करने के क्या अपरिहार्य कारण थे, वह 20 अधिकारी कौन हैं और किन विभाग में उनकी नियुक्ति की गयी है और क्या अपरिहार्य कारण हैं ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि पुनर्नियुक्ति और एक्सटेन्शन में जमीन आसमान का अन्तर है। पुनर्नियुक्ति में संवर्ग के प्रमोशन में कोई दिक्कत नहीं है। 20 अधिकारियों का हमने किया है आप कहें तो पूरी सूची पढ़ दूं एक घंटे से कम समय नहीं लगेगा। माननीय सदस्य अगर किसी के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं बता दूंगा।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, इन्होंने उत्तर में स्वीकार किया है कि 2 पी0 सी0 एस0 अधिकारी कुछ माह के लिए प्रोन्नति पाने से वंचित रह गये। इसी तरीके से इन्होंने 20 आई0 ए0 एस0 अधिकारियों को पुनर्नियुक्त किया है जिससे 20 पी0 सी0 एस0 अधिकारी ऐसे हैं और मेरा आरोप है कि. . .

श्री अध्यक्ष–

आरोप नहीं आप प्रश्न कीजिये।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैं यह पूछना चाहता हूं कि इससे 20 पी0 सी0 एस0 अधिकारी विशेष सचिव के पद पर कार्य करने से वंचित कर दिये गये हैं, यदि हां, तो इसको स्पष्ट कर दें।

श्री प्रमोद कुमार–

जी नहीं।

[मंगलवार, दि0 11 मार्च, 1986 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

मोहल्ला सुन्दरबाग में संस्कृत पाठशाला के पीछे गली की सफाई

*1—श्री शारदा प्रताप—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोहल्ला सुन्दरबाग में संस्कृत पाठशाला के पीछे गली की सफाई न होने तथा सीवरों के चोक होने के कारण मोहल्ले में गंदगी फैलने तथा भयानक बीमारी का खतरा पैदा होने के संबंध में विधायक श्री सरदार सिंह का पत्र दिनांक 27-6-85 उन्हें मिला? यदि हां, तो नालियों की सफाई तथा चोक्ड सीवरों को साफ कराने की क्या व्यवस्था की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी हां।

इस क्षेत्र की नालियों की नियमित सफाई तथा सीवरों को साफ कराने की नियमित व्यवस्था है। सीवर लाइन वर्तमान समय में चोक नहीं हैं।

श्री शारदा प्रताप—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यह कहा है कि इस वक्त वहां पर सीवर लाइन चोक नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान संस्कृत पाठशाला की पीछे वाली गली जिसका मैन होल कई जगह पर टूटा हुआ है और आये दिन उसमें सुअर गिर जाते हैं, वह आज भी चोक्ड है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या आप उन मैन होल्स को ठीक करायेंगे? दूसरी बात यह है कि वहां पर सफाई कर्मचारी आते तो हैं किन्तु वहां पर जो दो सफाई कर्मी हैं वे अपनी-अपनी लाइन का कूड़ा उसी में डाल देते हैं जिससे गन्दगी रह जाती है। तो आप इन सवालों का उत्तर दे दें कि उन मैन-होल्स को बनवायेंगे या नहीं और दूसरे क्या आप उस गली का सर्वेक्षण करेंगे? क्योंकि आपने कहा कि सफाई हो रही है।

श्री अध्यक्ष—

आप अगर मंत्री जी से मिल लिये होते तो यह काम हो जाता।

श्री शारदा प्रताप—

मान्यवर, जो मैन होल टूटे हुए हैं, उन्हें मंत्री जी ठीक कराने की व्यवस्था करेंगे?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जरूर करवा दिये जायेंगे।

पुलिस अत्याचार के विरुद्ध जनपद बस्ती के पत्रकारों द्वारा किया गया आंदोलन

*2—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी (अनुपस्थित)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के पत्रकारों द्वारा 2 सितम्बर, 85 से पुलिस जुल्म के विरोध में कोई आन्दोलन चलाया जा रहा है? यदि हां, तो आन्दोलनकारियों की प्रमुख मांगे क्या हैं और इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

जी नहीं। केवल दिनांक 2-9-85 को प्रदर्शन के पश्चात उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की ओर से एक मांग पत्र जिलाधिकारी बस्ती को दिया गया था।

मुख्य मांग यह थी कि थाना लालगंज के थानाध्यक्ष श्री जयशंकर यादव का निलम्बन कर उचित कार्यवाही की जाय तथा पत्रकारों का उत्पीड़न बन्द कराकर दोषी पुलिस कर्मियों को दण्डित किया जाय। जांच से कथित उत्पीड़न के आरोप सही नहीं पाए गये।

नोटः— तारांकित प्रश्न संख्या 2 श्री माता प्रसाद पाण्डेय की रुचि पर लिया गया।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि प्रदर्शन के बाद जो मांग-पत्र दिया गया था उसमें आपने केवल एक मांग थाना लालगंज के थानाध्यक्ष के निलम्बन की बताई है। इसमें और कितनी मांगें थी और किस अधिकारी द्वारा इस मामले में जांच करवाई गयी उसकी जानकारी और दे दें।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, उन लोगों ने एक मेमोरेंडम दिया था जिसमें कई मांगे थीं, उसमें की मुख्य मांग का मैंने उल्लेख किया दूसरे उसमें हर पत्रकार की अलग-अलग व्यक्तिगत मांगें थीं ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

इस मामले में जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गयी।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, जो जांच पहले करवाई गयी थी, उससे वहां के लोग संतुष्ट नहीं थे, इसलिए पुनः डी0 आई0 जी0, गोरखपुर के स्तर से शासन द्वारा जांच के आदेश दे दिये गये हैं।

श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी–

मान्यवर, मेरी सूचना को मंत्री जी सही मानकर कि मांग-पत्र दिया गया और जो डी0 आई0 जी0, गोरखपुर का उल्लेख किया जा रहा है, यह जांच पहले हो चुकी है, उस जांच से कोई निष्कर्ष नहीं निकला। मैं मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि क्या अपने स्तर से माननीय मंत्री जी इस संबंध में कोई जांच करवायेंगे?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, मजिस्टेरियल जांच हुई। पत्रकार अपनी तरफ से कोई शिकायत देने या साक्ष्य देने नहीं गया। तब शासन स्तर से यह निर्णय लिया गया कि डी0 आई0 जी0 से जांच करा ली जाय।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, पत्रकार के साथ कभी-कभी दुर्व्यवहार हो जाता है । इस दुर्व्यवहार के संबंध में थाना लालगंज के थानाध्यक्ष के विरुद्ध कई आरोप थे। तो क्या मान्यवर, लालगंज के थानाध्यक्ष को हटा दिया गया है?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, हटा दिया गया है।

भू0 पू0 मंत्री व भू0 पू0 मुख्य सचिव के बंगलों की सुरक्षा हेतु आर्म्स गार्ड की नियुक्ति

*3–श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के भू0 पू0 मंत्री सर्व श्री अम्मार रिजवी, गुलाब सेहरा, बच्चा पाठक, सुखदेव प्रसाद, काशी नाथ मिश्र, के0 पी0 तिवारी, राम सिंह खन्ना, भू0 पू0 मुख्य सचिव त्रिभुवन नाथ तिवारी, भू0 पू0 मंत्री श्री रणजीत सिंह जूदेव एवं मंत्री सत्येन्द्र गुड़िया के बंगलों की सुरक्षा हेतु जनवरी, 1985 से मई, 1985 के बीच आर्म्स गार्ड की नियुक्ति की गयी थी? उसका व्यय कौन वहन करता था?

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

भूतपूर्व मंत्री सर्वश्री अम्मार रिजवी, गुलाब सेहरा, बच्चा पाठक, सुखदेव प्रसाद, काशी नाथ मिश्र, के0पी0 तिवारी, राम सिंह खन्ना, रणजीत सिंह जूदेव तथा सत्येन्द्र गुड़िया के लखनऊ स्थित निवास-स्थानों पर उनकी सुरक्षा हेतु जनवरी, 1985 से मई, 1985 के बीच आर्म्ड गार्ड की नियुक्ति नहीं की गयी परन्तु उनके मंत्रित्वकाल से नियुक्त चली आ

रही सशस्त्र गार्डों को उनके मंत्रित्वकाल के पश्चात शासन द्वारा दिनांक 9-7-85 को सुरक्षा गार्ड को तत्काल हटाये जाने का निर्णय लिया गया। तदुपरान्त समस्त भूतपूर्व मंत्रियों, राज्य मंत्रियों व उप-मंत्रियों तथा अन्य व्यक्तियों के निवास स्थानों पर लगे सुरक्षा गार्ड को वापस कर लिया गया।

श्री त्रिभुवन प्रसाद तिवारी (उप राज्य-पाल पाण्डुचेरी) के निवास स्थान पर मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन के उनके कार्य-काल से नियुक्त चली आ रही सशस्त्र गार्ड दिनांक 13-7-85 तक नियुक्त रही। यह सभी सशस्त्र गार्ड शासकीय व्यय पर नियुक्त रही।

लखनऊ स्थित बरगवा में खसरा नं0 459 प्लाट की रजिस्ट्री

*4—श्री सरदार सिंह (अनुपस्थित)—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित बरगवा में खसरा नम्बर 459 का प्लाट है और उसे जगत जननी सहकारी आवास समिति लि0 ने खरीद कर अपने सदस्यों को आवासीय सुविधा हेतु आवंटन कर रजिस्ट्री कर दी है और उसमें कई मकान भी बन गये हैं ? क्या यह सही है कि अब उसे लखनऊ विकास प्राधिकरण अपनी स्कीम में ले रहा है ? यदि हां, तो उसका आधार क्या है जबकि दोनों का उद्देश्य एक ही है?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जगत जननी सहकारी आवास समिति ने यह भूखण्ड वर्ष 1983 में क्रय किया है परन्तु विकास प्राधिकरण को यह जानकारी नहीं है कि समिति ने अपने सदस्यों को रजिस्ट्री की है। प्रश्नगत खसरा संख्या के कुछ भाग पर दो मकान बन गये हैं जो कि अनधिकृत हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण उसे अपनी योजना के लिए ले रहा है जो सुनियोजित विकास योजना के अन्तर्गत जनहित में लिया जाना आवश्यक है। कानपुर रोड जोनल प्लान में प्रश्नगत भूखण्ड सब सेक्टर (कामर्शियल) क्षेत्र के अन्तर्गत आता है।

श्री शारदा प्रताप—

मान्यवर, माननीया मंत्री जी ने कहा कि यह भू-खण्ड जो है, 1983 में जगत जननी सहकारी आवास समिति संघ ने क्रय कर लिया। तो मैं आपके माध्यम से माननीया मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब जगत जननी सहकारी आवास समिति ने इस भू-खण्ड को खरीदा और उसकी दाखिल खारिज तहसील में कराया, तो क्या विकास प्राधिकरण ने इस संबंध में कोई आपत्ति दाखिल किया ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

मान्यवर, इसकी तो कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री शारदा प्रताप—

मान्यवर, इसको स्थगित कर दें। सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री अध्यक्ष—

आप दूसरा सवाल कर लीजिये।

श्री शारदा प्रताप—

मान्यवर, जो विकास प्राधिकरण की मंशा है, वही सहकारी आवास समिति की भी मंशा है कि मकान बनाकर दें तो जब दोनों की योजनायें एक हैं, दोनों की मंशा एक है तो इस प्लाट को अधिग्रहीत करने का क्या औचित्य है ?

नोट:—तारांकित प्रश्न संख्या 4 श्री शारदा प्रताप की रुचि पर लिया गया।

श्रीमती पद्मा सेठ–

मान्यवर, यह कानपुर रोड विकास योजना के अन्तर्गत है। यह कामर्शियल प्लान्ट है और समिति सुनियोजित ढंग से करती है, रेजीडेंसियल के लिए लेती है।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से, माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यदि सहकारी समितियां उसी नियम के तहत कार्य करती हैं, उसी प्रकार सुविधायें देती हैं तो उनको छूट क्यों नहीं दे दी जाती?

श्रीमती पद्मा सेठ–

मान्यवर, उनका कोई साइट प्लान पास नहीं है। इस कमी की वजह से कैसे उनको दिया जा सकता है।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यदि उन सदस्यों की जमीन अधिग्रहण कर ली जाती है तो साइट प्लान पास कहां से होगा। जब अधिग्रहण की कार्यवाही होगी तो साइट प्लान या जोनल प्लान कहां से होगा ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

दोनों मकान अनधिकार बने हैं। उनका कोई साइट प्लान पास नहीं है उसको कैसे इजाजत दे दी जाय।

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न किया उसका जवाब ही माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष–

नियम 49 में आप चाहें तो चर्चा मांग लीजिए।

कानून व्यवस्था एवं अपराध अनुसंधान का कार्य अलग-अलग एजेंसियों से कराये जाने सम्बन्धी कथित प्रस्ताव

*5–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है कि कानून व्यवस्था एवं अपराध अनुसंधान का कार्य मौजूदा परिपाटी की बजाय पुलिस की अलहदा-अलहदा एजेंसियों से करवाया जाय ? यदि हां, तो प्रस्ताव की विस्तृत रूप रेखा क्या है तथा इसे कब तक लागू कर दिया जायेगा ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

जी नहीं।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

श्री जयदीप सिंह बरार–

श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात उनकी जानकारी में है कि 6 अक्टूबर 1985 को प्रदेश के डाइरेक्टर जनरल (पुलिस) बरेली गये थे और वहां पर उन्होंने एक मीटिंग में यह स्पष्ट घोषणा की थी कि शासन इस विषय पर विचार कर रहा है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था और अपराध अनुसंधान शाखा का कार्य पुलिस की अलग-अलग एजेन्सियों द्वारा किया जायेगा। उन्होंने वहां पर यह भी कहा कि सीमित साधनों के कारण यह योजना प्रदेश के कुछ चुने हुये जिलों में की जायेगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो घोषणा पुलिस महानिदेशक ने बरेली में की है और माननीय मंत्री जी ने जो मेरे प्रश्न का उत्तर इस समय दिया है, इसमें कौन सी बात सही है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

शासन स्तर पर इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । मैं इस बात को मानता हूं कि जो बात आपने सदन में कही है, वह सही है । लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपने महानिदेशक (पुलिस) को कोई ऐसे अधिकार दे रखें हैं कि शासन की नीति क्या होगी, क्या नहीं होगी, जगह-जगह जाकर इसकी घोषणा करते रहें ? यदि कोई ऐसे अधिकार उनको दे रखे हैं तो क्या आप उन्हें वापस लेंगे ? यदि ऐसे कोई अधिकार नहीं दे रखे हैं तो क्या आप महानिदेशक के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, यह सुझाव बहुत अच्छा है और इसको अच्छा समझकर डी0 जी0 पी0 ने कह दिया होगा। इसको देख लिया जायेगा ।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, 1985 के सत्र में सरकार की तरफ से, मैं इसे घोषणा तो नहीं कहूंगा, यह कहा गया था कि सरकार ने विचारार्थ यह स्वीकार कर लिया है कि अपराध अनुसंधान शाखा का अलग कैडर बनाया जायेगा और अलग से सारी बातें होंगी । तो इस दिशा में शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, बहुत ही सीमित संसाधन हैं पुलिस को जितनी फोर्स की जरूरत है, जितनी स्ट्रैंथ स्वीकृत है वही हम को उपलब्ध नहीं है । इसलिए अलग से अनुसंधान शाखा बनाने का प्रश्न नहीं उठता है। सीमित संसाधनों की वजह से यह कार्य कर पाना मुश्किल होगा ।

श्री कौशिक रमा शंकर–

संसाधन की बात नहीं है इसमें संसाधन की बात कहां आती है क्योंकि कर्मचारी और अधिकारियों की संख्या तो वही रहनी है केवल कैडर अलग करने की बात है ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, देख लिया जायेगा ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि अपराध अनुसंधान शाखा में वही पुलिस कर्मी जाते हैं जो सिविल पुलिस में हैं वही स्थानान्तरित होकर इसमें आते हैं और उनका वेतन पुलिस विभाग से दिया जाता है । उसमें गड़बड़ी कभी-कभी यह होती है कि जो अपराध अनुसंधान में आते हैं वे सिविल फोर्स में जाने के लिए लालायित रहते हैं और राजनीतिक प्रभाव का उसमें उपयोग करते हैं । इस बात को देखते हुए कि अपराध अनुसंधान शाखा में कोई राजनीतिक दबाव न डाल सके इसका अलग से कैडर बनाने पर विचार करेंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, कौशिक जी के प्रश्न के उत्तर में कह चुका हूं कि देख लिया जायेगा ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह नहीं था मेरा दूसरा प्रश्न था कि क्या शासन ने महानिदेशक को ऐसा अधिकार दे रखा है कि ऐसे प्रश्न जो शासन के विचारा-

धीन नहीं है उनके बारे में नीति संबंधी कोई घोषणा करें। क्योंकि माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि ऐसा प्रश्न शासन के विचाराधीन नहीं है मैं उनकी बात को स्वीकार करता हूं। तो क्यों महानिदेशक ने इस प्रकार की घोषणा की और वह कौन सी परिस्थितियां थी, क्या उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे या फिर यह बतायें कि उनको अधिकार दिया गया है कि जब कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है तो उसकी घोषणा वह करें।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

यह तो किन परिस्थितियों में, किस संदर्भ में कहा और किन अल्फाज में कहा जब तक उसको न देख लिया जाय उसके बारे में क्या कहा जा सकता है।

*6–श्री महेन्द्र सिंह भाटी–
[10वें गुरुवार में तारा0 प्र0 सं0 10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

फर्रुखाबाद की टाउन एरिया शमशाबाद में हुए घोटालों के सम्बन्ध में जांच

*7–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह (अनुपस्थित)–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सुन्दर लाल वर्मा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी फर्रुखाबाद का टाउन एरिया शमशाबाद के कुछ घोटालों के संबंध में प्रमाणों सहित एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 8-6-85 मा0 मंत्री जी को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त घोटालों की जांच कराई गई अथवा नहीं और यदि कराई गई तो क्या परिणाम निकला और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि जांच नहीं कराई गई तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं।

तथाकथित घोटालों के संबंध में जिला प्रशासन को जब जानकारी मिली तो उनके द्वारा सम्पूर्ण मामले की विशेष सम्परीक्षा कराये जाने की आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। विशेष सम्परीक्षा की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के उपरान्त मामले में अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी।

*8–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–
[मा0 सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित]

सार्वजनिक निर्माण विभाग में मुख्य अभियंता के पदों हेतु चयन

*9–कुंवर मानवेंद्र सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985 में सार्व0 नि0 वि0 में मुख्य अभियंता पदों हेतु कितने अभियंताओं का चयन किया गया है ? क्या यह सही है कि इस चयन में वरीयता सूची का उल्लंघन करके वरिष्ठता क्रम में कनिष्ठ अभियंताओं को मुख्य अभियंता बना दिया गया है और सीनियर अभियन्ताओं को छोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त चयन निरस्त कर वरीयता के आधार पर पुनः चयन कराने की कृपा करेंगे ?

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री सीता राम निषाद)–

(क) मुख्य अभियंता (सिविल) स्तर-2 के 6 पदों हेतु 8 अभियंताओं का चयन किया गया जिनमें से चयन सूची के

अन्तिम दो अभियंता प्रतीक्षा सूची में रखे गये थे ।

(ख) मुख्य अभियंता (विद्युत/यांत्रिक) स्तर-2 के एक पद हेतु एक अभियंता का चयन किया गया किन्तु उक्त चयन के विरुद्ध पात्रता सूची में शामिल एक अन्य अभियंता, जिनका चयन नहीं हुआ था, ने माननीय उच्च न्यायालय से स्थगनादेश प्राप्त कर लिया है जिसके फलस्वरूप उक्त पद पर चयनित अभियंता की नियुक्ति नहीं की जा सकी है ।

मुख्य अभियंता, स्तर-2 के पद पर चयन द्वारा प्रोन्नति करने का मापदण्ड "श्रेष्ठता" है । इस आधार पर कनिष्ठ अधिकारी को अवक्रमित (सुपरसीड) कर सकता है ।

जी नहीं, चयन निरस्त कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसी परिस्थिति क्यों आई कि एक अभियंता को उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त करना पड़ा । इससे स्पष्ट होता है कि एक अभियंता के साथ जो मुख्य अभियंता के लिये पात्र था अन्याय किया गया । तो क्या उसके साथ अन्याय किया गया जिसके कारण उसे न्यायालय जाना पड़ा?

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, जो चयन प्रक्रिया है उसमें चयन समिति बनी है । बिलकुल सही चयन किया गया, कोई अन्याय नहीं किया गया । उन्होंने महसूस किया कि उनका नाम वरिष्ठता में था लेकिन उनके बाद के लोग जो श्रेष्ठता में उनके ऊपर प्रोन्नति हेतु उपयुक्त पाये गये थे और उनका नम्बर नीचे आ गया था इसलिए उन्होंने मुकदमा दायर किया ।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि प्रोन्नति का मापदण्ड श्रेष्ठता है जबकि हर जगह वरिष्ठता सूची चलती है इसलिए मंत्री जी क्या श्रेष्ठता का आधार हटाकर वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति करने पर विचार करेंगे ?

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, श्रेष्ठता के आधार पर ही चयन होता है और वही किया गया है।

पूर्वी क्षेत्र से संबंधित जिलों में पश्चिमी एवं मध्य क्षेत्र के बराबर गन्ने का मूल्य निर्धारण

*10–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समान लागत एवं परिश्रम को दृष्टिगत रखते हुए उ0 प्र0 शासन पश्चिम और मध्य प्रदेश की भांति पूर्व क्षेत्र से संबंधित जिलों को गन्ना कास्तकारों को गन्ने का मूल्य समान रूप से घोषित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)–

पश्चिमी एवं मध्य उत्तर प्रदेश के क्षेत्र की चीनी मिलों की अपेक्षा पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र की मिलों की औसत दैनिक पेराई क्षमता कम है तथा औसत चीनी परता एवं औसत कार्य दिवस भी सामान्यतः कम होता है और इसकी वजह से पूर्वी क्षेत्र में चीनी की औसत उत्पादन लागत अधिक आती है ।

अतः पूर्वी क्षेत्र से संबंधित जिलों में पश्चिमी एवं मध्य क्षेत्र के बराबर गन्ना मूल्य दिया जाना सम्भव नहीं हो पाता ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मेरा मूल प्रश्न था कि क्या मंत्री जी बतायेंगे कि समान लागत एवं परिश्रम को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश शासन पश्चिम और पूर्वी जिलों को गन्ने का मूल्य समान रूप से किसानों को देने की घोषणा करेगी? चूंकि पूर्वी क्षेत्र में चीनी की औसत उत्पादन लागत अधिक आती है तो उसमें किसानों से मतलब नहीं है। लागत और परिश्रम पूर्व और पश्चिम क्षेत्र में बराबर है। इसलिये मैं चाहता हूं कि परिश्रम और लागत को ध्यान में रखते हुए गन्ने का समान मूल्य पूरे प्रदेश में निर्धारित करने पर क्या मंत्री जी विचार करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, गन्ने का न्यूनतम मूल्य भारत सरकार निर्धारित करती है। माननीय विधायक जी का कहना सही है कि जो खेती में कास्ट आती है वह सामान्यतः एक सी आती है लेकिन गन्ने का मूल्य चीनी परता और कंवरजन कास्ट के आधार पर तय होती है। चूंकि पूर्वी क्षेत्र में चीनी परता कम होता है और कन्वरजन कास्ट बहुत ज्यादा आती है, इसलिये यह फर्क होता है।

श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी–

मान्यवर, जैसा कि मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों में किसानों को गन्ने के उत्पादन पर समान रूप से व्यय करना पड़ता है, समान परिश्रम करना पड़ता है, क्या इसको आधार मानकर मंत्री जी केन्द्र सरकार को सिफारिश करने की कृपा करेंगे कि पूरे प्रदेश में किसानों को गन्ने का समान मूल्य दिया जाये?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, भारत सरकार जो मूल्यों को निर्धारित करती है वह शुगर केन कन्ट्रोल एक्ट, 1966 की धारा 3(1) के अनुसार करती है और उसमें कुछ फिक्स मानक हैं जिनके आधार पर भारत सरकार का आर्गनाइजेशन है "कन्ट्रोल प्राइज ब्यूरो आफ इंडस्ट्रियल कास्ट एण्ड प्राइज" उन मानकों के आधार पर कास्ट तय करती है और उन मानकों में मुख्यतः चीनी परता और कन्वरजन कास्ट, इसमें तीन चीजें देखी जाती हैं– चीनी परता, कितने दिवस चीनी मिलों ने काम किया और दैनिक पेराई क्षमता और इन तीनों में औसत पूर्वी उत्तर प्रदेश में कम आता है, जैसा कि मैंने पहले ही अपने मूल उत्तर में बताया है, इन्हीं पर मूल्य निर्धारण होता है।

श्री बालेश्वर–

मान्यवर, जैसा कि मंत्री जी ने बताया है कि पूर्वी जिलों की चीनी मिलों की पेराई क्षमता कम है, तो क्या मंत्री जी तकनीकी सहायता पूर्वी जिलों को देंगे।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

यह तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में वहां की क्षमता बढ़ाये जाने का प्रस्ताव है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

जैसा मंत्री जी को ज्ञात है कि बस्ती शुगर फैक्टरी का परता पश्चिमी जिलों की फैक्टरियों के बराबर आता है, जिनसे यह साफ है कि वहां के किसानों का इसमें कोई दोष नहीं है, केवल मिलों की मशीनें अति पुरानी हैं इसलिए परता कम आता है, तो क्या मंत्री जी बस्ती शुगर फैक्टरी के किसानों को

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के बराबर मूल्य दिलाने की कृपा करेंगे?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

जोनवार इसका औसत निकाला जाता है, और फिर मूल्य निर्धारित किया जाता है, किसी एक मिल के आधार पर नहीं किया जाता है।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

सरकार के प्रश्न के सन्दर्भ में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश के समान पूर्वी उत्तर प्रदेश में गन्ने का मूल्य न देने का कारण बताया है, क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यहां पर अलग-अलग औसत दैनिक पेराई क्या है, औसत कार्य दिवस कितना है और औसत परता कितना है? यदि इसमें थोड़ा अन्तर है, केवल एक रुपये का अन्तर है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए क्या सरकार वहां के किसानों को एक रुपये का विशेष अनुदान देगी?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

चीनी परता जैसा माननीय सदस्य जानना चाहते हैं, यह मैं पांच वर्ष के औसत के हिसाब से बता रहा हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 9.30, मध्य उत्तर प्रदेश में 9.35 और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 9.09 प्रतिशत। कार्य दिवस, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 143, मध्य उत्तर प्रदेश में 152 और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मात्र 116 दिन हैं। इसी प्रकार से कन्वर्जन कास्ट देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 127.77, मध्य उत्तर प्रदेश में 125.19 तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में 158.28 रुपया है। इसलिए यह जो विशेष अनुदान की बात है भारत सरकार अपने नार्म्स के आधार पर निर्धारित करती है, उत्तर प्रदेश उसमें कुछ नहीं कर सकता है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

यह सब कुछ नहीं है, यह चन्दा लेने के लिए ऐसा करते हैं। यह पश्चिम के गन्ना मिल मालिकों से चन्दा लेते हैं . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपका गन्ना मीठा नहीं होगा।

श्री सत्यपाल सिंह–

कन्वर्जन कास्ट कम करने के लिए तो आप सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रबन्ध कर रहे हैं और रेट कम देने के लिए आपने तीन ही कारण बताये हैं, जब गन्ने का उत्पादन ज्यादा होगा तो कार्य दिवसों की पूर्ति हो जाएगी अर्थात् कार्य दिवस बढ़ जाएंगे, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि आपका जो परता कम आता है, क्या गन्ना अनुसन्धान केन्द्रों से इस बात की भी जांच करायेंगे जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समान परता पूरा हो सके?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

जो कन्वर्जन कास्ट कम करने की बात आपने कही है (व्यवधान) (माइक खराब होने के कारण सुनने में बाधा उत्पन्न हुई)। मान्यवर, जहां तक कैपेसिटी बढ़ाने की बात है तो इसके लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में कुछ फैक्टरियों के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव है। इसके अलावा जो परता आने की बात है तो वह प्राकृतिक कारण से, क्लाइमेटिक कन्डीशन की वजह से होता है। उसको नहीं बदला जा सकता है। क्षमता बढ़ाने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रयास किया जा रहा है।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि प्राकृतिक नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं है तो इस बात को देखते हुए आगामी सत्र में 15 अक्तूबर से पूर्वी उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों को चलाने की सुनिश्चित व्यवस्था करेंगे।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, नवम्बर से प्रारम्भ हो जाता है लेकिन जैसा शाही जी ने कहा है तो उस पर विचार कर लेंगे।

जनपद हरदोई स्थित टाउन एरिया मल्लावां को नगरपालिका बनाये जाने पर विचार

*11–श्री राम आसरे वर्मा (अनुपस्थित) –

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई स्थित टाउन एरिया मल्लावां को नगरपालिका बनाये जाने का मामला शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ –

जी हां ।

इस संबंध में दिनांक 6-2-86 को प्रथम अधिसूचना जारी करके, दिनांक 28-2-86 तक जनता से आपत्तियां/सुझाव मांगे गये हैं जिसके बाद अन्तिम अधिसूचना जारी करने पर विचार किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

टाउन एरिया कोईरीपुर, जनपद सुल्तानपुर की पेयजल योजना, व्यय तथा निर्माण कार्य

*12–श्री विष्णु देव –

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि टाउन एरिया कोइरीपुर, जनपद सुल्तानपुर के नागरिकों के पेयजल व्यवस्था के लिए 5 वर्ष पूर्व जलकल निर्माण योजना चालू की गयी थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक कितना धन व्यय हो चुका है और निर्माण कार्य कब तक सम्पन्न हो जायेगा ?

श्रीमती पद्मा सेठ –

टाउन एरिया कोईरीपुर, जनपद सुल्तानपुर की पेयजल योजना पर कार्य जून, 1979 में प्रारम्भ किया गया था ।

इस योजना पर अब तक रु0-17.85 लाख व्यय हो चुके हैं ।

समस्त निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं ।

श्री विष्णुदेव –

मान्यवर, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि समस्त कार्य सम्पन्न हो गये हैं तो यह कार्य कब पूरे हुए हैं । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरी जानकारी को सही मानकर कि टाउन एरिया कोइरीपुर के लोगों को अभी तक पेयजल सुविधा नहीं मिल सकी है तो माननीय मंत्री जी क्या इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती पद्मा सेठ –

मान्यवर, एक नलकूप को छोड़कर मार्च, 82 तक कार्य पूरे हो गये थे और अक्तूबर, 83 में समस्त कार्य नगर क्षेत्र समिति कोईरीपुर को हस्तान्तरित कर दिये गये थे ।

श्री काजी कलीमुर्रहमान –

मान्यवर, कोईरीपुर के संबंध में जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा वहां पर अभी तक पेयजल व्यवस्था नहीं है । इसके अतिरिक्त जनपद आजमगढ़ में बिलरिया गंज और महराज गंज में भी पेय जल की व्यवस्था नहीं है । तो माननीय मंत्री जी क्या इसकी जांच करायेंगे ?

श्रीमती पद्मा सेठ –

मान्यवर, यह प्रश्न इससे संबंधित नहीं है । जानकारी दे देंगे तो जांच करा देंगे।

श्री विष्णुदेव –

मान्यवर, यह मामला सुल्तानपुर जिले की कोईरीपुर टाउन एरिया का है। मेरी जानकारी को सही मानकर कि वहां के लोगों को पेयजल की सुविधा नहीं है, तो क्या इसकी जांच करवायेंगी ?

श्रीमती पद्मा सेठ –

मान्यवर, इसको दिखवा लूंगी ।

श्री शिव नारायण मिश्र –

मान्यवर, यह प्रश्न मेरे विधान सभा क्षेत्र से संबंध रखता है । वहां पर मान्यवर, नलकूप चल रहा है और संपूर्ण नागरिकों को पानी विधिवत मिल रहा है ।

*13–श्री मित्रसेन –

[12वें सोमवार में तारां0प्र0सं0 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद गोरखपुर के ग्राम भटहट व परसोना में पेयजल की व्यवस्था हेतु बनाई गई टंकियों को समाप्त करने का कारण

*14–श्री सैय्यद जावेद अली सब्जपोश–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोरखपुर विकास खण्ड भटहट के ग्राम भटहट व परसोना में सरकारी नलकूप द्वारा पक्की टंकी पाइप व टोटी लगा कर ग्रामीणों को पेयजल सप्लाई किया जाता था ? यदि हां, तो पेयजल की यह व्यवस्था समाप्त करने का कारण क्या है ? क्या सरकार इस व्यवस्था को पुन: जल निगम द्वारा लागू करेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ –

जी हां ।

पेयजल की व्यवस्था हेतु बनाई गई टंकियां छोटी एवं कम ऊंचाई पर होने के कारण कालान्तर में उपयोगी नहीं पायी गयीं । अत: इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया ।

जी नहीं,

क्योंकि उक्त टंकियां सामान्य जलापूर्ति के लिए उपयोगी नहीं सिद्ध होंगी तथा पेय जलापूर्ति हेतु हैण्ड पम्प लगाये जा चुके हैं ।

श्री सैय्यद जावेद अली सब्जपोश –

मान्यवर, जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड भटहट के/पूरे ग्राम भटहट व परसोना में पाइप लाइन बिछाकर पानी की व्यवस्था की गई थी । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वहां पर पुन: बड़ी पानी की टंकी ऊंचाई पर लगवाकर कोई व्यवस्था करेंगी?

श्रीमती पद्मा सेठ –

मान्यवर, अभी ऐसी कोई बात विचार में नहीं है । पहले जो टंकियां बनवाई गयीं थीं, वह सिंचाई विभाग द्वारा बनवाई गयीं थी, वह जल-संस्थान या जल निगम द्वारा नहीं बनवाई गयीं थीं। इसलिए अभी कोई दूसरी टंकी बनवाये जाने का विचार नहीं है ।

*15–डा0 दिनेश जौहरी–

[10वें सोमवार में तारां0प्र0सं0 11 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*16–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त –

[दि0 11-2-86 को अता0प्र0सं0 55 द्वारा उत्तरित]

तत्कालीन थानाध्यक्ष खुर्जा देहात के विरुद्ध अनैतिक दुराचार करने संबंधी दर्ज रिपोर्ट

*17–श्री किरन पाल सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना खुर्जा देहात, जनपद बुलन्दशहर के सिपाही श्री दीक्षित ने 16-7-85 को तत्कालीन थानाध्यक्ष खुर्जा देहात के विरुद्ध अनैतिक दुराचार करने संबंधी कोई रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर के यहां लिखाई थी ? यदि हां, तो उक्त संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान –

जी नहीं,

प्रश्न ही नहीं उठता ।

*18—कुंवर रेवती रमण सिंह—

[10वें सोमवार में तारां0प्र0सं0 19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अलीगढ़ ट्रेजरी में गबन संबंधी दर्ज रिपोर्ट

*19—श्री मैनेजर सिंह —

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 85 में अलीगढ़ ट्रेजरी में गबन सम्बन्धी प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने में दर्ज हुई ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह —

जी हां ।

मामले में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है ।

*20—श्री हरेन्द्र सिंह—

[दिनांक 4-3-86 को अता0 प्र0 सं0 169 द्वारा उत्तरित]

अतारांकित प्रश्न

जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड बेरी का सफेदाबाद बरौली मार्ग की देखरेख व मरम्मत न कराये जाने का कारण

1—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड बेरी का सफेदाबाद बरौली (जाता) मार्ग उनके विभाग द्वारा बनाया गया था? यदि हां, तो क्या यह मार्ग अभी भी उन्हीं विभाग के चार्ज में है यदि नहीं, तो वह मार्ग किस विभाग की देखरेख में है ?

श्री वीर बहादुर सिंह —

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

2—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उपरोक्त मार्ग काफी खस्ता हालत में था तथा पिछली वर्षा के बाद पूरी तरह से आवागमन के योग्य नहीं रह गया है ? यदि हां, तो उसकी मरम्मत न कराये जाने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह —

वर्ष 1985 में भारी वर्षा के कारण अन्य मार्गों के साथ इस मार्ग को भी क्षति पहुंची थी । जी नहीं । क्षति ग्रस्त मार्ग को ठीक कर दिया गया है और वह पूरी तरह आवागमन के योग्य है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर के थाना जैतीपुर में राष्ट्रीय पक्षी एवं काले हिरन का अवैध शिकार

3—श्री मयंकर सिंह —

क्या सरकार को पता है कि आजकल जनपद शाहजहांपुर के थाना जैतीपुर में राष्ट्रीय पक्षी, काले हिरन का अवैध शिकार जोरों पर है और ग्राम महमूदपुर में अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में एक मोर मारा गया तथा 12-7-85 को खेड़ा बघेड़ा में एक राष्ट्रीय पक्षी मारा गया व 18-7-85 को एक दरोगा ने राष्ट्रीय पक्षी मारा उसका पोस्टमार्टम 19-7-85 को हुआ ? यदि हां, तो तत्काल इस अवैध शिकार को रोकने हेतु शासन ने क्या कार्यवाही की और इन अवैध शिकार करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह —

जनपद शाहजहांपुर के थाना जैतीपुर में राष्ट्रीय पक्षी एवं काले हिरन का अवैध शिकार जोरों पर होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। ग्राम महमूदापुर में अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में मोर मारे जाने की घटना की पुष्टि नहीं हो पायी है। दिनांक 12-7-85 को मारे गए मोर की छानबीन थाना जैतीपुर में नियुक्त तत्कालीन सब

इन्सपेक्टर श्री नवाबसिंह ने की और छानबीन के उपरान्त अपराध संख्या 115 दिनांक 20-7-85 को दर्ज किया गया । इस मोर का पोस्ट मार्टम दिनांक 20-7-85 को राजकीय पशु चिकित्सक जैतीपुर द्वारा किया गया तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में मोर मारे जाने की तिथि दर्शायी गयी है। आरोप पत्र संख्या 95 दिनांक 31-7-85 के अनुसार एस0 आई0 श्री नवाबसिंह द्वारा मुन्सिफ मजिस्ट्रेट शाहजहांपुर के न्यायालय में वाद दायर किया गया है। परगना मजिस्ट्रेट तिलहर की जांच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम खेड़ा बघेडा में दिनांक 18-7-85 को दरोगा द्वारा राष्ट्रीय पक्षी मोर के मारे जाने और उस मारे गये मोर का 19-7-85 को पोस्टमार्टम कराने की पुष्टि नहीं हो पाई है ।

सीतापुर जिले के तम्बौर-महमूदाबाद मार्ग पर रेउसा चौराहे पर अवैध निर्माण किये जाने के विरुद्ध कार्यवाही

4—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर जिले के प्रान्तीय खण्ड (सा0 नि0 वि0) में तम्बौर-महमूदाबाद मार्ग पर रेउसा चौराहे पर सा0 नि0 वि0 की सार्वजनिक जमीन पर कुछ असामाजिक व्यक्ति अवैध निर्माण करा रहे हैं ? यदि हां, तो उसकी रोकथाम हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सीतापुर—बहराइच, रेवसा तम्बौर व रेवसा-महमूदाबाद मार्ग के रेवसा चौराहे पर 23 व्यक्तियों द्वारा अस्थायी रूप से और एक व्यक्ति द्वारा स्थायी रूप से अवैध निर्माण कर लिया गया है । 23 व्यक्तियों को माह अक्टूबर, 1985 में नोटिस जारी कर दी गई है और स्थायी निर्माणकर्ता के विरुद्ध द्वितीय मुन्शिफ मजिस्ट्रेट, सीतापुर के न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया गया है ।

कान्सटेबिलों को सिविल तथा आर्म्ड पुलिस में समायोजित करने तथा आर्म्ड पुलिस में रिक्त स्थानों को भरने के संबंध में दिये गये निर्देश

5—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि पुलिस महानिरीक्षक "कार्मिक" द्वारा व्यावहारिक प्रशिक्षण के बाद कान्सटेबिलों को सिविल तथा आर्म्ड पुलिस में समायोजित करने तथा आर्म्डपुलिस में रिक्त स्थानों को भरने के संबंध जो निर्देश 5 अप्रैल, 1985 को उनके द्वारा प्रदेश के समस्त जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्गत किये गये, उनका अनुपालन लखनऊ मण्डल के किन-किन जिलों में अभी तक नहीं किया गया तथा कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह —

प्रश्न में संदर्भित आदेशों का अनुपालन लखनऊ मण्डल के सभी जिलों के साथ-साथ पूरे प्रदेश के सभी जनपदों में किया जा रहा है तथा भविष्य में भी इसका अनुपालन किया जायेगा ।

जनपद सीतापुर में आर्म्ड तथा सिविल पुलिस में कान्सटेबिलों के रिक्त पद

6—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस समय जनपद सीतापुर में आर्म्ड तथा सिविल पुलिस में कान्सटेबिलों के कितने-कितने पद रिक्त हैं और उन्हें कब तक भर दिया जायेगा?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद सीतापुर में वर्तमान समय में सशस्त्र पुलिस के एक कान्सटेबिल को सेवा से अलग किये जाने के फलस्वरूप सशस्त्र पुलिस के एक कान्सटेबिल की रिक्ति हुई। लोक सेवा अधिकरण द्वारा इस कान्सटेबिल की याचिका स्वीकार करते हुए उसे बहाल कर दिया गया। जैसे ही वह नौकरी पर वापस आ जायेगा, रिक्त स्थान की पूर्ति हो जायेगी।

वर्तमान समय में जनपद सीतापुर में नागरिक पुलिस के 68 पद रिक्त हैं जिनके भरे जाने के सम्बन्ध में दिनांक 31-12-85 तक लखनऊ परिक्षेत्र में कान्सटेबिल की कुल 238 रिक्तियां थी जिसके समक्ष 185 रंक्रूटों की अभी हाल में भर्ती हुई है, उनमें से जनपद सीतापुर के रिक्त 68 कान्स0 के पदों की पूर्ति का प्रयास कान्सटेबिल के निर्धारित प्रशिक्षण के उपरान्त जनपद सीतापुर के लिए किया जायेगा इसके बावजूद यदि रिक्ति शेष रह जाती है तो अगली भर्ती में पूर्ति की जायेगी।

झांसी जनपद में परियोजना कार्यों का विवरण

7—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जनपद में परियोजना कार्य के अन्तर्गत कहां-कहां और क्या कार्य चल रहे हैं तथा वर्ष 1985-86 के लिए कहां-कहां और क्या-क्या परियोजना कार्य स्वीकृत हुए हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह—

परियोजना कार्यों का विवरण मा0 राज्य मंत्री सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यालय कक्ष में उपलब्ध है। मा0 सदस्य उक्त विवरण को देख सकते हैं।

तहसील राठ, जनपद हमीरपुर में मुंसिफ मजिस्ट्रेट का न्यायालय स्थापित करने का प्रस्ताव

8—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हमीरपुर जिले के राठ तहसील मुख्यालय पर मुंसिफ न्यायालय स्थापित किये जाने की योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो इसका क्रियान्वयन कब तक होगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

तहसील राठ, जनपद हमीरपुर में मुंसिफ मजिस्ट्रेट का न्यायालय स्थापित करने का प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ था। इस पर माननीय उच्च न्यायालय की आख्या मांगी गई। माननीय उच्च

न्यायालय ने सूचित किया कि तहसील राठ में न्यायालय कक्ष, आवासिक भवन, हवालात, सबजेल एवं मालखाने की सुविधा उपलब्ध नहीं है तथा वहां पर एक न्यायालय के लिये पर्याप्त कार्यभार भी नहीं है। इन कारणों से माननीय उच्च न्यायालय ने इस प्रस्ताव की संस्तुति नहीं की और उच्च न्यायालय के विचारों को ध्यान में रखते हुए शासन ने इस प्रस्ताव को फिलहाल समाप्त कर दिया है।

गोंडा जिले के अन्तर्गत डेहरास सुसुन्डा, गोंडा जेल रोड का निर्माण

9—श्री उमेश्वर प्रताप सिंह—

क्या सार्व0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिले के अन्तर्गत डेहरास सुसुन्डा, गोंडा जेल रोड कितने वर्षों से निर्माणाधीन है? क्या यह सही है कि इस सड़क पर अभी पटाई का काम पूरा नहीं हो सका है तथा चन्दहा व टेढ़ी नालों पर पुल नहीं बन पाये हैं? यदि हां, तो यह सड़क कब तक बनकर तैयार हो जायेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत मार्ग विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1979 से निर्माणाधीन है। केवल किमी0 16 में पटाई का कार्य पूरा नहीं है। कार्य प्रगति पर है।

चन्दहा नाले पर पुल स्वीकृत नहीं है। टेढ़ी नाले पर पुल स्वीकृत है परन्तु धनाभाव के कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है। धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

अस्थायी खण्ड, गोंडा में कार्यरत सहायक अभियन्ता श्री सिंघल के विरुद्ध जांच

10—श्री उमेश्वर प्रताप सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अस्थायी खंड, गोंडा में कार्यरत सहायक अभियन्ता श्री सिंघल के विरुद्ध कोई जांच लम्बित है और इनका स्थानान्तरण आदेश शासन स्तर से कई बार रोका जा चुका है? यदि हां, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

शासन स्तर से केवल एक बार जांच आख्या विचाराधीन होने के आधार पर श्री सिंघल के स्थानान्तरण आदेश शासन के अग्रिम आदेशों तक स्थगित किये गये थे।

नगरपालिका, छिबरामऊ की सीमायें तथा चुंगी वसूली हेतु लगाये गये बैरिअर

11—श्री सन्तोष चतुर्वेदी एडवोकेट—

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि छिबरामऊ नगरपालिका, जनपद फर्रुखाबाद की वर्तमान समय में चारों दिशा में सीमा किस स्थान पर समाप्त होती है, तथा क्या चुंगी वसूली हेतु बैरिअर सीमा रेखा से बहुत दूर लगाये गये हैं? यदि हां, तो यह किन-किन स्थानों पर लगे हैं तथा इतनी दूर लगाये जाने का क्या कारण है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

नगरपालिका छिबरामऊ की वही सीमायें हैं जो इससे पूर्व तत्कालीन टाउन एरिया कमेटी की थीं।

जी नहीं। वर्तमान समय में चुंगी वसूली हेतु बैरिअर पालिका की सीमा रेखा पर ही स्थित है जो तत्कालीन

टाउन एरिया कमेटी के समय से ही लगे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

नगरपालिका छिबरामऊ, जिला फर्रुखाबाद की सीमा के अन्तर्गत नजूल भूमि/अचल सम्पत्ति

12—श्री सन्तोष चतुर्वेदी एडवोकेट—

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका छिबरामऊ, जिला फर्रुखाबाद के पास कितनी नजूल भूमि व अन्य सम्पत्ति है और इसका विवरण नगरपालिका के किस रजिस्टर में अंकित है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

नगरपालिका छिबरामऊ, जनपद फर्रुखाबाद की सीमा के अन्तर्गत 163·96 एकड़ (एक सौ तिरसठ एकड़ छियानबे डिसमिल) नजूल भूमि/पालिका भूमि, अचल सम्पत्ति है। इसका विवरण नगरपालिका छिबरामऊ, के नजूल/पालिका सम्पत्ति, अचल सम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज है।

नगरपालिका छिबरामऊ, जिला फर्रुखाबाद में हरिजन कालोनी का निर्माण

13—श्री सन्तोष चतुर्वेदी एडवोकेट—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका छिबरामऊ, जिला फर्रुखाबाद द्वारा वर्ष 1975 में एक हरिजन कालोनी का निर्माण कराया गया था जो आवंटन न किये जाने के फलस्वरूप पूर्णरूपेण क्षतिग्रस्त हो चुकी है? यदि हां, तो इस कालोनी के निर्माण पर कितनी लागत आई थी तथा इस क्षति के लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

नगरपालिका छिबरामऊ, द्वारा सफाई कर्मचारियों के लिए 8 आवासीय क्वार्टरों के निर्माण का ठेका फरवरी, 1976 में दिया गया था किन्तु निर्माण कार्य पूर्ण होकर उनका कब्जा नगरपालिका को न मिलने के कारण, उनका विधिवत् आवंटन नहीं किया जा सका। इसी बीच जो क्वार्टर्स बने थे, उनमें से कुछ क्षतिग्रस्त भी हो गए हैं। अभी तक हुए उक्त निर्माण कार्य पर कुल रु0 19,493·75 लागत आई है। इस सम्बन्ध में हुई क्षति एवं विलम्ब के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित कर, सम्बन्धित दोषी अधिकारियों के विरुद्ध जांचोपरान्त कार्यवाही विचाराधीन है।

टाउन एरिया बिल्थरा रोड को डाक बंगला मालगोदाम रोड की स्थिति में सुधार हेतु किये गये प्रयास

14—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि टाउन एरिया बिल्थरा रोड, जनपद बलिया के डाक बंगला मालगोदाम रोड के अत्यन्त खराब हो जाने से आना जाना तो खतरनाक हो ही गया और वाहनों का आना जाना भी बिल्कुल बन्द है जिससे पूरे नगरवासियों के साथ क्षेत्र के लोगों में रोष एवं क्षोभ व्याप्त है ? यदि हां, तो क्या इस नगर की स्थिति में सुधार के लिए सरकार कोई कदम उठाने जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

यह सही है कि टाउन एरिया बिल्थरा रोड के डाक बंगला मालगोदाम रोड की स्थिति खराब है जिसके कारण वाहनों के आने जाने में कठिनाई उत्पन्न होती है, इसके कारण जन साधारण में रोष एवं क्षोभ व्याप्त होना स्वाभाविक है।

जी हां, स्थिति में सुधार के लिए शासन द्वारा रु0 80,000 के सड़क अनुदान की स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष में दी गयी है। सड़क सुधार का कार्य प्रगति पर है।

शाहजहांपुर में राष्ट्रीय पक्षी मोर की हत्या की जांच

15–श्री मयंकर सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 9-9-85 को परगनाधिकारी, तिलहर, जिला शाहजहांपुर ने अपने तहसील कार्यालय में एक राष्ट्रीय पक्षी मोर की हत्या की जांच प्रभारी मंत्री जी के आदेशानुसार की, उसमें क्या सिद्ध हुआ और दोषी को क्या दण्ड दिया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

यह सत्य है कि माननीय मंत्री जी संसदीय कार्य, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिला अधिकारी, शाहजहांपुर को निर्गत पत्र दिनांक 31-7-85 पर जिलाधिकारी, शाहजहांपुर के आदेश दिनांक 3-8-85 के अनुसार परगना मजिस्ट्रेट, तिलहर द्वारा जांच दिनांक 9-9-85 से प्रारम्भ की गयी थी। जांच से यह सिद्ध हुआ कि दिनांक 12-7-85 को मारे गये मोर का अपराध जैतीपुर पुलिस द्वारा 20-7-85 को दर्ज किया गया। मोर को मारने वाले अपराधी के विरुद्ध दिनांक 31-7-85 को मुंसिफ मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर के न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया है।

इन्दिरानगर स्थित तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों को आवंटित आवासों में दरवाजे की व्यवस्था

16–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ नगर के इन्दिरानगर स्थित तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों को आवंटित आवासों में शासन द्वारा स्वीकृत मात्रा में दरवाजे नहीं लगाये गये हैं जिससे कर्मचारियों का आवास पूर्णतः असुरक्षित है ? यदि हां, तो यह व्यवस्था कब तक हो जायेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

लखनऊ नगर स्थित इन्दिरानगर कालोनी में तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के आवासों में शासन द्वारा स्वीकृत मात्रा में दरवाजों की व्यवस्था की जा चुकी है।

राज्य चीनी निगम की बरेली स्थित यूनिट में कृषकों का बकाया गन्ना मूल्य

17–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य चीनी निगम की बरेली स्थित यूनिट (भूतपूर्व एच0 आर0 चीनी मिल, बरेली) ने 31 अक्तूबर, 1985 तक वर्ष 1984-85 का किसानों का कितना गन्ना मूल्य अभी तक नहीं दिया है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी तुरन्त उक्त गन्ना मूल्य का भुगतान ब्याज सहित कराने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम लि0 यूनिट बरेली (भूतपूर्व एच0 आर0 शुगर फैक्ट्री, बरेली) ने 31 अक्तूबर, 1985 तक पेराई सत्र 1984-85 का किसानों का रु0 19.84 लाख गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं किया था। दिनांक 31 जनवरी, 1986 की स्थिति के अनुसार उक्त मिल ने पेराई सत्र 1984-85 के समस्त गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

ललितपुर जनपद के बीड़ी पत्ती के ठेकेदारों द्वारा लिया गया सेल्स टैक्स

18—श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ललितपुर जनपद में बीड़ी पत्ती के ठेकेदारों से सन् 1976 से दोहरा सेल्स टैक्स लिया जा रहा है जबकि बीड़ी पत्ती का उत्पादक (निर्माता) वन विभाग है, जिसको कि ठेकेदार क्रेता के रूप में क्रय करता है? अतः क्रेता पर केवल एक बार सेल्स टैक्स लगना चाहिए जैसा कि उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में उक्त कर वर्षवार लिया जाता है? क्या उक्त सेल्स टैक्स के मुकदमों का निपटारा भी हो चुका है किन्तु धारा 29 के अन्तर्गत पुनः मुकदमें क्यों चलाये जा रहे हैं? क्या मुख्य मंत्री जी इस संदर्भ में विस्तृत विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह—

ललितपुर जनपद में बीड़ी पत्तों के किसी भी ठेकेदार से वर्ष 1976 से दोहरा सेल्स टैक्स नहीं लिया जा रहा है। बीड़ी पत्ती (तेन्दू पत्ती) पर शासकीय विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0-2-6627/दस-1012-1972 दिनांक 1-12-1973 द्वारा दिनांक 1-12-73 से 7 प्रतिशत की दर से कर आरोपित करने की व्यवस्था की गई थी तथा यह कर राज्य सरकार ग्राम सभा या अन्य स्थानीय प्राधिकरण या उनके अभिकर्ताओं द्वारा की गई बिक्री के बिन्दु पर देय था। विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0-2-8426/दस-6(19)/78, दिनांक 13-11-78 द्वारा उक्त विज्ञप्ति में संशोधन करके दिनांक 13-11-78 से कर का आपात् निर्माता अथवा आयातक द्वारा बिक्री के बिन्दु पर किया गया। तत्पश्चात उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अध्यादेश संख्या-27/1979 दिनांक 4-12-79 तथा अधिनियम संख्या-2/1980 द्वारा तेन्दू पत्ता पर दिनांक 1-12-73 से ही निर्माता/आयातकर्ता द्वारा बिक्री के बिन्दु पर 7 प्रतिशत की दर से कर लगाने की व्यवस्था की गई है।

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम की धारा 2(ई-1) के अन्तर्गत "निर्माण" की परिभाषा में "संग्रह" भी सम्मिलित है। तेन्दू पत्ते की नीलामी फरवरी महीने में पेड़ पर पत्ते के लगे रहते हुए की जाती है तथा ठेकेदारों द्वारा अप्रैल, मई, जून के महीनों में अपने मजदूरों व एजेन्टों के माध्यम से तेन्दू पत्ता तोड़वा कर संग्रह किया जाता है। इस प्रकार अधिनियम की धारा 2(ई-1) के अन्तर्गत ठेकेदार "निर्माता" हैं तथा ठेकेदारों पर 1-12-73 से कर देय है जो आरोपित किया गया है। उल्लेखनीय है कि ठेकेदारों पर दोहरा टैक्स नहीं लिया जा रहा है। केवल कर का बिन्दु बदलने के कारण ठेकेदारों पर कर आरोपित किया गया है।

वन विभाग द्वारा वसूले गए कर का लाभ वन विभाग द्वारा जमा राशि के

प्रमाण-पत्र के आधार पर ठेकेदार व्यापारियों को दे दिया गया है। ठेकेदारों द्वारा सम्बन्धित कर निर्धारण आदेशों के विरुद्ध सहायक आयुक्त (न्याय) बिक्रीकर के समक्ष अपील की गई है किन्तु प्राप्त अपीलीय निर्णयों में ठेकेदारों को निर्माता मानने का कर निर्धारण उचित ठहराया गया है।

जहां तक धारा 21 (न कि धारा 29) के अन्तर्गत मुकदमें चलाए जाने का प्रश्न है, जैसा कि ऊपर लिखा गया है, उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम संख्या-2/1980 द्वारा तेन्दू पत्ते पर पूर्वगामी प्रभाव (दिनांक 1-12-73) से कर देयता का बिन्दु बदला गया था। अतः उन कर निर्धारण आदेशों में जिनमें पहले वन विभाग की बिक्री पर कर देयता मानते हुए ठेकेदारों को कर मुक्ति दी गई थी तथा जो मामले धारा 21 की समयावधि में थे, उनमें नियमानुसार धारा 21 के अन्तर्गत नोटिस जारी करते हुए पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करके ठेकेदारों को निर्माता मानते हुए कर आरोपित किया गया है। धारा 21 के अन्तर्गत पारित इन आदेशों का अपील स्तर से समर्थन किया गया है। इस प्रकार ठेकेदारों के विरुद्ध जो कार्यवाही की गई है वह विधि सम्मत है।

यूनाइटेड बैंक शाखा आर्यनगर, कानपुर में लूट की घटना

19—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि दिनांक 26 अक्टूबर, 85 को कानपुर नगर के मोहल्ला आर्यनगर में कुछ युवकों ने दिन दहाड़े बैंक लूट लिया? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

दिनांक 26-10-85 को 11.30 बजे दिन यूनाइटेड कामर्शियल बैंक की शाखा आर्यनगर जनपद कानपुर नगर में घुसकर 6-7 सशस्त्र बदमाशों द्वारा पिस्टल की नोक पर शाखा के मैनेजर व अन्य कर्मचारियों को स्ट्रांगरूम में बंद करके धन की लूट की गई और लूटे गये धन को खाद की बोरी में लेकर बदमाश कार द्वारा भाग गये। घटना के संबंध में बैंक के मैनेजर द्वारा थाना स्वरूप नगर में एक अभियोग अन्तर्गत धारा 395/397 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत कराया गया। इस संबंध में अभी तक कोई अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है। विवेचना प्रचलित है।

कस्बा जैदपुर बाराबंकी में दशहरा के अवसर पर दंगा

20—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद बाराबंकी के कस्बा जैदपुर में दशहरा (अक्टूबर, 85) के अवसर पर कोई दंगा हुआ जिसमें कई व्यक्ति घायल हुए तथा कई मकान और दुकानें फूंक दी गयी थी? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

दिनांक 23-10-85 को दशहरा के अवसर पर कस्बा जैदपुर जनपद बाराबंकी में दंगा हुआ जिसमें 4 व्यक्ति चाकू बाजी में घायल हुए, 8 व्यक्ति आंशिक रूप से आहत हुए तथा 10 छोटी बड़ी दुकाने आंशिक रूप से जल गयीं।

घटना का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 167 पर)

जनपद गाजीपुर में डकैती, हत्या व लूट, चोरी की घटनाएं

21—श्री अफजाल अंसारी—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति दिन प्रति दिन बिगड़ती जा रही है? क्या यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि सन् 1983-84 की तुलना में 1984-85 में गम्भीर अपराधों की स्थिति क्या रही है? मार्च, 1985 से 15 अक्टूबर, 1985 की अवधि में जनपद में डकैती, हत्या, लूट, चोरी आदि जैसी अपराध समस्याओं की स्थिति क्या रही है तथा उनकी संख्या क्या है? इस पर नियंत्रण पाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्राप्त सूचनानुसार वर्ष 1983-84 की तुलना में वर्ष 1984-85 में इस जनपद में गंभीर अपराधों में आंशिक वृद्धि हुयी।

मार्च, 1985 से 15 अक्टूबर 1985 की अवधि में जनपद में डकैती, हत्या, लूट एवं चोरी की स्थिति निम्न रही:—

डकैती —6
हत्या —43
लूट —7
चोरी—166

अपराधों पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस सतत् प्रयत्नशील है। स्थिति नियंत्रण में है।

न्यू कैसरबाग मार्केट, लखनऊ स्थित नगरमहापालिका के आवासीय भवनों में मरम्मत, सफाई, पुताई का कार्य तथा भूतपूर्व एम0 एल0 सी0 के पत्र पर कार्यवाही

22—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनवरी/फरवरी, 1985 में न्यू कैसरबाग मार्केट, लखनऊ स्थित नगर महापालिका के आवासीय भवनों में से किन्हीं की मरम्मत, सफाई, पुताई आदि का काम नगर महापालिका द्वारा कराया गया था? यदि हां, तो क्या यह काम विभागीय कर्मचारियों के माध्यम से कराया गया था या ठेके पर? यह काम कितने आवासीय भवनों में कराया गया था, उनके भवन नं0 व आवंटियों के नाम क्या हैं? बाकी भवनों की मरम्मत सफाई आदि न कराये जाने का क्या कारण है? उपरोक्त मरम्मत, सफाई आदि के कामों पर क्या रकम खर्च हुई और उसमें कौन-कौन से काम शामिल थे?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

यह काम ठेके पर कराया गया था।

मरम्मत का काम फ्लैट नं0 12 में कराया गया था जिस के आवंटी श्री भगवत शरण हैं।

शेष सभी भवनों की मरम्मत धनाभाव के कारण नहीं कराई जा सकी तथा संबंधित आवंटियों ने मरम्मत के लिये अनुरोध भी नहीं किया क्योंकि मरम्मत के बाद किराये में वृद्धि हो सकती है।

उपरोक्त कार्यों पर 4126 रुपये व्यय हुये और उनमें फ्लैट में टूटी हुयी लैट्रिन, टंकी, बासबेसिन आदि की मरम्मत, सफाई और पुताई के काम शामिल हैं।

23—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इस सन्दर्भ में भूतपूर्व एम0 एल0 सी0 श्री गुरु प्रसाद का दिनांक 11-2-85 का कोई शिकायती पत्र महापालिका, लखनऊ के प्रशासक को प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो उस पत्र के मुख्य बिन्दु क्या

हैं और उन पर प्रशासक द्वारा क्या कार्यवाही की गयी तथा कोई कार्यवाही न किये जाने की स्थिति में उसका क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

संदर्भित पत्र दिनांक 11-2-85 में भूतपूर्व एम0 एल0 सी0 के आवास की मरम्मत, सफाई, पुताई, पिछली दीवार की मरम्मत कराने आदि का उल्लेख था। चूंकि यह व्यवस्था उपलब्ध थी कि किरायेदार दो माह के किराये के बराबर व्यय करके स्वयं मरम्मत करा सकता है, संदर्भित पत्र पर कार्यवाही नहीं की गयी।

24–श्री शारदानन्द अंचल–

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

सहकारी गन्ना समिति लि0 किरिहडापुर बल्थरा रोड को किसान सहकारी चीनी मिल समिति लि0, रसड़ा में विलीन करने हेतु दिये गये आदेश

25–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या मा0 गन्ना विकास मंत्री को ज्ञात है कि बेल्थरा रोड किरिहड़ापुर गन्ना सहकारी समिति लि0 बिल्थरा रोड, जिला बलिया को किस अधिकारी के आदेश से दि किसान सहकारी चीनी मिल समिति में किस नियम के अन्तर्गत मिला दिया गया?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सहकारी गन्ना समिति लि0 किरिहड़ापुर बेल्थरा रोड को किसान सहकारी चीनी मिल समिति लि0, रसड़ा में विलीन करने के लिए निबन्धक उ0 प्र0 सहकारी गन्ना समितियों द्वारा उ0 प्र0 सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 125(1) के अन्तर्गत आदेश दिये गये हैं।

प्रश्न कर्त्ता का बिक्रीकर अधिकारी, देहरादून द्वारा फर्म कृष्ण स्टील्स में अर्थदण्ड की नोटिस गलत क्लाज में देने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री को पत्र

26–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के तीसरे मंगलवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 संख्या 132 के सन्दर्भ में मा0 वित्त मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या प्रश्नकर्ता का पत्र मुख्य मंत्री जी के कार्यालय में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी है? जब मा0 उच्च न्यायालय का निर्णय 4-10-80 को पारित किया गया और यह अधिकारी 31-7-82 को सेवा निवृत्त हुए, इस अवधि में इस अधिकारी के ऊपर क्यों नहीं कार्यवाही की गयी है? इस बाद में विभाग को करदाता को दिलायी गयी कास्ट को मिलाकर कितना खर्चा वहन करना पड़ा ? इसके लिये कौन जिम्मेदार है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

जांच कराई जा रही है।

27–श्री यदुनाथ सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद मिर्जापुर, ब्लाक जमालपुर के कतिपय गांवों को मुगलसराय चकिया सड़क से जोड़ने हेतु लिंक रोड का निर्माण

28—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या सार्व0 निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि जनपद मिर्जापुर, तहसील चुनार, ब्लाक जमालपुर में ग्राम डाहरी, जगदीशपुर, शिवपुर, यूसुफपुर, गोरखी, डबक आदि गांवों को मुगलसराय चकिया सड़क से जोड़ने के लिए लिंक रोड का निर्माण गत वर्ष शुरू किया गया था? यदि हां, तो मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

उक्त मार्ग में जमालपुर—डबक मार्ग के कि0मी0 2 में हाई कोर्ट के स्थगन आदेश के कारण निश्चित तिथि देना सम्भव नहीं है।

बरेली में लोक अदालत का आयोजन, उद्देश्य तथा निस्तारित वादों की संख्या

29—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या न्याय मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 13-10-85 को बरेली में लोक अदालत लगायी गयी थी? यदि हां, तो मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लोक अदालत लगाने का उद्देश्य क्या था? उस दिन किन-किन धारा के कितने मुकदमें निपटाये गये? अदालत को लगाने में सरकार का कितना धन व्यय हुआ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। लोक अदालत का आयोजन मुख्यतः निम्न दो उद्देश्य से किया गया था :—

1—विभिन्न न्यायालयों में लम्बित वादों तथा ऐसे मामलों में जो अभी किसी भी न्यायालय तक नहीं पहुंचे हैं, पक्षकारों के मध्य सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में आपसी समझौता करवाकर निस्तारण कराना ताकि लोगों में अपने मामलों को न्यायालयों में ले जाये बिना ही आपसी समझौतों द्वारा निपटाने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो सके।

2—विभिन्न न्यायालयों में लम्बित छोटे-छोटे व्यावहारिक, आपराधिक एवं राजस्व के मामलों के शीघ्र निर्णय करवा कर पक्षकारों को राहत दिलाये जाने के उद्देश्य से।

दिनांक 13 अक्तूबर, 1985 को आयोजित लोक अदालत में निस्तारित किये गये कुल वादों की संख्या 8322 थी प्रत्येक अधिनियम और धारा के अन्तर्गत निस्तारित किये वादों की सूची संलग्न है। लोक अदालत के आयोजन पर सरकार का कुल व्यय रुपये 508.75 पैसे हुआ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 168-169 पर)

जिला हमीरपुर, थाना मझगवां पुलिस कर्मियों के विरुद्ध पंजीकृत अपराध की जांच

30—श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जिला हमीरपुर, तहसील राठ की ग्राम जराखर थाना मझगवां में दिनांक 25-10-85 को सायंकाल 7.30 बजे मझगवां के थानाध्यक्ष एवं एस0 आई0 सोनकर के साथ पांच-छः सिपाहियों को लेकर ग्राम जराखर गये वहां के शराब के ठेके पर शराब पी तथा उसे रुपया

नहीं दिया है और जो धन उसकी गोलक में था वह भी ले गये उसी समय करीब रात 8 बजे सूरज पुत्र महीपत के घर में घुसकर औरतों के साथ अभद्र व्यवहार किया इस पर मार-पीट भी हुई? इस घटना की रिपोर्ट करने सूरज, हरी सिंह, ईश्वरदास, राठ सी0 ओ0 के यहां जा रहे थे कि पुलिस ने आकर राठ में गिरफ्तार कर लिया एवं सूरज पुत्र श्रीपति के साथ बहुत ही मारपीट की एवं झूठे मुकदमें में चालान कर जेल भेज दिया तथा हरी सिंह की एक नाली कारतूस बन्दूक भी जब्त कर ली? इस प्रकार पुलिस बराबर जनता को उत्पीड़ित कर रही है जिससे गांव एवं क्षेत्र में भारी आतंक व्याप्त है? क्या सरकार दोषी पुलिस कर्मियों को दण्डित करने की कृपा करेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री तुलाराम की सूचना पर दिनांक 25-10-85 को थाना मझगवां में अ0 सं0 116/85 धारा 452/504/506 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत हुआ। दिनांक 26-10-85 को अभियुक्त ईश्वरदास, हरीसिंह पुत्रगण महीपत लोधी एवं सूरज उर्फ सूरा पुत्र श्रीपति को थानाध्यक्ष मझगवां ने बारह खम्भा बस स्टैण्ड मझगवां में गिरफ्तार किया। अभियुक्त हरी सिंह गिरफ्तारी के समय अपनी एक नाली लाइसेंसी बन्दूक भी लिये था जो कब्जे पुलिस में ली गयी। थानाध्यक्ष की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी द्वारा हरी-सिंह का लाइसेंस दिनांक 19-11-85 को निरस्त कर दिया गया है। हरि-जनों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सूरज उर्फ सूरा आदि के विरुद्ध धारा 107/116 जा0 फौ0 की कार्यवाही दिनांक 25-10-85 को की गई। इस मुकदमें में विवेचना के उपरान्त अभि-युक्तों का चालान दिनांक 4-11-85 द्वारा आरोप पत्र न्यायालय किया गया है। पुलिस के विरुद्ध झूठे मुकदमों में चालान करने, मारपीट करने, ठेके पर शराब पीने, गोलक से पैसे निका-लने एवं सूरज के घर में घुसकर औरतों के साथ अभद्र व्यवहार करने की बात सही नहीं पायी गयी है। पुलिस कार्यवाही पीड़ित हरिजनों को न्याय व सुरक्षा दिलाने के तहत की गई है।

ललितपुर जनपद में रजिस्टर्ड आरा मिल चलाने हेतु कच्चे माल की कथित आपूर्ति

31–श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि ललितपुर जनपद में रजिस्टर्ड आरा मिलों को वन निगम द्वारा उनके चलाने को कच्चा माल देकर दिया जा रहा है जैसा कि प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में कच्चा माल देकर उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है? क्या जनपद के आरा मिलों का कोटा निश्चित करने का शासन का कोई विचार है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

ललितपुर लौगिंग प्रभाग द्वारा ललितपुर जनपद में रजिस्टर्ड आरा मिलों को आरा मिल चलाने हेतु कच्चे माल की (गोल प्रकाष्ठ) आपूर्ति नहीं की जाती है। जनपद के कुछ आरा मिल मालिक ललितपुर लौगिंग प्रभाग के बिक्री डिपुओं से सार्वजनिक नीलाम में कच्चा माल (गोल प्रकाष्ठ) क्रय करते हैं। स्थानीय आरा मिल मालिकों से कच्चे माल की आपूर्ति हेतु कोई

प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। अतः कोटा निश्चित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

ललितपुर जनपद को पर्यटन केन्द्र बनाने का विचार

32—श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ललितपुर जनपद को पर्यटन केन्द्र बनाने का शासन का विचार है जहां पर देवगढ़, चंदेरी, खजुराहो, जैन मन्दिर आदि पर्यटन केन्द्र हैं तथा जहां पर हवाई अड्डा भी निर्मित है एवं इसे प्रारम्भ करने पर पर्यटन को काफी सुविधा और विस्तार किया जा सकता है? यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है?

श्री प्रमोद कुमार—

देवगढ़ (जनपद ललितपुर) में 8 शैय्या वाले पर्यटक आवास गृह के निर्माण हेतु रु0 8.34 लाख के आगणन पर शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इस पर 5.44 लाख रुपये की धनराशि व्यय की जा चुकी है तथा भौतिक प्रगति 60 प्रतिशत है।

श्री मोहम्मद नबी, मोहल्ला खलील शकीं, शाहजहांपुर का पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर को दिया गया शिकायती पत्र

33—श्री नत्थू लाल—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि 27-9-85 को एक शिकायती पत्र श्री मोहम्मद नबी पुत्र श्री मज्जा, मोहल्ला खलीलशकीं, शाहजहांपुर का पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो उस पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, प्रश्न में संदर्भित शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था। इसमें उल्लिखित आरोपों की जांच कराई गई और जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हुए।

थाना सलेमपुर, जनपद देवरिया के सिपाहियों द्वारा भुख हड़ताल

34—श्री रणजीत—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना सलेमपुर, जनपद देवरिया के सिपाहियों में 10 जून से 20 जून, 1985 के बीच किन परिस्थितियों में भूख हड़ताल थी?

श्री वीर बहादुर सिंह—

10 जून से 20 जून, 1985 के बीच प्रश्न में उल्लिखित सिपाहियों ने कोई भूख हड़ताल नहीं की थी।

निर्माण शाखा (यांत्रिकी) उत्तर प्रदेश जल निगम, गोरखपुर के अवर अभियन्ताओं की अस्थायी उचन्त की धनराशि का समायोजन

35—श्री रणजीत—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निर्माण शाखा (यांत्रिकी) उत्तर प्रदेश जल निगम गोरखपुर में किन-किन अवर अभियन्ताओं के नाम अस्थाई उचन्त की कितनी-कितनी धनराशि वर्ष 85 के शुरू के तीन महीनों में या उसके तुरन्त बाद किस-किस अवधि की समायोजित होने के लिए बट्टे खाते में पड़ी थी और उसे कब तक समायोजित कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो उसे उनके वेतन से काटने हेतु क्या आदेश दिए जा रहे हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

निर्माण शाखा (यांत्रिकी) उत्तर प्रदेश जल निगम, गोरखपुर में संलग्न सूची में दिये गये विवरण के अनुसार 19 अवर अभियन्ताओं के नाम वर्ष 1985 के शुरू के तीन महीनों अर्थात् 31 मार्च, 1985 तक अस्थाई उचन्त की धनराशि रुपया 57032·81 समायोजित होने के लिये अवशेष थी। वर्तमान में केवल रुपया 27404·45 की धनराशि का समायोजन बाकी है जो दिसम्बर, 1986 तक कटौती करके अथवा देयकों के द्वारा समायोजित किया जाना प्रस्तावित है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 170 पर।)

श्री रामजी कसेरा नगरपालिका पडरौना, देवरिया की मैजिस्ट्रियल जांच

36–श्री रणजीत–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामजी कसेरा नगरपालिका पडरौना, जनपद देवरिया के हत्या काण्ड की मजिस्ट्रियल जांच की जा रही है? यदि हां, तो जांच कब तक पूरी हो जायेगी तथा जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नगत हत्याकाण्ड की मजिस्टीरियल जांच करायी गयी। मजिस्टीरियल जांच में अभियुक्त रामजी कसेरा की मृत्यु के लिए कोई पुलिस अधिकारी अथवा कर्मचारी उत्तरदायी नहीं पाया गया। सम्प्रति इस प्रकरण की विवेचना सी0आई0डी0 द्वारा की जा रही है।

37–श्री राम गोविन्द चौधरी तथा कुंवर रेवती रमण सिंह–

[6वें मंगलवार के लिए स्थगित]

श्री ओम प्रकाश निवासी मो0 मोहम्मद जई, थाना कोतवाली शाहजहांपुर द्वारा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश को दिए गये शिकायती पत्र की जांच

38–श्री राम गोविन्द चौधरी–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जून, 1985 के अन्तिम सप्ताह में श्री ओम प्रकाश निवासी मो0 मोहम्मद जई, थाना कोतवाली, जिला शाहजहांपुर से पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश को इस आशय की शिकायत मिली कि एक स्थानीय सिनेमा हाल व शराब की भट्ठी के मैनेजर व उसके साथी अराजक तत्वों के साथ पुलिस कोतवाली शाहजहांपुर के कतिपय कर्मचारियों ने 6-6-85 को उनके घर में घुसकर उनके लड़के आशुतोष को पकड़ा और कोतवाली ले जाकर मारा-पीटा व उसका झूठा चालान कर दिया? यदि हां, तो क्या श्री ओम प्रकाश की प्रार्थना के अनुसार उसकी जांच सी0आई0डी0 को दी गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित शिकायती पत्र पुलिस महानिदेशक के पत्र दिनांक 3-7-1985 के माध्यम से जनपद में प्राप्त हुआ था। दिनांक 6-6-85 को थाना कोतवाली क्षेत्र स्थित चित्रा टाकीज के पास आशुतोष कुमार व ज्ञान सिंह व जुगुल किशोर को, आपस में लड़ते हुए, मौके पर गिरफ्तार किया गया और उनके विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 164/85 धारा 160 भा0दं0वि0 थाना कोतवाली में पंजीकृत किया गया। विवेचना के उपरान्त अभियुक्तों का चालान द्वारा आरोप पत्र न्यायालय किया गया। उक्त शिकायती पत्र में लगाए गए आरोप जांच में सही नहीं पाए गए। इस प्रकरण की जांच सी0आई0डी0 द्वारा कराए जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

सामाजिक वानिकी सरयू क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित विभिन्न प्रभागों के वृक्षारोपण अधिकारियों की संख्या तथा उनकी तैनाती

39—श्री राम गोविन्द चौधरी—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सामाजिक वानिकी सरयू क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित विभिन्न प्रभागों में कितने वृक्षारोपण अधिकारी (फारेस्ट रेंजर) हैं, जो रेंज के चार्ज पर हैं तथा कितने कार्यालय से सम्बद्ध हैं? क्या यह सही है कि फारेस्ट रेंजरों के उपलब्ध रहते हुए भी उप वृक्षारोपण अधिकारियों को रेंज का चार्ज दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या रेंज का चार्ज देने के सम्बन्ध में कोई विभाग या शासन की नीति निर्धारित है? यदि हां, तो वह क्या है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सामाजिक वानिकी, सरयू क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न प्रभागों में 16 वृक्षारोपण अधिकारी (वन रेंजर) रेंज के चार्ज में हैं। इसके अतिरिक्त 7 वृक्षारोपण अधिकारी (वन रेंजर) यूनिट के चार्ज में हैं तथा 2 वृक्षारोपण अधिकारी (वन रेंजर) कार्यालय से सम्बद्ध हैं। सामाजिक वानिकी में रेंज तथा यूनिट दोनों में एक ही प्रसार का कार्य है।

यह सही है कि वन रेंजरों के रहते हुए उप वृक्षारोपण अधिकारियों को रेंज/यूनिट का चार्ज दिया गया है। वस्तुस्थिति यह है कि कुल 25 वन रेंजरों में से केवल 2 वन रेंजर रेंज यूनिट के चार्ज में नहीं हैं क्योंकि इनमें से एक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही चल रही है तथा दूसरे वन रेंजर रेंज कार्यों पर ठीक से नियंत्रण नहीं रख पाये तथा रेंज चार्ज के अयोग्य सिद्ध हुए।

रेंज चार्ज में वन रेंजरों की उपलब्धता व उपयुक्तता के आधार पर रेंज/यूनिट चार्ज दिया जाता है।

सामाजिक वानिकी सरयू क्षेत्र, फैजाबाद के विभिन्न प्रभागों के वन रक्षकों की संख्या तथा उनके चयन में हुई अनियमितता

40—श्री राम गोविन्द चौधरी—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सामाजिक वानिकी सरयू क्षेत्र फैजाबाद के अन्तर्गत स्थित किन-किन प्रभागों में कितने वन रक्षकों के पद रिक्त हैं और जो वन रक्षकों की नियुक्तियां की गई हैं उनका चयन प्रक्रिया के अनुसार नहीं किया गया है? यदि हां, तो कितने वन रक्षकों की नियुक्तियां तदर्थ रूप से की गई हैं और क्या वह शासन के नियमों के अनुरूप हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सामाजिक वानिकी, सरयू क्षेत्र के अन्तर्गत वन रक्षक/वन प्रसार कर्ता के पद निम्न प्रकार रिक्त हैं:—

1—बस्ती वन प्रभाग में	27
2—देवरिया वन प्रभाग में	32
3—सुल्तानपुर वन प्रभाग में	49
4—फैजाबाद वन प्रभाग में	21
5—प्रतापगढ़ वन प्रभाग में	38
योग—	167

इस क्षेत्र से संबंधित वन प्रभागों में जो भी नियुक्तियां वन रक्षक/वन प्रसारकर्ता के पद पर की गयी, वह चयन प्रक्रिया के अनुसार ही की गयी है।

इससे संबंधित वन प्रभाग यथा फैजाबाद प्रतापगढ़, सुल्तानपुर देवरिया के अन्तर्गत वन रक्षक/वन प्रसारकर्ता की

कोई भी तदर्थ नियुक्ति नहीं की गयी है। केवल बस्ती वन प्रभाग के अन्तर्गत जून 82, जुलाई 83 एवं अगस्त 83 में 5 वन प्रसारकर्ता तथा अप्रैल 85 में 10 वन प्रसारकर्ता के प्रशिक्षण अथवा प्रोन्नति पर चले जाने के फलस्वरूप रिक्त पदों के विरुद्ध तदर्थ रूप से नियुक्ति की गयी थी जो शासन के नियमों के अनुरूप नहीं थी। अतः उनकी सेवायें समाप्त कर दी गयी हैं।

41—श्री राम गोविन्द चौधरी—

[7वें बुधवार में अता0 प्र0 सं0 109 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बाजपुर कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि0 बाजपुर के चीनी गोदाम से लेवी शुगर की बोरियों की चोरी

42—श्री राम गोविन्द चौधरी—

क्या चीनी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, 1985 में बाजपुर कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि0 बाजपुर के चीनी गोदाम से लेवी शुगर की कितनी बोरियां गायब हो गई हैं, जिनका एक्साइज टैक्स जमा किया जा चुका है, परन्तु उनका मूल्य भुगतान उपरोक्त फैक्ट्री को फूड कारपोरेशन आफ इण्डिया में प्राप्त नहीं हुआ है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

दिनांक 26 अप्रैल, 1985 से पी0 सी0 एफ0 के लिये लदान के समय, एक ठेकेदार ने 5 बोरी कम का गेट पास बनवा लिया। इससे इन 5 बोरी चीनी, जिनकी एक्साइज डियूटी जमा की जा चुकी थी, का मूल्य पी0 सी0 एफ0 से प्राप्त नहीं हुआ। इस विषय में संबंधित पुलिस स्टेशन में एफ0 आई0 आर0 दर्ज करा दी गयी है।

ग्राम हरनाटार, थाना सिकन्दरपुर, बलिया के हरिजनों द्वारा जिलाधिकारी बलिया, मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश तथा आई0जी0 पुलिस उ0 प्र0 लखनऊ को भेजे गये प्रार्थना-पत्र के संबंध में जानकारी

43—श्री राम गोविन्द चौधरी—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामहरनाटार, थाना सिकन्दरपुर, जनपद बलिया के हरिजनों ने जिलाधिकारी बलिया को एक पत्र दिनांक 30-3-85 तथा दूसरा दिनांक 1-4-85 को दिया था जिसकी प्रतिलिपि रजिस्ट्री डाक द्वारा मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ, आई0 जी0 पुलिस लखनऊ को भी भेजी थी? यदि हां, तो वह पत्र क्या है तथा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्राप्त सूचनानुसार ग्राम हरनाटार थाना सिकन्दरापुर, जनपद बलिया के हरिजनों का प्रार्थना पत्र दिनांक 1-4-85 प्राप्त हुआ था जिसकी जांच कराई गयी। जांच से आरोप निराधार पाए गए।

उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम में लिपिकों की प्रोन्नति

44—श्री रणजीत—

क्या चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम में प्रोन्नति हेतु कोई प्रमोशन पालिसी बनी है ? यदि नहीं, तो अनेक लिपिकों को किस आधार पर प्रशासनिक अधिकारी बनाया गया तथा सहायक प्रशासनिक अधिकारियों को प्रोन्नति नहीं दी गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रोन्नति के संबंध में नीति निर्धारण हेतु कार्यवाही की जा रही है।

पूर्व में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर आवश्यकतानुसार सीधी भर्ती अथवा वरिष्ठ सहायक/सहायक प्रशासनिक अधिकारी/श्रम अधिकारी से नियुक्ति/प्रोन्नति की गई है।

उक्त पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति के संबंध में नीति निर्धारित हो जाने के पश्चात् उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

करवी, बांदा में उपभोक्ताओं को ईंधन व भवन निर्माण हेतु शासन द्वारा लकड़ी उपलब्ध कराये जाने की मांग

45—श्री राम सजीवन—

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले के करवी कस्बे में उपभोक्ताओं को ईंधन व भवन निर्माण आदि के लिए लकड़ी उपलब्ध कराने हेतु शासन अथवा वन निगम की ओर से कोई व्यवस्था की गयी है? क्या यह सही है कि दोनों प्रकार की लकड़ी की उपलब्धता सुनिश्चित न होने के कारण उपभोक्ताओं को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? क्या सरकार घरेलू उपयोग के लिए किसानों को अपने निजी पेड़ काटने की पूरी छूट देगी जिससे उन्हें परमिट लेने के लिए होने वाली कठिनाई से बचाया जा सके?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बांदा जिले के करवी कस्बे में शासन अथवा वन निगम की ओर से उपभोक्ताओं को ईंधन व भवन निर्माण हेतु लकड़ी उपलब्ध कराये जाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई क्योंकि सरकारी जंगलों की क्षीण दशा को देखते हुए उनकी सुरक्षा व विकास के लिए वर्तमान कार्य योजना के अनुसार वर्ष 1984-85 से बांदा वन प्रभाग में हरे वृक्षों के पातन पर रोक लगा दी गई है चूंकि वनों के संरक्षण के हित में बांदा वन प्रभाग में हरे वृक्षों के पातन पर रोक लगाई गई है अतः इसके फलस्वरूप उपभोक्ताओं को कठिनाई होने की बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

ईंधन, चारा, कृषि उपकरण या किसी अन्य घरेलू कार्य के प्रयोजनार्थ वास्तविक उपयोग के लिए पेड़ के मालिक को अपने वृक्ष को काटने अथवा उससे चारा प्राप्त करने के लिये किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है केवल पर्वतीय क्षेत्र में यह सुविधा एक परिवार को एक वर्ष में एक वृक्ष काटने तक सीमित है। इसके अतिरिक्त नीचे दी गई 27 वृक्ष प्रजातियों, यदि उन्हें 2 हैक्टेयर तक के क्षेत्र में रोपित किया गया हो, के वृक्षों को काटने के लिये वृक्ष के मालिक को किसी से अनुमति लेने की आवश्कता नहीं है:—

अगस्त, अरू, उत्तीस, कौजूरीना, जंगल जलेबी, पापलर, फराश, बकाइन, बबूल, विलायती बबूल, यूकेलिप्टस, रोबिनिया, वाटन, बिल्वों, सिरिस, सुब्बूल, आयार, कठबेर, खड़िक, जामून, ढाक, पेपर मलबरी, बेर, भीमल, मेहल, सैंजना तथा शहतूत।

विकास प्राधिकरण द्वारा गोमती नगर में डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का निर्माण

46—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोमती नगर में विद्युतीकरण का धन कहां से आया और इस कालोनी में विद्युत लाइन किसकी मानी जायगी? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि इस लाइन का व्यय वहां के मकान मालिकों से विकास कर के नाम पर एल0 डी0 ए0 ले रही

है और लाइन विद्युत परिषद् की ही जायगी ? यदि हां, तो विद्युत परिषद् का कार्य क्या है ? जहां हजारों उपभोक्ता एक साथ मिल रहे हैं वहां विद्युत परिषद् लाइन क्यों नहीं बना रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

गोमती नगर में डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का निर्माण प्राधिकरण द्वारा करवाया जा रहा है, जिसका धन क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा विकास के रूप में क्षेत्र में बन रहे मकानों एवं भूखण्डों के मूल्य में सम्मलित कर दिया गया है । नियमों के अन्तर्गत इस प्रकार बनाई गई विद्युत की लाइनों को बनाने के बाद उसे राज्य विद्युत परिषद् को रख-रखाव हेतु दे दिया जाता है तथा तत्पश्चात् यह विद्युत परिषद् की ही सम्पत्ति होती है ।

47–श्री शारदानन्द अंचल–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जिला कारागार, बलिया में बन्दियों हेतु निर्धारित भोजन दर, उनकी संख्या व सुधार के संबंध में जानकारी

48–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कारागार बलिया के विचाराधीन बन्दियों और कैदियों के लिए निर्धारित भोजन दर क्या है और एक दिन में उन पर क्या खर्च निर्धारित है तथा बलिया जिला कारागार की क्षमता कितनी है ? क्या सरकार बलिया कारागार की क्षमता बढ़ाने और बंदियों के सुधार के लिए आवश्यक कार्यवाही करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जिला कारागार, बलिया, के विचाराधीन बंदियों तथा कैदियों के लिए भोजन की कोई अलग दर निर्धारित नहीं है। प्रदेश के अन्य कारागारों की भांति उन्हें भी जेल मैनुअल अध्याय-21 के प्राविधानों के अनुसार भोजन दिया जाता है जिसका इस समय प्रतिदिन प्रतिबन्दी खर्च रु0 5.74 आता है, किन्तु प्रचलित बाजार दर से घटता बढ़ता रहता है । जिला कारागार बलिया की क्षमता 281 बन्दियों की है जिसके विरुद्ध 161 बन्दी ही निरुद्ध हैं । अतः क्षमता में बृद्धि करने की आवश्यकता नहीं है । कैदियों के सुधार हेतु शासन सतत जागरूक है ।

थाना भीमपुरा, बलिया के थानाध्यक्ष श्री आर0 डी0 राय के विरुद्ध शिकायती-पत्रों की जांच

49–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के थाना भीमपुरा के थानाध्यक्ष आर0 डी0 राय के विरुद्ध पिछले चार माह में कितने शिकायती पत्र जांच एवं कार्यवाही के मांग के लिए आम जनता या जन-प्रति निधियों द्वारा शासन को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उस सन्दर्भ में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्न में उल्लिखित अवधि में बलिया जनपद के थाना भीमपुरा के थानाध्यक्ष, श्री आर0 डी0 राय के विरुद्ध चार प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे जिनकी जांच कराई गयी । जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हुए ।

बलिया जनपद के पुलिस चौकी सीयर के निजी भवन बनाने की योजना के संबंध में जानकारी

50–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के महत्वपूर्ण पुलिस

चौकी सीयर के निजी भवन बनाने के लिए योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त भवन कब तक बनकर तैयार हो जायेगा और पुलिस चौकी निजी भवन में कब तक चली जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

राज्य सरकार की यह नीति है कि पुलिस विभाग के सभी थानों तथा चौकियों आदि के लिए उनके निजी भवन बनवाये जायं किन्तु समिति वित्तीय संसाधनों के कारण उक्त नीति का कार्यान्वयन चरण-बद्ध तरीके से ही सम्भव है । प्राप्त सूचना के अनुसार अभी जनपद बलिया की प्रश्नगत चौकी सीयर के भवन निर्माण हेतु उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई है जिसके कारण अभी यह बता पाना सम्भव नहीं है कि प्रश्नगत चौकी के निजी भवन का निर्माण कब तक हो जायेगा ।

गोरखपुर के थाना चौरी-चौरा, ग्राम डुमरीखास बसन्त टोला के श्री भगवान द्वारा स्थानीय पुलिस चौरी-चौरा के विरुद्ध शिकायती पत्र

51–श्रीमती शारदा देवी–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद गोरखपुर के थाना चौरी-चौरा के ग्राम डुमरीखास बसन्त टोला के श्री भगवान पुत्र अयोध्या का स्थानीय पुलिस चौरी-चौरा के विरुद्ध दिनांक 15 अप्रैल, 1985 को एस0 एस0 पी0 गोरखपुर व आई0 जी0 पुलिस को शिकायती पत्र दिया गया था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी, हां ।

शिकायती पत्र पर जांच कराई गई। जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हुए ।

पिंडरा दवेराई सराय मार्ग, वाराणसी की सुरक्षा व सीमांकन के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की जानकारी

52–श्री राम सजीवन–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिंडरा दवेराई सराय मार्ग, वाराणसी के ठेकेदार संकठा प्रसाद दीक्षित औरांव, ब्लाक पिंडरा, वाराणसी ने एक प्रार्थना पत्र पिंडरा दवेराई सराय मार्ग को गिराकर नुकसान पहुंचाने, अवरोध उत्पन्न करने व दो हजार रु0 की लागत की मिट्टी गिरा कर फेंकने के बारे में ए0 डी0 एम0 ई0 वाराणसी के यहां 15-10-85 को प्रार्थना पत्र दिया था और ए0 डी0 एम0 ई0 ने अधिशासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, वाराणसी श्री मुहम्मदुल्ला को रिपोर्ट भेजने हेतु आदेश दिया था ? यदि हां, तो क्या अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वाराणसी ने रिपोर्ट ए0 डी0 एम0 ई0 के यहां भेज दिया है ? यदि हां, तो ए0 डी0 एम0 ई0 ने क्या कार्यवाही की ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

जी हां।

अपर जिलाधिकारी (ई0) वाराणसी ने अपने पत्रांक 8082/आ0 श0-1085, दिनांक 24-10-85 द्वारा थानाध्यक्ष, फूलपुर को यह आदेश दिया कि जहां कहीं सड़क पर मिट्टी पड़ चुकी है उसे काश्तकारों द्वारा न काटा जाना सुनिश्चित किया जाय ।

53–श्री राम सजीवन–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिंडरा दवेराई सराय

मार्ग, वाराणसी को पुराने मार्ग से ले जाने व टेढ़ा मेढ़ा सीधा करने हेतु गांव देवराई ब्लाक पिंडरा, वाराणसी के किसानों ने लिखकर अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग को दे दिया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त गांव सभा की सड़क जो काफी चौड़ी है को परगनाधीश उत्तरी व तहसीलदार, वाराणसी या जिलाधीश, वाराणसी को नापने हेतु अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वाराणसी ने लिखा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सभी किसानों ने लिखकर नहीं दिया है ।

जी हां, पुरानी टेढ़ी मेढ़ी सड़क के सीमाकंन हेतु लिखा था ।

अपर जिलाधिकारी (ई0) वाराणसी द्वारा तहसीलदार (सदर) वाराणसी को सीमाकंन हेतु तथा थानाध्यक्ष, फूलपुर को शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु आदेश दिया था जिसके अनुपालन में दिनांक 16-1-86 को सीमाकंन करा दिया गया।

निरंजन उर्फ नीरे कोइरी पिंडरा, थाना फूलपुर, वाराणसी द्वारा अपने पुत्र की हत्या संबंधी लल्लू, कल्लू तथा राम सूरत के विरुद्ध फर्जी रिपोर्ट की जांच

54–श्री राम सजीवन–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ता0 3-10-85 को एक फर्जी रिपोर्ट निरंजन उर्फ नीरो कोइरी पिंडरा, थाना फूलपुर, वाराणसी ने अपने लड़के सुखदेव के अपहरण व हत्या का लल्लू, कल्लू रामसूरत रमईपुर थाना फूलपुर वगैरह के खिलाफ लिखाया था और रिपोर्ट लिखाने के पूर्व ही एस0 आई0 पांडे ने लल्लू रमईपुर व काशी तेन्दुई जन्सा को उसके घर से रात ही ले जाकर हवालात में बन्द किया? क्या यह सही है कि रमईपुर, मानापुर, थाना फूलपुर, जिला वाराणसी के नागरिकों ने 4-10-85 को थानाध्यक्ष फूलपुर को व 6-10-85 को एस0 पी0 आई0 को फर्जी मुकदमें के बारे में लिखित प्रार्थना पत्र दिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सही कि एस0 पी0 आर0 ए0 वाराणसी ने उक्त प्रार्थना पत्र पर फर्जी व झूठी रिपोर्ट लिखाने वाले निरंजन उर्फ नीरे कोइरी व गवाहों के ऊपर मुकदमा चलाने का आदेश दिया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । प्रश्न में उल्लिखित आशय का प्रार्थना पत्र रमईपुर व मानापुर थाना फूलपुर के नागरिकों द्वारा 4-10-85 को थानाध्यक्ष फूलपुर को एवं उसकी प्रतिलिपि एस0 पी0 (आर0 ए0) को 5-10-85 को दिया था जिसकी जांच कराई गई । जांच एवं विवेचना से आरोप झूठा व पेशबन्दी में लगाया जाना पाए जाने पर निरंजन उर्फ नीरे कोइरी व उसके पुत्र सुखदेव के विरुद्ध धारा 182/211 भा0 द0 वि0 की कार्यवाही हेतु रिपोर्ट दी जा चुकी है। एस0 आई0 पाण्डे के विरुद्ध लगाया गया आरोप सही नहीं पाया गया ।

एस0 पी0 आर0 ए0, वाराणसी का आदेश तथा एस0 ओ0 फूलपुर, वाराणसी द्वारा उसका अनुपालन न करने के आरोप की जांच

55–श्री राम सजीवन–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लल्लू व तेन्दई जो मुल्जिम बनाये गये थे इन्होंने भी एस0 पी0 आर0 ए0 को जनता

की दरख्वास्त को नत्थी करके प्रार्थना पत्र अक्टूबर, 85 में दिया है ? यदि हां, तो एस0 पी0 आर0 ए0 वाराणसी का आदेश होते हुए एस0 ओ0 फूलपुर, वाराणसी ने दफा 182 या जो आदेश एस0 पी0 साहब ने दिया है उस पर क्यों मुकदमा नहीं चलाया ? आदेश का पालन करने में क्या एस0 ओ0 के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं । एस0 पी0 (आर0 ए0) द्वारा मुकदमा चलाने के आदेश दिए जाने तथा एस0 ओ0 थाना फूलपुर द्वारा कथित आदेश के अनुपालन में लापरवाही बरतने के आरोप सही नहीं हैं । अतः अन्य प्रश्न नहीं उठते ।

पिंडरा दवेराई सराय मार्ग, वाराणसी को क्षतिग्रस्त करने के विरुद्ध लिखित रिपोर्ट पर कृत कार्यवाही के संबंध में जानकारी

56–श्री राम सजीवन–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिंडरा दवेराई सराय मार्ग, वाराणसी को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बना कर मिट्टी डाल देने के बाद गांव दवेराई थाना फूलपुर, वाराणसी के कुछ लोगों ने सड़क को काट कर फेंक दिया । यदि हां, तो क्या यह सही है कि सड़क के ठेकेदार संकठा प्रसाद दीक्षित ने सितम्बर, 85 में जे0 ई0, हौसिला प्रसाद सिंह ने 2 अक्टूबर, 85 को थाना फूलपुर, जिला वाराणसी में लिखित रिपोर्ट के आधार पर थाना फूलपुर की पुलिस व एस0 ओ0 ने क्या कार्यवाही की ? क्या यह सही है कि दो हजार रुपये से ज्यादे का नुकसान हुआ और सड़क बिगाड़ कर रोक दिया गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं । अन्य प्रश्न नहीं उठते ।

देवरिया जनपद में हुए कत्लों की संख्या चार्जशीट एवं अन्तिम रिपोर्ट के संबंध में जानकारी

57–श्रीमती शारदा देवी–

क्या मुख्य मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद में दिनांक 1-1-85 से 31-7-85 के बीच कितने कत्ल हुए ? कितने में चार्जशीट लगी तथा कितने में फाइनल रिपोर्ट लगी ? फाइनल रिपोर्ट लगाने का कारण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नगत अवधि में हत्या के कुल 53 अभियोग पंजीकृत हुए । 49 मामलों में आरोप पत्र भेजे गये, एक मामले में अंतिम रिपोर्ट भेजी गई तथा 3 मामले विवेचनाधीन हैं । जिस अभियोग में अन्तिम रिपोर्ट लगी है उसमें न तो मृतक की पहचान हो सकी और न अभियुक्त का ही पता चल सका ।

देवरिया जनपद में डकैतियों एवं चोरियों की संख्या तथा उसके संबंध में कृत कार्यवाही की जानकारी

58–श्रीमती शारदा देवी–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद में 1-1-85 से 31-7-85 के बीच कितनी डकैतियां एवं चोरियां हुईं ? इनमें कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नगत अवधि में डकैती की 42 तथा चोरी की 343 घटनायें घटीं। डकैती की 23 घटनाओं में आरोप पत्र तथा 16 मामलों में अभियुक्तों का पता न लग पाने के कारण अंतिम रिपोर्ट भेजी गई। तीन घटनायें विवेचनाधीन हैं ।

चोरी की 113 घटनाओं में आरोप पत्र तथा 230 घटनाओं में अभियुक्तों का पता न लग सकने के कारण अन्तिम रिपोर्ट घोषित की गई ।

जनपद देवरिया के खामपार थानान्तर्गत हुई डकैतियों, चोरियों तथा कत्लों की संख्या तथा कृत कार्यवाही के संबंध में जानकारी

59—श्रीमती शारदा देवी—

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि देवरिया जनपद खामपार थाना अन्तर्गत कितनी डकैतियां, चोरियां एवं कत्ल दिनांक 1-1-84 से 31-7-85 के बीच हुआ ? इनमें से कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत अवधि में घटित घटनाओं का विवरण निम्न है:—

	घटनाओं की सं0	आरोप पत्र	अन्तिम रिपोर्ट
डकैती	2	2	—
चोरी	17	8	9
कत्ल	5	3	2

जनपद देवरिया के बनकटा थानान्तर्गत हुई डकैतियों, चोरियों तथा कत्लों की संख्या तथा कृत कार्यवाही के संबंध में जानकारी

60—श्रीमती शारदा देवी—

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि देवरिया जनपद बनकटा थाना अन्तर्गत कितनी डकैतियां, चोरी एवं कत्ल दिनांक 1-1-84 से 31-7-85 के बीच हुआ ? इनमें कौन सी कार्यवाही की गई?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत अवधि में घटित घटनाओं का विवरण निम्न है:—

	घटनाओं की सं0	आरोप पत्र	अन्तिम रिपोर्ट
डकैती	1	1	—
चोरी	16	3	13
कत्ल	2	2	—

जनपद देवरिया के भटनी थानान्तर्गत हुई डकैतियों चोरियों एवं कत्लों की संख्या तथा कृत कार्यवाही के संबंध में जानकारी

61—श्रीमती शारदा देवी—

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि देवरिया जनपद भटनी थाना अंतर्गत कितनी डकैतियां, चोरियां एवं कत्ल दिनांक 1-1-84 से 31-7-85 के बीच हुआ ? इनमें कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत अवधि में घटनाओं का विवरण निम्न है:—

	घटनाओं की सं0	आरोप पत्र	अन्तिम रिपोर्ट
डकैती	1	—	1
चोरी	20	6	14
कत्ल	6	5	1

62—श्री सत्यपाल सिंह—

[दिनांक 11-2-86 को अता0 प्र0 सं0 122, 123 व 124 द्वारा उत्तरित]

63—श्री यदुनाथ सिंह—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

64—श्री यदुनाथ सिंह—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

उ0 प्र0 पुलिस में हुई भर्ती के सम्बन्ध में जानकारी

65—श्री विजय सिंह राणा—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 पुलिस में वर्ष 1983 से वर्ष 1985 तक सब इंस्पेक्टरों की भर्ती नहीं की गयी ?यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि उ0 प्र0 पुलिस में पहले ही अतिरिक्त भर्ती हो चुकी थी और अब किसी भर्ती की आवश्यकता ही नहीं रह गई ? यदि हां, तो इसके लिए कौन अधिकारी दोषी है और दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आगरा बर्तन भंडार, आगरा में श्री विनोद कुमार जैन को गोली मारे जाने की घटना की जांच रिपोर्ट

66—श्री विजय सिंह राणा—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर में आगरा बर्तन भंडार के अंतर्गत श्री विनोद कुमार जैन के ऊपर दिनांक 15-4-83 को गोली मारी गई, जिसका रिपोर्ट थाना कोतवाली आगरा में दर्ज हुई? यदि हां, तो उसके संदर्भ में अब तक क्या कार्यवाही हुयी? इसकी जांच किसने की और उसकी जांच रिपोर्ट क्या है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित घटना के संबंध में थाना कोतवाली, आगरा पर मुकदमा अपराध संख्या 114, धारा 393/307 भा0द0वि0 व मुकदमा अपराध संख्या 115, धारा 25/27 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किया गया। दिनांक 17-4-83 को घायल श्री विनोद कुमार जैन की मृत्यु हो जाने की सूचना प्राप्त होने पर अभियोग धारा 393/307 भा0द0वि0 से 393/302 भा0द0वि0 में परिवर्तित किया गया। पंजीकृत अभियोगों की विवेचना श्री बी0पी0 अवस्थी, तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक कोतवाली आगरा द्वारा की गई।

विवेचना से प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित होने पर दिनांक 13-7-83 को अभियुक्त भगवत शरण पाठक के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। वर्तमान में यह अभियोग न्यायालय में विचाराधीन है।

आगरा नगर में सरकारी आवास गृहों पर अनधिकृत कब्जे के संबंध में जानकारी

67—श्री विजय सिंह राणा—

क्या सार्व0 निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में अधिकारियों के लिए बने सरकारी आवास गृहों पर कुछ ऐसे अधिकारियों ने कब्जा कर रखा है जो वर्षों से आगरा से स्थानान्तरित होकर चले गये हैं अथवा सेवामुक्त हो गये हैं? यदि हां, तो सरकारी आवास गृहों को खाली न कराये जाने का क्या कारण है? क्या शासन उनसे मकान खाली कराये जाने के लिए कोई प्रयास करेगा? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, ऐसे दो मामले हैं। संबंधित दोनों सरकारी आवास गृहों को उनके अनधिकृत अध्यासी से खाली कराये जाने के लिए विहित प्राधिकारी के न्यायालय में वाद चल रहे हैं।

आगरा जनपद में श्री विशम्भर सिंह आदि के विरुद्ध थाना डौकी में पंजीकृत अभियोग की जांच की मांग

68–श्री विजय सिंह राणा–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद में श्री विशम्भर सिंह आदि के विरुद्ध थाना डौकी के पंजीकृत अभियोग की जांच सी0आई0डी0 से कराये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 21-6-85 के संदर्भ में श्री बाबू लाल गर्ग, संयुक्त सचिव के अर्द्ध शा0 पत्रांक 28/डी0/वी0/आठ-12, 2158/डी-85 उत्तर प्रदेश शासन, गृह पुलिस अनुभाग-12 लखनऊ दिनांक 4 जुलाई, 1985 पर क्या कार्यवाही हुई? क्या उक्त मामले की सम्पूर्ण जांच सी0 आई0 डी0 को सौंपी गयी है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 21-6-85 के संदर्भ में शासन के पत्र दिनांक 4-7-85 द्वारा श्री विशम्भर सिंह आदि के विरुद्ध थाना डौकी पर पंजीकृत अभियोग अपराध संख्या 47/85, अंतर्गत धारा 302/201 भा0दं0वि0 की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग को अभिदिष्ट की गई थी।

अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा उपरोक्त अभियोग की स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही विवेचना का 'चेक-अप' किया गया। 'चेक अप' से स्थानीय पुलिस का आचरण संदिग्ध नहीं पाया गया। इस मामले की विवेचना स्थानीय पुलिस के राजपत्रित अधिकारी द्वारा उचित रूप से करना पाये जाने और विवेचना को आगे अपराध शाखा द्वारा कराये जाने से कोई लाभ की संभावना न होने पर अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर गहराई से छानबीन करने के निर्देश देते हुये विवेचना स्थानीय पुलिस को अग्रिम कार्यवाही हेतु वापस कर दी गई। विवेचना प्रचलित है।

आगरा जनपद में समागर गांव के यमुना नदी पर, पुल बनाये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

69–श्री विजय सिंह राणा–

क्या सा0नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद में यमुना नदी पर समागर गांव पर पुल बनाये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता को तत्कालीन सा0 नि0 मंत्री (डा0 अम्मार रिजवी) के अर्द्ध शा0 पत्र संख्या 50-जे0 पी0 ई/23-सा0 नि0 अनु0 11-10 (3) ई-83 सार्वजनिक निर्माण अनुभाग 11 दिनांक 30 जनवरी, 1984 पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? इस संदर्भ में तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी को प्रश्नकर्ता द्वारा दिये गये दिनांक 18 मई, 1985 के पत्र जो माननीय मुख्य मंत्री को 19-5-85 को स्वयं दिया गया था, के संदर्भ में अभी तक कोई कार्यवाही सुनिश्चित हो सकी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

माननीय सदस्य को प्रेषित पत्र दिनांक 30 जनवरी, 1984 में ग्राम समागर के पास यमुना नदी पर पुल के विषय में

आख्या प्राप्त करने एवम् सर्वेक्षण कार्य कराये जाने के संबंध में सूचना दी गई थी। प्रश्नगत पुल के संबंध में आख्या प्राप्त होने व विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के उपरान्त यह पाया गया कि प्रस्तावित पुल का, प्रदेश में अन्य महत्वपूर्ण बड़े पुलों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये, पूर्ण औचित्य नहीं है। अतः सर्वेक्षण कार्य न कराने का निर्णय लिया गया।

माननीय सदस्य के पत्र दिनांक 18 मई, 1985 में दिये गये सुझाव के अनुसार प्रस्तावित बाईपास व समोगर के पास पुल के संबंध में स्थिति निम्नवत् है :-

(1) आगरा-ग्वालियर मार्ग, आगरा-इरादतनगर मार्ग, आगरा-शमशाबाद मार्ग, आगरा-फतेहाबाद मार्ग को जोड़ते हुये जो सड़क ग्राम समोगर व उसके आगे गदपुरा होते हुये राष्ट्रीय मार्ग सं0 2 तक जाती है, इसको पक्का कराने का कार्य जिला सेक्टर के अंतर्गत आता है जिला सेक्टर के कार्यों की स्वीकृति जिला समिति के अनुमोदन व कार्यों हेतु धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

(2) मार्ग की वर्तमान स्थिति को देखते हुये एवम् पुल उच्च प्राथमिकता पर न आने के कारण ग्राम समोगर के पास यमुना नदी पर पुल की स्वीकृति देना फिलहाल संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पी0सी0एस0 अधिकारियों की संख्या तथा उनके अचल सम्पत्ति के पंचशाला विवरण के संबंध में जानकारी

70—श्री विजय सिंह राणा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के पी0 सी0 एस0 संवर्ग के कितने ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने 31-3-85 को 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है तथा उक्त अधिकारियों में से कितने अधिकारियों ने अपनी अचल सम्पत्ति का पंचसाला विवरण प्रस्तुत किया है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

दिनांक 31-3-85 को पांच वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले पी0 सी0 एस0 अधिकारियों की कुल संख्या 693 है। इनमें से कुल 181 अधिकारियों ने अपनी अचल सम्पत्ति का पंचसाला विवरण शासन को प्रस्तुत किया है।

बरेली नगर महापालिका द्वारा नगर में सीवर लाइन बिछाने की योजना के संबंध में जानकारी

71—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या नगर विकास मंत्री बताने कृपा करेंगे कि बरेली नगर महापालिका ने इस वर्ष नगर में सीवर लाइन बिछाने की कोई योजना बनाकर शासन के पास भेजी है? यदि हां, तो योजना क्या है उस पर कितना खर्च होगा ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि बरेली नगर में इस योजना के अनुसार सीवर लाइन बिछाने का कार्य क्या शीघ्र पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

नगर महापालिका बरेली द्वारा जल निगम के सहयोग से विश्व बैंक सहायता के अंतर्गत सीवर बिछाने की योजना बनाई गयी है।

श्री वीर बहादुर सिंह—

उक्त योजना पर रु0 101.227 लाख खर्च होने का अनुमान है।

विश्व बैंक से धन प्राप्त होने के पश्चात् ही योजना कार्यान्वित की जा सकेगी।

ललितपुर जनपद में पालीटेक्निक विद्यालय खोले जाने की योजना की जानकारी

72—श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ललितपुर जनपद में पालीटेक्निक विद्यालय खोलने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

ललितपुर जनपद के कतिपय निर्माणाधीन मार्गों के संबंध में जानकारी

73—श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ललितपुर जनपद में कितने मार्ग निर्माणाधीन हैं और उनकी क्या प्रगति है जैसे कि महरौनी नारहट मार्ग योजना मंडावरा मार्ग, हसारा-केलगुवा मार्ग, बानपुर गुगरवारा मार्ग, बम्होरी धौरीसागर मार्ग जो 5 से 10 वर्ष से निर्माण कार्य चल रहा है, अभी तक पूर्ण न होने का क्या कारण है और इन मार्गों के पूर्ण होने में और कितना समय लगेगा?

श्री वीर बहादुर सिंह—

निर्माणाधीन मार्गों और उनकी प्रगति का विवरण मा0 राज्य मंत्री, सा0 नि0 विभाग के कार्यालय कक्ष में उपलब्ध है। मा0 सदस्य उक्त विवरण को देख सकते हैं।

महरौनी नारहट मार्ग पेन्टिंग स्तर तक तथा सोजना मड़ावरा मार्ग इंटर कोट स्तर तक स्वीकृत है और जिनके मार्च, 1986 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

हसार-केलगवां मार्ग तथा बानपुर-गुगरवारा मार्ग खड़ंजा स्तर तक और बम्होरी धौरी सागर मार्ग मिट्टी स्तर तक स्वीकृति के अनुसार पूर्ण किये जा चुके हैं।

आगरा जनपद के सिकन्दरा थाना क्षेत्र में कतिपय गांवों को सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव

74—श्री विजय सिंह राणा—

प्रश्नकर्ता के वर्ष 1985 के विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के 9 वें मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 51 के उत्तर के संबंध में क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम अंगूठी, चौहाना सदर व मगटई ग्राम की कहीं कोई सीमा जब हरीपर्वत थाने से नहीं मिलती तो बीच ही क्षेत्र में इन चार गांवों को उक्त थाना क्षेत्र में रखे जाने का औचित्य क्या है और इन गांवों को थाना सिकन्दरा क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने हेतु क्या अब कोई जिला स्तर का प्रस्ताव शासन को मिला था ? यदि हां, तो इन गांवों को थाना सिकन्दरा में कब सम्मिलित कर लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्राप्त सूचनानुसार ग्राम अंगूठी, सदरवन व मगटई थाना हरी पर्वत में तथा ग्राम चौहटना थाना मलपुरा में स्थित थे। उक्त ग्रामों को थाना हरी पर्वत तथा मलपुरा से निकाल कर अधिसूचना दिनांक 19-3-85 द्वारा थाना जगदीशपुरा के अंतर्गत सम्मिलित कर दिया गया है।

उक्त ग्रामों को थाना सिकन्दरा में सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव अभी तक शासन में प्राप्त नहीं हुआ। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

आगरा जनपद में श्यामों से नगला शवलों तक स्वीकृत मार्ग के निर्माण में विलम्ब तथा विरोध

75—श्री विजय सिंह राणा—

द्वितीय सत्र 1985 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 104 के उत्तर के संदर्भ में क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्यामों से नगला शवलों तक स्वीकृत मार्ग के वर्ष 1983 से अब तक पूरा न होने का कारण क्या है क्या उत्तर का यह भाग कि छूटे हुए भाग में भूमि उपलब्ध न होने के कारण अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हो सका है? क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मार्ग के छूटे हुए भागों में कौन-कौन काश्तकार प्रभावित हो रहे हैं और उनकी किस प्रकार की कितनी-कितनी भूमि सड़क निर्माण में जा रही है जिसके कारण वह मार्ग के निर्माण का विरोध कर रहे हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मार्ग के कि0मी0-2 में चेनेज 1.625 से 1.700 (75 मीटर) में भी मिट्टी का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष भाग जिसकी कुल लम्बाई 750 मीटर है, में भूमि उपलब्ध न होने के कारण कार्य पूर्ण नहीं हो सका है।

विवरण निम्नवत है—

काश्तकार का नाम व पता	गाटा संख्या	प्रभावित क्षेत्रफल एकड़ में	अन्य विवरण
1—श्री सत्यनारायण पुत्र श्री बोध राम, ग्राम बमरौली, कटारा।	400	0.24	..
2—सर्वश्री केशव सिंह, शिव सिंह, गिरराज सिंह श्याम सिंह पुत्रगण श्री राम सिंह, बमरौली कटारा।	401	0.14	...
3—श्री पाहेप सिंह पुत्र जूजूराम, ग्राम बमरौली कटारा।	622	0.10	..
4—श्री राधेश्याम पुत्र श्री तेज सिंह, ग्राम श्यामो।	570	0.24	न्यायालय में वाद चल रहा है।

आगरा नगर में ग्राम सौहल्ला व नईप्रा के मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में तत्कालीन मंत्री श्री बलराम सिंह यादव के आदेश के सम्बन्ध में जानकारी

76—श्री विजय सिंह राणा—

द्वितीय सत्र 1985 के चौथे मंगलवार के लिये निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 2 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर में ग्राम सौहल्ला व नईप्रा के मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में तत्कालीन नगर विकास मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) के आदेशों का परिपालन सम्भव नहीं हो सका? यदि हां, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

धनाभाव के कारण।

बाराबंकी नगर देवा रोड पर अवैध कटान की हरी लकड़ी से लदी ट्रक के पकड़े जाने की घटना का विवरण

77—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या गृह मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि दिनांक 19 अक्टूबर, 85 को रात साढ़े दस बजे बाराबंकी नगर देवा रोड स्थित श्री रशीद खां टिम्बर मर्चेन्ट के घर पर थाना कोतवाली के एक दरोगा ने जाकर उन्हें मारा पीटा और थाना में लाकर 4/10 फारेस्ट एक्ट में चालान कर दिया? घटना का पूर्ण विवरण क्या है? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 24-10-85 पुलिस अधीक्षक बाराबंकी तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ? यदि हां, तो इस संबंध में जांच कराकर क्या कार्यवाही की गई?

श्री वीर बहादुर सिंह—

दिनांक 18-10-85 को 10.30 बजे रात्रि बाराबंकी नगर देवा रोड पर अवैध कटान की हरी लकड़ी से लदी ट्रक नं0 यू0पी0जे0 741 के साथ मो0 रसीद खां एवं ड्राइवर रामधनी को उप निरीक्षक थाना कोतवाली द्वारा पकड़ा गया और मुकदमा 4/10/14 ग्रा0 वृ0 अधिनियम कायम किया गया। विवेचनोपरान्त आरोप पत्र दि0 28-1-86 को न्यायालय भेजा गया।

घटना का विवरण संलग्न है।

शिकायती पत्र दिनांक 24-10-85 के आधार पर जांच कराई गई। उप निरीक्षक थाना कोतवाली को अभियुक्त मो0 रशीद खां को मारने पीटने का दोषी पाया गया जिसके विरुद्ध पुलिस अधिनियम के प्रस्तर-7 के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 171 पर)

78—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

बनकटा मुहल्ला, बलिया की नजूल भूमि पर अनधिकृत कब्जा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

79—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद में गंगा कटान के कारण बलिया नगर के निकट स्थित तत्कालीन गांव हरिहरपुर के नदी में विलीन हो जाने पर जिला प्रशासन द्वारा बनकटा मुहल्ला के पास नगर की नजूल भूमि पर उन्हें इंदिरा नगर कायम कर विगत 15 वर्ष पहले उजड़े नागरिकों को बसा दिया जिसे इतने वर्षों बाद अब

खाली करने हेतु उत्पीड़ित किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? क्या उन बसाये गये लोगों को नियमित पट्टा देने के लिए सरकार कार्यवाही करेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह—

हरिहरपुर ग्राम बलिया नगर के पास न होकर हल्दी ग्राम के समीप है। गंगा के कटान से प्रभावित इस गांव के व्यक्तियों को ग्राम रोपुरा बहादुरपुर, सिहा कन्ड तथा चैन छपरा में बसाया गया है। बनकटा मोहल्ले में 3-46 एकड़ नजूल भूमि पर बलिया नगर एवं देहाती क्षेत्र के 128 व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। इनके विरुद्ध सक्षम न्यायालय में बेदखली की कार्यवाही विचाराधीन है। इन अनाधिकार कब्जा करने वाले व्यक्तियों को पट्टा देने का कोई औचित्य नहीं है।

मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर की न्यायालय में लम्बित मामलों की संख्या तथा उस पर व्यय किया गया धन

*80—श्री गौरी शंकर भइया—

क्या मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज गोरखपुर के कितने मामले न्यायालय में लम्बित हैं और इन मामलों में विद्यालय कोष से यात्रा भत्ता आदि में जुलाई 1983 से आज तक कितना धन व्यय किया गया है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

कुल 20 मामले विभिन्न न्यायालयों में लम्बित हैं जिन पर जुलाई, 1983 से 22 फरवरी, 1986 तक यात्रा भत्ता आदि पर कुल रु0 66,833/- व्यय किया गया है।

81—श्री गौरी शंकर भइया—

[7वें मंगलवार के लिए स्थगित]

चीतह गोपीगंज मार्ग, मिर्जापुर की दोनों पटरियों के अवैध कब्जों की संख्या तथा उनको हटाने की मांग

82—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या सा0 नि0 वि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चीतह गोपीगंज मार्ग जनपद मिर्जापुर जिसकी लम्बाई चीतह से नरऊर तक 9—9 कि0 मी0 है का विधिवत हस्तान्तरण होकर जिला परिषद् मिर्जापुर से स्वामित्व प्राप्त हो गया है? यदि हां, तो कब तथा उक्त रोड की पटरियों पर बने अवैध कब्जों की संख्या कितनी है और उसे हटाने की कार्यवाही कब तक सम्पन्न करा दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

पंचायती राज अनुभाग—3 से जारी शासनादेश संख्या 5606 ग/33-25 सी0 क्यू0/83, दिनांक 12-7-84 द्वारा प्रश्नगत मार्ग के कि0 मा0 4.0 से 10.7 कि0 मी0 तक के भाग का हस्तान्तरण सार्वजनिक निर्माण विभाग को किया गया है परन्तु जिला परिषद् द्वारा मार्ग की भूमि का स्वामित्व अभी तक सा0 नि0 वि0 को नहीं दिया गया है। प्रश्न नहीं उठता।

उक्त रोड पर दोनों पटरियों पर अवैध कब्जों की संख्या 19 है, जिनको हटाने के लिये जिला परिषद् द्वारा मुकदमा दायर कर दिया गया है, जो न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

तत्कालीन विशेष सचिव हरिजन एवं समाज कल्याण उ0 प्र0 के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री जनार्दन प्रसाद आभा के पत्र पर कृत कार्यवाही

83—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विशेष सचिव हरिजन एवं समाज कल्याण, उ0 प्र0 के भ्रष्टाचार के संबंध में श्री जनार्दन प्रसाद आभा उपनेता, जनता विधान मण्डल दल का पत्र दिनांक 6-7-85 एवं श्री खरपत राम विधायक (कांग्रेस आई) चकिया, वाराणसी का पत्र दिनांक 25-6-85 उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त जन प्रतिनिधियों के पत्रों पर विशेष सचिव के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है? क्या मुख्य-मंत्री जी उक्त पत्रों को सदन के पटल पर रखेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

श्री आभा के शिकायती-पत्र की जांच सचिव स्तर के एक अधिकारी द्वारा की जा रही है। चूंकि यह शिकायती-पत्र जांच का विषय बन गया है, इस-लिए इसे सदन के पटल पर रखना उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि ऐसा करने से संबंधित अधिकारी के मनोबल पर कुप्रभाव पड़ेगा।

श्री खरपत राम का पत्र उपलब्ध नहीं हो रहा है जिसकी खोज की जा रही है।

बस्ती जनपद में कार्यरत मस्टर रोल के कर्मचारियों की संख्या तथा उनको नियमित किये जाने की मांग

84—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता सा0 नि0 वि0 लखनऊ के पत्रांक 3859/डब्लू0 सी0/80 दि0 21-6-83 तथा पत्रांक 1799/130 डब्लू0/सी0 दि0 15-1-83 को आदेश जारी किया गया था? यदि हां, तो बस्ती जिले के किन-किन खण्डों में उक्त जी0 ओ0 के अनुसार कितने कर्म-चारी जो तीन वर्ष से अधिक मस्टर रोल पर कार्यरत हैं उन्हें वर्कचार्ज या निय-मित करने को सोच रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रमुख अभियन्ता के पत्र संख्या-3859/डब्लू0 सी0/130 डब्लू0 सी0/80, दि0 21-6-80 व पत्र संख्या-1799 व्यग/130 डब्लू0 सी0/80, दिनांक 15-1-83 द्वारा आदेश जारी किये गये थे।

बस्ती जनपद के खण्डों में संदर्भित प्रमुख अभियन्ता के आदेशों के अनुसार 3 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत मस्टर रोल कर्मचारियों की संख्या निम्न-वत है :—

प्रान्तीय खण्ड बस्ती	55
अस्थायी खण्ड नं0—1 बस्ती	68
अस्थायी खण्ड नं0—2, बस्ती	103
विभागीय निर्माण इकाई नं0—1 बस्ती	4
विभागीय निर्माण इकाई नं0—2 बस्ती	86
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, बस्ती	10
कुल	326

उपर्युक्त पत्र में निहित आदेशों के अनुसार ही नियमित पदों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए उनकी ज्येष्ठता के आधार पर वर्कचार्ज या नियमित किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

थाना पकड़ी जिला बांदा के स्व0 श्री सच्चिदानन्द मिश्र कांस्टेबिल के पुत्र को पुलिस सेवा में नियुक्ति तथा उनके आश्रितों को बकाये वेतन के भुगतान की मांग

85—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व0 श्री **सच्चिदानन्द मिश्र कांस्टेबिल** जो थाना पहड़ी जिला बांदा में तैनात थे, दिनांक 26-11-83 को उनकी हृदय गति रुक जाने से मृत्यु हो गयी है? यदि हां, तो उनके परिवार को अभी तक ग्रुप इन्श्योरेन्स की रकम 25,000 रु0 का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है और शासन के आदेश के बावजूद स्व0 श्री मिश्र के पुत्र को अब तक पुलिस सेवा में नहीं लिया गया? यदि हां, तो सरकार तत्काल स्व0 श्री मिश्र के पुत्र को पुलिस सेवा में नियुक्ति तथा बकाया धन भुगतान कराने के लिए सोच रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। मृतक कान्स0 श्री सच्चिदानन्द मिश्र के आश्रितों को भुगतान हेतु ग्रुप इन्श्योरेन्स की धनराशि रु0 26093.50 का बैंक ड्राफ्ट पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 19-5-84 को पुलिस अधीक्षक, बांदा को भेजा गया था। पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा कई बार मृतक की विधवा को भुगतान प्राप्त करने हेतु बुलाया गया परन्तु वह दिनांक 28-11-84 को उपस्थित हुई। उस समय बैंक ड्राफ्ट के आहरण की तिथि समाप्त हो चुकी थी, जिसे नवीनीकरण कराने हेतु पुलिस अधीक्षक बांदा ने पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को भेज दिया। पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद ने उक्त बैंक ड्राफ्ट को नवीनीकरण के उपरान्त पुलिस अधीक्षक बांदा को दिनांक 31-1-85 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेज दिया था। पुलिस अधीक्षक बांदा ने दिनांक 16-5-85 को पुलिस मुख्यालय को यह सूचित किया कि उक्त बैंक ड्राफ्ट उनके यहां नहीं प्राप्त हुआ है तथा उक्त बैंक ड्राफ्ट की दूसरी प्रति की मांग की। इस संबंध में स्टेट बैंक आफ इंडिया बांदा से उक्त बैंक ड्राफ्ट का आहरण न किए जाने का नान पेमेन्ट सर्टीफिकेट दिनांक 3-1-86 को प्राप्त हुआ परन्तु उसमें बैंक ड्राफ्ट नम्बर गलत था। अतः उसे पुनः ठीक कराने हेतु वापस कर दिया गया। स्टेट बैंक आफ इंडिया बांदा द्वारा प्रदत्त नान पेमेन्ट सर्टीफिकेट प्राप्त होने के उपरान्त बैंक ड्राफ्ट की दूसरी प्रति बनवाकर पुलिस अधीक्षक बांदा को भुगतान हेतु भेज दी गयी है।

स्व0 सच्चिदानन्द मिश्र के पुत्र श्री अमरनाथ मिश्र को कान्स0 के पद पर भर्ती हेतु ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक फैजाबाद को पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्देशित किया जा चुका है।

हलद्वानी, नैनीताल में श्री के0 सी0 तिवारी सब डी0 जी0 सी0 को सरकार बनाम खीमानन्द का मामला सौंपे जाने सम्बन्धी विवरण की मांग

86—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हलद्वानी जिला नैनीताल में श्री के0 सी0 तिवारी सब डी0 जी0 सी0 दीवानी मुकदमों के लिए नियुक्त हैं? यदि हां, तो फौजदारी का मुकदमा सरकार बनाम खीमानन्द 27 बन अधिनियम का किसके आदेश पर उन्हें दिया गया? पैनल के अन्य वकीलों को उक्त मुकदमें की

पैरवी न देने का कारण क्या है? क्या सरकार पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां। जिलाधिकारी, नैनीताल ने हल्द्वानी में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट तथा जुडीशियल मजिस्ट्रेट न्यायालयों के लिए वकीलों का कोई पैनल नियुक्त नहीं किया है। पब्लिक प्रोसीक्यूटर्स आई0 पी0 सी0 केसों में ही अधिकांश व्यस्त रहते हैं और उन्हें वन विभाग के मामलों में अधिक रुचि लेने का समय नहीं मिलता है। अतएव जनहित में प्रभागीय वनाधिकारी हल्द्वानी वन प्रभाग द्वारा सरकार बनाम खीमानन्द का फौजदारी का मुकदमा, जो भारतीय वन अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत है, न्यूनतम निर्धारित फीस पर श्री के0 सी0 तिवारी जो यद्यपि सब डी0 जी0 सी0 हैं लेकिन वे क्रिमिनल केसों को भी रुचि लेकर करते हैं, को सौंपा गया।

प्रदेश के राज्य सेतु निगम में निरन्तर कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की सूची

87–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सेतु निगम में सार्व0 नि0 वि0 के सैकड़ों अधिकारी/कर्मचारी वर्ष 1973 से अब तक लगातार प्रतिनियुक्ति पर ही कार्यरत हैं तथा प्रतिनियुक्ति भत्ता एवं अन्य सुविधाएं भी प्राप्त कर रहे हैं, जबकि शासन की नीति एवं आदेशों के अनुरूप कोई अधिकारी/कर्मचारी अधिक से अधिक 5 वर्ष तक ही प्रतिनियुक्ति पर रह सकता है? यदि हां, तो प्रतिनियुक्ति से वापस करने तथा प्रतिनियुक्ति भत्ता शासन की नीति एवं आदेशों के अनुरूप पांच साल के बाद भुगतान न किए जाने के संबंध में सरकार ने अब तक क्या प्रभावी कार्यवाही की? शासन के आदेशों का अनुपालन अब तक क्यों नहीं किया गया? क्या सरकार उन प्रतिनियुक्ति अधिकारियों की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम के सृजन पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के सेतु निर्माण/सेतु परिकल्पना खण्डों को उनके स्टाफ सहित बगैर उनकी सहमति के सेतु निगम में स्थानान्तरित कर दिया गया था। सेतु निर्माण एवं परिकल्पना का कार्य विशेष प्रकार का है तथा उसके लिये निगम को अनुभवी अधिकारियों की आवश्यकता है। सेतु निगम की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए निगम में 5 वर्ष से अधिक अवधि से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की वाह्य सेवा अवधि प्रतिनियुक्ति भत्ते सहित दिनांक 31-3-85 तक विस्तारित की गयी है। इसके बाद की अवधि के लिए सेतु निगम के निदेशक मण्डल के निर्णय के आधार पर उन्हें निगम द्वारा प्रतिनियुक्ति भत्ता दिया जा रहा है। यद्यपि निगम में प्रतिनियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के संविलयन तथा ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति भत्ता दिये जाने का प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन है।

जी हां, उन प्रतिनियुक्त अधिकारियों की सूची संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 172 पर)।

घुरहू मुसहर द्वारा किये गये अनधिकृत कब्जे को हटाने हेतु जिला परिषद्, मिर्जापुर द्वारा उनके विरुद्ध मुकदमा

88—श्री सुखपाल पाण्डे—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के पहले मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 102 के उत्तर के संदर्भ में क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 26 जनवरी, 1982 को कब्जा हटाने के उपरान्त पुनः घुरहू मुसहर द्वारा प्रश्नगत पटरी पर कब्जा कर लिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार तुरन्त इस कब्जे को हटाने की कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब तक?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

श्री घुरहू मुसहर द्वारा किये गये अनधिकृत कब्जे को हटाने के लिए जिला परिषद्, मिर्जापुर द्वारा उनके विरुद्ध विहित प्राधिकारी मिर्जापुर के न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया है।

जनपद आगरा के थाना डौकी में दहेज हेतु श्रीमती विनीता की हत्या

89—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के थाना डौकी में दिनांक 15-5-85 को श्रीमती विनीता पुत्री महेन्द्र सिंह की हत्या क्या उसके पति नरेन्द्र सिंह आदि ने दहेज को लेकर की और क्या थाना डौकी में मृतका के भाई श्री सत्येन्द्र पाल की सूचना पर अभियोग संख्या 47 पर क्या धारा 302/201 भा0 दं0 सं0 में अपराध पंजीकृत हुआ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित विषय में दिनांक 18-5-85 को थाना डौकी पर मृतिका के भाई श्री सत्येन्द्र पाल सिंह द्वारा दी गई लिखित सूचना के आधार पर अभियोग, अन्तर्गत धारा 302/201 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया और इसकी विवेचना स्थानीय पुलिस के राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रारम्भ की गयी। श्री विजय सिंह राणा, सदस्य, विधान सभा के पत्र दिनांक 21-6-85 में किये गये अनुरोध के संदर्भ में शासन द्वारा निष्पक्ष जांच हेतु इस अभियोग की विवेचना अपराध अनुसन्धान विभाग को अभिदिष्ट की गई।

अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा उपरोक्त अभियोग की स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही विवेचना का 'चेकअप' कराये जाने से स्थानीय पुलिस का आचरण संदिग्ध नहीं पाया गया। अतः विवेचना को आगे अपराध शाखा द्वारा कराये जाने से कोई लाभ की सम्भावना प्रतीत न होने पर कतिपय बिन्दुओं पर गहराई से छानबीन करने के निर्देश देते हुए अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा विवेचना स्थानीय पुलिस को अग्रिम कार्यवाही हेतु वापस कर दी गई।

स्थानीय पुलिस द्वारा अब तक की गई विवेचना से छः अभियुक्तों में से तीन को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है, शेष के विरुद्ध धारा 82/83 दं0 प्र0 सं0 की कार्यवाही की गई है।

विवेचना प्रचलित है।

प्रमुख अभियन्ता तथा मुख्य अभियन्ता सा0 नि0 वि0 श्री पी0 एन0 राय और श्री डी0 सी0 चतुर्वेदी को राज्य सेतु निगम में अवैध नियुक्ति

90—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन की सेवा से वर्षों पूर्व सेवा निवृत्त हुए प्रमुख अभियन्ता सा0 नि0 वि0 श्री पी0एन0 राय तथा मुख्य अभियन्ता, सा0 नि0 वि0 एवं प्रबन्ध निदेशक, सेतु निगम श्री डी0 सी0 चतुर्वेदी को शासन की नीतियों तथा आदेशों के विशिष्ट कार्य से सम्बद्ध किया गया रुपये एक-एक हजार प्रति माह तथा अन्य सुविधाओं के साथ माह अप्रैल, 84 से पुनः नियुक्त कर लिया है? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है? क्या इसकी पूर्वानुमति शासन से प्राप्त कर ली गई है? यदि हां, तो कब?

श्री वीर बहादुर सिंह—

इन व्यक्तियों की निगम में नियुक्ति नहीं की गयी है बल्कि मैनुअल जैसे विशिष्ठ कार्य से सम्बद्ध किया गया था। इसकी शासन से पूर्वानुमति लेना आवश्यक नहीं समझा गया। श्री पी0 एन0 राय तथा डी0 सी0 चतुर्वेदी को उनके अनुभव को ध्यान में रखते हुए निदेशक मण्डल के निर्णयानुसार इन दोनों व्यक्तियों को एक-एक हजार रुपये प्रतिमाह तथा कार्य संबंधी अन्य सुविधाओं के साथ निगम का मैनुअल बनाने का कार्य सौंपा गया।

रीजनल मैनेजर वन निगम, नैनीताल द्वारा आपूर्ति की गयी जलौनी लकड़ी की मात्रा का विवरण

91—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि निगम नैनीताल द्वारा वन निगम की टालें होने के बावजूद प्राइवेट व्यक्तियों को किन-किन स्थानों पर प्राइवेट डिपो की कितनी कितनी लकड़ी भीमताल, हल्द्वानी गदरपुर, रुद्रपुर, टनकपुर, खटीमा आदि स्थानों पर गत दो वर्ष जुलाई, 85 तक कितनी कितनी किसको किसको रीजनल मैनेजर वन निगम नैनीताल ने आवंटित किया, इसका आधार क्या था? क्या सरकार पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह—

साधारण जनता को सस्ती दरों पर राशन कार्ड पर ईंधन आपूर्ति करने हेतु वन निगम के क्षेत्रीय प्रबन्धक, कुमाऊं क्षेत्र, नैनीताल के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत, जुलाई 1985 के अन्त में कुल 8 एजेन्ट नियुक्त थे जिन्हें गत दो वर्षों में जुलाई 1985 के अन्त तक आपूर्ति की गयी जलौनी लकड़ी की मात्रा का विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

गदरपुर, रूद्रपुर, भीमताल तथा हल्द्वानी में वन निगम का जलौनी लकड़ी का अपना कोई टाल नहीं है। टनकपुर एवं खटीमा में वन निगम द्वारा स्वयं जलौनी लकड़ी की आपूर्ति की व्यवस्था की गयी है और वहां पर कोई सेल एजेन्ट नहीं नियुक्त किया गया है।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 173 पर।)

राज्य सेतु निगम द्वारा करोड़ों रुपये की मशीनों की खरीद की जांच

92—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सेतु निगम द्वारा देश के अन्दर तथा विदेशों में खरीदी गयी लगभग 30 करोड़ रुपये की मशीनरी को खरीदे जाने का अनुमोदन सेतु निगम के अध्यक्ष बोर्ड

अथवा राज्य सरकार ने किया है ? यदि नहीं, तो इसे खरीदे जाने का निर्णय किस प्राधिकारी ने लिया ? यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की? इस मशीनरी की खरीद से संबंधित मिलने वाली छूट क्या निगम को मिली? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं ।

मशीनें खरीदे जाने का निर्णय निगम के तत्कालीन प्रबंध निदेशक के आदेशानुसार लिया गया।

मामले की सतर्कता विभाग द्वारा गोपनीय जांच की जा रही है।

93–श्री जनार्दन प्रसाद आभा–

[दिनांक 25-2-86 को अता0 प्र0 सं0 135 द्वारा उत्तरित]

थाना कोठी भार, गोरखपुर के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायती-पत्र की जांच

94–श्री जनार्दन प्रसाद आभा–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 8-4-85 को एक शिकायती पत्र कोठी भार थाना गोरखपुर के कर्मचारियों के विरुद्ध दिया है जिसे शासन ने अपने अशासकीय पत्र संख्या एम-1414/85 गोपन-7 दिनांक 25 अप्रैल, 1985 द्वारा जिलाधिकारी गोरखपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा है? यदि हां, तो इस संबंध में जिलाधिकारी स्तर से क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

श्री दर्शन व श्री लक्षन के सामूहिक प्रार्थना पत्र दिनांक 6-4-85 पर क्षेत्राधिकारी नौतनवां द्वारा जांच कराई गई । इसमें राम बहादुर शाही आदि द्वारा श्री लक्षन को उत्पीड़ित किये जाने की बात सही पायी गयी। इस संबंध में थाना कोठीभार में अ0 सं0 92/85 अन्तर्गत धारा 395/427/448 भा0 द0 वि0 पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना विशेष अपराध शाखा द्वारा की जा रही है। सुरक्षा की दृष्टि से एक सशस्त्र गार्ड की व्यवस्था ग्राम करियापुर में कर दी गई है। अन्य आरोपों की पुष्टि नहीं हुई ।

गोरखपुर जनपद में महाराजगंज तहसील के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कतिपय मार्गों के निर्माण में लूट की जांच

95–श्री जनार्दन प्रसाद आभा–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के महाराजगंज तहसील में महराजगंज चौक, महराजगंज निचलौल, महाराजगंज फरेन्दा और पकड़ी पनियरा मार्गों पर अस्थायी खण्ड सा0 नि0 वि0 गोरखपुर द्वारा वर्ष 1983-84 व 84-85 में निर्माण कार्य कराया गया है? यदि हां, तो इन मार्गों पर कुल कितनी धनराशि मस्टर रोल द्वारा खर्च की गयी ? क्या यह भी सही है कि उपरोक्त मार्गों पर कराये गये मस्टर रोलों में भारी लूट के प्रति जनप्रतिनिधियों की शिकायत पर विभाग ने जांच करायी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मामला विवेचनाधीन है।

उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, इन्दिरा नगर, लखनऊ के कर्मचारियों द्वारा क्षेत्रीय जनता के उत्पीड़न की शिकायत

96–श्री जनार्दन प्रसाद आभा–

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चौधरी भगवानदीन पुरम बस्तौली

(इंदिरा नगर विस्तार योजना के पास) आवास विकास परिषद् के कर्मचारी वहां पर रहने वाली जनता को झूठी धमकियां देकर आतंकित एवं उत्पीड़ित कर रहे हैं तथा फर्जी व गलत नम्बर डालकर नोटिस दे रहे हैं? इस तरह की एक नोटिस सं0 1925/वाई 8/116 दि0 10-7-85 जो कि श्री जी0 बी0 तिवारी, प्रकाश लोक कालोनी की सक्षम अधिकारी उ0 प्र0, आवास एवं विकास परिषद्, इंदिरा नगर लखनऊ द्वारा दिया गया? क्या सरकार उक्त नोटिस की जांच कराकर उत्तरदायी अधिकारी अथवा कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं । श्री जी0 बी0 तिवारी को नियमानुसार उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम की धारा-83 के अन्तर्गत कारण बताओ उक्त वैध नोटिस दिया गया है। नोटिस की जांच कराने या किसी स्टाफ के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

वन विभाग उत्तरी गोरखपुर के श्री मो0 महमूद जे0 एल0 ए0, उत्तरी चौक सेक्शन इन्चार्ज द्वारा हजारों रुपये का घोटाला

97–श्री जनार्दन प्रसाद आभा–

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि वन विभाग उत्तरी गोरखपुर में वर्ष 82-83 व 83-84 में श्री मो0 महमूद जे0 एल0 ए0 उत्तरी चौक में सेक्शन इन्चार्ज थे ? क्या यह सही है कि जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि लसा एवं चट्टा के कटान व ढुलाई में हेराफेरी के कारण हजारों रुपये की हेराफेरी प्रकाश में आयी है? यदि हां, तो इनके विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, श्री मो0 महमूद वन वर्ष 1982-83 व 1983-84 में उत्तरी गोरखपुर लौगिंग प्रभाग में दिनांक 6-5-83 से 23-10-84 तक उत्तरी चौक के सेक्शन इंचार्ज थे।

उत्तरी चौक सेक्शन के लाटों में रह-तियों के सत्यापन करने पर 289.403 घ0 मी0 गोल लट्ठे तथा 175.000 घ0 मी0 जलौनी लकड़ी की कमी पाई गई ।

उपरोक्त कमी के लिये श्री मो0 महमूद का स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। स्पष्टीकरण सन्तोषप्रद न होने के कारण उनके विरुद्ध चार्ज-शीट लगाई गई है जिसमें जांच की कार्यवाही अभी चल रही है ।

98–श्री जनार्दन प्रसाद आभा–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

श्री सत्य नारायण सिंह लिपिक, स्टेट बैंक आफ इण्डिया मोतीमहल मार्ग, लखनऊ द्वारा भवन संख्या एफ–4 नवल किशोर रोड कालोनी, लखनऊ पर अनधिकृत कब्जा

99–श्री जनार्दन प्रसाद आभा–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री सत्य नारायण सिंह लिपिक स्टेट बैंक आफ इण्डिया मोतीमहल मार्ग, लखनऊ गैर कानूनी व मनमाने ढंग से एफ-4, कार्पोरेशन फ्लैट, नवल किशोर रोड, थाना कोतवाली हजरतगंज, लखनऊ में रह रहे हैं? क्या यह सही है कि उक्त फ्लैट किसी अन्य व्यक्ति के नाम आवंटित किया जा चुका है? यदि हां, तो श्री श्री सत्यनारायण सिंह से उक्त फ्लैट खाली न कराये जाने के क्या कारण हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । श्री सत्यनारायण सिंह लिपिक, स्टेट बैंक आफ इण्डिया मोतीमहल मार्ग लखनऊ, भवन संख्या-एफ-4 नवल किशोर रोड कालोनी में अनाधिकृत रूप से अध्यासित हैं। इस भवन का प्राविजनल आवण्टन श्री आलोक राज अवस्थी, खुर्शेद बाग, लखनऊ के पक्ष में किया जा चुका है। श्री सत्य नारायण सिंह ने उच्च न्यायालय से भवन रिक्त न कराये जाने का स्थगन आदेश प्राप्त कर रखा है।

क्षेत्र श्यामदेउरवा, गोरखपुर में प्रस्तावित तथा स्वीकृत सड़कों के निर्माण में व्यय और पूर्ण होने की जानकारी

100–श्री जनार्दन प्रसाद आभा–

क्या सा0 नि0 मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिला के विधान सभा क्षेत्र श्यामदेउरवा में वर्ष 1985-86 तक कौन सी सड़कें किस-किस योजनान्तर्गत प्रस्तावित/स्वीकृत हैं? उन पर कितना अनुमानित व्यय होगा और इनके कब तक पूरा हो जाने का प्रस्ताव है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

सरकारी गन्ना मिलों तथा प्राइवेट गन्ना मिलों में ढुलाई चार्ज में अन्तर के संबंध में जानकारी

101–श्री अवधेश प्रसाद–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना किसानों को प्राइवेट मिलों में गन्ना देने के लिए मिलों तक गन्ना पहुंचाने (ढुलाई) के लिए किसानों से प्रति क्विंटल कितना ढुलाई चार्ज मिल मालिकों द्वारा वसूला जाता है? क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा अधिग्रहीत गन्ना मिलों में ढुलाई का प्रति कुन्टल ढुलाई व्यय कितना निश्चित है? क्या सरकार द्वारा अधिग्रहीत गन्ना मिलों तथा प्राइवेट गन्ना मिलों में ढुलाई चार्ज में अन्तर है? यदि हां, तो कितना और क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

शुगरकेन (कन्ट्रोल) आर्डर, 1966 की धारा 3(ए) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना दिनांक 24-9-1976 के अनुसार न्यूनतम मूल्य अथवा एग्रीड प्राइज से यातायात भाड़े की कटौती निम्न रूप में की जाने की व्यवस्था है :–

(1) वाह्य क्रय केन्द्र से रेल द्वारा मिल तक लाये गये गन्ने के लिये 32 पैसे प्रति कुंटल की दर से ।

(2) यदि गन्ने की ढुलाई सड़क से की जाय तो 2.5 पैसे प्रति कुंटल प्रति किलोमीटर की दर से जिसकी अधिकतम सीमा 32 पैसे प्रति कुंटल रहेगी ।

प्रदेश की सभी वर्गों की चीनी मिलें गन्ना ढुलाई हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम गन्ना मूल्य में से उक्तानुसार कटौती कर रही है ।

प्रदेश की चीनी मिलें न्यूनतम निर्धारित गन्ना मूल्य के ऊपर अतिरिक्त गन्ना मूल्य इस प्रकार दे रही हैं कि मिल गेट व वाह्य केन्द्रों पर गन्ना मूल्य का अन्तर 50 पैसे है ।

राजाजीपुरम्, आवास विकास कालोनी, लखनऊ के एफ ब्लाक में सीवर द्वारा गन्दगी

102–श्री अवधेश राय शास्त्री–

क्या सरकार को जानकारी है कि राजाजीपुरम आवास विकास कालोनी

लखनऊ के एफ ब्लाक (दुर्बल आय वर्ग भवनों के समीप) सीवर प्रायः ओवर फ्लो होकर सड़कों पर बहता रहता है जिससे कि उक्त क्षेत्र में काफी गन्दगी रहती है?

क्या सरकार उक्त अव्यवस्था को तत्काल दूर करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, उ0 प्र0 आवास विकास परिषद द्वारा विकसित राजाजीपुरम योजना लखनऊ में सीवेज का निस्तारण वर्तमान में अस्थाई सीवेज पम्पिंग स्टेशन के माध्यम से कराया जाता है, तथा विद्युत आपूर्ति में व्यवधान हो जाने के फलस्वरूप पम्प कार्य करना बन्द कर देते हैं, जिसके कारण उक्त योजना के एफ ब्लाक में निर्मित दुर्बल आय वर्ग के भवनों के क्षेत्र में यदाकदा सीवर ओवर फ्लो करने लगता है। उक्त अव्यवस्था को दूर करने के लिए संबंधित स्थल पर छोटा डीजल पम्प लगाकर सीवेज की पम्पिंग कर समस्या का तात्कालिक निवारण कर दिया जाता है। योजना के सीवेज के अन्तिम निस्तारण हेतु एक स्थाई सीवेज पम्पिंग स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है, जिससे समस्या का स्थाई निदान हो सकेगा।

चौकी इन्चार्ज तथा दीवान मुरादगंज, थाना अजीतमल, इटावा के विरुद्ध दिये गये शिकायती-पत्र की जांच

103–श्री श्री प्रकाश सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जालिम सिंह तोमर पुत्र श्री जसवंत सिंह तोमर निवासी ग्राम ततारपुर थाना अजीतमल जनपद इटावा द्वारा चौकी इंचार्ज मुरादगंज थाना अजीतमल जनपद इटावा के विरुद्ध कोई शिकायती पत्र माह नवम्बर से 10 दिसम्बर, 1985 तक प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायत क्या है तथा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां। प्रार्थना-पत्र में चौकी इंचार्ज मुरादगंज, थाना अजीतमल, इटावा एवं दीवान के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा दिए गए पूर्व प्रार्थना पत्र की जांच के मध्य के विपक्षीगण को कुछ न कहकर प्रार्थी को भद्दी भद्दी गालियां देने व प्रार्थी व उसके परिवार वालों को झूठा मुकदमें में फंसा देने आदि शिकायतें की गई थी जिनकी जांच कराई गई। जांच से पुलिस के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं हुई।

104 से 107–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–
[मा0 सदस्य ने वापस लिया]

मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर के कतिपय विभागों में जूनियर क्लर्क के रिक्त पदों पर नियुक्ति

108–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज के कम्प्यूटर इंजीनियरिंग सेक्शन में जूनियर क्लर्क के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो क्या शिशिक्षु क्लर्क एवं दैनिक वेतन पर कार्यरत श्रमिकों की वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति की जायगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

कम्प्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विभाग में जूनियर क्लर्क का कोई पद स्वीकृत नहीं है, अतः पद के रिक्त होने का प्रश्न नहीं उठता, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग

विभाग में जूनियर क्लर्क का कोई पद रिक्त नहीं है । प्रश्न के शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता ।

उ0 प्र0 गृह विभाग द्वारा जिलाधिकारी, बलिया से अभियोजन वापसी संबंधी मांगी गयी सूचनाएं

109—कुंवर रेवती रमण सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 85 के पहले मंगल के लिये निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 90 के उत्तर के संबंध में क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि अभियोजन वापसी के संबंध में अंतिम आदेश कब तक निर्गत हो जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

अभियोजन वापसी के प्रश्न पर जिलाधिकारी, बलिया से गृह विभाग द्वारा कुछ बिन्दुओं पर सूचनायें मांगी गयी हैं, जो कि अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं ।

जिला मजिस्ट्रेट बलिया के न्यायालय में शस्त्रों के लाइसेंसों के निरस्तीकरण का मामला

110—कुंवर रेवती रमण सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के पहले मंगलवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 89 के उत्तर के संबंध में मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि आयुक्त वाराणसी मण्डल द्वारा प्रश्नगत मामले में सभी अग्रिम कार्यवाही हेतु स्थगन आदेश पारित किया गया है व माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा निलम्बन आदेश का कार्यान्वयन स्थगित किया गया है ? यदि हां, तो ऐसी स्थिति में लाइसेंस निरस्तीकरण की तथ्यहीन कारण बताओ नोटिस लाइसेंसी को दिये जाने का क्या औचित्य है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित लाइसेंसी के शस्त्रों के लाइसेंसों के निरस्तीकरण का मामला जिला मजिस्ट्रेट, बलिया के न्यायालय में विचाराधीन है । चूंकि यह अर्द्ध न्यायिक कार्य है अतः इस पर पहले से कोई टिप्पणी करना उचित न होगा ।

111—कुंवर रेवती रमण सिंह—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

ग्राम जमीन पड़री थाना रौनापार परगना तहसील सगड़ी, आजमगढ़ के पश्चिमी सीमा जिला परिषद् की सड़क पर मकानों के अवैध निर्माण संबंधी शिकायत पर थानेदार द्वारा भ्रष्टाचार

112—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम जमीन पड़री थाना रौनापार, परगना तहसील सगड़ी जनपद आजमगढ़ के गाटा संख्या 393 के पश्चिमी सीमा पर जिला परिषद् की सड़क में कुछ लोग मकान बना रहे हैं, उक्त सड़क से संबंधित ग्राम का आम रास्ता होने के कारण समस्त गांव के लोगों ने रोका लेकिन थानेदार रौनापार ने मौके पर आकर अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हुए उक्त मकान का निर्माण शुरू करा दिया? क्या सरकार उपरोक्त दशा में थानेदार का अविलम्ब स्थानान्तरण करके उनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

थाना गोरखनाथ, गोरखपुर की पुलिस के विरुद्ध उत्पीड़न संबंधी शिकायती पत्र

113—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री संकठा प्रसाद यादव, प्रान्तीय

अध्यक्ष, पिछड़ा अनुसूचित अल्पसंख्यक समाज सुधार समिति उत्तर प्रदेश का प्रार्थना पत्र दिनांकित 25-9-84, 15-12-84 व 22-1-85 श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव थानाध्यक्ष व अन्य पुलिस कर्मी थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर द्वारा प्रताड़ित किये जाने के संबंध में थे प्राप्त हुये ? यदि हां, तो उक्त थानाध्यक्ष सहित अन्य पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । प्रार्थना पत्र दिनांक 25-9-84 व 22-1-85 में अंकित आरोप जांच से प्रमाणित नहीं हुए, अतः पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता । दिनांक 15-12-84 का प्रार्थना पत्र वादी एवं प्रतिवादी के मध्य मकान-किराये के विवाद के विषय में है, अतः इस मामले में पुलिस द्वारा कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गई ।

114–कुंवर रेवती रमण सिंह–

[दि0 6-8-85 को अता0 प्र0 सं0 71 द्वारा उत्तरित]

श्री परशुराम सिंह वगैरह ग्राम रुस्तमपुर थाना बांसडीह रोड, बलिया को पुलिस उत्पीड़न से मुक्त करने के संबंध में प्रार्थना-पत्र की जांच

115–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री परशुराम सिंह वगैरह ग्राम रुस्तमपुर थाना बांसडीह रोड जनपद बलिया के विरुद्ध झूठे व मनगढ़न्त मुकदमों के पंजीकरण पर रोक लगाये जाने विषयक डा0 कृष्ण कुमार सिंह ग्राम रुस्तमपुर थाना बांसडीह रोड, जनपद बलिया का प्रार्थना पत्र दिनांक 10 दिसम्बर, 1984 गृह पुलिस अनुभाग–11 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को प्राप्त हुआ है? क्या यह सच है कि इस विषय पर शासन का ध्यान बार-बार आकृष्ट करने के बावजूद भी श्री परशुराम सिंह वगैरह अनावश्यक व अनुचित पुलिस उत्पीड़न से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं? यदि हां, तो क्यों व इसके लिए कौन जिम्मेदार है व शासन दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रहा है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्न में उल्लिखित डा0 कृष्ण कुमार सिंह का प्रार्थना पत्र दिनांक 10-12-84 प्राप्त हुआ था, जिसकी जांच कराई गई। जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हुए।

युवा जनता नेता श्री महेश बघेल द्वारा पुलिस महानिदेशक उ0 प्र0 को भेजे गये शिकायती पत्र की जांच

116–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जुलाई, 1985 के प्रथम सप्ताह में पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश को इस आशय की शिकायत मिली कि युवा जनता नेता श्री महेश बघेल, नगला, भवानी सिंह तेल मिल बुन्दू कटरा, थाना सदर बाजार, जिला आगरा को पुलिस चौकी बुन्दू कटरा के कर्मचारियों ने इस कारण मारा पीटा और झूठा चालान किया कि वह उपर्युक्त पुलिस चौकी के षड़यन्त्र और सहमति से चलने वाले जुवे के अड्डों, टिंचर जिंजर की अवैध बिक्री तथा ट्रकों की लूट व डबुल सेविन व थम्प्स अप पेयों के नकली निर्माण का भंडाफोड़ करते रहते हैं? यदि हां, तो सरकार ने उक्त शिकायत पर क्या कार्यवाही की और क्या श्री महेश के शिकायती-पत्र को सभा के पटल पर रखेंगी?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, प्रश्न में संदर्भित शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था। प्राप्त सूचना के अनुसार श्री महेश बघेल के शिकायती-पत्र (प्रतिलिपि संलग्न) में उल्लिखित आरोपों की जांच स्थानीय पुलिस के राजपत्रित अधिकारी से कराई गई। जांच में उपलब्ध साक्ष्यों से यह पाया गया कि पुलिस चौकी बुन्दू कटरा, थाना सदर बाजार के तीन उपनिरीक्षकों द्वारा श्री महेश बघेल के साथ दुर्व्यवहार किया गया।

श्री महेश बघेल के शिकायती पत्र के प्राप्त होने के पूर्व ही उसके विरुद्ध चालानी रिपोर्ट प्रेषित की जा चुकी थी और न्यायालय जे0 एम0 सिटी (प्रथम) आगरा के यहां केस संख्या 887/85 पर दिनांक 21-6-85 को पंजीकृत हो चुका था।

जांच से दोषी पाये गये तीनों उपनिरीक्षकों—सर्वश्री डी0 पी0 सिंह, बी0 डी0 शर्मा व फूल सिंह को चौकी बुन्दू कटरा थाना सदर बाजार से अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया है और उनकी व्यक्तिगत पत्रावली पर चेतावनी दे दी गयी है।

(देखिए नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 174-175 पर।)

थाना नगीना जनपद बिजनौर न्यायालय, मुंसिफ मजिस्ट्रेट नगीना बिजनौर के कतिपय मुकदमों की वापसी के संबंध में प्रार्थना-पत्र

117—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुकदमा अपराध संख्या 91, 92, 93, 94 धारा 25 शस्त्र अधिनियम थाना, नगीना जनपद बिजनौर न्यायालय मुंसिफ मजिस्ट्रेट नगीना बिजनौर के वापसी के सम्बन्ध में श्री पतराम सिंह पुत्र श्री चेतराम ग्राम बनखला थाना कोतवाली बिजनौर, श्री गिरीश कुमार पुत्र श्री करन सिंह ग्राम नवादा, थाना नहटौर, बिजनौर, श्री अमर सिंह पुत्र श्री करन सिंह ग्राम नवादा, थाना नहटौर, बिजनौर, श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री ओम प्रकाश त्यागी, ग्राम लक्खूवाला थाना कोतवाली बिजनौर का प्रार्थना पत्र दिनांक 12-7-84 (न्याय रिट) अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त हुआ है? क्या यह भी सही है कि उक्त संदर्भित मुकदमों में सभी अपेक्षित सूचनायें जिले से शासन को प्राप्त हो चुकी हैं? यदि हां, तो अब तक उक्त मुकदमों को वापस न लिये जाने के क्या कारण हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं।

अभियुक्तों का पत्र दिनांक 13-8-84 न्याय (रिट) अनुभाग में प्राप्त हुआ था।

द्वितीय भाग

जी हां।

उक्त संदर्भित मुकदमों में जिले से सभी अपेक्षित सूचनायें शासन को अगस्त, 1985 में प्राप्त हुई थी। गृह विभाग का मत सितम्बर, 1985 में प्राप्त हुआ।

तृतीय भाग

सभी मुकदमों को वापस लिये जाने के आदेश दिनांक 15-10-85 को निर्गत किये जा चुके हैं।

थाना बदलापुर, जौनपुर के उपनिरीक्षक श्री के0 एन0 दुबे के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप की जांच तथा उनके स्थानान्तरण के संबंध में जानकारी

118—श्री मैनेजर सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस स्टेशन बदलापुर जिला जौनपुर

में श्री के0 एन0 दुबे पुलिस सब इन्सपेक्टर कितने वर्षों से उक्त थाने में कार्यरत हैं ? क्या यह सही है कि उक्त थाने के खिलाफ कई भ्रष्टाचार के आरोप हैं? यदि हां, तो उक्त सब इन्सपेक्टर को तत्काल वहां से स्थानान्तरित करके जांच कर कार्यवाही करने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

उपनिरीक्षक श्री के0 एन0 दुबे जनपद जौनपुर के थाना बदलापुर में लगभग 2 वर्ष 9 माह से नियुक्त हैं। यह सही नहीं है कि उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप हैं अतः अन्य प्रश्न नहीं उठता।

119–श्री मनेजर सिंह–

क्या यह सही है कि श्री के0 एन0 दुबे का स्थानान्तरण उक्त थाने से अन्यत्र मई/जून 85 को हुआ है? यदि हां, तो अब तक श्री दुबे का बदलापुर थाने में बने रहने का क्या कारण है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

यह सही है कि श्री के0 एन0 दुबे का स्थानान्तरण तत्कालीन पुलिस अधीक्षक द्वारा जून, 1985 में किया गया था परन्तु दूसरे ही दिन उनके द्वारा स्थानान्तरण आदेश रद्द कर दिये जाने के कारण श्री दुबे थाना बदलापुर में ही कार्यरत हैं।

श्री नर्वदेश्वर सिंह बहराइच पर प्राणघातक हमले तथा श्री आर0 डी0 शर्मा की हत्या से संबंधित अभियुक्तों को गिरफ्तार करने की मांग

120–श्री मनेजर सिंह–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 4-10-84 को भूतपूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष श्री नर्वदेश्वर सिंह किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय बहराइच पर प्राणघातक हमला किया गया जिसमें एक साथी श्री आर0 डी0 शर्मा घटना स्थल पर ही घायल हो गये, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध संख्या 107 धारा 307 के तहत प्रयागपुर थाने में दर्ज करायी गयी? यदि हां, तो क्या यह सही है कि डा0 मुआइना रिपोर्ट में गनशाट भी बताया गया? यदि हां, तो क्या अभी तक इन मुल्जिमों की गिरफ्तारी नहीं की गयी? यदि हां, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

दिनांक 4-10-84 को श्री नर्वदेश्वर भू0 पू0 अध्यक्ष छात्रसंघ द्वारा अपने ऊपर प्राणघातक हमला किये जाने का एक अभियोग अ0 सं0 107/84 धारा 307 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत थाना प्रयागपुर जनपद बहराइच पर पंजीकृत कराया गया था।

डाक्टरी परीक्षण से श्री राम धीरज शर्मा पुत्र श्री रामअवध राम शर्मा निवासी ग्राम धनौली पंडित पुरवा थाना हरदी जनपद बहराइच को दो मल्टीपुल गनशाट इन्जरी पाई गई। जांच में नामांकित अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप प्रमाणित नहीं हुए। जांच सी0 आई0 डी0 को सौंपी गई है।

देवरिया जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा हर थाने की सीमा दूरी का बोर्ड लगाने हेतु व्यय किये गये धन के संबंध में जानकारी

121–श्री रणजीत–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 में हर थाने की सीमा दूरी का बोर्ड लगाने हेतु वर्ष 1983-84 में

कितनी धनराशि देवरिया जिले के पुलिस अधीक्षक को दी गयी तथा उस धन का भुगतान पुलिस अधीक्षक द्वारा किन-किन थानेदारों को कितना-कितना किया गया उसकी कोई रसीद या भुगतान का रिकार्ड है? यदि हां, तो उसे हर थाने से उसका रिकार्ड पुलिस अधीक्षक द्वारा मंगाकर सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्राप्त सूचनानुसार वर्ष 1983-84 में पुलिस उप महानिरीक्षक गोरखपुर परिक्षेत्र, गोरखपुर द्वारा यह पाया गया कि जनपद देवरिया के थानों की सीमा दर्शाने हेतु कुछ स्थानों पर साइन-बोर्ड नहीं है तथा कुछ स्थानों पर साइन बोर्ड बहुत ही छोटे लगे हैं। अतः साइन-बोर्ड बनवाने हेतु आगणन प्राप्त किए गये थे। परन्तु धन के अभाव में साइन-बोर्ड नहीं बनवाए जा सके। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

122—श्री मयंकर सिंह—

[दि0 11-2-86 को अता0 प्र0 सं0 103 द्वारा उत्तरित]

जनपद शाहजहांपुर में परौर-मिर्जापुर मार्ग के निर्माण में विलम्ब तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

123—श्री उदयवीर सिंह—

क्या सा0 नि0 वि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में परौर—मिर्जापुर मार्ग जो लगभग पिछले दस वर्षों से निर्माणाधीन है, कब तक पूर्ण हो जायेगा? इस देरी का क्या कारण है? क्या इस विलम्ब के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद शाहजहांपुर में मिर्जापुर—परौर मार्ग के कि0 मी0 8, 12, 14 व 15 में जहां निर्माण कार्य न्यायालय के स्थगन आदेश तथा लम्बित वाद के कारण रुका हुआ है, को छोड़कर निर्माण कार्य जून, 1986 तक पूर्ण कराने का प्रयास किया जा रहा है।

कि0 मी0 8, 12 व 15 में न्यायालय के स्थगन आदेश तथा कि0 मी0 14 में न्यायालय में लम्बित वाद के कारण कार्य पूरा करना सम्भव नहीं हो पा रहा है। उक्त कारण से हो रहे विलम्ब के लिए चूंकि कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं है अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

वास्तुविद संगठन का लोक निर्माण विभाग, भारत सरकार के पैटर्न पर पुनर्गठन का प्रस्ताव

124—श्री मयंकर सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता, सा0 नि0 वि0 के वास्तुविद संवर्ग में अधिकारियों की संख्या बढ़ाने एवं कर्मचारियों की संख्या घटाने के संबंध में कोई प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है? क्या इसके विरोध में महामंत्री आर्किटेक्चरल स्टाफ एसोसियेशन, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने जून, 1984 में शासन में कोई ज्ञापन दिया है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

वास्तुविद संगठन का लोक निर्माण विभाग, भारत सरकार के पैटर्न पर पुनर्गठन का प्रस्ताव है।

जी हां, मंत्री आर्किटेक्चरल स्टाफ एसोसिएशन, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जून, 1984 में शासन को ज्ञापन दिया गया था ।

एसोसिएशन के ज्ञापन जून, 1984 को दृष्टिगत रखते हुए प्रमुख अभियन्ता द्वारा प्रस्ताव का पुनः परीक्षण किया जा रहा है ।

125—श्री यदुनाथ सिंह—
[7वें मंगलवार के लिए स्थगित]

126—श्री यदुनाथ सिंह—
[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

बरेली महानगर में सा0 नि0 विभाग द्वारा सड़कों के जीर्णोद्धार, पुनर्निर्माण तथा सौन्दर्यीकरण की योजना

127—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली महानगर में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों के जीर्णोद्धार, पुनः निर्माण तथा सौन्दर्यीकरण की कोई योजना है ? यदि हां, तो यह योजना शीघ्र क्रियान्वित की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

ऐसी कोई योजना नहीं बनाई गई है । किन्तु बरेली महानगर की सीमा में आने वाले सार्वजनिक निर्माण विभाग के मार्गों में से केवल बरेली—बागेश्वर मार्ग तथा किला बाई पास के सुदृढ़ीकरण किए जाने का कार्य कराया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

धनाभाव के कारण ।

लखनऊ जनपद के बिजनौर माती परतर पूरब मार्ग के सम्बन्ध में प्राप्त पत्रों पर शासन द्वारा कृत कार्यवाही

128—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद के बिजनौर माती परतर पूरब मार्ग के संबंध में शासनादेश सं0 6509/23-सा0 नि0 2-14(3)/84 दिनांक 26-11-84 के संबंध में विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी शारदा सहायक परियोजना लखनऊ द्वारा अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लखनऊ को लिखे गये पत्र संख्या 132/9-वि0 भू0अ0अ0 (शा0स0प0) दिनांक 21-1-85 पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं की गई, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

लखनऊ जनपद के बिजनौर माती परतर पूरब मार्ग के सम्बन्ध में शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-6509/23-सा0 नि0 दो-14 (3)84 दिनांक 26-11-84 के पृष्ठांकन के क्रम में विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी शारदा सहायक परियोजना, लखनऊ द्वारा अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खंड, लखनऊ को लिखे गए पत्र सं0-132/80 वि0 भू0 अ0 अ0 (शा0 स0 प0) दिनांक 21-1-85 पर उक्त खंड के अधिशासी अभियन्ता द्वारा मामले की छानबीन की गई और यह पाया गया कि प्रार्थी श्री गुरू प्रसाद का आरोप बेबुनियाद है और उनका मकान सड़क निर्माण में नहीं गिराया गया था ।

ग्राम तारा खुर्द थाना मालीपुर, फैजाबाद में हत्या की घटना के पूर्व श्री राम नारायण प्रधान द्वारा तहसीलदार को दिये गये पत्र पर कृत कार्यवाही

129—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 10-8-83 को ग्राम

ताराखुर्द थाना मालीपुर जनपद फैजाबाद में हत्या की कोई घटना हुई थी और क्या घटना के एक दिन पूर्व दिनांक 9-8-83 को राम नारायण प्रधान का तहसीलदार को दिया हुआ प्रार्थना-पत्र मालीपुर थाने को प्राप्त हो गया था ? यदि हां, तो ब्यौरा क्या है ?क्या पुलिस ने समय से तहसीलदार के आदेश का पालन किया था ? यदि नहीं, तो कर्तव्यहीनता करने वाले के खिलाफ उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । हत्या की घटना दिनांक 9-8-83 को हुई। जिन पुलिस कर्मियों द्वारा श्री राम नारायण प्रधान के प्रार्थना-पत्र पर तात्कालिक कार्यवाही नहीं की गयी, उसमें से कुछ के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करके उन्हें दण्डित किया जा चुका है और अन्य के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रचलित है । हत्या के मामले की जांच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है ।

अवर अभियन्ता श्री गुप्ता द्वारा नेशनल हाइवे फतेहपुर जी0 टी0 रोड के निर्माण में भ्रष्टाचार

130–श्री अचल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अवर अभियन्ता श्री गुप्ता ने नेशनल हाइवे फतेहपुर द्वारा जी0 टी0 रोड में कि0 मी0 74, 69, 70, 24, 85-86 जनपद फतेहपुर पर कराये गये कार्यों में गिट्टी और तारकोल का कम प्रयोग कर और बचे हुए तारकोल को चोरी से कानपुर ले जाकर बेचने के संबंध में एक शिकायती प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता ने जांच हेतु दिनांक 5-11-85 को दिया है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत मामले में जांच करायी जा रही है ।

जनपद फतेहपुर के थाना बिन्दकी में नीलांचल इन्वेस्टमेंट इण्डिया लि0 के क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध दर्ज मुकदमों के संबंध में कृत कार्यवाही

131–श्री अचल सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के थाना बिन्दकी में मु0 अ0 सं0 228/85 दिनांक 28-8-85 धारा 420 आई0 पी0 सी0 का मुकदमा नीलांचल इन्वेस्टमेन्ट इण्डिया लि0 के क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध दर्ज है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्न में उल्लिखित धाराओं के अंतर्गत एक अभियोग दो नामांकित अभियुक्तों के विरुद्ध थाना-बिन्दकी (फतेहपुर) में दिनांक 28-8-85 को नहीं वरन् दिनांक 29-8-85 को पंजीकृत किया गया है । विवेचना से आरोप सिद्ध होने पर दोनों नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है तथा विवेचना से प्रकाश में आए एक अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी है ।

अवर अभियन्ता मिश्रा सा0 नि0 वि0 अस्थायी खण्ड, फतेहपुर के विरुद्ध शिकायती पत्र की जांच

132–श्री अचल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर में अवर अभि-

यन्ता मिश्रा सा0 नि0 वि0 अस्थायी खण्ड फतेहपुर द्वारा खजुहा से नरैचा जूडाखेड़ा मार्ग में मिट्टी के कराये गये कार्य का भुगतान न किये जाने के संबंध में एक शिकायती प्रार्थना-पत्र श्री राज बहादुर सिंह निवासी खजुहा जनपद फतेहपुर ने दिया था और जांच हेतु प्रश्नकर्ता ने दिनांक 29-5-85 को अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड फतेहपुर को लिखा था ? यदि हां, तो दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

शिकायती-पत्र पर जांच कराई गई । जांच में कोई भी कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया ।

जनपद फतेहपुर में जी0 टी0 रोड से ग्राम लहंगी मार्ग पर टूटी पुलिया की जांच संबंधी श्री विचित्र सिंह गौतम ग्राम प्रधान का प्रार्थना-पत्र

133–श्री अचल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर में जी0 टी0 रोड से ग्राम लहंगी मार्ग पर निर्मित पुलिया वर्षा से टूट गई है और इसकी जांच हेतु एक प्रार्थना पत्र श्री विचित्र सिंह गौतम ग्राम प्रधान लहंगी ने दिनांक 26-8-85 को अधिशासी अभियन्ता प्रखंड फतेहपुर को दिया था ? यदि हां, तो अब तक दोषी कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

134–श्री सिकन्दर अली खां नवाब–

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया जाय]

135–श्री सिकन्दर अली खां नवाब–

दि0 6-10-85 को तारां प्र0 सं0 18 द्वारा उत्तारित]

भट्ठे की ईंटें आदि की लूट-पाट संबंधी श्री जिआऊ हरिजन ग्राम महुला थाना दोहरी घाट, आजमगढ़ की रिपोर्ट

136–श्री राम जनम–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम महुला थाना दोहरी घाट जिला आजमगढ़ के निवासी राम जतन हरिजन पुत्र जिआऊ हरिजन ग्राम सभा दाम महुला में भट्ठा चला रहा था? क्या यह भी सच है कि राम जतन के मरने के बाद किन-किन लोगों ने भट्ठे का सामान जबरदस्ती से भट्ठे की ईंटें व अन्य सामान लूट-पाट किया था? यदि हां, तो किन-किन लोगों के खिलाफ जिआऊ हरिजन ने रिपोर्ट दर्ज करने के लिए शिकायत की? क्या जिआऊ हरिजन के प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

लूट-पाट संबंधी बात सही नहीं है। स्व0 राम जतन पुत्र जिआऊ हरिजन ने भट्ठा चलाने हेतु ग्राम महुला के कुछ व्यक्तियों से कर्जा लिया था। मृतक के पिता जिआऊ ने कर्जा चुकाने से इन्कार किया । इस मामले में दिनांक 25-1-85 को पंचायत द्वारा यह फैसला हुआ कि राम जतन का जो सामान भट्ठे पर मौजूद है, उस कर्ज देने वालों को सौंप दिया जाय। इस निर्णय को श्री जिआऊ ने भी माना, तथा भट्ठे की कीमत से कर्जा

चुकता किया गया। श्री जिआऊ हरिजन ने पंचायत के काफी समय बाद राम वृक्ष, लालधर यादव तथा प्रधान शिव बचन सा0 ग्राम महुला थाना दोहरीघाट के विरुद्ध शिकायत की थी जिसमें यह प्रार्थना की गई थी कि ईंट भट्ठे की जायदाद दिलाई जाय।

जांच से मामला लेन-देन के पंचायत से तय होना पाया गया, इस कारण पुलिस द्वारा कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पाई गई।

प्रदेश के संस्थागत वित्त सचिव श्री मनोहर सुब्रमणियम के विरुद्ध महेश्वर प्रसाद आयोग का गठन

137—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रदेश के संस्थागत वित्त सचिव श्री मनोहर सुब्रमणियम (आई0 ए0 एस0) के विरुद्ध 1978-79 में कानपुर तथा सीतापुर की तीन फर्मों की बिक्री कर माफ कराने के संबंध में जांच कराई गयी तथा सतर्कता विभाग की इस जांच के उपरान्त उन्हें दंडित करने हेतु महेश्वर प्रसाद आयोग गठित हुआ था? यदि हां, तो आयोग ने सुब्रमणियम को क्या-क्या दण्ड प्रस्तावित किये और उस पर शासन ने कितना अमल किया?

श्री वीर बहादुर सिंह—

कानपुर तथा सीतापुर की एक-एक फर्म के बिक्री कर की माफी के मामले के बारे में सतर्कता जांच में इंगित बिन्दुओं पर श्री मनोहर सुब्रमणियम का स्पष्टीकरण प्राप्त करके मामले की जांच श्री महेश्वर प्रसाद, तत्कालीन अध्यक्ष राजस्व परिषद् को सौंपी गयी थी। उन्होंने जांचोपरान्त श्री सुब्रमणियम के लिए कोई दंड प्रस्तावित नहीं किया था। श्री प्रसाद की रिपोर्ट पर शासन ने विचारोपरान्त श्री सुब्रमणियम को सीतापुर की फर्म के मामले में दोषी नहीं पाया था। कानपुर के मामले में श्री सुब्रमणियम द्वारा की गयी कतिपय अनियमितताओं के लिए उन्हें लिखित कड़ी चेतावनी दी गई थी।

34 वां वृत्त, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वाराणसी में अवर लिपिक के पद पर श्री विक्रमाराम 112-बी अशोक नगर इलाहाबाद की नियुक्ति

138—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री विक्रमाराम निवासी 112-बी, अशोक नगर, इलाहाबाद द्वारा प्रेषित पत्र क्रमशः दिनांक 8-12-81, 17-5-82, 6-6-83, 25-5-84 जो जिला चयन समिति वाराणसी द्वारा "अवर लिपिक" पद पर चयनित होने के बावजूद अधीक्षण अभियंता 34 वां वृत्त पी0 डब्लू0 डी0 कार्यालय में 6-10-80 को नियुक्ति हेतु भेजे जाने पर भी नियुक्ति न मिलने के संबंध में है, प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां (8-12-81 के पत्र को छोड़कर)।

समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अन्तर्गत वर्ष 1980 से अब तक 34 वां वृत्त, सार्वजनिक निर्माण वाराणसी में अवर लिपिक के पद पर कोई नई नियुक्ति नहीं की गयी।

139—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

श्री दधीच सिंह पुलिस निरीक्षक, सुल्तानपुर की बस दुर्घटना में मृत्यु तथा उनकी विधवा द्वारा मुआवजे की मांग

140—कर्नल केशरी सिंह—

क्या सरकार के संज्ञान में है कि श्री दधीच सिंह, पुलिस निरीक्षक की जब वह सुल्तानपुर में ड्यूटी पर थे दिनांक 30-11-78 को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बस से दुर्घटना के कारण तत्काल मृत्यु हो गई थी और इस मामले में तत्कालीन जिलाधिकारी सुल्तानपुर एवं तत्कालीन पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर भी प्रत्यक्षदर्शी गवाह थे? यदि हां, तो क्या इस स्वर्गीय पुलिस अधिकारी की विधवा द्वारा उनके प्रार्थना-पत्रों के फलस्वरूप अभी तक उन्हें कोई मुआवजा मिला है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

उपनिरीक्षक श्री दधीच सिंह की मृत्यु दिनांक 30-11-78 को उत्तर प्रदेश रोडवेज की बस से दुर्घटना के फलस्वरूप हुई थी। इस संबंध में एक मुकदमा थाना कुड़वार में पंजीकृत हुआ। विवेचना के उपरान्त उक्त अभियोग में अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय प्रेषित की गई।

मृतक की विधवा ने बताया कि उसके द्वारा कोई प्रार्थना-पत्र पुलिस विभाग तथा रोडवेज विभाग को मुआवजा के लिए नहीं दिया गया है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 सचिवालय के एक अनुभाग अधिकारी के विरुद्ध सचिव सचिवालय प्रशासन को आठ विधायकों द्वारा दिया गया शिकायती-पत्र

141—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता सहित लगभग आठ विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र दिनांक 19 अगस्त, 85 को सचिव, सचिवालय प्रशासन के कार्यालय में प्राप्त किया गया जो एक भ्रष्ट अनुभाग-अधिकारी से संबंधित था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत पत्र प्राप्त हुआ है। उसमें उल्लिखित शिकायतों का परीक्षण कराया जा रहा है। यथापेक्षित आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

142—श्री राम आसरे वर्मा—

[दिनांक 18-2-86 को अता0 प्र0 सं0 22 द्वारा उत्तरित]

143—श्री राम आसरे वर्मा—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

मडुआडीह स्टेडियम, वाराणसी में श्री त्रिभुवन प्रसाद श्रीवास्तव की हत्या

144—श्री जंग बहादुर—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वाराणसी जनपद के थाना मडुआ डीह के मडुआडीह स्टेडियम में दिनांक 9-8-85 को त्रिभुवन प्रसाद श्रीवास्तव पुत्र श्री नरोत्तम प्रसाद श्रीवास्तव निवासी ग्राम करौंदी थाना लंका की हत्या की गई? हत्या की रिपोर्ट क्या है तथा अब तक विवेचना से क्या तथ्य प्रकाश में आये हैं? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि हत्या के संबंध में कोई गिरफ्तारी की गई? यदि हां, तो संदिग्ध अपराधी के नाम क्या हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्न में उल्लिखित घटना 9-8-85 से 10-8-85 के बीच

घटित हुयी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में पड़े हुए शव के हाथ पीछे बंधे होने व गला रेता हुआ होना अंकित है। विवेचना से विदित हुआ कि मृतक द्वारा अभियुक्तों को अपने टैम्पों से राजघाट चलने हेतु मना कर दिए जाने पर कहा सुनी हुयी तथा इसी बात पर त्रिभुवन प्रसाद श्रीवास्तव की हत्या कर दी गयी। विवेचना से प्रकाश में आए तीन अभियुक्तों में से अभियुक्त पारस नाथ यादव, साकिन लहरतारा, वाराणसी व गंगा कुर्मी साकिन चितापुर थाना कछवा, मिर्जापुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए व अभियुक्त केशव पहलवान साकिन बहादुरपुर थाना जलालपुर (जौनपुर) फरार है जिसकी कुर्की की जा चुकी है। विवेचनोपरान्त अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है।

थाना परतापुर, मेरठ में अल्लादिया द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट की जानकारी

145—श्री मुहम्मद आजम खां—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि 17-7-85 की कोई रपट श्री अल्हदिया पुत्र श्री फत्तन थाना परतापुर मेरठ की तरफ से लिखाई गयी थी? यदि हां, तो वह क्या है तथा क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

रपट श्री अल्लादिया (न कि श्री अल्हदिया) द्वारा लिखाई गई।

रपट गांव में नमाज पढ़ने के प्रश्न को लेकर जाटों के नाराज होने और उनके द्वारा जुलाहों द्वारा गाय काटने की अफवाह फैलाने के फलस्वरूप लोगों द्वारा घरों में आग लगाने आदि से संबंधित थी।

धारा 147/148/149/436/395/397 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत पंजीकृत अपराध की विवेचना के उपरान्त अभियुक्तों का चालान आरोप-पत्र द्वारा न्यायालय में किया जा चुका है।

सहायक निर्वाचन अधिकारी, अल्मोड़ा, रामपुर व खीरी की पदोन्नति तथा उनकी उनके मूल जिले में तैनाती

146—श्री मुहम्मद आजम खां—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायक निर्वाचन अधिकारी अल्मोड़ा, रामपुर तथा खीरी पदोन्नति के बाद अपने मूल जिले में कितने वर्षों से कार्यरत हैं? इनके स्थानान्तरण अब तक न किये जाने के क्या कारण हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जिला निर्वाचन कार्यालय, अल्मोड़ा और रामपुर में सहायक निर्वाचन अधिकारी अपने मूल जिलों में पदोन्नति के बाद 9 वर्षों से कार्यरत हैं। जिला निर्वाचन कार्यालय, खीरी में सहायक निर्वाचन अधिकारी अन्य जिले से स्थानान्तरित होकर दिनांक 21 नवम्बर, 1985 से कार्यरत हैं।

प्रशासनिक दृष्टि से अथवा जनहित में अब तक अल्मोड़ा और रामपुर के सहायक निर्वाचन अधिकारियों का स्थानान्तरण आवश्यक नहीं हुआ।

श्री सरदार वली खां कान्स्टेबिल थाना डिलारी, मुरादाबाद की विधवा पत्नी को पेंशन तथा ग्रेच्युटी देने की मांग

147—श्री मुहम्मद आजम खां—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री सरदार वली खां कान्स्टेबिल थाना डिलारी

जिला मुरादाबाद का 27/28 अगस्त, 86 को देहान्त हो गया जिसका फाइल नं0 1000/-52 है? यदि हां, तो इनकी पत्नी बेवा मसरूरजहां बेगम को अभी तक पेंशन तथा ग्रेच्युटी न दिये जाने का क्या कारण है तथा बकाया देयों का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा?

श्री वीर बहादुर सिंह–

श्री सरदार वली खां, कान्सटेबिल की मृत्यु दिनांक 27/28 अगस्त, 85 को नहीं वरन् दिनांक 26 अगस्त, 1982 को हुई थी। पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद ने स्व0 श्री खां की पत्नी श्रीमती मसरूर जहां बेगम के पक्ष में असाधारण पेंशन तथा ग्रेच्युटी स्वीकृत करने विषयक प्रस्ताव महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के माध्यम से शासन को प्रस्तुत किया था। चूंकि प्रश्नगत मामले में पुलिस मुख्यालय तथा महालेखाकार उत्तर प्रदेश में मतैक्य नहीं था, अतएव महालेखाकार, उत्तर प्रदेश से कतिपय बिन्दुओं पर आख्या मांगी गई थी, जो उनके पत्र दिनांक 19-2-1986 द्वारा प्राप्त हुई है, जिसका परीक्षण किया जा रहा है। श्रीमती मसरूर जहां बेगम को अनुमन्य देयों के भुगतान के आदेश यथाशीघ्र जारी कर दिये जायेंगे।

कार्यमुक्त श्री डी0के0 नन्दी सहायक अभियंता प्राविंशियल डिवीजन, लखनऊ के कार्यरत होने के संबंध में जानकारी

148–श्री मुहम्मद आजम खां–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि किन कारणों से श्री डी0के0 नन्दी सहायक अभियंता जो कि प्राविंशियल डिवीजन लखनऊ में कार्यरत थे कार्यमुक्त हो जाने पर भी किस आधार पर कार्यरत हैं? क्या इस संबंध में कोई कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

उपलब्ध सूचना के अनुसार श्री डी0 के0 नन्दी, सहायक अभियंता, कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, के कार्यालय में योगदान करने के साथ-साथ प्रान्तीय खण्ड, लखनऊ के कार्यों पर आवश्यकता के आधार पर 6/86 तक के लिए कार्यरत, बताए गए हैं। अतः इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं प्रतीत होती है।

एक वी0 सी0 आर0 को जेल रोड, रामपुर से पकड़कर थाना कोतवाली में ले जाये जाने के संबंध में जानकारी

149–श्री मुहम्मद आजम खां–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 10-8-85 को लगभग शाम सात बजे एक वी0 सी0 आर0 जेल रोड रामपुर से पकड़ कर थाना कोतवाली ले जाया गया? यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई मुकदमा दर्ज हुआ? यदि हां, तो किस कारण से और शासन ने क्या कार्यवाही की?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

श्री लतीफ उल्ला जिला बरेली की कान्स्टेबिल के पद पर नियुक्ति तथा सेवा समाप्ति

150–श्री मुहम्मद आजम खां–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 15-5-80 डी0 ओ0 सं0 18-6-80 को श्री लतीफ उल्ला पुत्र श्री जकी

उल्ला जिला बरेली की नियुक्ति कान्स्टेबिल के पद पर की गई थी? यदि हां, तो किन कारणों से दि0 30-7-81 को पुलिस अधीक्षक रामपुर द्वारा सेवाएं समाप्त कर दी गई? शासन के पत्र सं0-प 1163/34-1 दिनांक 18-10-85 पर क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री लतीफ उल्ला पुत्र श्री जकीउल्ला जिला बरेली की नियुक्ति पुलिस मुख्यालय के पत्र सं0 अठारह-62-80 दि0 15-5-80 के अनुसार एक अनुमोदित अभ्यर्थी के रूप में दि0 22-5-80 को पुलिस कार्यालय रामपुर में नितान्त अस्थाई रूप से कांस्टेबिल (एम) के पद पर की गई थी। इनकी सेवाओं की और आगे आवश्यकता न रहने पर दि0 30-7-81 से इनकी सेवाएं उ0 प्र0 अस्थाई सेवक (सेवा समाप्ति) नियमावली, 1975 के अंतर्गत समाप्त कर दी गई। प्रश्न में संदर्भित पत्र दि0 18-10-85 का पत्र पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है।

लखनऊ बिक्री-कर कार्यालय की सर्वेक्षण डायरियों के पन्ने गायब होने के संबंध में पत्र

151—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 40 दि0 6-9-85 जो लखनऊ बिक्री कर कार्यालय में वर्ष 75-76 से 80-81 तक की सर्वेक्षण डायरियों के पन्ने गायब होने के बारे में भेजा गया ता0 6-9-85 को मिला है? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। परन्तु सन्दर्भित पत्र दिनांक 4-9-1985 का है।

जहां तक उक्त पत्र पर कार्यवाही करने का प्रश्न है पायी गयी अनियमितताओं के लिये संबंधित अधिकारियों को दण्डित किया जा चुका है।

अलीगढ़ के उपायुक्त (शा) बिक्रीकर के विरुद्ध श्री शंकर नरायन के पत्र की जांच

152—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 2022 दिनांक 12-6-85 जो अलीगढ़ के उपायुक्त (शा) बिक्रीकर के विरुद्ध श्री शंकर नरायन के आरोपों के बारे में है, दिनांक 12-6-85 को मिला है? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? क्या उल्लिखित आरोपों की जांच किसी अधिकारी से करायी गयी? यदि हां, तो परिणाम क्या रहा?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। किन्तु पत्र दिनांक 10-6-85 का है।

सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच सतर्कता अधिष्ठान द्वारा की जा रही है।

153—श्री कनक सिंह—

[दि0 4-3-86 को अता0 प्र0 सं0 79 द्वारा उत्तरित]

154—श्री यदुनाथ सिंह—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

155—श्री यदुनाथ सिंह—
[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

156—श्री यदुनाथ सिंह—
[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

डिप्टी कलेक्टर (संग्रह) बिक्री-कर द्वारा गलत जमानती बाण्ड का सत्यापन

157—श्री यदुनाथ सिंह—
विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के छठे मंगलवार के लिये निर्धारित अता0 प्रश्न सं0 102 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिस डिप्टी कलेक्टर (संग्रह) बिक्रीकर ने गलत जमानती बांड का सत्यापन किया था, उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—
प्राप्त सूचना के अनुसार गलत जमानती बांड के सत्यापन के लिए सम्बन्धित डिप्टी कलेक्टर (संग्रह) बिक्रीकर को दोषी नहीं पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

158—श्री यदुनाथ सिंह—
[7वें मंगलवार के लिए स्थगित]

159—श्री यदुनाथ सिंह—
[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

160—श्री यदुनाथ सिंह—
[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

161—श्री यदुनाथ सिंह—
[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

उत्तर प्रदेश वन सेवा की वरिष्ठता सूची का प्रकाशन

162—डा0 अच्युतानन्द तिवारी—
क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश वन सेवा की वरिष्ठता सूची पिछली बार कब प्रकाशित की गई थी? इसका नियमित प्रकाशन बन्द करने का क्या कारण है? क्या सरकार इस सूची को प्रकाशित करने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक?

श्री वीर बहादुर सिंह—
उत्तर प्रदेश वन सेवा के अधिकारियों की वरिष्ठता सूची 15 जनवरी, 1977 को निर्धारित की गयी थी। यह सूची सम्बन्धित अधिकारियों को भी भेजी गयी थी। राज्य वन सेवा में प्रोन्नत कुछ अधिकारियों द्वारा न्यायालय में रिट याचिका दायर कर दिए जाने के कारण वरिष्ठता निर्धारण का मामला विवादास्पद है। जैसे ही न्यायालय के निर्णय से स्थिति स्पष्ट होगी, वरिष्ठता के निर्धारण की कार्यवाही शीघ्र की जायेगी।

उ0 प्र0 वन सेवा के अधिकारियों की प्रोन्नति की जानकारी

163—डा0 अच्युतानन्द तिवारी—
क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश वन सेवा के अधिकारियों को इस सेवा में रहते प्रोन्नति के क्या अवसर उपलब्ध हैं? क्या इस सेवा में प्रोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार के विचाराधीन कोई योजना है? यदि हां, तो यह योजना कब लागू होगी?

श्री वीर बहादुर सिंह—
उत्तर प्रदेश वन सेवा में वर्तमान में केवल सहायक वन संरक्षक के ही पद

उपलब्ध है। ऐसे सहायक वन संरक्षक जिन्होंने 10 वर्ष की निरन्तर सेवा संतोषजनक रूप से पूरी कर ली हो और जो उक्त पद पर नियमित रूप से नियुक्त हो चुके हों, को रु0 1300–1900 का सेलेक्शन ग्रेड भी अनुमन्य है। इसके अतिरिक्त 8 वर्ष की मौलिक सेवा पूरी होने पर ऐसे नियमित सहायक वन संरक्षक भारतीय वन सेवा में प्रोन्नति प्रतिभाग में भी चयन हेतु, जिनकी आयु ऐसे चयन के वर्ष में 1 जनवरी, को 54 वर्ष से अधिक न हो, पात्र हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

पेंशन प्राप्त पुलिस कर्मचारीगण को भी एक माह का अतिरिक्त वेतन देने की योजना की जानकारी

164–डा0 अच्युतानन्द तिवारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पेंशन प्राप्त पुलिस कर्मचारीगण को भी कार्यरत पुलिस कर्मियों की तरह मार्च महीने में प्रतिवर्ष एक माह का अतिरिक्त वेतन देने की योजना है? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं। पुलिस विभाग में कार्यरत अराजपत्रित कर्मचारियों को रविवार, द्वितीय शनिवार तथा अन्य राजपत्रित अवकाश का उपभोग न कर पाने के एवज में एक माह का अतिरिक्त वेतन मानदेय के रूप में दिया जाता है, जबकि पेंशन प्राप्त पुलिस कर्मियों के सम्बन्ध में ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती।

सहायता प्राप्त बहुधंधी संस्थाओं के सेवा निवृत्त कर्मचारियों को भी पेंशन राहत सुविधा प्रदान करने की मांग

165–श्री सरदार सिंह–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहायता प्राप्त बहुधंधी संस्थाओं के सेवा निवृत्त कर्मचारियों को राजकीय कर्मचारियों एवं प्राइमरी स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक कर्मचारियों की भांति पेंशन के साथ-साथ पेंशन राहत की सुविधा प्रदान क्यों नहीं की गई है? क्या सरकार यह सुविधा शीघ्र दिलाने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

शासनादेश संख्या–511/18-घ-387 (एम) ई0 डी0/78, दिनांक 13 फरवरी, 1980 के अन्तर्गत सहायता प्राप्त बहुधंधी संस्थाओं के शिक्षण/शिक्षणेत्तर सेवा निवृत्त कर्मचारियों को कतिपय शर्तों के अधीन पेंशन तथा पेंशन पर राहत की सुविधा प्रदान की गयी है। वर्ष 1980 के बाद स्वीकृत की गई राहत उपर्युक्त सेवा निवृत्त कर्मचारियों को देने का प्रश्न विचाराधीन है। आदेश शीघ्र जारी कर दिये जायेंगे।

166–श्री यदुनाथ सिंह–

[6ठे गुरुवार में अता0 प्र0 सं0 48 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रशासक जेड0 एच0 काजमी, यूनाइटेड आफिसियल कोआपरेटिव सोसाइटी, लक्ष्मणपुर कालोनी, लखनऊ के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच तथा संचालन समिति का चुनाव

167–श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रशासक जेड0 एच0 काजमी,

यूनाइटेड आफिसियल को-आपरेटिव सोसाइटी, लक्ष्मणपुर कालोनी, लखनऊ के विरुद्ध भ्रष्टाचार आदि के सम्बन्ध में जून, 1985 से नवम्बर, 1985 तक कितने पत्र प्राप्त हुए? उसकी जांच किससे करायी गयी?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जून, 85 से नवम्बर, 85 तक कुल 27 पत्र प्राप्त हुए।

अधिकांश पत्र सामान्य प्रकृति के थे जिन पर प्रशासक से आख्या मांगी गई है तथा 4 पत्रों की जांच सहायक आवास आयुक्त/सहायक निबंधक से करायी जा रही है।

168—श्री दुर्गा प्रसाद यादव—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि यूनाइटेड आफिसियल को-आपरेटिव सोसाइटी, लक्ष्मणपुर कालोनी, लखनऊ के संचालन समिति का चुनाव कब से नहीं कराया गया है तथा इस समिति में एक भ्रष्ट प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है? यदि हां, तो मंत्री जी उपरोक्त समिति के चुनाव कराने के आदेश देंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

समिति में दिनांक 29-5-83 को चुनाव हुए थे किन्तु प्रबंध समिति के नियम विरुद्ध कार्यों के कारण समिति की प्रबन्ध समिति को उ0 प्र0 सहकारी समिति अधिनियम, 1865 की धारा 35(2) के अन्तर्गत दिनांक 10-12-84 को भंग कर दिया गया था और सहकारी अधिकारी (आवास) श्री जेड0 एच0 काजमी को प्रशासक नियुक्त किया गया था। समिति में चुनाव कराने हेतु चुनाव अधिकारी नियुक्त करने के लिए जिलाधिकारी, लखनऊ को आवास परिषद्, उ0 प्र0 कार्यालय के पत्रांक 190 दिनांक 18-1-86 द्वारा लिखा जा चुका है।

169—श्री सूर्य प्रताप शाही—

[9वें सोमवार में अता0 प्र0 सं0 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

170—श्री राधे श्याम—

[9वें मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

स्व0 श्री किशन सिंह जाटव, विकास क्षेत्र, फिरोजाबाद (आगरा) के पुत्र की नियुक्ति

171—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद आगरा के विकास क्षेत्र फिरोजाबाद में सेवारत पत्रवाहक श्री किशन सिंह जाटव की ड्यूटी पर मौत हो जाने के बाद रिक्त पद पर उसके लड़के को राज्य सरकार के आदेश पर लड़के की प्रार्थना-पत्र पर न नियुक्ति करने का क्या कारण है तथा इसी स्थान पर नियमों की अवहेलना करते हुए क्या वर्ष 1983 में रामानन्द यादव नामक युवक की निजी घरेलू सेवक के रूप में तत्कालीन सी0 डी0 ओ0 आगरा के दबाव में फर्जी नियुक्ति हुई? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि इसका वेतन तत्कालीन सी0 डी0 ओ0 आगरा ने अनियमित रूप से प्राप्त किया? यदि हां, तो क्या शासन को इस सन्दर्भ में वर्ष 1983 में प्रश्नकर्ता की ओर से शिकायतें प्राप्त हुईं? यदि हां, तो उन पर शासन ने क्या कार्यवाही की?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री किशन सिंह जाटव, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की ड्यूटी पर मृत्यु हो जाने

के बाद उनके लड़के श्री राजेन्द्र प्रसाद की नियुक्ति तत्काल इसलिए नहीं की जा सकी थी कि उन्होंने लिपिक पद हेतु प्रार्थना-पत्र दिया था और उस समय लिपिक का कोई पद रिक्त नहीं था। बाद में जब पद रिक्त हुआ तो उनकी नियुक्ति ग्राम्य विकास विभाग में लिपिक के पद पर दिनांक 24-9-84 को कर दी गयी।

श्री किशन सिंह के स्थान पर श्री रामानन्द यादव की नियुक्ति पत्र-वाहक के पद पर 1983 में की गयी थी। इस सम्बन्ध में तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी के विरुद्ध लगाये गये आरोप सही नहीं पाये गये।

इस सन्दर्भ में वर्ष 1983 में प्राप्त शिकायतों की जांच जिलाधिकारी, आगरा द्वारा कराई गई थी लेकिन मामले में किसी प्रकार की अनियमितता न पाये जाने के कारण कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं समझी गयी थी।

जनपद पिथौरागढ़ में तहसीलवार प्राइमरी स्कूलों के भवनों के निर्माण व्यय सम्बन्धी विवरण

172—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में तहसीलवार कितने प्राइमरी स्कूलों के भवन बनने अभी भी बाकी हैं जिनकी स्थापना दिनांक 1-10-85 तक हो चुकी है? इन प्राइमरी स्कूलों के भवन निर्माण की वरीयता के मानकों का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? कब तक उपरोक्त स्वीकृत प्रा0 पाठशालाओं के भवनों का निर्माण पूरा हो जायेगा? इस हेतु कुल कितनी धनराशि का अनुमानित खर्चा आयेगा?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद पिथौरागढ़ में तहसीलवार दिनांक 1-10-85 तक स्थापित जितने प्राइमरी स्कूलों के भवन बनने बाकी हैं, उनका विवरण निम्नवत है :—

1.	पिथौरागढ़	33
2.	डीडीहाट	38
3.	धारचूला	36
4.	मुनस्यारी	39
5.	चम्पावत	39
		185

विद्यालय खुलने का वर्ष तथा छात्रों की संख्या के आधार पर भवन निर्माण की प्राथमिकता का निर्धारण होता है।

जिला योजनान्तर्गत वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर भवन बन सकेंगे। इस हेतु 1,73,00,000 (एक करोड़ तिहत्तर लाख) रुपये की धनराशि का खर्च अनुमानित है।

जनपद नैनीताल में ध्वनि, वायु तथा जल प्रदूषित करने वाली औद्योगिक इकाइयां

173—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद नैनीताल में वे कौन-कौन सी औद्योगिक इकाइयां हैं जो ध्वनि, वायु, जल प्रदूषित करने की सम्भावनाओं के अन्तर्गत आती हैं? इनसे बचने के लिए क्या-क्या कदम उठाये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद नैनीताल में जल व वायु प्रदूषणकारी प्रमुख 11 औद्योगिक इकाइयां स्थापित हैं जिनमें 5 शुगर मिल, एक

डिस्टिलरी, 4 पेपर मिल व एक केमिकल सालवेंट के उद्योग हैं। जल प्रदूषण के नियंत्रण हेतु सभी औद्योगिक इकाइयों को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम के अन्तर्गत नोटिस देकर उत्प्रवाह शुद्धिकरण व्यवस्था हेतु निर्देशित किया गया। 2 औद्योगिक इकाइयों ने अपने उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र की स्थापना की है जिन्हें उत्प्रवाह निस्तारण की सशर्त सहमति जल अधिनियम के अन्तर्गत प्रदान की गई है। शेष 9 उद्योगों की उत्प्रवाह निस्तारण की सहमति जल अधिनियम के अन्तर्गत अस्वीकार की गई है। वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम के अन्तर्गत तीन उद्योगों जिनमें वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु व्यवस्था है, को गैसीय उत्सर्जन के लिए सशर्त सहमति प्रदान की गई है। ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रित करने के लिए कोई विशिष्ट अधिनियम नहीं है।

श्री ईश्वर शरण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की स्वतंत्रता संग्राम आन्दोलन में गिरफ्तारी की जानकारी

174—श्री रामपाल सिंह एडवोकेट—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री ईश्वर शरण, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, गोण्डा वर्ष 1942 में स्वतंत्रता संग्राम के आन्दोलन में किस तिथि को बनारस में गिरफ्तार हुए, उसके बाद किन-किन जेलों में रहे और वर्ष 1945 में किस तिथि को लखनऊ जेल से रिहा किये गये ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री ईश्वर शरण जिला गोण्डा की वर्ष 1942 में गिरफ्तार होकर वाराणसी कारागार में प्रविष्ट होने की पुष्टि अभिलेखों से नहीं होती है, अतः किसी अन्य कारागार को स्थानान्तरित होने का प्रश्न पैदा नहीं होता है। आदर्श कारागार, लखनऊ में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार श्री ईश्वर शरण नामक व्यक्ति की, जिसके पिता का नाम ज्ञात नहीं है, दिनांक 13-7-45 को अगले आदेश तक सजा हुई और उन्हें 25-8-45 को जेल से मुक्त किया गया।

देवरिया जनपद के सलेमपुर तहसील के ग्राम गोडबली के प्रधान के विरुद्ध शिकायतों की जांच

175—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के सलेमपुर तह0 के ग्राम गोडबली के प्रधान के विरुद्ध गबन, अनियमितता, दुरुपयोग आदि शिकायतों से सम्बन्धित श्री नागेश्वर सिंह आदि ग्रामीणों का मुख्य मंत्री के नाम शिकायती पत्र सितम्बर, 84 तथा जून, 84 में शासन को प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उसमें लगाये गये आरोपों की जांच करायी गई? यदि नहीं, तो जांच न कराये जाने के कारण क्या हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत अवधि जून, 84 का शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था, जिसे आवश्यक कार्यवाही हेतु पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भेज दिया गया।

गाजीपुर जनपद के विभिन्न गांवों के सम्पर्क मार्गों को पक्के मार्गों से जोड़े जाने सम्बन्धी विवरण की मांग

176—श्री राम नाथ मुंशी—

क्या सा0 निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद के 235

सादात विधान सभा क्षेत्र में कौन-कौन ऐसे गांव हैं जो डेढ़ हजार से ढाई हजार तक की आबादी के हैं परन्तु अभी किसी पक्की सड़क से सम्पर्क मार्ग द्वारा नहीं जोड़े गये हैं? उपर्युक्त गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने के लिए कुल कितने कि0 मी0 का सम्पर्क मार्ग बनाना होगा और उस पर अनुमानित व्यय क्या होगा ? क्या सार्व0 निर्माण मंत्री जी जिले के बढ़ी आबादी वाले इन गांवों में सम्पर्क मार्ग बनवाने हेतु विशेष स्वीकृति प्रदान करने हेतु विचार करेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह–

1500 से 2500 तक की आबादी के निम्नलिखित 10 गांव सम्पर्क मार्गों द्वारा पक्के मार्गों से नहीं जोड़े गये हैं :–

1–सोना 2–विक्रमपुर 3–सिंगारपुर 4–बोरवां 5–सोरी 6–सवास 7–गौरा 8–उचौंरी 9–बड़ागांव 10–मंगारी खास

उपर्युक्त गांवों को पक्की सड़क से जोड़ने के लिये 7 कि0मी0 मार्ग मिट्टी, पुलिया तथा खड़न्जा स्तर तक तथा 11.40 कि0मी0 मार्ग मिट्टी स्तर से खड़न्जा स्तर तक बनाना होगा जिस पर कुल व्यय लगभग 28.25 लाख रुपया होने की सम्भावना है ।

उपर्युक्त गांवों में से बड़ागांव तथा मंगारी खास खड़ंजा स्तर तक तथा उचौंरी, सवास, गौरा तथा सोरी गांव मिट्टी स्तर तक पूर्व स्वीकृत मार्गों के बन जाने पर जुड़ जायेंगे । शेष 4 गांव सोना, विक्रमपुर, सिंगारपुर तथा बोरवां गांवों को जोड़ने के लिये अभी कोई लिंक मार्ग प्रस्तावित नहीं है । यह कार्य जिला योजना से सम्बन्धित होने के कारण इस प्रस्ताव पर जिला समिति द्वारा विचार किया जायेगा।

इलाहाबाद में प्रेक्षागृह निर्माण की योजना का लखनऊ में स्थानान्तरण

177–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को यह ज्ञात है कि इलाहाबाद में एक प्रेक्षागृह निर्माण की योजना थी और उसका नक्शा, माडल इत्यादि पर कुछ व्यय हुआ था? यदि हां, तो कितना और किस मद में और उसका स्थानान्तरण लखनऊ में किसी दूसरी योजना के अन्तर्गत हो गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह –

जी हां।

रु0 3559.00 वास्तुविद के यात्रा भत्ता हेतु देय है।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है।

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, तुलसी मार्ग, लखनऊ के सामने की भूमि पर पार्क निर्माण की योजना की जानकारी

178–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, तुलसीदास मार्ग, लखनऊ के ठीक सामने स्थित भूमि पर वित्तीय वर्ष 1979-80 से 1984 के बीच पार्क बनाने की योजना शासन के विचाराधीन थी? यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त भूमि पर पार्क का निर्माण किया जा चुका है? यदि हां, तो पार्क की लम्बाई व चौड़ाई क्या है और अब तक पार्क में विभिन्न मदों में कितना धन व्यय किया गया? क्या मुख्य मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त पार्क में झूले, प्रकाश आदि की व्यवस्था की गई है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कानपुर मण्डल में बिक्री-कर के लाखों फर्जी चालानों का सत्यापन तथा धांधली की जांच

179—श्री शारदा प्रताप—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि कानपुर मण्डल में वर्ष 1978 से 81 के बीच बिक्रीकर के लाखों की राजस्व फर्जी चालानों से जमा दिखायी गयी और उसके सत्यापन में लापरवाही बरती गयी? यदि ऐसा हुआ, तो यह कितनी धनराशि है और यह फर्जी चालानों से जमा करना कितने सालों से वहां चल रहा था?

श्री वीर बहादुर सिंह—

(क) जी हां ।

(ख) वर्ष 1978 से 1981 की अवधि में 10 व्यापारियों के रु0 5,03,898-10 के फर्जी चालान पाए गए हैं। फर्जी चालानों से जमा दर्शा कर गलत लाभ लेने के मामले वर्ष 1972 से पाए गए जिसमें 13 व्यापारियों का कुल राजस्व 15,32,660-82 निहित है।

180—श्री शारदा प्रताप—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि यदि उपरोक्त फर्जी बिक्री-कर की धनराशि जमा हुई है तो समय पर उसके सत्यापन में लापरवाही करने वाले बिक्री-कर अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही न करके उनको प्रोन्नत किया गया ? यदि ऐसा है, तो क्यों ? अब इस विषय में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

(क) फर्जी चालानों से धन जमा करने का मामला आर्थिक अपराध अनुसंधान इकाई कानपुर को सौंपा गया है। जब तक उक्त इकाई की जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करना अथवा उसे प्रोन्नति से वंचित रखना सम्भव नहीं था ।

(ख) एक व्यापारी के मामले में आर्थिक अपराध अनुसंधान इकाई की रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमें एक अधिकारी और 2 कर्मचारियों को दोषी बताया गया है । उनके विरुद्ध कार्यवाही की प्रक्रिया चल रही है । शेष मामलों में भी जांच रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही पर विचार किया जायेगा।

प्रदेश के पुलिस विभाग में ए0 एस0 आई0 तथा एस0 आई0 के पदों पर पदोन्नतियों के ब्योरे की मांग

181—श्री अकबर हुसैन बाबर तथा

श्री अम्बिका सिंह—

पुलिस आफिस के प्रस्तर (191) के अन्तर्गत अप्रैल, 1979 से जून, 1982 के बीच कितने लोगों को ए0 एस0 आई0 की पदोन्नतियां तथा कितने लोगों को एस0 आई0 (उप निरीक्षक) के पदों की पदोन्नतियां दी गईं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

[समय 12 बजकर 20 मिनट]

फिरोजाबाद आगरा में बिजली की नियमित आपूर्ति न होने से छात्रों को कठिनाई होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

नियम 301 की 18 सूचनाएं प्राप्त हुईं जिसमें से 7 स्वीकार हुईं । माननीय रघुवर दयाल वर्मा, माननीय श्री बदन सिंह, माननीय श्री सूर्य प्रताप शाही, माननीय श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ,

माननीय श्री संतोष चतुर्वेदी एडवोकेट, माननीय श्री शारदा प्रताप तथा माननीय श्री लक्ष्मी नारायण ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

महोदय, आपके माध्यम से एक अविलम्बनीय महत्व की सूचना मा0 सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि फिरोजाबाद में गत चार दिनों से बिजली की आपूर्ति और आंख मिचौली के कारण सारा कामकाज ठप्प हो गया है। सायं 5 बजे से रात्रि 12 बजे तक बिजली की आपूर्ति के न होने के कारण छात्रों को बिजली के प्रकाश के अभाव में पढ़ाई में व्यवधान पैदा हो रहा है और सुबह नलों में पानी भी नहीं मिल पाता है । बिजली नलकूपों को नहीं प्राप्त हो पा रही है । अतः इस स्थिति से छात्रों एवं अभिभावकों में आक्रोश, क्षोभ एवं असंतोष व्याप्त है। परीक्षा में व्यवधान पड़ रहा है । किसी भी क्षण छात्र आन्दोलन कर सकते हैं।

अस्तु मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि फिरोजाबाद के छात्रों को बिजली की बराबर आपूर्ति सुनिश्चित किया जाय ।

ब्लाक फतेहपुर सीकरी, आगरा के अनेक ग्रामों में गर्दन तोड़ बुखार के प्रकोप से दर्जनों व्यक्तियों की मृत्यु होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बदन सिंह–

महोदय, जनपद आगरा के ब्लाक फतेहपुर सीकरी के ग्राम सामरा, उत्तू आदि, ग्रामों में गर्दन तोड़ बुखार भयंकर रूप से फैला हुआ है । इस रोग से लोगों को बुखार आता है, कय होती है, हाथ पैर ऐंठते हैं और गर्दन टेढ़ी हो जाती है । कुछ ही घंटों में मरीज की मौत हो जाती है। अब तक उक्त ग्रामों में 2 दर्जन से अधिक मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग अब भी इस रोग से पीड़ित हैं । फतेहपुर सीकरी के प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र पर कोई उपयुक्त इलाज इस रोग का नागरिकों को उपलब्ध नहीं होता है । ऐसी दशा में उन्हें दूसरे राज्य राजस्थान के भरतपुर शहर में जाना पड़ता है । तुरन्त इलाज उपलब्ध न होने की दशा में होने वाली मृत्युओं से तथा वर्तमान में भी इस भयंकर रोग के व्याप्त होने से ग्रामीणों में भारी चिन्ता और आक्रोश व्याप्त है। जिला प्रशासन आगरा इस गर्दन तोड़ की भयंकर बीमारी से परिचित होने पर भी निष्क्रिय बैठा है ।

अतः शासन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि इस भयंकर रोग की रोकथाम में बढ़ती गई निष्क्रियता के लिए जिम्मेदार स्वास्थ्य अधिकारी दण्डित किए जायं और रोग के तुरन्त निदान के लिए शीघ्र कार्यवाही अमल में लाई जाये ।

ग्राम सभा सेमरी तरकुलवा, देवरिया के हरिजनों का उत्पीड़न किए जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सूर्य प्रताप शाही–

महोदय, देवरिया जनपद के ग्राम अमवा हिरामन दूबे (ग्राम सभा सेमरी) थाना बघौच घाट के लगभग 20 भूमिहीन हरिजनों सुकरन, राम विलास आदि ग्राम सभा की बंजर भूमि पर जमींदारी उन्मूलन के बहुत पूर्व से बतौर मकान, झोपड़ी, नाद, खूंटा, सहन निर्माण कर आवास करते हैं तथा उसी भूमि के कुछ हिस्से में खेती बारी करते हैं । इस भूमि के अतिरिक्त उनके पास कोई अन्य भूमि नहीं है और मजदूरी के सिवाय उनके आजीविका का कोई

साधन नहीं है । गांव के कुछ प्रभावशाली लोग तथा संबंधित ग्राम प्रधान इन हरिजनों को स्थानीय पुलिस के प्रभाव में करके बे-दखल करने की साजिश में हैं और उन्हें उजाड़ने के लिए निरन्तर धमकियां दी जा रही हैं । यदि इन हरिजनों को बलात अवैधानिक तरीके से उजाड़ दिया गया तो हरिजन अत्याचार की घटनाओं में एक और गम्भीर घटना बढ़ जायेगी ।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय सुनिश्चित विषय को सदन की संज्ञान में लाकर आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि वह हरिजनों को बलात् अवैधानिक तरीके से उजाड़ने से रोके तथा हरिजन भूमिहीन होने के नाते उक्त भूमि को उन्हीं हरिजनों में प्रबन्धित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करे ।

नगरपालिका छिबरामऊ, फर्रुखाबाद के नलकूपों की खराबी से पेयजल संकट उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सन्तोष चतुर्वेदी एडवोकेट—

मैं अत्यन्त लोक महत्व के विषय की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं । जनपद फर्रुखाबाद की नगरपालिका छिबरामऊ के नागरिकों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु नगरपालिका द्वितीय नल-कूप गत दो वर्षों से बराबर खराब होने के कारण वहां की जनता को पीने का पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है । पेयजल की आपूर्ति की समस्या के कारण नगरवासियों को अत्यन्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है । सबसे अधिक चिन्तनीय विषय यह है कि यदि वर्तमान समय में चालू नल-कूप किसी दशा में खराब हो जाता है तो जल आपूर्ति पूर्णतया बन्द हो जायेगी तथा नगर में बूंद-बूंद पानी की समस्या पैदा हो जायेगी । अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार द्वारा जांच करवा-कर शीघ्र ही नगरवासियों को पर्याप्त शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की मांग करता हूं ।

ग्राम बेहटा, थाना काकोरी, लखनऊ के निवासी श्री पांचूलाल के अपहरण तथा मृत्यु के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शारदा प्रताप—

मान्यवर, समता पार्टी के हरिजन कार्य-कर्ता चौधरी पांचूलाल निवासी ग्राम बेहटा थाना काकोरी, जनपद लखनऊ को दिनांक 9-1-86 शाम 8 बजे गायब कर दिया गया । घटना की रात मोहान रोड चौकी इन्चार्ज श्री मृत्युंजय सिंह सब इन्सपेक्टर कुछ पुलिस कर्मियों के साथ बेहटा गांव में थे । सुबह 5 बजे चौकीदार के साथ चौधरी के घर गए और उसकी पत्नी से कहा कि उनका काम हो गया है। दिनांक 11-1-86 को पांचूलाल का भाई रामआसरे मेरे पास आया और घटना की जानकारी दी, तब मैंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक (देहात) लखनऊ से दूरभाष पर घटना की सूचना दी, जिस पर उन्होंने थाने पर रपट दर्ज कराने को कहा । भाई थाने पर रपट लिखाने गए तो रपट न दर्ज कर थानाध्यक्ष ने उसके दो थप्पड़ मारे और गाली देकर भगा दिया । दिनांक 12-1-86 को पांचूलाल का शव कुएं में मिला । अभियुक्तों का पता नहीं लग सका, उल्टे दरोगा और हेड मोहर्रिर जयपाल सिंह ने समता पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान करना शुरू कर दिया जिससे क्षेत्र की जनता में काफी आक्रोश व्याप्त है । अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को मैं माननीय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं ।

छाता, मथुरा के कतिपय गांवों में पेयजल संकट उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री लक्ष्मी नारायण–

महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को लाना चाहता हूं । यह कि छाता क्षेत्र में सांखी, रहेडा, उमराया, पेलखू, सांचौली, हथाना, महराना एवं गिडौह आदि सैकड़ों गांवों में पीने का पानी खारा है तथा 2-2 कि0मी0 तक पीने का पानी नहीं है। उपरोक्त गांवों के व्यक्तियों में अनेक प्रकार की बीमारियां फैलने लगी हैं तथा मैं शासन से मांग करता हूं कि उपरोक्त छाता क्षेत्र में अविलम्ब पेयजल का प्रबन्ध किया जाय ।

हिन्दू इण्टर कालेज अतर्रा बांदा में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार व्याप्त होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

माननीय अध्यक्ष, बुन्देलखण्ड के सबसे बड़े इण्टर कालेज बांदा जनपद में स्थित हिन्दू इण्टर कालेज अतर्रा में साधिकार नियंत्रक के पक्षपातपूर्ण एवं मनमानी रवैया से कालेज में पूरी तरह अराजकता एवं गुंडागर्दी के वातावरण से कालेज के ढाई हजार छात्रों की नियमित पढ़ाई न होने से छात्रों का भविष्य अन्धकारमय है । परीक्षाएं भी सुचारु रूप से न संचालित होने की पूरी आशंका है । प्राचार्य की स्थायी नियुक्ति न होने से कालेज में मनमानी अवैधानिक एडहाक अयोग्य व्यक्तियों की शिक्षक में नियुक्तियां होने से छात्रों में आक्रोश व्याप्त है । साधिकार नियंत्रक (बेसिक शिक्षा अधिकारी) द्वारा स्थानीय लोगों के एक ग्रुप को पक्षपातपूर्ण ढंग से खुला समर्थन देने पर स्थानीय लोगों में चिन्ता एवं आक्रोश उत्पन्न हो गया है, जिससे प्रबंध समिति के चुनाव टलते जा रहे हैं और कालेज में अस्थिरता व्याप्त है । अतः मांग करता हूं कि पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने वाले साधिकार नियंत्रक (बेसिक शिक्षा अधिकारी) को हटाकर किसी अन्य अधिकारी को हिन्दू इण्टर कालेज अतर्रा (बांदा) का साधिकार नियंत्रक बनाया जाय तथा प्रबंध समिति के चुनाव अविलम्ब कराये जाय और न्यायालय के फैसले को अमल में लाया जाय । प्राचार्य की नियुक्ति कमीशन द्वारा अविलम्ब कराई जाय एवं कालेज के प्रबंध समिति के साधारण सदस्य जिनका कार्यकाल आजीवन है उन्हें आजीवन सदस्य मानकर चुनाव कराया जाय ।

राम नगर, बस्ती में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत निर्माण कार्य में धन के दुरुपयोग एवं घोटाले के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

मान्यवर, मेरी भी एक 301 की सूचना है।

श्री अध्यक्ष–

मैंने देखा कि आप नहीं हैं, तो मैंने दूसरे को बुला दिया । आप पता नहीं कहां छुपे रहे ।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

मान्यवर, यह तो आपके अधिकार क्षेत्र में है ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, आप भी पढ़ लें ।

*श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

महोदय, अविलम्बनीय लोक महत्व का यह मामला मैं सदन के संज्ञान में लाना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहता हूं कि विकास क्षेत्र रामनगर जनपद बस्ती में 1982-83, 83-84 और 84-85 में जितने निर्माण कार्य हुए हैं, उनका स्तर घट गया है। अधिकांश पुल बनने के बाद टूट गये हैं। उनका आज निशान भी मौजूद नहीं है। तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी ने सांठ-गांठ करके धन का दुरुपयोग किया और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत पिछले वर्ष जो धन क्षेत्र समिति को दिया गया उसका भी उपयोग नहीं हो सका। इस तरह लगभग पांच लाख रुपये का नुकसान खण्ड विकास अधिकारी श्री मिश्रा द्वारा किया गया है। मेरी मांग है कि टैक्निकल आडिट सेल का एक जांच दल प्रदेश मुख्यालय से रामनगर भेजा जाय, जहां सदस्य विधान सभा, क्षेत्रीय ब्लाक प्रमुख श्री भारती की मौजूदगी में सारे निर्माण कार्य और उनके बाउचरों की जांच कराई जाय तथा की गयी कार्यवाही से सदन को अवगत कराया जाय।

दिनांक 10-3-86 की कार्यवाही से मुख्य मंत्री के वक्तव्य के कुछ अंश निकाले जाने की मांग के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न उठाये जाने का प्रयास

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 के अन्तर्गत आज दो सूचनायें प्राप्त हुईं। एक श्री फजलुल बारी की है तथा दूसरी श्री शतरुद्र प्रकाश की है।

श्री फजलुल बारी जी ने अपनी सूचना में कहा है कि 10-3-1986 की कार्यवाही में से माननीय मुख्य मंत्री जी के भाषण के कुछ अंश निकाले जायं।

श्री फजलुल बारी–

मान्यवर, भाषण नहीं जो वक्तव्य है।

श्री अध्यक्ष–

कार्यवाही के जिस पृष्ठ में से यह अंश निकालने की बात है, उसका तो आपने उल्लेख नहीं किया। वे पृष्ठ और शब्द आप लिखकर के भेज दीजिये, मैं देख लूंगा।

इसको मैंने अस्वीकार किया।

'भारत का संविधान' के हिन्दी तथा संस्कृत संस्करणों की 'उद्देशिका' में प्रयुक्त शब्दावली में भिन्नता के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, भारत के संविधान में हिन्दी में जो उद्देशिका दी है, संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में उस उद्देशिका में 'पंथ निरपेक्ष' शब्द रखा गया है। उसके अलावा जो संस्कृत में संविधान का अनुवाद है।, उसमें सम्प्रदाय निरपेक्ष शब्द है। मान्यवर, जो भी थोड़ा बहुत हिन्दी का ज्ञान रखते हैं जो यह समझते हैं कि 'पंथ' और 'सम्प्रदाय' में अंतर है। मान्यवर, अगर धर्म का विकेन्द्रीकरण किया जाय, उस विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया में सम्प्रदाय के बाद पंथ आयेगा। मान्यवर, संविधान में जो शब्द हैं, उसमें एकरूपता होनी चाहिये। मान्यवर, 24-1-1950 को बाबू राजेन्द्र प्रसाद जी ने, जो उस संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, उन्होंने भी हिन्दी की प्रतिलिपि पर दस्तखत किये, उनके साथ ही संविधान सभा के अन्य सम्मानित सदस्यों ने प्रतिलिपि पर हस्ताक्षर किये।

मान्यवर, 1973 को हिन्दी संस्करण के विषय में श्री नीति राज सिंह चौधरी, जो उस समय विधि और न्याय राज्य मंत्री थे, उन्होंने 1 जनवरी, 1973 को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हिन्दी संस्करण में अपनी बात रखी है, जिसमें साफ तौर पर उल्लेख है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अध्यक्ष तथा सदस्यों ने संविधान के अंग्रेजी पाठ के साथ-साथ उसके हिन्दी रूपान्तर पर भी हस्ताक्षर किये और इस प्रकार इस रूपांतर को एक विशिष्टता प्रदान की।''

मान्यवर, जो विशिष्टता प्रदान की गयी है, उसके आधार पर जो देवनागरी लिपि है, उसके अन्तर्गत यदि दो तरह के शब्द सदन की संज्ञान में आते हैं, इससे तो मान्यवर, संविधानिक विचित्रता की स्थिति उत्पन्न हो रही है। सदन की कार्यवाही भारतीय संविधान से संचालित होती है। अब मान्यवर, इन दोनों शब्दों में से किस को प्रामाणिक माना जाय, इस पर सदन को निर्णय लेना है। यह संवैधानिक जो प्रश्न खड़ा हो गया है, उसका निस्तारण किया जाय और 'पंथ' और 'सम्प्रदाय' में कौन सा प्रामाणिक है, इसको बताने का कष्ट करें इस पर व्यवस्था दें मान्यवर, दो शब्द एक साथ नहीं चल सकते हैं। दोनों का अर्थ एक नहीं है। भारत का संविधान एक प्रामाणिक दस्तावेज है। मान्यवर, कोई भी सरकार हो या विभाग हो, अपनी तरफ से शब्दों की अधिष्ठापना नहीं कर सकती है। मान्यवर, किस शब्द को प्रमाणिक माना जाय, जिससे कि सदन की कार्यवाही संचालित हो, इस पर आप अपनी व्यवस्था दें।

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, जहां तक प्रामाणिक मानने की बात है, जो विधेयक, जिसके द्वारा संशोधन किया गया है, संविधान का 42वां संशोधन, इस संबंध में यह जो संविधान विधेयक 1976 है, इसमें खण्ड 2 में लिखा गया है ''संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य'' के स्थान पर ''संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक धर्म-निरपेक्ष समाजवादी गणराज्य'' शब्द लिखा जायेगा।

माननीय सदस्य ने जो शंका व्यक्त की है, उसको स्वयं मैंने भी देखा। यह जो पुस्तिका ''भारतीय संविधान'' राज भाषा खंड, विधायी विभाग, भारत सरकार द्वारा दी गयी है, यह मेरे पास है, इसमें पंथ निरपेक्ष है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि भारतीय संविधान का अब हर भाषा में अलग-अलग अनुवाद होगा, तो उस भाषा में जो शब्द पर्यायवाची माना जायेगा मान्यवर, उसका अनुवाद जिन शब्दों या भाषा के माध्यम से किया जायेगा, उसमें कभी-कभी अन्तर हो सकता है, क्योंकि कभी-कभी उसके लिए एक्जैक्ट शब्द उस भाषा में नहीं मिल पाता है। संस्कृत में उसके लिए जो पर्यायवाची उन्हें सही लगा, उसे उन्होंने लिखा। वैसे भी मान्यवर, इन दोनों शब्दों के भावार्थ में कोई अन्तर नहीं है। माननीय सदस्य कहने लगे कि हिन्दी से अनुवाद किया गया, इस लिए वही शब्द होना चाहिए यदि वहीं शब्द लिखा जायेगा तो अनुवाद किस बात का होगा। कन्नड़ में उसके लिए दूसरा शब्द होगा, पर्शियन में उसके लिए दूसरा शब्द होगा। वैसे भी मान्यवर, संविधान बनाना और उसमें संशोधन करने का अधिकार इस विधान मण्डल के कार्य क्षेत्र में नहीं है यह तो पार्लियामेंट के क्षेत्र में आता है। इस प्रकार यह कोई औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, माननीय संसदीय राज्य मंत्री जी काफी विद्वान सदस्य हैं। मान्यवर,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं समझता हूं कि जो सदन की भाषा है और नियमावली में भी लिखा हुआ है कि सदन की भाषा हिन्दी होगी और लिपि देवनागरी होगी । जहां तक मेरी जानकारी है, हो सकता है, मुझे कम जानकारी हो और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को ज्यादा जानकारी हो, संस्कृत भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और हिन्दी की खड़ी बोली भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यदि कन्नड़, तमिल या किसी और भाषा में उसका अनुवाद हुआ होता तो मैं मान लेता कि लिपि में फर्क हो जाता है। जहां तक मेरी जानकारी है कि सम्प्रदाय और पंथ में फर्क है। मैं किसी बंगाली, कन्नड़ व तमिल भाषा का उल्लेख करना नहीं चाहता हूं । मान्यवर, हिन्दी साहित्य में ज्ञान रखने वाला व्यक्ति साफ तौर से कह सकता है कि एक सम्प्रदाय में कई पंथ होते हैं लेकिन एक पंथ में कई सम्प्रदाय नहीं हो सकते हैं। जिन दोनों शब्दों को रखा गया है, वे दोनों देवनागरी लिपि में हैं। अब सदन देवनागरी में इन दोनों शब्दों में से किसको ग्राह्य करेगा। यह निश्चित ही गम्भीर प्रश्न है। मान्यवर, मैं आखरी बात आपसे कहना चाहता हूं कि इस पर व्यवस्था देने से पहले आप महाधिवक्ता की भी राय ले लें।

श्री अध्यक्ष–

सूचना विभाग की डायरी के बारे में उठाये गये औचित्य के प्रश्न पर मेरा निर्णय सुरक्षित है। मैं इस प्रश्न को भी उसी में जोड़ता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मंडल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति का वर्ष 1985-86 का चौबीसवां प्रतिवेदन†

श्री गोपाल राम दास–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति का वर्ष 1985-86 का चौबीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

श्री लखनलाल द्वारा क्रय किये गये इंजन के बदले जाने अथवा उक्त इंजन की निर्माता फर्म को ब्लैक लिस्ट करने के सम्बन्ध में याचिका††

श्री भगवती सिंह विशारद–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से श्री लखन लाल द्वारा क्रय किये गये इंजन के बदले जाने अथवा उक्त इंजन की निर्माता फर्म को ब्लैक लिस्ट करने विषयक श्री हरिशंकर निवासी जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(मद संख्या-6 पुकारे जाने पर, श्री अशोक बाजपेयी सदन में उपस्थित नहीं थे।)

जनपद झांसी के क्षेत्र गरौठा से लखनऊ को सीधी परिवहन निगम की बस सेवा द्वारा जोड़े जाने के संबंध में याचिका††

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा से लखनऊ को सीधी परिवहन निगम की बस सेवा द्वारा जोड़े जाने विषयक श्री राम प्रसाद वर्मा निवासी जनपद झांसी तथा अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

†छापा नहीं गया।

††छापी नहीं गयी।

जनपद वाराणसी के अन्तर्गत चकिया में पत्थर खदान मजदूरों एवं सत्याग्रहियों पर लाठी चार्ज के सम्बन्ध में वक्तव्य

एक सदस्य—

वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाय ।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाय। (सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)।

गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)—

[प्राप्त सूचनानुसार जनपद वाराणसी के तहसील व थाना चकिया के ग्राम अलीपुर-भंगड़ा के सीमान्तर्गत स्थित पहाड़ियां (बावन बीर एवं छुछाड़, ब्लाक) वन विभाग द्वारा भारतीय वन अधिनियम की धारा-20 के अंतर्गत आरक्षित वन घोषित है । वर्ष 1981 में भारत सरकार के निर्देशानुसार उक्त आरक्षित पहाड़ियों में खनन कार्य निषिद्ध कर दिया गया और तब से इन पहाड़ियों में खनन कार्य बन्द था । इन आरक्षित वन पहाड़ियों में कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्स-वादी) के लोगों ने पत्थर का खनन चालू करने का आन्दोलन दिनांक 17 जनवरी, 1986 से प्रारम्भ किया है । प्रारम्भ में इनका कार्य जन-आन्दोलन का रहा, परन्तु 20 जनवरी, 1986 को अवैध खनन प्रारम्भ करने का भी प्रयास किया गया । तत्पश्चात् इस आन्दोलन के तहत उक्त आरक्षित वन पर कम्युनिस्ट पार्टी का झण्डा गाड़कर इन आन्दोलन-कारियों ने लगभग 50 खदानें अनधिकृत रूप से लगाईं ।

2—दिनांक 23 फरवरी, 1986 को प्रभागीय वनाधिकारी ने, जब वह अपने स्टाफ के साथ उक्त क्षेत्र में गए, देखा कि कई स्थानों पर लगभग 200 व्यक्ति कम्युनिस्ट पार्टी का झण्डा लगाकर अवैध खनन कार्य में लिप्त थे । इनको देख-कर अवैध खनन कार्य में लिप्त सभी व्यक्ति इकट्ठा होकर नारेबाजी करने लगे । समझाने के पश्चात् भी ये व्यक्ति इस बात के लिए कटिबद्ध थे कि वे खनन कार्य बन्द नहीं करेंगे । इनमें से कुछ व्यक्ति उसी दिन शाम को तहसील मुख्यालय चकिया पहुंचे । परगनाधि-कारी, चकिया से इनके प्रतिनिधियों ने वार्ता के दौरान यह मांग की कि उक्त पहाड़ियों में खनन-कार्य करने की अनु-मति दी जाय अन्यथा उन्हें गिरफ्तार किया जाय । परगनाधिकारी, चकिया द्वारा स्थिति स्पष्ट करने पर ये व्यक्ति वापस चले गये । इस अवैध खनन के सम्बन्ध में दिनांक 28 फरवरी, 1986 को वन रक्षक द्वारा भारतीय वन अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत थाना चकिया पर मुकदमा अपराध सं0-15/86 कायम कराया था ।

3—इसके पश्चात् दिनांक 1 मार्च, 1986 को अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) एवं पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा पुलिस बल के साथ बावनबीर पहाड़ियों की ओर गए और वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि पहाड़ियों पर लाल झण्डे लगाकर जगह-जगह लोग अवैध खनन कार्य कर रहे थे । अवैध खनन कार्य में लिप्त व्यक्तियों में से 17 व्यक्तियों को आवश्यक बल प्रयोग करके भारतीय वन अधिनियम की धारा-26 व भारतीय दण्ड विधान की धारा-379/411 के अन्तर्गत गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध थाना चकिया में मुकदमा अप-राध संख्या-16/86, कायम किया गया।

नोट:—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

कोई भी गिरफ्तार व्यक्ति दिनांक 3-3-86 तक न्यायालय द्वारा मुक्त नहीं किया गया था ।

4—मौके पर गिरफ्तारी के लिए मात्र आवश्यक बल प्रयोग किया गया, कोई भी लाठीचार्ज अथवा राइफल के कुन्दों से प्रहार नहीं किया गया । गिरफ्तार व्यक्तियों ने दर्द एवं सूजन आदि की शिकायत की थी जिन्हें आवश्यक चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई । उपर्युक्त घटना में कोई भी महिला न तो गिरफ्तार की गई है और न ही घायल हुई है । इन व्यक्तियों की एक मात्र मांग उक्त पहाड़ियों पर पुनः खनन कार्य करने देने की है जो कि वहां खनन कार्य निषिद्ध होने के कारण अमान्य है ।]

श्री कौशिक रमाशंकर—

मान्यवर, यह एक मानवीय प्रश्न है और प्राकृतिक न्याय का प्रश्न है कि ये लोग जो वहां पर खनन का कार्य करते हैं, जिनका यह पुश्तैनी कार्य है और वे पुश्तों से इस काम को करते आए हैं, अब अचानक बन्द कर दिया, उनके पास कोई जमीन नहीं है, जिससे रोजी-रोटी चला सकें । उनके पास कोई और दूसरा काम भी नहीं है । बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के, उनका जो पुश्तों का काम था, उसको आपने बन्द कर दिया । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे जिससे उनके पुश्तों से चले आ रहे काम की वजह से जो उनकी रोजी-रोटी बन्द हुई है, उसकी व्यवस्था हो सके ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, सरकार की तमाम योजनायें हैं जैसे एन0 आर0 ई0 पी0 है तथा और भी योजनायें हैं, जिसमें श्रमिकों को समायोजित किया गया है और किये भी जायेंगे । जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, सभी श्रमिक अवैध रूप से खनन कर रहे थे, उनके पास कोई अधिकार नहीं था, कोई अनुमति नहीं थी ।

श्री कौशिक रमाशंकर—

वर्ष 1981 से वन विभाग की तरफ से ऐसी व्यवस्था की गयी, वहां पर वन विभाग का कोई वृक्ष नहीं है, कोई पेड़ नहीं है, उनका पुश्तों से यही काम था कि पत्थर काटते थे और अपनी आजीविका कमाते थे । ऐसी स्थिति में बिना वैकल्पिक व्यवस्था किये हुए ऐसे आदेश का पालन करा रहे हैं जिसकी वजह से मानवीय और प्राकृतिक न्याय का प्रश्न पैदा होता है ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

वर्ष 80 में वन संरक्षण अधिनियम बना । उसके बाद से उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार को ही लिख सकती है, उत्तर प्रदेश सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

इसमें दो पहलू हैं, पूरे वक्तव्य के । पहला यह कि जो विस्थापित हुए हैं, उनको पुनर्वासित करने की क्या व्यवस्था कर रहे हैं और दूसरा, जो उनको लाठियों से मारा गया । माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि सरकारी योजनायें हैं, यह तो सबके लिये हैं, लेकिन सरकार द्वारा जब किसी विशिष्ट वर्ग को विस्थापित किया गया है, तो उसके पुनर्वास की व्यवस्था भी की गयी है जैसे मछुआ समुदाय है, उनके लिये कहा गया कि उनको ठेके में प्राथमिकता दी जायगी । जब आपने उनको प्रतिबन्धित किया तो क्या

उनके पुनर्वास के लिये कोई विशेष योजना बनायी है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

नियम 56 में दिया है, यह सब प्रश्न तो उठते ही नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

यदि बनाई है तो बता दें । यदि नहीं, तो क्या बनायेंगे ?

दूसरा प्रश्न यह है कि जो मजदूर थे, उनको यदि नहीं मारा गया, तो आपने तो यह स्वीकार किया है कि उन्होंने यह शिकायत की कि हमारे शरीर में चोट लगी है, दर्द हो रहा है, उनका इलाज भी कराया गया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मेडिकल परीक्षण कराया गया ? यदि हां, तो रिपोर्ट क्या है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

नियम 56 में दिया है, इसको आप पढ़ें तो, वक्तव्य से इन प्रश्नों का सम्बन्ध नहीं है । उन्हें किसी प्रकार की कोई चोट नहीं आयी, न उत्पीड़न ही हुआ, न लाठी चार्ज ही हुआ, किसी प्रकार की पुलिस ने कार्यवाही नहीं की । वास्तविकता यह है कि ये श्रमिक लोग अवैध रूप से खनन कार्य कर रहे थे, जबकि अनुमति लेनी चाहिये थी । उनके विस्थापित होने का प्रश्न ही नहीं उठता । आपका प्रश्न ही यही है कि क्या पुलिस ने कोई उत्पीड़न की कार्यवाही की, कोई ज्यादती की ?

(श्री राज किशोर सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जो मैंने सवाल किया था, वक्तव्य की दो पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा । "गिरफ्तार व्यक्तियों ने दर्द और सूजन की शिकायत की थी और इसके लिये उन्हें आवश्यक चिकित्सा सुविधा प्रदान की गयी ।" मैं आपके वक्तव्य के इस वाक्य के बारे में जानना चाहता हूं कि जब वे पुलिस कस्टडी में पकड़ कर लाये गये तो उनका मेडिकल एग्जामिनेशन क्यों नहीं कराया गया?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री राज किशोर सिंह–

यहां पर करीब 11 पहाड़ियां हैं जहां एक भी वनस्पति, घास या फूस कुछ नहीं है । यहां मुद्दत से आदिवासी जिनके पास कोई साधन नहीं है जीने के लिये, जब वहां कोई पेड़ नहीं है, कोई वनस्पति नहीं है घास आदि भी नहीं है तो वहां अपने को जिन्दा रखने का औचित्य है ही नहीं । जो जिन्दा रह गये जिनके पास रोजी रोजगार नहीं है उनको आपने इस काम से भी रोक दिया । आपका बीस सूत्रीय प्रोग्राम कहता है कि रोजी देना चाहिये, भूमिहीनों को, जन जातियों को । यहां 12 गांव ऐसे हैं जो कि यह काम करते हैं और इसी से जीते व खाते-पीते हैं। सरकार ने इस पर विचार न करके वहां जबरदस्ती की, वहां आन्दोलन चलाया । मैंने मुख्यमंत्री को भी इस संबंध में लिख कर दिया है । इसीलिये मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बगल में मिर्जापुर में इस प्रकार की पहाड़ियों को पाषाण विभाग में लिया गया है और वहां पर खनन का कार्य चल रहा है । तो इसको आप भी क्या केन्द्र सरकार से उस विभाग में लिये जाने का प्रस्ताव कर रहे हैं ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

इस संबंध में जिला प्रशासन को लिखा जायेगा कि जो इस संबंध में विभिन्न योजनायें चल रही हैं उसमें इन्हें भी लिये जाने पर विचार किया जाये ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 56 के अन्तर्गत 19 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जो कि इस प्रकार हैं :–

1- श्री भगौती सिंह	युवा लोकदल के महामंत्री पर हमला ।
2–श्री राम सरन तथा श्री माता प्रसाद पाण्डेय	सहारनपुर जनपद के सीमावर्ती गांवों में हरियाणा पुलिस के द्वारा आतंक ।
3–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी	अकबरपुर, सहकारी चीनी मिल, फैजाबाद में भ्रष्टाचार ।
4–श्री भोपाल सिंह, श्री बदन सिंह, श्री मूल चन्द, श्री बालेश्वर, श्री राम सागर तथा श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ ।	पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वकीलों द्वारा हड़ताल ।
5–श्री रघुवर दयाल वर्मा	तदैव ।
6–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त	अमरोहा में हड़ताल ।
7–श्री जहिरी लाल त्रिवेदी	जनपद कानपुर देहात के लोकदल कार्य-कर्त्ता पर हमला ।
8–श्री हृदय नरायन दीक्षित	लखनऊ के थाना नाका हिंडोला के अन्तर्गत हत्या ।
9–श्री शतरुद्र प्रकाश	प्रदेश में जाली नोटों का चलन ।
10–श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी	राज्य विद्युत परिषद् द्वारा वाराणसी में विद्युत बिलों में गड़बड़ी ।
11–श्री सत्य प्रकाश विकल	बीकापुर (फैजाबाद) में लघु सिंचाई विभाग में भ्रष्टाचार ।
12–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा	बांदा जनपद में जाली मनीआर्डर भेजने वाले गिरोह के संबंध में ।
13–श्री विष्णु दत्त	आजमगढ़ में घाघरा के कटान से उत्पन्न स्थिति ।
14–श्री अशोक बाजपेयी	पाठ्य पुस्तकों को लेकर परीक्षा में भाग लेने के संबंध में ।
15–श्री सत्यपाल सिंह	दून विद्यालय में चन्द के नाम पर धांधली ।

16–डा0 दिनेश जौहरी	ट्रेन व स्टेशनों पर लूटपाट।
17–श्री पारस नाथ यादव	लखनऊ, हसनगंज में युवक की हत्या।
18–श्री कल्यान सिंह तथा श्री सूर्य प्रताप शाही	देवरिया जनपद के बगहा पुल के निर्माण के संबंध में गिरफ्तारियां।
19–श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी तथा श्री जगवीर सिंह	अलीगढ़ में बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा भ्रष्टाचार।

श्री भगौती सिंह–

मान्यवर, लोकदल लखनऊ के महामंत्री श्री राम सिंह और श्री श्याम किशोर 9 तारीख को 8 बजे थाना बन्थरा के अन्तर्गत गुलाबखेड़ा को जा रहे थे, वह स्कूटर पर थे। रास्ते में एक जगह पर सड़क खराब थी और वहां पर जैसे ही स्कूटर धीमा किया, कुछ लोगों ने जो हथियारों से लैस थे, हमला किया और श्याम किशोर बुरी तरह से घायल हो गया। देशी पिस्तौल से हमला किया, लेकिन वह फायर नहीं हो सका उसके बाद चाकुओं से हमला किया और उनकी राइफल छीन ली। जो राम सिंह थे, वह पास के गांव भाग गये और हल्ला मचाया, तो गांव के लोग दौड़े। इनमें से 4 लोगों को पहचाना गया है। किशोर जो भूतपूर्व विधायक छेदा सिंह की हत्या में था, वह भी था। उसको पहचाना गया है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और उनकी राइफल का भी पता नहीं है। मान्यवर, यह बहुत बड़ा गंभीर मसला है। राजनैतिक कार्यकर्ताओं को काम करना मुश्किल हो गया है और पुलिस अकर्मण्य है। मान्यवर, इस पर आप सदन की कार्यवाही को स्थगित करके चर्चा करा दें।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, इस घटना के सम्बन्ध में धारा 395, 397 के अन्तर्गत मुकदमा कायम कर दिया गया है और इसकी विवेचना जारी है। जो तथ्य प्रकाश में आयेंगे, उनके अनुसार कार्यवाही की जायेगी और मुलजिमों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

श्री भगौती सिंह–

मान्यवर, उनको पहचान लिया गया है।

श्री राम सरन–

कार्यवाही करवा दो। उसका पता तो चल गया। दरोगा जी ने पैसा लेकर छोड़ दिया।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, तफतीश चल रही है। वह इसीलिये होती है कि कार्यवाही हो।

श्री राम सरन–

मान्यवर, मेरा मामला बड़ा गंभीर है और महत्वपूर्ण है। जिला सहारनपुर में नकुड़ तहसील है। मैं वहां से विधायक हूं। यह मेरा क्षेत्र जमुना नदी के किनारे-किनारे है और दूसरी ओर हरियाणा है। मान्यवर, हरियाणा की पुलिस आती है, मेरे क्षेत्र में थाना गंगोहा है, हरियाणा की पुलिस आती है और थाना गंगोहा के डबकोडा, छोटा कुन्डा, बड़ा कुन्डा, साहपुर और बेगी आदि गांवों में हरियाणा की पुलिस आती है और सोते हुये आदमियों को पकड़

ले जाती है और उनके परिवार वालों को पता चलता है तो मोटी रकम देकर उनको छुड़ाते हैं । इसकी शिकायत जिला प्रशासन से की गयी । आई0 जी0 और डी0 आई0 जी0 को भी दी गयी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गयी है । लोग रात में सोते नहीं हैं, कि कब पुलिस आ जाये और उठा ले जाये । हरियाणा की पुलिस यहां के थाने को भी सूचना नहीं देती है जबकि नियम यह है कि दूसरी जगह की पुलिस आवेगी तो लोकल थाने में जायेगी । लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है । तो मैं चाहता हूं कि उनकी सुरक्षा के लिये आप सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करा दें ।

*मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

राम सरन दास जी ने जो प्रश्न उपस्थित किया है, अगर ऐसी बात है तो वह काफी गम्भीर है । मैं इसकी जांच कराऊंगा और हरियाणा सरकार से बात भी करूंगा । मैं चाहूंगा कि जो तथ्य हों आप उनको बता दें, मैं उनकी छानबीन कराऊंगा, ताकि इस तरह की घटना भविष्य में न घटे ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, जनपद फैजाबाद में गन्ना ही एक मात्र कैश क्राप है और वहां पर सारा गन्ना फैजाबाद जिले का केवल 2 चीनी मिलें खरीदती हैं एक मसौधा चीनी मिल फैजाबाद जिले में है और दूसरी रत्ना शुगर मिल शाहगंज जौनपुर जिले में है। इन दोनों चीनी मिलों द्वारा किसानों का अनवरत शोषण हो रहा है । रत्ना चीनी मिल पर 5-6 साल से 10 लाख रुपया बकाया है और आज भी वह किसानों को नहीं मिल पा रहा है । कांटा लगाने की स्थिति यह है कि रत्ना शुगर मिल जहां जहां कांटा लगाती थी वहां आज कल कांटा भी नहीं लगाती है । मसौधा शुगर मिल में महबूबगंज जैसा इलाका है वहां पर कांटा लग जाता है लेकिन खरीद नहीं होती है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर सरकार ने अकबरपुर में सहकारी चीनी मिल के नाम पर एक लाइसेंस मंजूर किया था और सहकारिता के क्षेत्र में वहां पर एक सहकारी चीनी मिल लगाने की घोषणा हुई थी । हमारा 20 लाख रुपया शेयरमनी भी जमा है, पब्लिक का । लेकिन इन दोनों चीनी मिल मालिकों की पहुंच इतनी अधिक है कि पहले तो इन्होंने प्रयास किया कि समय के अन्दर शेयर न बिक पायें । नतीजा यह हुआ कि शेयर नहीं बिकें और उसी का बहाना बनाया और उसका लाइसेंस निरस्त हो गया । उसके नवीनीकरण की बात चलती रही । तमाम जिला अधिकारियों ने और जिला गन्ना विकास अधिकारियों ने लिखा कि गन्ना मिल सकता है लेकिन इस बीच में पता नहीं कितनी लम्बी पहुंच है इन मिल मालिकों की कि उन्होंने सरकार पर दबाव डलवाया और उस मिल के लिक्विडेशन का आदेश भी यहां से निर्गत करा दिया। इस घोषणा से पूरे फैजाबाद जिले के लोगों में आक्रोश और कुन्ठा व्याप्त हो गयी है । उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें । 90 फीसदी जनता वहां की खेती पर निर्भर करती है लोगों के सामने गन्ने के अलावा कोई ऐसी कैश क्राप नहीं है जिससे अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सके और अपनी रोजी रोटी चला सके। इसलिए मान्यवर, यह एक गम्भीर समस्या है । मैं चाहूंगा कि इस पर सदन का कार्य स्थगित करके चर्चा करायें । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मंत्री जी से कहूंगा कि वे भी पूर्वान्चल के हैं। मैं उनसे भी फैजाबाद की जनता की ओर से आपकी अनुमति से एक भीख मांगना चाहता हूं कि कम से कम पूर्वान्चल के संबंध में वहां की पिछड़ी हुई जनता को न्याय दें और सहकारिता के क्षेत्र में वहां पर चीनी मिल लगाने की कृपा करें।

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, इस पर एक सवाल तिवारी जी पूंछ चुके हैं इसी सत्र में और इसका जवाब मिल चुका है। मान्यवर, तथ्य यह है कि रत्ना शुगरमिल शाहगंज काफी घाटे में चल रही है और इसके मालिक इस चीनी मिल को चलाना नहीं चाहते हैं, काफी दबाव डाला गया उसके बाद यह मिल चली है। यह बात सही है कि घाटा काफी ऐसी मिलों का है। उनका कहना है कि हमको गन्ना इतना नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। दूसरी मान्यवर, मसौधा शुगरमिल की बात है इस बारे में आपने कांटे की शिकायत की, उसको मैं देख लूंगा कि कांटा कहां नहीं लग रहा है जहां कांटा नहीं लगा है उसमें मैं कार्यवाही करूंगा, जहां पर गन्ना लेना चाहिए, जरूर लेंगे। जहां तक आपने कहा कि फैजाबाद जिले में विशेष चीनी मिल लगाई जाय। इन सारी बातों को देखते हुए जो भी कृषकों के हित में कार्य होगा, वही कार्य किया जायेगा।

श्री भोपाल सिंह–

मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ की स्थापना को लेकर वकीलों की हड़ताल चल रही है और यह हड़ताल लगातार कई वर्षों से चल रही है जिसकी वजह से वकीलों ने कई वर्षों से शनिवार को अदालतों के बहिष्कार का निर्णय किया है। 20 तारीख को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वकील प्रदर्शन करने दिल्ली गये और दिल्ली में उनके ऊपर पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज हुआ।

उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। 20 तारीख से फरवरी तक उ0 प्र0 में हड़ताल रही। उसके बाद 27 तारीख को वह हड़ताल खोल दी गई। 11 तारीख से फिर लगातार वहां पर हड़ताल चल रही है। 16 तारीख को वकीलों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बन्द करने का निर्णय लिया है और 28 तारीख को देहरादून से दिल्ली तक पैदल मार्च का निर्णय लिया है। मान्यवर, यह सरकार कहती है कि हम सस्ता न्याय दिलायेंगे और दूसरी तरफ हमारे यहां हाई कोर्ट की बेंच के लिए लगातार कई सालों से संघर्ष चल रहा है और सरकार कुछ नहीं करना चाहती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश ज्वालामुखी की तरह धधक रहा है और जनता भी अब वकीलों के साथ जुड़ गई है। बहुत से लोग जेलों में बन्द हैं, 107, 117 में लोग जेलों में बन्द हैं, उनकी जमानत भी नहीं की जाती। मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को उठाकर आपसे कार्यवाही रोक कर चर्चा की मांग करता हूं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समस्त वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार कर रखा है और कोई वकील अदालतों में नहीं जा रहा है जिससे लाखों वादकारियों के वादों में व्यवधान पैदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है इससे एक सकट की स्थिति समूचे उत्तर प्रदेश में पैदा हो रही है। मैं यह

मसला इसलिये उठा रहा हूं कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाने के संबंध में जसवन्त सिंह आयोग ने संस्तुतियां कीं कि आगरा या देहरादून में कहीं पर एक जगह उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ की स्थापना की जाय। इस प्रश्न को लेकर लोग पिछले सालों से बराबर आन्दोलन कर रहे हैं। 11 तारीख से सारे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी अंचल में हड़ताल चल रही है और 16 तारीख से पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बन्द करने का उन्होंने आह्वान किया है। इससे एक गम्भीर संकट न्यायपालिका के अन्दर पैदा हो गया है। मैं निवेदन करूंगा कि आगरा के भौगोलिक एवं पिछले इतिहास को देखते हुए जसवन्त सिंह आयोग ने संस्तुति की है कि आगरा में उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ की स्थापना की जाय। इसलिये इस मसले को लेकर जो आन्दोलन हो रहा है उसको देखते हुए हम उत्तर प्रदेश शासन से यह अपेक्षा करते हैं कि वह जनहित को देखते हुये तत्काल हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना का यह फैसला ले ताकि भविष्य में इस विषय पर हड़ताल सत्याग्रह की पुनरावृत्ति न हो। इसलिए इस लोक महत्व के विषय पर मैं सदन में चर्चा की मांग करता हूं।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की खण्ड पीठ का मामला किसी न किसी रूप में प्रति वर्ष हर एक सत्र में यहां पर उठता रहा है। यह भी सही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वकीलों ने अपनी इस मांग को लेकर संघर्ष किया, कभी हड़ताल के रूप में और कभी दूसरे रूप में। इसी बात को देखते हुये उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले को भारत सरकार को संदर्भित किया था और केन्द्रीय सरकार ने इस मांग को परखने के लिये जसवन्त सिंह आयोग का गठन किया था। उसकी रिपोर्ट आ चुकी है जो केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है। माननीय वर्मा जी ने आगरा और देहरादून की बात कही। आपको हर जगह आगरा ही नजर आता है। रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई है, सदन में प्रस्तुत नहीं हुई है, उसमें क्या है, क्या नहीं है, क्या स्थिति है, इसके बारे में मैं कोई जानकारी नहीं दे सकता। इतना जरूर है कि केन्द्रीय गृह मंत्री ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सांसदों का आह्वान किया है कि वे किसी उपयुक्त स्थान का चयन करें जिससे उस पर निर्णय लेने में सुविधा होगी। इससे केन्द्रीय सरकार और हमारे ऊपर उंगली उठाने वाली बात नहीं रह जायेगी। समय की बात है कि वह प्रक्रिया कब पूरी होगी। जहांतक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बनाये रखने की बात है, वह प्रदेशीय सरकार का काम है। जो प्रगति हुई है उस बात को देखते हुए माननीय सदस्य इस प्रश्न को राजनीतिक विषय नहीं बनायेंगे, यही मेरा निवेदन है।

(श्री रघुवर दयाल वर्मा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय वर्मा जी, आपकी बात सुन ली।

*श्री राम सरन—

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खण्ड पीठ का जहांतक ताल्लुक है, माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने, ऐसा लगता है कि जैसे बंदरों के बीच में भेली डाल दी हो।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मैं यह कहता हूं कि जहां आपका आयोग और आपकी सरकार निश्चय करे चाहे आगरा करे, चाहे देहरादून करे, चाहे मेरठ करे इस पर तुरन्त निर्णय आपको लेना चाहिए कि यहां पर खण्ड पीठ होगी। आप वकीलों के बीच में इसे क्यों डालते हैं, कहीं पर खोल दीजिये हमें कोई एतराज नहीं होगा। हमारा केवल इतना निवेदन है।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, सरकार की जो मजदूर हित विरोधी नीति है उसके संबंध में मैंने एक कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया है। राज्य सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम अपट्रान है जिसकी 5 इकाइयां लखनऊ में हैं। यह चूंकि सरकारी संस्थान है इसलिये सरकार की विशेष जिम्मेदारी हो जाती है इसमें कोई गलत काम न हों। इसकी एक इकाई अपट्रान डिजिटल है जिसमें 8·33 परसेंट बोनस देने की घोषणा की गयी है और बाकी इकाइयों में 20 परसेंट बोनस दिया जा रहा है। यह बड़ा विभेद है कि एक ही संस्था की 5 इकाइयों में से एक को 8·33 परसेंट बोनस मिले और दूसरों को 20 परसेंट मिले जब कि पूरे संस्था की बैलेंशशीट एक बनती है। तो इस विसंगति को लेकर वहां प्रदर्शन और सत्याग्रह हो रहे हैं। लेकिन सरकार ने मजदूरों को रौंदने के लिए, उनकी न्याय संगत मांगों को स्वीकार करना तो दूर रहा उनके ट्रेड यूनियन बनाने का जो मौलिक अधिकार है उसको कुचलने के लिए उसके 7 नेताओं को निलम्बित कर दिया। इससे आग और भड़क गई और कल सभी इकाइयों में हड़ताल रही जिसमें 5 सौ लड़कियां भी काम करती हैं। उन सब का सामूहिक प्रदर्शन हजरतगंज स्थित मुख्यालय पर हुआ जिसमें लाठी चार्ज किया गया इससे उत्तेजना और फैल गयी। मुझे सूचना मिली है कि इसके विरोध में उन कर्मचारियों ने अनिश्चित-कालीन हड़ताल करने का फैसला किया है। सरकार ने उनकी मांगों पर विचार करना तो दूर रहा उसमें तालाबंदी की घोषणा कर दी है। तो इसका क्या असर होगा हजारों मजदूर बेकार हो जायेंगे। इसको लेकर मैं चाहता हूं कि इस कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा होनी चाहिए क्योंकि इससे सरकार की मजदूर विरोधी नीति पर प्रकाश पड़ेगा (श्री राम सरन, श्री भोला सिंह द्वारा प्रेस गैलरी में पर्चे बांटे जाने पर श्री पूरन सिंह माहरा आदि कई सदस्यों द्वारा बोलने पर व्यवधान)

एक सदस्य–

राम सरन दास जी पर्चे बांट रहे हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यह हमारा हक है।

श्री अध्यक्ष–

उसको देखा जा रहा है आप क्यों अव्यवस्था कर रहे हैं? मैं देख रहा हूं। आप बैठिये, माननीय शतरुद्र प्रकाश जी आप भी बैठिये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, अगर यह किसी निजी कम्पनी का मामला होता तो दूसरी बात थी। (व्यवधान)।

श्री राम सरन–

यह मेरा हक है। वहां जाना कोई गलत नहीं है, जहां आप बैठे हैं वहां नहीं जाना चाहिये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

वह भी गंभीर बात थी लेकिन मामला सरकारी उपक्रम का है इसलिए और अधिक गंभीर हो जाता है। यह सरकार मजदूरों के हितों के विरुद्ध है इस लिए इस पर 2 घंटे की चर्चा होनी चाहिये।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, एक बात माननीय गुप्ता जी को मालूम है कि बोनस 8.33 प्रतिशत दिया जाता है लेकिन जहां पर ज्यादा फायदा कारपोरेशन को होगा वहां पर बोनस ज्यादा भी दिया जाता है और जहां पर फायदा कम या घाटा होता है उसमें 8.33 परसेंट बोनस देना पड़ता है। जहां पर ज्यादा फायदा हुआ हो वहां पर 20 परसेंट दें और जहां पर कम फायदा हुआ हो वहां पर भी वही बोनस दें तो फिर जो लोग ज्यादा मेहनत करते हैं उनको क्या लाभ होगा ? बोनस एक फारमूला है। जहां पर घाटा करायेंगे वहां पर भी वही बोनस देंगे जैसा कि जहां पर ज्यादा फायदा होता है तो फिर क्यों कोई ज्यादा अच्छा काम करेगा, क्यों कोई मेहनत करेगा ? यह हमारे जो कारपोरेशन हैं, यदि वह घाटे में आते हैं तो कहा जाता है कि घाटे में क्यों चल रहे हैं। तो यही कारण है कि दूसरे कारपोरेशन में ज्यादा फायदा हुआ तो वहां पर 20 प्रतिशत बोनस दिया गया और जिसके बारे में माननीय सदस्य कह रहे हैं इसमें कम फायदा हुआ तो कम बोनस दिया गया।

मान्यवर, सवाल है, कोई मांग आप कर सकते हैं लेकिन चाहे काम करें या न करें किन्तु 20 प्रतिशत बोनस जरूर लेंगे तो कल कहेंगे कि 25 प्रतिशत बोनस लेंगे चाहे फायदा हो या न हो, तो इससे कोई संस्था नहीं चल सकती है। हमें देखना है कि जो हमारे कारपोरेशन हैं वह कैसे अच्छी तरीके से काम करें और उसमें जो काम करते हैं वह कैसे मेहनत से काम करें जिससे सुविधा ज्यादा दें और काम अच्छा हो सके। यदि सभी को बराबर कर देंगे तो यह ठीक नहीं है। हड़तालें नहीं होनी चाहिए और होना चाहिए कि ज्यादा काम करें जिससे कारपोरेशन को फायदा होगा तो ज्यादा बोनस भी मिलेगा।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

एक ही संस्थान की 5 इकाइयां हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब मैं आपको इजाजत नहीं देता हूं। आप बैठ जायं।

श्री जौहरी लाल त्रिवेदी–

मान्यवर, कानपुर जनपद (देहात) के श्री हरस्वरूप, जो लोकदल के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और विद्यालय के प्रबन्धक एवं भूतपूर्व जिला परिषद् के सदस्य भी रह चुके हैं, पर कातिलाना हमला किया गया क्योंकि उन्होंने थाना तकवन के थानाध्यक्ष के खिलाफ और पुलिस के खिलाफ शिकायत की थी चूंकि वहां की पुलिस अत्याचार और जुर्म जनता के प्रति कर रही थी जिसकी शिकायत उन्होंने एस0 पी0, श्री के0 डी0 के यहां 13-2-86 को थानाध्यक्ष के खिलाफ किया था और जब वह अपने गांव को जा रहे थे तो पुलिस ने उस शिकायत के आक्षेप में गुण्डों से पिटवाया, तो इसको देखकर मकनपुर मेले में जाते हुए लोगों ने उनको बचाया। इसकी भी शिकायत श्री हरस्वरूप ने किया। तो थानाध्यक्ष ने श्री हरस्वरूप और प्रधान कंचन एवं अन्य 2-3 व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही किया और इन लोगों के यहां कुर्की की गयी। कुर्की में इन लोगों का गल्ला निकाल लिया गया, जेवर निकाले गये और झोपड़ियों में आग लगा दी गयी। पुलिस के आतंक से गांव खाली हो गया। उसके बाद मैं

स्वयं थाने गया और गांव का निरीक्षण किया और उसके बाद शाम को रैली का आयोजन किया जिसमें 25 हजार किसानों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया और मांग किया कि थानाध्यक्ष तकवन के खिलाफ जांच कराई जाये और एस0 पी0, के0 डी0 का स्थानान्तरण किया जाये। मान्यवर, सदन के संज्ञान में यह बात लाते हुए मैं मांग करता हूं कि आज सभी कार्यवाही रोककर इस पर एक घंटे की चर्चा करायी जाये।

श्री अध्यक्ष–

सूचना नं0 1–श्री भगौती सिंह की सूचना को मैंने वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है।

सूचना नं0 7–श्री जहिरी लाल त्रिवेदी की सूचना को सरकार को भेज रहा हूं और निर्देश देता हूं कि इसमें जांच की जाये।

सूचना नं0 8, 9, 10, 16 और 17 पर शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं। कार्य-स्थगन के रूप में शेष सभी सूचनाएं अस्वीकार हुईं।

(इस समय 1 बजकर 15 मिनट पर उपाध्यक्ष श्री त्रिलोक चन्द्र पीठासीन हुए।)

1986-87 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान/अनुदान संख्या 71–सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या 72-सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन), अनुदान संख्या73-सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास), अनुदान संख्या 74-सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) तथा अनुदान संख्या 75-सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन)

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री सीताराम निषाद)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 71-सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 52,15,90,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृति की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 72-सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 24,00,78,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 73–सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 8,84,43,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

क्या आप समझते हैं कि इस समय कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठ सकता है? आप ऐसी बात कहेंगे?

श्री उपाध्यक्ष–

उन्हें पढ़ लेने दीजिए, फिर हम सुन लेंगे, उनके शुरू करने से पहले हम सुन लेंगे।

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता

हूं कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 74—सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 23,57,20,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 75—सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 2,42,64,95,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

सार्वजनिक निर्माण विभाग का बजट प्रस्तुत करते समय विभाग से संबंधित अधिकारियों के अधिकारी दीर्घा से अनुपस्थित रहने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, यह बजट सत्र है, बहुत महत्वपूर्ण सत्र है और बजट सत्र के संबंध में एक परम्परा रही है और वह यह है कि जब माननीय मंत्री उस वर्ष का अपने विभाग का बजट पेश करते हैं और कटौती का प्रस्ताव रखा जाता है तो उस विभाग के बड़े अधिकारी और उसमें जो छोटे-छोटे विभाग हैं उनके भी अधिकारी यहां दीर्घा में बैठकर सारी बातें सुनते हैं और नोट करते हैं। हमारी समस्याओं को वह सुनते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, किन्तु आज परंपरा के विरुद्ध यहां पर ब्रिज कारपोरेशन के अधिकारी और अन्य बीसों प्रखण्डों में से किसी के भी अधिकारीगण यहां बैठे नहीं हैं। एक भी अधिकारी इस सदन की महत्वपूर्ण बहस को सुनने के लिए यहां नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि कार्यपालिका पर आपका कोई अंकुश नहीं रह गया है और वह विधायिका की अवहेलना करने पर तुली हैं। वह मंत्रिपरिषद् के सदस्यों की भी इज्जत नहीं करते हैं। कोई भी महत्वपूर्ण अधिकारी यहां नहीं है। यह बड़े शर्म की बात है।

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

परम्पराओं का मुझे स्मरण है और परिपाटी तो यह भी है कि सदन में बैठकर यहां बैठकर कभी दीर्घाओं की तरफ नहीं देखा जाता, न उसका नोटिस लिया जाता है। एक बार पहले भी इन्होंने इसी प्रकार का प्रश्न उठाया था। यदि वह परम्परा रही है तो यह भी परम्परा रही है कि हम अधिकारियों की ओर देखते ही नहीं कि कौन बैठा है और कौन नहीं बैठा है और उन्हें देखकर प्रश्न करना बिल्कुल उचित नहीं है। अधिकारीगण यहां बैठकर सुनें, वहां बैठकर सुनें, कहीं बैठकर सुनें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

आप एक परम्परा का भी उदाहरण दें कि माननीय सदस्य कहीं देख नहीं सकते हैं।

[1 बजकर 20 मिनट]

मान्यवर, जब माननीय राम सरन दास जी प्रेस दीर्घा में गये थे तो यह सवाल उठा था कि वह वहां पर जा सकते हैं या नहीं। सदन के सदस्य की हैसियत से किसी भी दीर्घा में जा सकते हैं कोई मुमानियत नहीं है। अगर वह दर्शक दीर्घा में जा बैठे हों तो उस पर आरोप नहीं लगाना चाहिये। संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि आंख से देख नहीं सकते हैं तो ऐसी परम्परा तो संसदीय इतिहास में कहीं नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष —

अफसर रहे न रहे, यह तो शासन का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

काम है। सदन की प्रक्रिया से अफसर, का कोई वास्ता नहीं है। लेकिन अफसर रहे तो अच्छा हो।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

अफसरों को घर बैठा दीजिये। एक भी अफसर आपकी बात मानने के लिये तैयार नहीं है।

श्री अवधेश प्रसाद—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो पढ़ा है वह इस कार्यसूची में नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

हो सकता है कि वह आपकी कापी में न हो, दूसरी कापी ले लीजिये।

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, अफसरों को रहना चाहिये। मैं आपको इस संबन्ध में रूलिंग दिखाना चाहता हूं। 29 मार्च, 1978 को अध्यक्ष पीठ से व्यवस्था दी गयी है कि जिस समय राज्यपाल के अभिभाषण पर और बजट पर सामान्य चर्चा हो उस समय सभी विभागों के सचिवों और मुख्य सचिव को उपस्थित रहना चाहिए।

मान्यवर, आपकी पीठ से दी गयी व्यवस्था आगे के लिये सदन की कार्यवाही संचालन का काम करती है। आपके मान्यवर, सख्त निर्देश होने चाहिये कि जो परम्परा है उसका पालन होना चाहिये और विभाग के मंत्री इसके लिये खेद प्रकट करें।

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, यह परम्परा का उल्लंघन है। बजट पर चर्चा के समय अधिकारियों को उपस्थित रहना चाहिये।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, जिस रूलिंग को वर्मा जी ने पेश किया है उसको पढ़ दें, वह उसको पूरा पढ़ दें।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, इसको बहुत हल्के ढंग से लिया जा रहा है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मैं पढ़े दे रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

आपकी बात पूरे सम्मान के साथ ली गयी है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, 29 मार्च, 1978 को श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के समय श्री अध्यक्ष ने कहा कि मुख्य सचिव, गृह सचिव तथा वित्त सचिव को जिस वक्त गवर्नर के अभिभाषण पर चर्चा हो, उपस्थित रहना चाहिये। उनका यहां पर न होना सदन की उपेक्षा करना है।

इस पर श्री राम नरेश यादव, मुख्य मंत्री ने कहा कि मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारे सारे अधिकारी जहां पर आवश्यकता जिस वक्त महसूस होगी उपस्थित रहेंगे।

तदुपरान्त श्री ऊदल ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि श्री अध्यक्ष के यह निर्देश देने के बावजूद कि गवर्नर के भाषण पर और बजट में जो जनरल डिस्कशन होगा विभागों से सम्बन्धित उच्चाधिकारी यहां पर आयें मुख्य मंत्री कह रहे हैं आवश्यकता होगी जिसका अर्थ है कि उन्होंने निदेश में संशोधन कर दिया यह सदन का अपमान है।

इस पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि माननीय मुख्य मंत्री जी मेरा कहना यह है कि आवश्यकता पड़ने पर नहीं। आपका निश्चित आदेश होना चाहिये कि जिस वक्त गवर्नर के अभिभाषण पर चर्चा और बजट पर सामान्य चर्चा हो, तो सभी विभागों के सचिवों और मुख्य सचिव को रहना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

आपकी बात हो गयी।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह गवर्नर का अभिभाषण नहीं है, सामान्य चर्चा है।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

सरकार का नियंत्रण बिल्कुल खत्म हो गया है।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, इनके विभाग के सचिव और एक चपरासी तक इनकी बात मानने के लिये तैयार नहीं हैं। यह पहली बार हुआ है कि माननीय मंत्री जी ने बजट रखा है और एक भी अफसर दीर्घा में मौजूद नहीं है। इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। यह सरकार अपना एक भी काम अफसरों से नहीं करा सकती।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

अगर सभी लोग एक साथ बोलेंगे तो काम कैसे चलेगा, बैठिये। मैं अपनी व्यवस्था भी दे चुका हूं।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

इस्तीफा इनको देना चाहिए। यह पहली बार हो रहा है, कोई उदाहरण आप बता दीजिए।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, इनके अधिकारीगण सरकार के ऊपर हो गये हैं, यहां बजट प्रस्तुत हो रहा है, वह सबके सब लंच पर चले गये होंगे। मान्यवर, आप इन्हें निर्दिष्ट करिये।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं अपनी व्यवस्था दे चुका हूं। जब माननीय वर्मा जी ने जो जनरल बजट और महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर चर्चा की बात कही कि उसमें अधिकारियों को रहना चाहिए, यह शब्द जो यूज हुआ है कि अधिकारियों को ऐसे समय में रहना चाहिए तो यह मैं भी कह रहा हूं कि उनको रहना चाहिए। (घोर व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

तो फिर मान्यवर, बुलवाइये उनको अभी तक एक भी नहीं आए।

श्री उपाध्यक्ष–

आ जायेंगे (शोर)

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, आपने व्यवस्था भी दे दी कि अधिकारियों को रहना चाहिए, फिर भी कोई नहीं आ रहा है। मान्यवर, यह आपके अधिकारों का हनन हो रहा है और वह भी आपकी मौजूदगी में।

श्री उपाध्यक्ष–

अधिकारों के हनन की कोई बात नहीं है, जब बजट भाषण शुरू होगा तो अधिकारी रहेंगे। (शोर) आप कहीं भी यह लिखा हुआ दिखा दीजिए कि जब बजट प्रस्तुत हो तो फौरन अधिकारी आ जायं।

श्री शतरुद्र प्रकाश –

मान्यवर, आप कभी कुछ व्यवस्था देते हैं और कभी कुछ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं जो उचित समझता हूं, वह मैंने कह दिया।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मा0 शतरुद्र प्रकाश जी ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया, जिस पर मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी ने कह दिया कि यह परम्पराओं के अनुकूल नहीं है, फिर मैंने इसका एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया और आपने उस पर निर्देश भी दे दिये कि अधिकारियों को बजट प्रस्तुत होते समय उपस्थित रहना चाहिए, परन्तु मान्यवर, अभी तक कोई

भी नहीं आया। (घोर व्यवधान)

1986-87 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 71-सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या 72-सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन), अनुदान संख्या 73-सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास), अनुदान संख्या 74-सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) तथा अनुदान संख्या 75-सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) (क्रमागत)

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री सीताराम निषाद)–

(व्यवधान के मध्य)

मान्यवर, सार्वजनिक निर्माण विभाग का सड़कों के निर्माण का एक इतिहास रहा है। सन् 1927 में इस सम्बन्ध में एक जयकर कमेटी गठित की गयी थी, जिसके प्रयास से सन् 1934 में इण्डियन रोड कान्फ्रेंस हुयी थी उसके प्रयास से ही सड़कों के निर्माण का कार्य शुरू हुआ। फिर मान्यवर, सन् 1943 में एक नागपुर प्लान बना था जिसका लक्ष्य था कि 26 मील प्रति सैकड़ा वर्ग मील सड़कों का निर्माण किया जाए। एक फार्मूला बनाया गया था स्टार एण्ड ग्रिड फार्मूला जिसके अनुसार सड़कों के निर्माण का काम जारी हुआ और उसके लक्ष्य के अनुसार मान्यवर, 16 कि0 प्रति 100 वर्ग कि0 मी0 सड़कों का निर्माण शुरू हुआ। मान्यवर, बाम्बे प्लान हमारा 1958 में बनाया गया, जिसमें लक्ष्य यह निर्धारित किया गया था कि 100 वर्ग मील में 52 मील सड़क बनाई जायेगी। इसमें किलोमीटर के हिसाब से 100 वर्ग किलोमीटर में 32 किलोमीटर सड़क निर्माण होनी चाहिए, यह उसका लक्ष्य था। उसके अनुसार 1981 तक 20 किलो मीटर प्रति सौ किलोमीटर में सड़कों का निर्माण करके उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया गया। 1979 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम निर्धारित किया गया था, जिसमें यह निश्चय किया गया था कि 1500 से और उसके ऊपर की आबादी के गांव 1990 तक शतप्रतिशत जोड़ दिया जायगा और 1000 से 1499 तक की आबादी वाले गांवों को 50 प्रतिशत जोड़ दिया जायगा। इस दिशा में मान्यवर, काफी काम हुआ है। मार्च 1986 तक जो उपलब्धि आ रही है, उसमें काफी काम हुआ है। जितना हमारा लक्ष्य था, उस लक्ष्य के अनुसार हम काफी आगे बढ़े हैं। मान्यवर, 1981 से 2001 ईस्वी तक के लिए लखनऊ प्लान बनाया गया है।

मान्यवर, पिछले साल इसी लखनऊ की ऐतिहासिक नगरी में इण्डियन रोड कांग्रेस कान्फ्रेंस हुई थीं, जिसमें 20 वर्ष के लिए सड़कों के विकास की योजना बनाई गयी है। उसमें लक्ष्य जो निर्धारित किया गया है, उसके अनुसार प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में 80 किमी0 सड़क बननी चाहिए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काफी धन की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि इसमें 2.5 लाख किलोमीटर सड़क बननी चाहिए जिसके लिए 400 करोड़ रुपये की धनराशि प्रति वर्ष चाहिए। लेकिन जो हमारे प्रदेश के संसाधन हैं, उन संसाधनों की कमी के कारण ये जितने प्लान हमारे बनाये गये थे, उनके लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हो सकी। लेकिन हमारी सरकार का इस दिशा में काफी प्रयास रहा है कि इस प्रदेश के विकास के लिए, इसकी सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिये अधिक सड़कें बनाई जायं। 1947 में केवल 15,113 किलो मीटर सड़कें थीं लेकिन 1986 के इस मार्च तक 7वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ वर्ष के अन्त तक 82,000

किलोमीटर सड़कें पूरी करने के लक्ष्य को हम प्राप्त कर सके हैं। मान्यवर, सड़कों के रख-रखाव और सुधार के बारे में हमारे विभाग की तरफ से काफी प्रयास किये गये ताकि गांवों में सड़कें अधिक से अधिक बनाई जायं, क्योंकि यह हमारा देश और हमारा प्रदेश जो है, इसकी बहुत जनसंख्या गांवों में है। इसलिए सरकार ने यह प्रयास किया कि गांवों में अधिक से अधिक सड़क बनाई जाय।

मान्यवर, इस उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना लागू की गयी और उसके अनुसार गांवों को जोड़ने का प्रयास किया गया और उसमें यह भी प्रयास रहा है कि जो हमारे श्रमिक हैं, गांवों में रहते हैं, बेरोजगार हैं, उन्हें काम मिलेगा और अधिक से अधिक उन्हें रोजगार मिलेगा। मान्यवर, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत अब तक जो काम हुआ है, वह 174 लाख श्रमिक दिवस के रूप में हुआ है।

राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अन्तर्गत 174 लाख श्रम दिवस के रूप में अब तक काम हुआ है जिसमें नगद भुगतान भी हुआ है और खाद्यान्न के रूप में भी भुगतान किया गया है। इससे गांवों में स्थाई निर्माण कार्य भी हुआ है और उससे काफी लाभ हुआ है। मान्यवर, न्यूनतम ग्रामीण योजना में जो कार्य हुए हैं उसमें मार्च, 1986 तक का जो लक्ष्य है उसमें प्रति 1500 से अधिक आबादी के जो गांव हैं उसको जोड़ने में हम काफी आगे बढ़ गये हैं। हमारा लक्ष्य अब 82.07 पहुंच रहा है। एक हजार से 1499 तक जो गांव हैं उसमें 1990 तक हमारा जो लक्ष्य था केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार 50 प्रतिशत जोड़ने का। मान्यवर, अब तक हम 59 प्रतिशत जोड़ने में सफल हो गए हैं। यह हमारे प्रदेश में बड़ा कीर्तिमान कायम हुआ है और इसलिए हमने यह निर्णय लिया है कि उस लक्ष्य को बढ़ाकर 70 प्रतिशत कर दिया जाय। अब इस प्रदेश में हम 70 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बढ़ रहे हैं कि 1990 तक हम 70 प्रतिशत तक जोड़ दें।

मान्यवर, 1985-86 के काम की यदि हम तुलना करें तो पिछले वर्ष में जो बजट का प्राविधान किया गया था और जो काम हुए हैं उससे और अधिक काम इस वर्ष हुए हैं उससे और अधिक काम इस वर्ष में करने का प्राविधान किया गया है। यह बजट परफारमेंस की पुस्तक माननीय सदस्यों को दी गई है उसे माननीय सदस्यों ने पढ़ा होगा इसलिए मैं उसमें ज्यादा समय अपना नहीं व्यतीत करना चाहता। मान्यवर, इस प्रदेश में हाट मिक्स प्लांट द्वारा आधुनिक रूप में सड़कें बनाई जा रही है जिसको मान्यवर, सभी लोगों ने देखा होगा। चाहे वह लखनऊ हो या अन्य बड़े महानगर हों हाट मिक्स प्लांट बहुत ज्यादा दिनों तक टिकाऊ रहने वाली सड़कों का निर्माण कार्य बहुत तेजी से कर रहे हैं। इसके द्वारा सड़कें बनाने के लिए 85-86 में 50 करोड़ रु0 का प्राविधान किया गया था 15 सौ किलो मीटर तक की सड़कें बनाने के लिए। इस वर्ष 86-87 में इसके लिए 60 करोड़ का प्राविधान किया गया है कि इसके माध्यम से सड़कें बनाई जायं। प्रथम चरण में मान्यवर, 6 महानगरियों की सड़कें जैसे लखनऊ, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, गाजियाबाद को प्रारम्भ किया गया। उसके बाद 9 प्रमुख राज्य मार्गों को भी इसमें लिया गया है कि 9 प्रमुख राज्य मार्गों में भी हाट मिक्स प्लांट से काम कराया जाय। इसके लिए समस्त कमिश्नरी के टाउन को लिया गया है जैसे मुरादाबाद, झांसी,

गोरखपुर, फैजाबाद आदि को जोड़ने में भी इसके द्वारा सड़कें बनाने का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार जी0टी0 रोड, रामपुर, नैनीताल रोड, बरेली, इलाहाबाद-प्रतापगढ़ रोड, फैजाबाद रोड बाराबंकी, जरवल रोड, वाराणसी, आजमगढ़ देवरिया गोरखपुर रोड। इन राजमार्गों को भी लिया गया है। इनको अच्छी क्वालिटी का बनाया जा रहा है। क्योंकि इन पर यातायात का भार बहुत बढ़ गया है, इसलिये इनकी दशा सुधारी जाय। मान्यवर, हाट-मिक्स प्लान्ट से जो सड़के बनाई जा रही है, उन पर 50 हजार रुपये प्रति किलोमीटर अधिक खर्च पड़ रहा है। लेकिन उससे हमारी सड़कें बहुत अच्छी बन रही है।

मान्यवर, इस प्रदेश में जैसा मैंने शुरू में निवेदन किया जितनी विभिन्न योजनों के अन्तर्गत सड़कें बननी थी, संसाधन की कमी के कारण उतनी सड़कें नहीं बन पायी है। गांव की तरफ हमारी सरकार का विशेष ध्यान है। हमारी सरकार गांवों को जोड़ना चाहती है, ताकि गांव में रहने वालों की तरक्की हो सके। उनका उत्पादन सही स्थान पर जा सके। इसलिये अधिक से अधिक गांवों को जोड़ने की हमारी सरकार की मंशा है। उस दिशा में विश्व बैंक से पोषित कार्यक्रम तैयार किया गया है। जिसमें यह प्रयास किया गया है कि प्रथम चरण में गोरखपुर, वाराणसी, फैजाबाद और लखनऊ मण्डल के जो जिले हैं, 21 जिलों के ग्रामीण मार्गों को सुदृढ़ किया जाय और वहां पर जाल बिछा दिया जाय। सड़कों को गांव से अधिक से अधिक जोड़ने की बहुत वृहद योजना है, इसके लिये 640 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। इसलिये विश्व बैंक से यह प्रयास किया जा रहा है कि विश्व बैंक से यह योजना पोषित हो जाय। जिससे इस प्रदेश में अधिक से अधिक काम हो सके। यही नहीं कुछ अन्य स्कीमें हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से पोषित कराने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रदेश में सड़कों का अधिक से अधिक निर्माण कराया जा रहा है। इस दिशा में हमारी सरकार का इतना प्रयास है कि पूरे प्रदेश में गांव में सड़कों का जाल बिछा दिया जाय। इस दिशा में हम काफी प्रयत्नशील है।

सड़कों के अलावा भवन निर्माण का भी काम इस विभाग के द्वारा किया जाता है और बहुत ही अच्छे भवन इस प्रदेश में बनाये जा रहे हैं। इसी लखनऊ शहर में अशोक मार्ग पर इन्दिरा भवन 1500 लाख रु0 की लागत से बनाया जा रहा है, सरोजनी नायडू मार्ग पर योजना भवन 554 लाख का बनाया जा रहा है, रायल होटल प्रांगण में गांधी भवन का निर्माण एक हजार लाख से किया जा रहा है। इस वर्ष 86-87 में लगभग 60 करोड़ रुपये के भवन निर्माण प्रस्तावित किये गये हैं। जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। जो कार्य प्रणाली हमारे सार्वजनिक निर्माण विभाग की रही है, उसमें सुधार करने का भी प्रयास किया गया है कि अधिक से अधिक आधुनिक तकनीकी मशीनों का प्रयोग किया जाय और उसी क्रम में हाट मिक्स प्लान्ट और पेवर पद्धति से सड़कों का निर्माण शुरू किया गया है।

इसके अलावा मान्यवर, कैम्प आफिस की भी स्थापना की गयी है ताकि इस विभाग के अधिकारी फील्ड में जाकर काम करें, जिससे कि जो वहां कार्य हो रहा है, उसे सही ढंग से सुपरवाइज कर सकें और किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो सके। मान्यवर, यह भी प्रयास किया गया है कि

जो सड़कों के निर्माण के लिए जो मैटीरियल होता है, उसको खनिज विभाग के माध्यम से लिया जाय, मण्डलीय विकास निगम के माध्यम से लिया जाय । कुमायूं और बुन्देलखण्ड में जो ठेकेदार हैं, उनके माध्यम से न लिया जाय, जिससे अच्छी क्वालिटी मिले और निर्माण कार्य अच्छा हो । गुणवत्ता का महत्व बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है । मान्यवर, इसके लिए जिला स्तर पर वयोगशालाओं की भी स्थापना की गई है जिससे कि वहां पर परीक्षण हो सके और निर्माण कार्यों में अच्छा मैटीरियल लगे । मान्यवर, स्थानीय (लोकल) सामग्री के उपयोग के लिए भी एक नयी स्कीम के अन्तर्गत प्रयास किया गया है कि जिसमें 26 जिलों की रिपोर्ट तैयार की गयी है कि वहां पर कौन से ऐसे लोकल सामान उपलब्ध हैं, जिसका निर्माण कार्य में प्रयोग किया जा सकता है और उससे अच्छी क्वालिटी मिल सकती है ।

मान्यवर, राज्य सेतु निगम एक अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति का निगम है जिसने हमारे प्रदेश की ही नहीं पूरे देश को दुनिया में ख्याति प्रदान की है । इस राज्य सेतु निगम की स्थापना सन् 1973 में की गयी थी । मान्यवर, स्थापना के समय केवल 1.5 करोड़ की पूंजी इस निगम के पास थी । जबकि सन् 1985 में 324 करोड़ रुपये के 458 काम इस राज्य सेतु निगम ने 70 पुलों के निर्माण का काम पुरा किया। इस समय इस सेतु निगम पर जो कार्यभार है, वह 60 करोड़ का है । मान्यवर, यह भी बताना चाहूंगा कि सन् 1984-85 में भी इस सेतु निगम ने 52 सेतु के निर्माण का कार्य पूरा किया था । आपको गौरव होना जाहिए कि सेतु निगम ने प्रदेश ही नहीं सारे देश का नाम दुनिया में बढ़ाया है । आपको इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। मान्यवर, यह निगम हिन्दुस्तान के सभी प्रान्तों में ही नहीं विदेशों में, ईराक में भी महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है । इस निगम ने 105 करोड़ रुपये के 26 सेतु मान्यवर, ईराक में बनाए हैं और फिर ईराक में दरवेदी खान सेतु 3 करोड़ रुपये की लागत का प्रगति पर है । जशन भंडारी मार्ग पर 6 करोड़ रुपये से और वसरा में गामी सेतु का काम 100 करोड़ रुपये से करने के लिए सेतु निगम प्रयास कर रहा है । मान्यवर, अन्य प्रदेशों में भी 50 करोड़ की 10 बड़ी योजनाओं का निर्माण कार्य सेतु निगम ने किया है। मान्यवर, केरल में इस सेतु निगम ने बहुत ही अच्छा काम किया है । त्रिवेन्द्रम के स्टेडियम में बड़ी ही गुणवत्ता से काम करके और समय से पूरा काम करके इस निगम ने वहां के मुख्य मंत्री से भूरि-भूरि प्रशंसा पायी है और वहां के मुख्य मंत्री ने यहां की सरकार को उनके लिए प्रशंसा पत्र लिखा है। मान्यवर, इस निगम ने नेपाल में भी 10 करोड़ रु0 का काम किया । बहालपुर और महाखाली प्रोजेक्ट का काम इसके पास है । मान्यवर, इस निगम ने नेपाल में 21 सेतुओं का काम पूरा कर लिया है । राप्ती सेतु काम, जो 2 करोड़ की लागत का था, इस निगम ने 16 महीने के अल्पकाल में पूरा कर लिया।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त यहां एक और निगम है, वह है राजकीय निर्माण निगम । इस निगम की स्थापना 1975 में हुई थी । इस निगम ने 126 लाख की पूंजी से काम शुरू किया था । इस समय इसका कार्यभार 70 करोड़ रु0 का है । मान्यवर, इसके अतिरिक्त यह निगम काफी लाभ में चल रहा है । वित्तीय वर्ष 1985-86 में, जो काम किये गये हैं, उसमें 5 करोड़ रु0 लाभ होने की आशा

है निगम को लगभग 400 प्रतिशत लाभ मिला है । मान्यवर, मुझे यह कहते हुए गर्व है कि प्रदेश में कोई भी ऐसा निगम नहीं है, जिसने इतना अधिक लाभ अर्जित किया हो । मान्यवर, केन्द्रीय शासन के प्रतिष्ठानों के कार्य भी इस निगम ने लिये हैं, जो लगभग 20 करोड़ लागत के हैं। इनमें एक काउंसिल आफ साइन्टिफिक रिसर्च के अन्तर्गत गाजियाबाद में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेन्टर (शोधशाला) का निर्माण तथा दूसरी चण्डीगढ़ में स्थापित की जाने वाली मार्कोबाइल शोधशालाओं के निर्माण का कार्य है । मान्यवर, अब तक इस निगम ने लगभग 466 करोड़ रु0 की लागत के कार्य प्राप्त किए हैं, जिनमें से लगभग 282 करोड़ रु0 की लागत के कार्य सितम्बर, 1985 तक पूरे किये जा चुके हैं । मान्यवर, इस निगम का कार्य क्षेत्र केवल प्रदेश ही नहीं है अपितु प्रदेश के बाहर भी यह राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहा है । मान्यवर, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इस निगम ने आधुनिक प्रणाली को भी अंगीकृत किया है जिसके अन्तर्गत अब आगणन कम्प्यूटर द्वारा बनाये जा रहे हैं, कम्प्यूटर द्वारा पर्ट की प्रणाली विकसित की जा रही है, जिससे कि कार्य की क्वालिटी दिनों दिन बढ़ती जा रही है ।

मान्यवर, इसके बाद मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग में प्रशासनिक कार्यवाही की बाबत यह बताना चाहूंगा कि जिस अधिकारी के खिलाफ कोई शिकायत मिली है, उसमें इस विभाग ने आवश्यक कार्यवाही की है । जनवरी, 1985 से अब तक दण्डित अधिकारियों/कर्मचारियों के बारे में मैं यह बताना चाहता हूं कि 33 राजपत्रित अधिकारी और 20 कर्मचारियों को चेतावनी दी गयी, 46 राज0 अधिकारी और 21 कर्मचारियों को निन्दित किया गया, 25 राज0 अधिकारियों और 17 कर्मचारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी, 5 राजपत्रित अधिकारियों और 14 कर्मचारियों की वेतन वृद्धि रोकी गयी, 12 राजपत्रित अधिकारियों और 11 कर्मचारियों का सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र रोका गया । 6 अधिकारियों और 7 कर्मचारियों ने जो गड़बड़ी की थी, उसकी उन से वसूली की गयी, 24 राजपत्रित अधिकारियों और 16 कर्मचारियों को निलम्बित किया गया, 1 राजपत्रित अधिकारी और 3 कर्मचारियों को सेवा से पृथक किया गया । 46 राजपत्रित अधिकारियों की पदावनति की गयी । इसके अलावा 3 सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर की स्क्रीनिंग करके, उन्हें सेवा से मुक्त किया गया । मान्यवर, इस तरह से इस विभाग ने यह प्रयास किया है कि जहां कहीं भी किसी अधिकारी कर्मचारी का दोष पाया गया, उसमें कार्यवाही की जिससे कि अच्छे से अच्छा काम हो सके।

मान्यवर, इस प्रकार सड़कों का निर्माण, उनका पुनर्निर्माण, उनकी देखरेख, पुलों का निर्माण, उनका पुनर्निर्माण, उनकी देखरेख और भवनों का निर्माण तथा उनकी देखरेख आदि सभी चीजें इस विभाग के माध्यम से की जा रही हैं । यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और बहुत ही महत्व पूर्ण कार्य विकास संबंधी इस विभाग के द्वारा किया जा रहा है । इसलिए मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वह इस बजट को सहर्ष स्वीकार कर पारित करें ।

श्री मोहम्मद मसूद खां –

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-71-सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-72-सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति का आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-73-सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास) के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति का आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 74-सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-75-सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभीगीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैंने मंत्री जी के भाषण को सुना और उन्होंने काफी आंकड़े भी दिये । मैं इस विभाग के सिलसिले में अपना कटौती का प्रस्ताव इसलिए पेश कर रहा हूं कि इस विभाग में जो कमियां हैं वो दूर हो सकें । मान्यवर, उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां 80 फीसदी लोग देहात में रहते हैं । अगर यह कहा जाय कि यह प्रदेश देहात का प्रदेश है। उनकी तरक्की उनको ऊपर उठाना किसी और जरिये से मुमकिन नहीं है । सिवाय इसके कि देहातों को शहरों और कस्बों से सड़कों और पुलों से जोड़ दिया जाय अगर देहात को जोड़ दिया जाता है तो सिर्फ देहात ही तरक्की नहीं करेंगे बल्कि जुड़े हुए शहर और कस्बे भी तरक्की करेंगे । यह एक ऐसी जादू की छड़ी है, जिसके जरिए से पूरा प्रदेश तरक्की कर सकता है ।

प्रदेश में सबसे जटिल समस्या बेकारी और बेरोजगारी की है । जिस दिन से काम शुरू होता है लोगों को रोजगार मिल जाता है । जब सड़क और पुल बन जाते हैं तो उनके बनने से तमाम गुमटी और दुकानें वगैरह बन जाती हैं, जिससे भी लोगों को रोजगार मिलता है । जर्मन के एक फिलास्फर ने कहा है कि अगर सड़क और पुल बना दिये जायं तो किसी इलाके में तहजीब और सभ्यता भी सड़क और पुल से जानी जाती है। दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे प्रदेश में जो काम हुआ, अन्य प्रदेशों की तुलना में काफी कम है । हरियाणा में प्रति एक लाख की आबादी पर 175 कि0 मी0 सड़क है, पंजाब में 246 कि0 मी0 है, कर्नाटक में 211 कि0 मी0 है, मुल्क का पूरा औसत 114 कि0 मी0 है, जबकि हमारे प्रदेश में सिर्फ 58 कि0 मी0 है । जो कार्य किया गया वह ऐसा मालूम होता था जैसे प्रदेश मे इसकी कोई अहमियत है ही नहीं । एक आंकड़ा रखना चाहता हूं । प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो वर्ष 1951-56 तक थी, उसमें इस कार्य के वास्ते सिर्फ 5.51 करोड़ रु0 रखा गया, दूसरी पंचवर्षीय योजनाकाल वर्ष 1956-61 में इसमें

14.53 करोड़ रु0 रखा गया, तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल वर्ष 61–66 में 28.7 करोड़ रु0 रखा गया, इसके बाद तीन वर्षीय योजनाकाल में वर्ष 1966 से 69 में 16.99 करोड़ रु0 रखा गया, चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाकाल वर्ष 1969–74 में 71.51 करोड़ रु0 रखा गया, वर्ष 74-75 में 18-6 करोड़ रु0 रखा गया, वर्ष 76-77 में 34.87 करोड़ रु0 रखा गया। यानी वर्ष 1977 तक सिर्फ 213.70 करोड़ रु0 इस पर खर्च किया गया है। इसी से जो सड़कें बनीं वह इतनी कम बनीं जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया है। आप जो आंकड़े देते हैं, उसमें बड़ी सफाई के साथ काम का होना बताते हैं। यह तो दिखा दिया कि वर्ष 1947 में 15113 कि0 मी0 सड़क थी, उसके बाद तुरन्त 86-87 पर चले आये। पहली बार वर्ष 1977 में इस विभाग में इस कार्य की अहमियत महसूस की गयी। उसी के पेशे-नजर जो काम बनाया गया, वह पहला काम यह किया गया कि 1977 से पहले, मैं आंकड़े देकर यह सुझाव देना चाहता हूं कि पी0 डब्लू0 डी0 का कोई काम हो नहीं सकता जब तक कि पहली चीज यह न निकले कि जो साल शुरू होता है उससे पहले पुराना बकाया क्या है।

मैंने सारी किताबें देखी हैं वर्ष 80 के बाद। मैं इस उम्मीद में था कि मा0 मंत्री जी अपने भाषण में 31 मार्च, 1986 तक कितना काम बकाया था, यह बतायेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। चौथी पंच-वर्षीय योजना और पांचवीं पंचवर्षीय योजना, इन सब में मिलाकर मैदानी क्षेत्र में 94.85 करोड़ रु0 का काम बकाया था और पहाड़ी क्षेत्र में 80.63 लाख रु0 का काम बकाया था। 1977 से पहले मैदानी क्षेत्र में 17.62 और पहाड़ी क्षेत्र में 4.2 1/2, उसके बाद की सड़कें बनायी गयीं तो इसके लिए मिसिंग ब्रिज निकालना पड़ता है। मिसिंग ब्रिज था 277। 1977 में जो योजना बनायी गयी थी वह उस हिसाब से बनायी गयी थी कि पहले का बकाया कितना था ? उसके बाद 1500 की आबादी से ऊपर कितने गांव हैं 1977 में पहली बार यह चीज निकाली गयी कि इतनी आबादी के कितने गांव हैं जिसकी कास्ट 198.65 लाख रु0 आ रही थी, जिसका मुस्तकिल हल हर साल की तकरीर में आता है कि 120 लाख रु0 कास्ट आ रही थी।

इसमें तीन बातें देखने की हैं कि 1977 के पहले का बकाया कितना था ? दूसरे मिसिंग लिंक और ब्रिज कितने हैं और तीसरे 1500 आबादी के कितने गांव ऐसे हैं जिन्हें कि सड़कों से जोड़ा जाना शेष है ? एक हजार से पन्द्रह सौ आबादी जिन गांवों की है वह और मुसल्लम पिछला बकाया लेकर जो कास्ट आयी वह 630.12 करोड़ रु0 की कास्ट आयी।

छठी पंचवर्षीय योजना के खतम होने तक आपके यह गांव जुड़ जाने चाहिए थे तब तो समझ में आता कि काम हो गया। अगर छठी पंचवर्षीय योजना में यह गांव आपके विभाग द्वारा सड़कों से जोड़ दिये गये हैं तो समझिये कि विभाग ने काम किया है और हमको भी उसका गुण गाना चाहिए लेकिन अगर ये गांव अभी तक नहीं जोड़े गये हैं तो देखना यह है कि यह काम क्यों नहीं हुआ ?

पिछली बार श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने कहा था कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के खतम होने तक 1500 आबादी तक के सारे गांवों में से आधे गांव सड़कों से जोड़ दिये जायेंगे। आपने यह काम पांच साल लेट कर दिया है। यदि अब भी आप अपने

विभाग की झूठी तारीफ करेंगे तो कैसे काम चलेगा ?

आप प्रदेश के हित को सामने रख कर उसके बाद देखिये कि कितना काम है और क्या कमी है और उस कमी को कैसे दूर किया जाय? तभी आपका प्रदेश तरक्की कर पायेगा।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि जो सुझाव मैं उनको दे रहा हूं यदि उनकी नेक नियत है तो 31 मार्च, 1986 तक मौजूदाशुदा जितनी सड़कें हैं उनको पेन्ट के स्टेज तक, मिट्टी डालने की स्टेज तक नहीं, क्योंकि सड़क बनाने में कई काट किये जाते हैं जब वह बनानी शुरू की जाती है, तो उसे पेंट की स्टेज तक ले जाया जाय। आप अपने विभाग को डाइरेक्शन दीजिये कि 31 मार्च, 1986 तक उस वक्त तक की जो मौजूदशुदा सड़कें हैं उनको पेन्ट तक काम करके मुकम्मल कर दिया जाय। उसके बाद आप निकालिये कि आपकी सड़कों के कम्पलीट करने में, मिसिंग कितनी हैं। मैंने देखा है कि एक किलो मीटर सड़क इधर बना दी गयी और एक किलो मीटर सड़क उधर बना दी गयी और बीच में दो किलो मीटर तक की सड़क को छोड़ दिया गया। इसलिए सड़कें बनाने से कोई फायदा नहीं है, आप मिसिंग लिंक को बनवायें। आप 31 मार्च, 1986 तक देखें कि कितनी मिसिंग लिंक है। 31 मार्च, 1986 तक जितनी सड़कें मंजूर की गयी हैं उनमें मिसिंग लिंक कितनी हैं। एक दूसरी बात यह है कि सड़कें बन गयी हैं, लेकिन पुल नहीं बने हैं, नहरों पर पुल नहीं हैं इसलिए सड़कों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इससे नुकसान होता है। आप मिसिंग ब्रिज को बनवायें। आप इन तीन चीजों को पहले लें और जो कास्ट आती है मिसाल के तौर पर कि 10 करोड़ की कास्ट आती है और 5 करोड़ का परव्यू है, तो आप कोई गाइड लाइन बना लें। आप 10 करोड़ रुपये की पूर्ति कितने दिन में कर पायेंगे। कास्ट बढ़ती चली जा रही है। अगर 1982 में इनका निर्माण हो जाता तो 620 करोड़ रुपये में हो जाता, और अब 1620 करोड़ में भी इनका निर्माण नहीं होगा। इस चीज को आप निकालें और नये काम इस तरह से मंजूर कर कि कुछ रुपया जो बचता है उसको लैंड एक्वीजिशन के लिए रख लिया जाये। स्कीम नं0 2 से 5 तक ऐसी सड़कें बनी थीं कि उस समय जो खुशी से जमीन दे देता, तो बनती और अगर उसका शुद्धीकरण करना है, तो आपको जमीन एक्वायर करनी पड़ेगी। कोई भी आदमी खुशी से जमीन नहीं देता है, यह नामुमकिन है। इसलिये आप कुछ पैसा जमीन एक्वीजिशन के लिये रखें।

आप अर्थ वर्क उतने पर करावें जितने पर तो जो भी सड़क आप बनायें उसको पेंट दूसरे साल खड़ंजा वर्क पूरा हो जाये। स्टेज तक ले जायें। मान्यवर मैं बताना चाहता हूं कि पूर्व में बनारस है, वहां पर घाट होते हैं और वहां पर लोग मुण्डन के लिए जाते हैं और नाई जो है वह 10 आदमियों के थोड़े-थोड़े बाल छील देता है, और सभी को फंसाये रखता है। आप सड़कें भी उसी तरह से नहीं बनवा रहे हैं। स्कीम नं0 2 से 5 तक की सड़कें अब नहीं रहनी चाहिये, उनको बन जाना चाहिये था, परन्तु वह विभाग की नाइन्तजामी के कारण नहीं बन सकी हैं। आप यह कर दें कि इस स्कीम का काम शुरू कर दिया जाये और इस समय

तक समाप्त हो जाये और यह समय 3 साल से अधिक का न दिया जाये और अगर 3 साल में यह सड़क नहीं बनती है तो आप समझ लें कि कहीं न कहीं कोई कमजोरी जरूर है। सड़क पर मिट्टी पड़े, खड़ंजा लगे और वह पेंट हो, इसमें 3 साल से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिये, और अगर लग रहा है तो आपको देखना चाहिये, कहीं पर कमी है। काम बड़ी आसानी से होता है और आंकड़े ज्यादा दिये जा रहे हैं। आपके विभाग के आंकड़ों का कोई महत्व नहीं है, आप उन पर मत जायें वरना 1990 तक इतनी सड़कें बनी हुई दिखा देंगे जितना कि उत्तर प्रदेश का रकबा नहीं है। आप अपने स्तर से हर तीसरे महीने सड़कों का फिजिकल बेरीफिकेशन जरूर करावें। बड़े फर्जी आंकड़े आते हैं।

मान्यवर, जिला योजना की मीटिंग जब मैं 2-3 मरतबे पहुंचा अपने विधायकों के साथ तो पता यह चला कि जिला योजना में एन0आर0ई0पी0 का जो पैसा है, एक सड़क कई विभाग बना रहे हैं। सड़क एक ही है और पैसा कई विभाग निकाल रहे हैं। तो अब तक तो मैं फर्ज समझता था लेकिन 7 तारीख को माननीय उपाध्यक्ष जी की तकरीर सुनी उसमें उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग में बड़े जोर से दलीलों को देते हुए यह कहा कि 1500 से ऊपर के सारे गांव, 1000 से 1500 की आबादी तक के सारे गांव सन् 90 तक जोड़ देंगे, तो आपके पास क्या बचेगा। यह डुप्लीकेसी हो रही है इससे बचने के वास्ते मेरा सुझाव है अगर मानें तो, इस पर अमल करें। एक हजार और 15 सौ की जो सीमा आपने बांधी है इसकी सीमा को किसी दूसरे विभाग को मत टच करने दीजिए। और आर0 ई0 एस0 से कह दीजिए कि एक हजार से नीचे के बहुत गांव हैं, आबाद गांव तो एक लाख तेरह हजार से ऊपर हैं, उन सबको जोड़ना है, उनसे कह दीजिए उनको जोड़ें। मुझको पूरा यकीन है और विश्वास है कि सन् 1990 तक यह जितने आबादी के गांव हैं सब के सब जोड़े जा सकते हैं।

मान्यवर, तकलीफ के साथ कहना पड़ता है, विश्वास मानिये मैंने खुद इतनी स्टडी नहीं की थी, सिर्फ ख्वाहिश थी कि जान जायं कि पी0डब्लू0डी0 के ऊपर कर्जा कितना है। चाहे व्यक्ति हो चाहे विभाग हो जब तक कर्जा न मालूम हो तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। मान्यवर, सारी किताबें देखी। बड़े हश्र से हर साल किताब छपती है एक साल कि0मी0 को देते हैं और दूसरे साल रुपयों को देते हैं तलाश करते हैं तो मिलता ही नहीं। परेशान होकर मैंने नेता विरोधी दल के माध्यम से विभाग को एक पत्र भेजा था उन्होंने उसमें एक लाइन बना दी थी और उस लाइन के हिसाब से सूचना मांगी थी। लिखित सूचना तो नहीं आई जबानी सूचना आई कि साल भर लगेगा इस चार्ट को भरने में। उसमें था कि 31 मार्च को सन् खत्म होता है उस वर्ष तक का पेंडिंग वर्क क्या है, उस वर्ष का टोटल बजट क्या है उस टोटल बजट में पेंडिंग वर्क का कितना धन है, मिसिंग लिंक में कितना है मिसिंग ब्रिज को पूरा करने में कितना धन लगा रहे हैं लैंड के एक्वीजीशन में कितना धन रख रहे हैं, नये अर्थ वर्क में कितना लगा रहे हैं, खड़न्जे में क्या लगा रहे हैं, पेन्ट स्तर पर क्या लगा रहे हैं। जब तक आपके पास यह चार्ट नहीं होगा तब तक आप 100 साल तक वहां रहेंगे जहां

पहले थे। मैं माननीय मंत्री जी से जानकारी हासिल करना चाहता हूं कि साल भर इसमें लगेगा तो तब तक तकरीह बनाकर इसको भेज दें ताकि मैं कोई स्पष्टीकरण चाहूं तो मिल सके। मुमकिन है कि उन्होंने गलत इत्तिला दी हो।

मान्यवर, एक एस0ई0 प्लानिंग "हेडक्वार्टर है" आपके। अगर आप सही काम सड़कों का चाहते हैं तो हर जिले में, इस वास्ते मैंने अपने जिले में देखा है कि जिला योजना का पैसा सिंचाई विभाग को दिया गया और साल के आखिर में उन्होंने बताया कि हमने सड़क बना दी तो हर जगह सड़क ही बन रही है, डुप्लीकेसी हो रही है। उससे

[2 बजकर 20 मिनट]

बचने के लिये मेरा सुझाव है कि हर जिले में एक असिस्टेंट इंजीनियर या एक्जीक्यूटिव इंजीनियर आप रख दें जो कि इन्डिपेंडेन्टली इस कार्य को देखे। वह किसी डिवीजन के मातहत न हो। जहां एक से ज्यादा डिवीजन हैं और किसी डिवीजन का आदमी जिला योजना को रिप्रेजेन्ट कर रहा हो तो वह खाली अपने डिवीजन का कार्य मंजूर कराये। इस तरह से प्रदेश में हर जिले में आप एक असिस्टेंट इंजीनियर या एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के लेवल का अफसर रखिये जो सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर से अटैच हो। वह सिर्फ एक काम करके कि पूरे जिले में जितनी आबादी के गांव हैं वहां जाने के वास्ते चाहे सम्पर्क मार्ग हों या बड़े मार्ग हों, जैसे आपका इंटीग्रेटेड प्लान रोड एक हजार का है जो बहुत पहले का बना हुआ है, उससे गांवों की सूरत बदली हुई है, उसी तरह से वह नक्शा बनायें। चाहे दो सौ की आबादी के गांव हों या चाहे जितनी आबादी के गांव हों, वह बनायें कि उन सब में जाने के लिये क्या रास्ता होगा। लिहाजा इस तरह से आप उसका एक मुहकमा खोलिये। उसके बाद डाइरेक्शन दीजिये। जिले-जिले में चकबन्दी हो रही है, रेवेन्यू सेक्रेटरी के माध्यम से या किसी के माध्यम से। तो चकबंदी में वह नक्शा जाय। वहां से यह हो जाय तो उसी समय जो जमीन रोड के लिये छूटे, वह छोड़ दी जाय। अगर इस तरह से वह जमीन छोड़ दी जायेगी तो आज जो झगड़ा इस जमीन को लेकर होता है वह न हो। इसके लिये जिलाधिकारी को हेड बना दिया जाय। उनसे यह कहा जाय कि साल के आखिर में वह यह देखें कि जहां चकबंदी हो रही है वहां नक्शा गया या नहीं। अगर नहीं गया तो उसके लिये वह रिस्पोंसिबिलिटी फिक्स करें और अगर गया है तो पी0 डब्लू0डी0 वालों की रिस्पोंसिबिलिटी फिक्स करें। इसलिये मेरा सुझाव है कि आप इस सिलसिले में असिस्टेंट इंजीनियर या एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हर जिले में रखिये।

एक सम्बन्ध में मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप अच्छे सलाहकार रखें। मुख्य मंत्री जी के तीन सलाहकार हैं, उसमें मुझे एतराज करने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन एक अफसर या एक सलाहकार इस बात के लिये जरूर होना चाहिए कि वह क्वालिटी वर्क के बारे में सही रिपोर्ट दे। किसकी गलती से वह कार्य गलत हुआ। हमेशा यह ख्वाहिश होनी चाहिए कि हमारा अफसर मौके पर विजिट करे और क्या कमी आती है, इसको वह देखे। इस सम्बन्ध में कई कम्प्लेंट आती हैं। कम्प्लेंट कई तरह से आती हैं। कभी यह होता है कि किसी के नाराज होने पर कम्प्लेंट आती है, ठेकेदार नाराज हो जाय तो कम्प्लेंट होती है। तो इसको भी देखना चाहिए। साल भर में

10/5 आपका विभाग करता है। साल भर का फिजिकल वर्क का वेरिफिकेशन होना चाहिए।

एक सुझाव और देना चाहता हूं कि 1986-87 आ रहा है। नक्शा बना लीजिये कि बजट पास होने पर क्या काम आप कर रहे हैं। हर तीसरे महीने फिजिकल प्रोग्रेस क्या होनी चाहिए, वह बना दें। उसको अपने मंत्रि-मंडल को दे दें और विभागीय अधिकारियों को भी दे दें। उसमें यह शर्त लगा दें कि जब वे जिले के अंदर जांय तो यह देखें कि उस कार्य की क्वालिटी और फिजिकल प्रोग्रेस क्या है। इससे काम बढ़ेगा और इसका सबूत मैं बताता हूं। सन् 77 में इस प्रदेश का फिजिकल प्रोग्रेस कराया गया था। उसका नतीजा यह हुआ कि सन् 74 से 75 तक 1228 किलोमीटर सड़कें बनी और उसकी लागत 18.6 करोड़ आयी थी। 75-76 में 1060 किलोमीटर बनीं जिसकी लागत 24.6 करोड़ आयी। 76-77 में 1545 किलोमीटर सड़कें बनी जिसकी लागत 34.87 करोड़ आयी थी। तो मान्यवर, इस तरह से तीन सालों में यानी 74 से 77 तक 3733 कि0मी0 सड़क की 76.99 करोड़ रु0 लागत आई और जब 1977-78 में फिजिकल वेरीफिकेशन हुआ, चैकिंग हुई और हर काम को ठीक कराने की कोशिश हुई तो नतीजा यह हुआ कि 4423 कि0मी0 सड़क बनी और फिर आप गौर करें कि 3733 कि0मी0 सड़क की लागत 76.99 करोड़ रुपया और उसके बाद जब कि हर साल कास्ट 10 से 15 परसेंट बढ़ जाती है तो फिजिकल चैकिंग के बाद क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में सुधार हुआ और सवा-गुना ज्यादा काम हुआ और लागत उसको सिर्फ 51.76 करोड़ रुपया आयी। प्रदेश को ऊपर उठाने की बात है, उसको तरक्कीयाफ्ता बनाने की बात है, आरामतलबी को छोड़ना पड़ेगा खुद आपको और आपके कर्मचारियों को भी।

हम जनता की गाढ़ी कमाई को उसमें लगाते हैं अगर उसका 100 फीसदी इस्तेमाल नहीं हो उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी खराब हो तो दूसरे मुल्कों को हम मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाते हैं। इसमें आपको सब का सहयोग लेना चाहिये। हम सहयोग देने के लिए तैयार हैं। इसके लिए आराम और अय्याशी को छोड़ना पड़ेगा। आप अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी दीजिये कि इस तरह से काम करने पर यह सजा मिलेगी। काम करने के लिए तुमको तनखाह और भत्ता मिलता है। इसके बाद अगर शिकायत हो कि 100 रु0 में 30 या 40 रु0 लग रहा है तो यह बरदास्त नहीं होगा। इसको दूर करने के लिए फिजिकल चैकिंग क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों की कराना जरूरी है। आपका हर मंत्री चाहे उसके पास यह विभाग हो या न हो जब वह बाहर जिलों में दौरे पर जाते हैं तो उनके लिये यह आसान है कि वह देखें कि ठीक काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। विधायकों को कहिये, अपने ही दल के लोगों को कहिये, कि जिले में में जो काम हो रहे हैं उनको वह देखें। इसमें किसी दल की बात नहीं है प्रदेश के हित में काम होने की बात है। इससे प्रदेश तरक्की करेगा। आज सड़कों की क्या हालत है कितनी गंदगी रहती है जिससे सैकड़ों जर्म्स नाक और कान के जरिये निकाल जाते हैं आपके शरीर में। मान्यवर, मैं आपके जरिये एक गुजारिश करना चाहता हूं एक काम जो 31 मार्च को खतम होना है जैसे सड़क बननी है उसकी

कटाई करनी है अगर सड़क पर कहीं आपको गिट्टी रखी हुई मिल जाय तो वहीं पर आप फौरन चाहे एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हो, या एसिस्टेंट इंजीनियर हो चाहे जूनियर इंजीनियर हों सस्पैंड कर दीजिये । इस वास्ते कि क्या बात है सामान क्यों पड़ा हुआ है। इससे करप्शन बढ़ता है वही गिट्टी दूसरे साल दूसरों जगह पर चली जाती है।

ब्रिज कारपोरेशन की बड़ी तारीफ की गयी लेकिन एक चीज का जवाब दें, मैं भी उसके काम से संतुष्ट हूं औरों से कुछ बेहतर है लेकिन जितना काम होना चाहिए वह नहीं हो रहा है। 1978 में गालविन ब्रिज कारपोरेशन ईराक भेजा गया, मैनेजिंग डायरेक्टर साहब वहां गये और लौट कर चले आये और उन्होंने कहा कि जर्मनी की फर्म के आगे हमें ठेका नहीं मिला । लेकिन जो मंत्री थे मैं नाम नहीं लूंगा उन्होंने उनसे कहा आपको सस्पेंड कर दिया जायेगा वर्ना आप फौरन जाइए और एक रुपए का ठेका ही सही लेकर आईए । तब जाकर आपको काम मिला । तो शायद एक हफ्ते या एक महीने के अन्दर वहां गये तो एक रुपए का ठेका तो नहीं बहरहाल ठेका लेकर लौटे । मैं तारीफ करूंगा अगर आपका यह विभाग ईराक के अलावा किसी दूसरे मुल्क में गया हो आप बता दें । जो सिर्फ ईराक में रह गया है । सिंगापुर और मलेशिया देखकर आया हूं, वह मुल्क ठेके लेकर काम करते हैं और अपने मुल्क की बेरोजगारी दूर कर रहे हैं । लेकिन आप केवल एक ही मुल्क में फंसकर रह गये हैं । यह करोड़ों रुपये का वहां से सामान लाते हैं और वहां से फ्रांस और अमेरिका घूमने जाते हैं, तो यह ठीक नहीं है । टेक्निकल के लिए जांय लेकिन फिजूलखर्ची के लिए नहीं जाना चाहिए। यह ठीक है कि वहां कर्मचारी यहां के काम करते हैं तो अपने दोस्तों के लिए तोहफे लायेंगे लेकिन विभाग के फंड से वी0 सी0 आर0 खरीदें तो इस पर रोक लगायें ।

मान्यवर, इंजीनियर और डाक्टर आज नौकरी के लिए यहां सिफारिश के लिए घूमते हैं, ऐसा कहीं नहीं होता है और उनको विदेशों में लाभ मिल सकता है और उत्तर प्रदेश का डिप्लोमा होल्डर बेकार नहीं रह सकता है । दूसरे देशों में भी आप ठेकेदारी प्रथा पर काम करा रहे हैं जो नही होना चाहिए ।

मान्यवर, मैं इस सम्बन्ध में दो सुझाव देना चाहता हूं । यदि यह सूचना है तो बतायेंगे कि क्या यह सही है कि करोड़ों रुपए का माल खरीदा गया, क्या किसी विशेष फर्म से सामान मंगाया जाता है और सामान बंदरगाह पर पड़ा रहता है जिससे फरवरी में 28 लाख रुपए डैमरेज का सरकार को देना पड़ा है ।

मान्यवर, दुनिया के और देशों में आप जायें तो पायेंगे कि मिडिल ईस्ट में काम हो रहा है, सिंगापुर और मलेशिया में काम हो रहा है, तो वहां 10 से 30 प्रतिशत हिन्दुस्तानी मजदूर हैं जो आपकी मदद करेंगे । यदि इस तरह से आप काम करें तो हमारी इस विभाग के लिए तारीफ सुरक्षित समझें।

मान्यवर, निर्माण निगम के काम में तेजी थी लेकिन अब वह नहीं है और फिजूलखर्ची आ गयी है। मान्यवर, इनके यहां जो कर्मचारी 10-10 वर्षों से काम कर रहे हैं उनको यह निकाल देते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं ऐसा क्यों करते हैं? 1978 में पालिसी तय की गयी थी कि 240 दिन जो मजदूर काम कर लेगा उसको नहीं निकाला जायेगा। तो मेरा कहना है कि कोई काम तो समाप्त हो जाता है लेकिन विभाग तो नहीं

समाप्त होता है, इसलिये दूसरी जगह जब काम होगा तो उसको वहां लगायें। मेरे पास एक पेम्फलेट आया है कि 10 साल से जो काम कर रहे हैं उनकी आप छटनी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए।

मान्यवर, राज्य संपत्ति विभाग भी इसी विभाग में है, बजट भी इसी में है और यदि न हो तो भी मेरी बात आप सुनें। राज्य संपत्ति विभाग बड़ा निकम्मा विभाग हो गया है, इसको ठीक करें। इसलिये ठीक करें कि यदि विधायकों, जन-प्रतिनिधियों का निवास ठीक नहीं होगा तो उत्तर प्रदेश में क्या चीज ठीक आप करायेंगे। हम लोगों को कष्ट क्या हो रहा है, इसके संबंध में नहीं कहूंगा लेकिन मसविरा दूंगा कि कभी-कभी उस निवास को आप देख लें जहां विधायक रहते हैं, इतने दिनों से लोगों का अनएथाराइज्ड अकूपेशन हो उसको भी आप देखें। एक भारत सरकार का जी0ओ0 है कि अगर कोई भी डिप्लोमा होल्डर या इंजीनियर बेकार है और वह कोई ठेका लेना चाहता है या विभाग में अन्य कोई कार्य चाहता है, तो उससे जमानत नहीं जमा कराई जाएगी, किन्तु आपके विभाग में उसका अमल नहीं हो रहा है। एक तो इंजीनियर के प्रति हमारा फर्ज है कि हम उसको बेकार न रहने दें, लेकिन यदि किसी कारण बेकार है, हम काम नहीं दे सकते हैं तो जो काम आपको दूसरी एजेंसी से लेना है, उसमें उन लोगों को काम दीजिए। इससे आपका प्रदेश और देश विकास करेगा।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आप इस विभाग को प्रमोशन, ट्रांसफर और फोर्स्ड् रिटायर्मेंट इन तीनों मामलों में पौलिटिकल रंगत न दीजिए यानी इन कार्यों को आप पालिटिकल ग्राउन्ड्स पर न कीजिये। आपका कोई दुश्मन भी है तो इंसाफ उसके साथ किजिए। उसको बेजा जहमत में न डालिये और दोस्त भी है तो उसको बेजा रियायत न दीजिए। प्रमोशन, ट्रांसफर और फोर्स्ड् रिटायरमेंट के मामलों में आपकी अपनी एक पक्की नीति बना लीजिए और नीति बनी भी हुई है, और आप उनका पूरी तरह से पालन करिये, वह चाहे कोई भी हो। मुझे यह बताया गया है कि आपके विभाग में कोई एस0ई0 राम प्रकाश साहब हैं, जिनको फोर्स्ड् रिटायरमेंट दे दिया गया है। तीन को किया गया है, उसमें एक साहब यह भी हैं। आप गलत अधिकारियों को बख्शिये नहीं, लेकिन सही आदमी को गलत तरीके से न निकालिये। रिटायरमेंट के मामले में एक जी0ओ0 निकला है, संख्या 13/48/85-26-1 कार्मिक, दि0 26-10-85 का, उसमें इस संबंध में साफ गाईड लाईन दी है कि पिछले 10 सालों में इन्टेग्रिटी के बारे में कोई रिमार्क होगा, तो ऐसे लोग इस परव्यू में आवेंगे। किन्तु इस अधिकारी के खिलाफ एक भी रिमार्क नहीं है। तो फिर उसे क्यों निकाला गया। क्या किसी की उसके खिलाफ दुश्मनी थी, इसलिए निकाला गया उस पर सिर्फ एक एन्ट्री है कि यह काम में रुचि नहीं लेता है, जबकि सबसे बड़े अधिकारी ने इसके उल्टे यह लिखा है कि इसका काम संतोषजनक है। जब बड़े अधिकारी ने संतोषजनक लिख दिया तो नीचे के अफसर द्वारा दी गई एन्ट्री बेमानी और बेकार हो गई। फिर भी उसने उसके खिलाफ रिप्रेजेन्टेशन दिया है। एक तो जब बड़े अधिकारी ने उस एन्ट्री के खिलाफ लिखा है तो वह उस परव्यू में नहीं आता है। फिर भी, यदि रिप्रेजेन्टेशन दिया है तो पहले उस पर विचार होना चाहिए, फिर उसका रिटायरमेंट किया जाना चाहिए। तो इंसाफ का खून नहीं होना चाहिए।

विभाग ने बहुत पहले यह योजना बनाई थी कि रुपये के ऊपर विभाग में अधिकारियों व कर्मचारियों की तादाद रहेगी। अर्थात् एक लाख है तो चार आदमी काम करेंगे और दो लाख होगा तो 8 आदमी काम करेंगे। लेकिन सन् 77 में इस संबंध में यह कर दिया गया कि रुपये पर नहीं, तादाद को फिजिकल वर्क से जोड़िये। क्योंकि बराबर हर चीज की कास्ट बढ़ती जाती है और रुपये के साथ आने वाले समय में बराबर काम कम होता जाता है और जब काम कम होता जाता है तो रुपये के आधार पर ज्यादा तादाद करने का क्या तुक है। काम कम है तो तादाद कम होनी चाहिए। लेकिन आपने एक फौज रख ली है खाली रुपये के ऊपर। आप इसे फिजिकल वर्क के साथ जोड़िये कि इतने रुपये से कितना काम होगा। मान्यवर, एक आखिरी सुझाव यह रखना चाहता हूं कि 77-78 में एक निर्णय लिया गया था कि एडहाक पोस्टिंग जितनी हुयी है उनको तीन साल पूरा हो जाने के बाद सबको रेगुलर कर दिया जायगा। लेकिन 1977 से 1986 हो गया है विभाग में फाइल पड़ी है तो उस फाइल को जल्दी निपटाना चाहिये। एक और इस विभाग की बड़ी जटिल समस्या है कि अभी तक सीनियारिटी लिस्ट नहीं बनी है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमें हैं, बड़ा आर्बिट्रेशन हो रहा है। विभाग के कर्मचारी रिटायर हो जायंगे लेकिन यह तय नहीं हो पायेगा कि कौन सीनियर है। तो इसके लिये मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं कि जितनी आपकी यूनियनें हैं उनको बुला लीजिये और तय कर लीजिये कि सब लोग मुकदमा उठा लें। एक हाई पावर कमीशन बनायें जिसमें हाई कोर्ट का एक रिटायर्ड जज, एक सेक्रेटेरियट का अफसर और उनके एक रिप्रेजेन्टेटिव को शामिल करें और एक मर्तबा एक सीनियारिटी लिस्ट बन जाय। इस किस्म की कोई चीज करें नहीं तो अफसर रिटायर हो जायेंगे उनको पता नहीं चलेगा कि कौन जूनियर है और कौन सीनियर। तो मैंने जो मश्विरे आपको दिये हैं उन पर गौर करें। इसके साथ ही मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं जो आपने मुझे माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट पर बोलने के लिये समय दिया है। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और विरोध पक्ष के साथी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका विरोध करता हूं। मान्यवर, हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने इस पर गंभीरता से चिंतन किया है कि क्षेत्रीय संतुलन बनाये रखने के लिये, आर्थिक विकास तेज करने के लिये यह आवश्यक है कि यातायात की सुविधा को बढ़ावा दें। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे मुख्य मंत्री जी ने निर्णय लिया है कि गांवों को सड़कों से जोड़ा जाय। न्यूनतम कार्यक्रम योजना के अंतर्गत 7 वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 15 सौ की आबादी वाले 10898 गांवों को सड़कों से जोड़ा जायगा। इसी तरह से 15 सौ से 1 हजार आबादी वाले 11062 गांवों को 50 प्रतिशत यानी 5531 गांवों को सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया है। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने आधुनिक तकनीक एवं विशिष्ट गुणता पर विशेष ध्यान दिया है। यही कारण है कि हाट मिक्स और पेवर फिनिशिंग विधि से नगरों और महा नगरों में

सड़कों को बनाया जा रहा है। मेरी माननीय मंत्री जी से मांग है कि शहरों को जोड़ने वाली सड़कों, नेशनल हाइवेज को इसमें शामिल कर लिया जाय ताकि विशिष्ट गुणता सड़कों की बढ़ती रहे।

मान्यवर, इस विभाग की एक प्रमुख इकाई सेतु निर्माण निगम है। इस इकाई ने अत्यंत सराहनीय कार्य किया है। प्रदेश में बहुत से निगम हैं जो घाटे पर हैं लेकिन यह निगम प्रगतिशील है। 1982-86 में सेतु निगम को इंटरनेशनल एशिया एवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। इसको 1.5 करोड़ रुपये से शुरू किया गया था, और आज 15 करोड़ रुपये का लाभ यह अर्जित कर चुका है। यह इस निगम की और सरकार की कार्य कुशलता और क्षमता का परिचायक है। इसके अतिरिक्त राजकीय निर्माण निगम जो इसकी एक इकाई है वह भी बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। जो बिल्डिंग्स या भवन इसने बनाये हैं वह सराहनीय हैं। सेतु निगम की ईरान, ईराक, केरल, नेपाल ने इसकी प्रशंसा की है। माननीय मंत्री जी से मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जिला सेक्टर योजना के अंतर्गत जो सड़कें बन रही हैं उनमें जिला अधिकारी और सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों के बीच समन्वय और सामंजस्य का अभाव है इसलिये काम ठीक से नहीं हो रहा है। मेरी मांग है कि जिला सेक्टर योजना के अंतर्गत जिन सड़कों को लिया जाय उनका काम तेजी से कराया जाय। सामंजस्य और समन्वय न होने के कारण विशेष गुणता की सड़कें नहीं बन पा रही हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात सत्य है कि प्रदेश में जो सड़कों का औसत है वह देश के औसत के मुकाबले कम है। सम्पूर्ण देश में 1 लाख की जनसंख्या पर 114 वर्ग कि0 मीटर सड़कें हैं। लेकिन हमारे प्रदेश का 58 से 61 वर्ग कि0 मी0 प्रतिशत है, जबकि केरल, कर्नाटक और तामिलनाडु का 200 के ऊपर का प्रतिशत है। इसलिए इसमें और तेजी लाने की आवश्यकता है और माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं इस ओर प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने इस विभाग को अपने पास रख रखा है और इस विभाग को निरन्तर आगे बढ़ाने के लिए वह योजनाएं बना रहे हैं। दूसरे एक बात मान्यवर, मैं और कहना चाहता हूं कि गोरखपुर और बनारस को एक ही पूर्वी क्षेत्र में शामिल किए हुए हैं जबकि पर्वतीय क्षेत्र में कुमाऊं और गढ़वाल को अलग-अलग कर मुख्य अभियन्ता का पद कर दिया गया है, जबकि दोनों की आबादी भी बहुत है और गोरखपुर एक बार्डर है और अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केन्द्र है जो नदी और नालियों से घिरा हुआ है। इसलिए इन दोनों को अलग-अलग कर दिया जाए तथा गोरखपुर में एक मुख्य अभियन्ता का पद सृजित किया जाय। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो पटना घाट का शिलान्यास किया है और उसका काम भी तेजी से शुरू हो गया है जो बस्ती और गोरखपुर को जोड़ता है, जिसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं और साथ ही साथ करमैनी घाट पर जो पुल का शिलान्यास किया गया है, जिसके लिए 2 करोड़, 47 लाख रु0 की धनराशि स्वीकृत हुयी है। मान्यवर, यह भी एक सराहनीय कदम है और यह भी पुल मान्यवर बस्ती और गोरखपुर को जोड़ रहा है, जिससे आवागमन में भी विशेष सुधार होगा। साथ ही इससे क्षेत्रीय संतुलन भी बनेगा। जो मान्यवर, बहुत सराहनीय कार्य है।

साथ ही मान्यवर, एक सुझाव मेरा और भी है कि इस विभाग में जहां पर सेतु निगम और निर्माण निगम के विभागीय अधिकारियों द्वारा कार्य हो रहे हैं, वहां पर लाभ हो रहा है। परन्तु मान्यवर सड़कों के निर्माण में जो दोहरा माप-दण्ड अपना रहे हैं और ठेकेदारी प्रथा से जो कार्य करा रहे हैं, उसमें कहीं-कहीं पर बड़ी गड़बड़ी भी पैदा हो रही है क्योंकि अराजक तत्व जोर-जबरदस्ती करके ठेके ले लेते हैं। इसलिए मान्यवर, मेरा यह सुझाव है कि पेशेवर ठेकेदारों को ही कार्य दिया जाए और टेंडर पोस्ट द्वारा मंगवाएं जाएं जिससे कि पेशेवर ठेकेदारों को ही काम मिल सके। ताकि अच्छी क्वालिटी और कन्ट्रोल बना रहे। साथ ही सरकार से यह भी मांग करता हूं कि पी0 पी0 गंज-सिसंहोघाट मार्ग पर गोबरहा नाले पर जो काठ का पुल बना हुआ है, उसको पक्का बनाया जाए ताकि आवा-गमन की स्थिति में सुधार हो सके।

दूसरे मान्यवर, जैसे कि मैंने अभी कहा कि हमारा गोरखपुर जिला चारों तरफ से नदी और नालों से घिरा हुआ है और वहां पर इस कारण यातायात का बहुत अभाव है, इसलिए वहां पर विशेष कार्यक्रम सड़कों के बनाये जाने का बनाया जाए और उसके तहत तिलौरा-माह मार्ग, सीहापार हाल्ट-टेड़वा खुर्द घाछ-सरा मार्ग, जिगीना फरसा डांड-बिगही मार्ग तथा हरनेही-कठसारा सूरजदेवारया मुखलिसपुर आदि मार्ग बनाए जाएं और जो नहर पटरी हैं, उन पर भी पक्की सड़कें बनायी जाएं। क्योंकि यह सड़कें बस्ती और गोरखपुर जनपदों को आपस में जोड़ती हैं और इससे लाखों लोग आते-जाते हैं। दूसरे एक निवेदन और करना चाहूंगा कि मा0 मुख्य मंत्री जी व मा0 मंत्री जी का ध्यान वर्ड घाट पुल पर बन रहे गाइड बांध की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं और इसके तहत गोरखपुर में वर्षों से कार्य हो रहे हैं जिसमें कई करोड़ रुपयों की पूंजी सरकार की लग चुकी है, परन्तु अभी तक कोई कार्य पूरा नहीं हुआ है। एक सहायक अभियन्ता हैं, जो वहां पर 5 वर्षों से हैं, उनके प्रति कई शिकायतें भी की गयीं हैं परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही उनके प्रति नहीं हुयी है। दूसरे मान्यवर, विपक्ष की ओर से जो एक प्रस्ताव रखा गया है, उससे मैं सहमत हूं कि एक स्पेशल आडिट सेल तथा एक विशेष अधिकारियों का जत्था बनाया जाए जो सड़कों के निर्माण कार्य को देखता रहे उनकी गुणता विशिष्टता कायम रख सके। मान्यवर, भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सकेगा और क्वालिटी कंट्रोल भी बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मा0 मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, उत्तर वदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए सड़कों और पुलों का निर्माण एक अवश्यम्भावी भूमिका के रूप में हमारे प्रदेश के सम्मुख है। माननीय मुख्य मंत्री ने पुरानी पीढ़ी के घिसे-पिटे स्वरों में अपने बजट को पढ़ा और बजट भाषण में नवीन प्रेरणाओं और नये संकल्प और नई योजना, विभाग में फैले भ्रष्टाचार और विभाग में फैली वह अनियमितताएं जिनके कारण मशीनें खराब पड़ी हैं, किराये की मशीनें लेकर काम चलाते हैं, इस सब पर क्या चाहते हैं, वह इसका उल्लेख नहीं किये। इनके विभाग के द्वारा सड़कों पर जो गिट्टी, मिट्टी, खड़ंजा, ईंट डाली

जाती है, वह मानक के अनुरूप नहीं है। एक तरफ से सड़क बनती है, दूसरी तरफ साथ ही साथ टूटती जाती है। गड्ढे होते जाते हैं। जितना रुपया इस पर व्यय होता है, उतना उससे ज्यादा मरम्मत पर फिर व्यय करना पड़ता है। इस तरह से एक बड़ी धनराशि के रूप में काफी धन चला जाता है और चोरी से ब्लैक में डामर इनके यहां से स्थानीय निकाय के लोगों के यहां सड़कों को बनाने के लिए चला जाता है। इनका रोड रोलर इनके यहां पर खराब पड़े हैं। किराये पर रोड रोलर, ट्रैक्टर, ट्रक आदि लिये जाते हैं और उनके बिना चले फर्जी वाउचर बना कर भुगतान किये जाते हैं और फर्जी सड़कें बिना बनाये हुए भुगतान किये जाते हैं। इस संबंध में इन्होंने दो शब्द भी नहीं कहा और न इस फैले भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कुछ कहा।

जहां तक मजदूरों का सम्बन्ध है, सारा का सारा काम ठेकेदारी प्रथा पर कराया जाता है। जो एन0 आर0 ई0 पी0, आर0 एल0 जी0 पी0, फूड फार वर्क आदि के अन्तर्गत काम होता है, ये सारे का सारा काम ठेकेदारों से कराया जाता है। बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत, जिसकी प्रगति का ढिंढोरा ये पीटते हैं, वे सारे काम बेरोजगारों को काम देने के स्थान पर ठेके पर कराया जाता है। यह बड़े पैमाने पर ठेके पर हो रहा है, जिसे हम और आप सभी जानते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 11.80 पैसे मिनिमम वेज तय की है, और उसके बाद जो मूल्य सूचकांक, प्राइस इन्डेक्स होगा, उसे उसमें जोड़ दिया जायगा, तब एक मजदूर की मजदूरी नियत होगी जो वर्तमान में 19.20 पैसे होती है। लेकिन वह मजदूर जो ठेके पर काम कर रहा है, उसको न तो मिनिमम वेज मिलती है और न प्राइस इन्डेक्स के अनुसार 19.20 पैसे का ही भुगतान होता है। यह उसका एक शोषण है। उसका परिपालन आपके विभाग में नहीं हो रहा है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरफ इनका ध्यान जाना चाहिए। सेतु निगम की प्रशंसा का इन्होंने बड़ा भारी ढोल पीटा। सेतु निगम अथवा विभाग द्वारा निर्मित आगरा पुल को आप देख लें, रोजाना टूटते हैं, मरम्मत होती है, साल में 365 दिन मरम्मत में रहता है। दो-दो, तीन-तीन घंटे मार्ग अवरुद्ध रहता है। एक दिन भी ऐसा नहीं है कि जिस दिन उसकी मरम्मत न होती हो। जिस दिन आप चाहें, उसकी चेकिंग करा लें। एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन कर दें, जिसमें विशेष इंजीनियर उसमें रख दें, वह जांच करें। कुछ ऐसे पुलों का सेलेक्शन कर लें, जो सेतु निगम द्वारा निर्मित हों, उनकी जांच करा लें। तो यह ढिंढोरा साफ हो जायगा। मान्यवर, प्रदेश भर में सड़कों की जो हालत है, आप किसी भी सड़क पर चले जायं, कोई ऐसी सड़क नहीं मिलेगी, जिस पर चलने पर आदमी, औरत गिर न पड़ें।

हमारे माननीय राम सरन दास जी ने तो पिछले दिनों बताया था, आपके पूर्व मंत्री जी ने जब बजट प्रस्तुत किया था। वह मैं नहीं कहना चाहता। जो सड़क की हालत है इस प्रदेश में, जितना पैसा नई सड़क को जाना चाहिए, उतना पैसा नहीं जा पाता, पुरानी सड़कों की मरम्मत के लिए चला जाता है। 1000 से 1500 की आबादी के गांव सम्पर्क मार्ग से जोड़ने हैं, वह कैसे जुड़ें?

जब तक मरम्मत पर व्यय भार कम न हो और वह तभी होगा जब सड़कें मानक के अनुरूप मैटेरियल की बनी हों, कुछ काल तक टिकाऊ हों, तभी नई सड़कों के लिए पैसा जा सकेगा। राष्ट्रीय मार्ग के कर्बों (मोड़ों) के ठीक करने और प्रान्तीय मार्ग के कर्बों को ठीक करने के लिए भूमि अर्जन और निर्माण में धन पुनः उन्हीं मार्गों पर जा रहा है, जो प्लान्ड होकर पहले व्यय हो चुके थे। यह कितना दुर्भाग्य है कि हम उसी मार्ग पर फिर से धन खर्च कर रहे हैं और पूर्व किया गया व्यय बरबाद हो गया। हमारे जैसे गरीब प्रदेश की यह विडम्बना है। हमारे प्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या 50 सैकड़ा से ऊपर है। महंगाई और उनसे योजना के नाम पर धन लेकर उनके गांवों को जोड़ने का तो काम हो पाता नहीं, लेकिन राष्ट्रीय मार्गों और प्रान्तीय मार्गों के कर्बों को ठीक करने और उन्हें ठीक बनाने में सारा रुपया खर्च हो जाता है। आप और आपकी सरकार में हिम्मत है तो इस प्रकार के गलत नियोजन पर बनी सड़कों की कर्बों को ठीक कराने पर जो व्यय हुआ है, उसकी जांच करा कर उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करें, जिन्होंने गलत योजना बनाई। जो आपकी सड़कों में कमी छोड़ दी गई है उन सब पर पुनः सर्वेक्षण करवाकर जो गलत बनाये गये थे, मानक के अनुरूप नहीं बनाये गये थे, विपरीत बनाये गये थे। अगर आपमें क्षमता है तो उस बर्बादी को रोकने का कार्य करिये। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो सड़कों का निर्माण करा रहे हैं, इसमें जो आप मिट्टी डाल रहे हैं, डामर डाल रहे हैं, जो मिट्टी डाल रहे हैं उन सबका आप सर्वे करायें ताकि साथ ही साथ मिट्टी पड़े जब गड्ढा खोदना शुरू न हो। इस पर पाबन्दी होनी चाहिये।

इसके अतिरिक्त मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं कि आप अपने विभाग की चार महीने में एक ऐसी पुस्तिका प्रकाशित करायें जिसमें आपके विभाग के सारे कार्य-कलापों का प्रगति विवरण जिला कार्यालय में उपलब्ध रहे जो माननीय सदस्यों को उनकी सुविधानुसार उपलब्ध हो जिसमें चार महीने की प्रगति के आंकड़े उपलब्ध रहें। इससे आपके विभाग में काम करने में अंकुश लगाने में एक लाभकारी योजना मिलेगी जब आप चार महीने में एक कार्य पूर्ति दिग्दर्शक प्रकाशित करवायेंगे। आपके यहां लिख दिया जाता है कि सड़कें बन गईं परन्तु वास्तविकता में यह सड़कें नहीं बनती हैं। मेरे क्षेत्र में चंदवार से जलालपुर तक एक सड़क बनी है लेकिन उस पर नाले का पुल है वहां पर न मिट्टी है, न डामर है। इसी तरह से दतावली से फिरोजाबाद की जिन सड़कों पर काम हो चुका है उसके निर्माण को पूर्ण कराने का कार्य जल्दी कराना चाहिए।

आज प्रदेश में जो स्थिति है सड़कों के मामले में उस सब पर आपको दृष्टि डालनी है जिससे वह गांव जुड़ें जो नदियों के किनारे बसे हैं लेकिन आपके विभाग के लोग वहां जाना नहीं चाहते। वहां पर मिट्टी भी नहीं पड़ी है। आपके यहां वह सड़कें बनी हुई दिखा दी गई हैं। आपके पी0 डब्लू0 डी0 की सड़कें आपके यहां पूरी बनी

हुई दिखा दी गई है। आपके यहां फिरोजाबाद, दतावली, जलेसर वाला मार्ग लिखा हुआ है लेकिन उस पर अभी सड़क पूर्ण नहीं बनी है। इन सबको ठीक करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। आपके पी0 डब्लू0 डी0 के महकमें में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। उस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए आपको एक ऐसी समिति का गठन करना चाहिए जो सीजनल छापे मारकर उस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा सके। यह मैं सुझाव देना चाहता हूं और कटौती के प्रस्ताव का भरपूर समर्थन करता हूं।

श्री रामनाथ मुन्शी–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सार्वजनिक निर्माण के बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका अभारी हूं। मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय तथा माननीय राज्य मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मान्यवर, जिस समय मैं कटौती का प्रस्ताव सुन रहा था एक मन में भाव पैदा हुआ और मैं पिछले अपने इतिहास को देख रहा था कि आज कटौती के प्रस्ताव द्वारा जो नकारा जा रहा था, वह वास्तव में सत्य नहीं था। मान्यवर, आजादी के पहले, आजादी मिलने तक, आजादी के बाद और आज क्या है, इन तथ्यों का आंकलन करना आवश्यक हो जाता है।

आजादी तक 15 हजार एक सौ तेरह किलोमीटर लम्बी सड़कें थी, और आज उनकी संख्या 31 मार्च, 1986 तक 82 हजार 126 किलोमीटर हो चुकी है। आप इससे अन्दाज लगा सकते हैं कि इस राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रान्त में किस गति से जनता के आवागमन की सुविधायें सुलभ कराने का भागीरथ प्रयास किया है। इतिहास साक्षी है, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने यह निश्चय किया है कि 15 सौ से अधिक आबादी वाले गांवों को सन् 1990 तक शत-प्रतिशत सड़कों से जोड़ दिया जायेगा और यह भी निश्चय किया है कि सन् 2001 तक 5 सौ से अधिक आबादी वाले गांवों को भी शत-प्रतिशत जोड़ दिया जायेगा, बशर्ते यह गांव मूल सड़क से 3 किलोमीटर की ज्यादा दूरी न रखते हों। कितना महान लक्ष्य है इस सरकार का। सार्वजनिक निर्माण विभाग सड़कों के निर्माण के साथ-साथ पुलों के द्वारा दो नदियों के बीच की दूरी कम करने के लिए, प्रदेश और देश की दूरी को कम करने के लिए सराहनीय कार्य किया है। मान्यवर, सेतु निगम ने 11 वर्षों में 65 किलोमीटर लम्बे पुल का निर्माण करके एक कीर्तिमान रखा है।

मान्यवर, इसके बाद इस विभाग द्वारा यानी सेतु निगम द्वारा विदेशों में जो कार्य किये गये हैं, उनकी तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। 1–5 करोड़ से यह निगम आज 326 करोड़ व्यवसाय की लागत में पहुंच चुका है। इसकी सफलता इससे आंक सकते हैं। आंकड़े सब गलत नहीं हो सकते हैं, 10–5 प्रतिशत अमान्य किये जा सकते हैं। मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस निर्माण निगम के माध्यम से सार्वजनिक निर्माण विभाग ने एक लाख 12 हजार 563 गांवों, 704 नगरों और 5 महानगरों में जगह-जगह भवन निर्माण, फैक्ट्रियों का विद्यालय भवन और डाक बंगलों

आदि का निर्माण किया है। अब इसी सन्दर्भ में मैं यह भी बताना चाहता हूं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग को आज के युग में विश्वकर्मा कहा जाय तो अतिश्योक्ति नहीं होगी। इतिहास के अनुसार यह विभाग 1844 से शुरू हुआ, आज तक परिवर्तन करता हुआ चला आया, 1938 में इस सार्वजनिक निर्माण विभाग का विघटन करके विद्युत सिंचाई को निकाल दिया गया, उसके बाद 1980 में प्रदेश को 4 खण्डों में बांटा गया, आज 7 खण्डों में बंटकर यह विभाग प्रदेश की सेवा कर रहा है। यह विघटन और विस्तार इस बात को स्पष्ट करता है कि यह विभाग जनता के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुये, प्रदेश, गांव और नगरों को सड़कों से जोड़कर, भवनों से इस प्रदेश की धरती को आच्छादित कर, नाना प्रकार के अन्य निर्माण कार्य करके यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमारा प्रदेश पीछे नहीं है।

यद्यपि हमारा प्रदेश सीमित साधन प्रदेश है। इसलिये जब हम और प्रदेशों से तुलना करते हैं तो अपने अन्दर आत्महीनता की भावना पैदा करते हैं। इसलिये ऐसा नहीं करना चाहिये। हरियाणा और पंजाब विकसित तथा छोटे प्रदेश हैं, इनकी तुलना में हमारा प्रदेश पीछे है। किन्तु माननीय सदन पूरा सहयोग इस विभाग को और सरकार को करते रहेंगे तो प्रदेश चमक जायेगा। इसमें दो राय नहीं है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि गाजीपुर जनपद के पश्चिमी क्षेत्र की सीमा की मिसिंग लिंक रोड तथा पुलों को बनाकर आजमगढ़ जौनपुर जोड़ते हुए पूर्वांचल के यातायात का मार्ग खोलने की कृपा करें। मैं कटौती के विरोध में कहते हुए मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं माननीय सदस्य कटौती के प्रस्ताव को वापस लेंगे। जयहिन्द।

*श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र–

मान्यवर, अभी मा0 सदस्य शतरुद्र प्रकाश जी ने ध्यान आकृष्ट किया था कि अधिकारीगण मौजूद नहीं हैं। जिस प्रकार से यह कहते हैं कि अनुदानों पर विचार के समय हाउस में मंत्री जी का मौजूद रहना जरूरी होता है, उसी प्रकार से नेता विरोधी दल या विरोधी दलों के नेताओं में से किसी को यहां चर्चा के समय मौजूद होना आवश्यक होता है। खासतौर पर जबकि उसमें कटौती का प्रस्ताव रखा गया हो, तो निश्चित रूप से विरोधी पार्टियों के नेताओं को यहां होना चाहिये, लेकिन उन्हें कोई इन्ट्रेस्ट नहीं है। जिस समय उनकी पार्टी के किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव रखा गया हो, तो उसके नेता का होना जरूरी है। इस सम्बन्ध में पहले भी व्यवस्था हो चुकी है। मैं कहना चाहूंगा कि इस समय उनका यहां पर रहना जरूरी है, या नहीं, आप इस पर व्यवस्था दें?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मा0 सुरेन्द्र मिश्र जी वरिष्ठ सदस्य हैं। इनकी भावनाओं का मैं आदर करता हूं। लेकिन अच्छा होता कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के काबीना स्तर के मंत्री कटौती के प्रस्ताव के समय यहां पर मौजूद रहते। यह पहली बार हुआ है कि राज्य मंत्री बजट प्रस्तुत कर रहे हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष–

यह ठीक है।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, सन् 1956 में मा0 नारायण दत्त तिवारी जी ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था और पीठ से अपेक्षा की थी कि मंत्रिमण्डल के कम से कम कैबिनेट स्तर के मंत्री ही बजट प्रस्तुत करें। उस समय राज्य मंत्री स्तर के कोई मंत्री बजट प्रस्तुत कर रहे थे। उस समय पीठ से यह व्यवस्था हुई थी कि अंतिम उत्तर हर प्रकार से कैबिनेट स्तर का मंत्री देगा। यहां रोज छोटे-छोटे मंत्री बजट प्रस्तुत कर रहे हैं। ये नीतिगत मामले पर उत्तर नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये कैबिनेट की मीटिंग में नहीं जाते हैं। इसलिए उत्तर देते समय यहां पर कैबिनेट स्तर के मंत्री उत्तर दें, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

अभी बजट पेश किया है, उत्तर अभी कहां आया है ?

श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र–

मान्यवर, मेरे व्यवस्था के प्रश्न पर व्यवस्था दीजिये।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मिश्रा जी, आसमान पर थूकेंगे तो आप पर ही पड़ेगा।

डा0 दिनेश जौहरी–

मान्यवर, मैं आभारी हूं जो आपने कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मुझे मौका दिया। मैं तो समझ रहा था कि मा0 मंत्री जी को ठेकेदारों से और सरकारी अधिकारियों से जो कमीशन मिलता है, उसके संबंध में चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन अफसोस है कि अब कमीशन जो पहले 10, 15, 20 परसेंट मिलता था वह अब 45 परसेंट हो गया है। मान्यवर, मैं मांग कर रहा हूं कि उस कमीशन को अब फिक्स कर दें 20 परसेंट पर, ताकि 45 परसेंट कमीशन और उसके बाद ठेकेदारों का निजी फायदा, तो फिर कान्स्ट्रक्शन में कितना पैसा लगेगा? तो मान्यवर, इसको 20 परसेंट पर फिक्स कर दें। अभी मंत्री जी हाट मिक्स प्लान्ट की तारीफ कर रहे थे। वाकई में काबिले तारीफ है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि लखनऊ में सड़कें पी0 डब्लू0 डी0 बनवा रहा है या सी0 पी0 डब्लू0 डी0 बनवा रहा है? क्या इन्हें अपने अधिकारियों पर विश्वास नहीं है या उन पर भरोसा नहीं करते कि राजधानी की सड़कें पी0 डब्लू0 डी0 नहीं बना पाएगा? आपके अधिकारी मैकेनाइजेशन के सख्त खिलाफ हैं। वह चाहते हैं कि हाट मिक्स प्लान्ट कम से कम चले। जब यह प्लान्ट सर्विसिंग के लिए जाता है तो अधिकारी अधिक से अधिक समय तक उसको रोकना चाहते हैं, क्योंकि इस बीच पुराने ढंग से काम होता है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

आपने राजकीय निर्माण निगम के बारे में बताया कि फायदे पर चल रहा है, लेकिन किस तरह से चल रहा है? इसमें एक डिपाजिट सिस्टम है। ये बताते नहीं कि निर्माण कार्य में कितना लगेगा। रुपया दे दीजिये, बस काम हो जायगा। यही कारण है कि इनके पास शासकीय और अर्धशासकीय इमारतों के अलावा और कोई आर्डर नहीं है। नैनीताल में नैनीताल क्लब एक बहुत बड़ी इमारत है। उसके निर्माण में निर्माण निगम द्वारा छत में त्रुटि रह गयी है। यह इसलिए हो गया कि जो

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भी वहां अधिकारी थे, उसकी गलती के कारण यह हुआ कि बाल सीलिंग खराब हो गयी। फ्लोर खराब हो गया, नौबत यह है कि पूरी छत, पूरी सीलिंग फिर से बनानी पड़ेगी। मान्यवर, इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहता हूं कि इनका एक ब्रिज कारपोरेशन है, उसका कार्य काबिले तारीफ है। लेकिन, तकनीकी विषयों में प्रशासनिक हस्तक्षेप के कारण, इनके कार्यों में गतिरोध उत्पन्न हो रहा है। मान्यवर, नमूने के तौर पर बताना चाहता हूं कि लखनऊ में निशातगंज पर पुल बन रहा है। मान्यवर, सर्वे कायदे से न करवाकर, जल्दी-जल्दी में बनाना शुरू कर दिया। निशातगंज के पुल पर जहां पिलर्स डाले जा रहे थे, वहां पुराने पिलर्स निकल आये और उन पुराने पिलर्स को हटाने के लिए जापान से मशीन मंगवानी पड़ी। प्रशासनिक हस्तक्षेप के कारण पहले ठीक से सर्वे नहीं कराया, अब उसकी लागत दुगुनी हो गयी है।

(इस समय 3 बजकर 6 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल पीठासीन हुए)।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहता हूं कि आर्किटेक्ट विंग का कंस्ट्रक्शन विंग पर कोई कंट्रोल नहीं है। जो भवन तैयार किये जाते हैं, टेढ़ी-मेढ़ी इमारतें तैयार हो जाती हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप अपने विभाग में अपने सीनियर आर्किटेक्ट्स की संख्या को बढ़ायें और, दूसरे जो उन्होंने नक्शे बनाये हैं, उसके आधार पर कंस्ट्रक्शन हों और उनका कंट्रोल रहे।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

डा0 दिनेश जौहरी—

मान्यवर, स्वच्छ प्रशासन की भूमिका के अन्तर्गत इन्होंने पी0 डब्लू0 डी0 के तीन अधिकारियों को नोटिसें दीं और उनकी सेवायें समाप्त कर दीं। मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूं कि उस श्रेणी में 100 लोग और भी थे लेकिन उसके बाद एकदम सिलसिला रुक गया। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप 31 मार्च का इन्तजार कर रहे हैं कि जो लोग क्षतिपूर्ति कर दें, उनको छोड़ दिया जाय ? मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि एक श्री एस0 पी0 गोयल हैं जो मेरठ में मुख्य अभियन्ता हैं, उनके कारनामों को कौन नहीं जानता। लाखों रुपये की हेराफेरी उन्होंने की, उनका उस श्रेणी में चौथे नम्बर पर नाम था, लेकिन उनको आपने छोड़ दिया। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो सही अधिकारी थे, उनको इन्होंने निकाल दिया है और जो वास्तव में अत्यन्त भ्रष्ट हैं, उनको यह रखे हुए हैं। इसके अतिरिक्त मैं अपने क्षेत्र के बारे में कुछ सुझाव देना चाहूंगा। मान्यवर, बरेली से बदायूं जाने के रास्ते पर ओवरहेड ब्रिज न होने की वजह से बरेली बदायूं मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। मान्यवर, आपको विदित है कि उस रूट पर 77 करोड़ रु0 की इफ्को की फैक्ट्री लग रही है। इसलिए मैं चाहूंगा कि वहां ओवरहेड ब्रिज शीघ्र बनवाया जाय। मान्यवर, इसके अतिरिक्त चांदपुर विछपुरी से बरेली को जोड़ने के लिए नकटिया नदी पर एक पुल बनाने की मांग कई वर्षों से चल रही है, इसे भी शीघ्र बनवाया जाय। मान्यवर, इसके बाद अन्त में यह कहना चाहता हूं कि बरेली में इस विभाग के कर्मचारियों के रहने के लिए मकान नहीं

है, असिस्टेंट इंजीनियर वगैरह को भारी मात्रा में किराया देकर मकानों में रहना पड़ रहा है। वहां कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए सरकारी आवास बनवाये जायं। धन्यवाद।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र–

मान्यवर, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, मौलवी साहब माननीय श्री मसूद अहमद ने कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुए कुछ अच्छे लाभकारी सुझाव दिये। लेकिन, उन्होंने अपनी बात कहते हुए यह नहीं कहा कि इस विभाग की जरूरत नहीं है, इस विभाग का महत्व नहीं है। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी दृष्टि में इस विभाग का महत्व और जरूरत है। इसलिए आप भी चाहेंगे कि इस विभाग का बजट पास हो। मान्यवर, जो कुछ उन्होंने सुझाव दिये हैं, उसमें मैं कुछ अपनी बात जोड़ना चाहता हूं। यह कहा कि जहां चकबन्दी हो रही है, वहां पर उन गांवों के सम्पर्क मार्ग चकबन्दी अधिकारी बनवायें, ऐसा निर्देशन होना चाहिये। मान्यवर, जो सरकार की नीति है, उसके अन्तर्गत 1500 की आबादी के जो गांव हैं, उनको सम्पर्क मार्गों से जोड़ा जायेगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां चकबन्दी हो गयी है, वहां पर केवल 15 या 20 कड़ी सड़क छोड़ रखी है, जबकि पैमाने पर यह है कि 7 मीटर से कम की सड़क होगी नहीं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वह कैसे उन गांवों को सड़कों से जोड़ेंगे? स्वेच्छा से जब तक कोई अपनी जमीन नहीं देगा तब तक आप उस पर सड़क बना नहीं सकते। यदि किसी की जमीन पर आप जबरदस्ती कब्जा करते हैं तो आप 447 के मुजरिम हो जायेंगे, इसलिये मेरा माननीय मंत्री जी से कहना है कि जहां चकबन्दी हो गई है और सड़कें नहीं बनी हैं वहां पर आप उन गांवों को सड़कों से कैसे जोड़ेंगे इस पर गम्भीरता से सरकार को विचार करना होगा।

यह एक महत्वपूर्ण विभाग है मैं कहना चाहता हूं कि 1938 में विद्युत विभाग और सिंचाई विभाग से यह विभाग अलग हुए थे। दोनों विभागों को मिलाकर करीब-करीब हमारे बजट का आधा पैसा मिलता है लेकिन दुर्भाग्य का विषय है, चाहे हमारी सरकार रही हो, चाहे जनता पार्टी की सरकार रही हो और चाहे समविद सरकार रही हो किसी ने भी कुछ वर्ष पूर्व मूल विभाग की ओर ध्यान नहीं दिया जिससे वह नगण्य हो गई और जो इनसे विभाग निकले थे उनमें काफी बढ़ोत्तरी हुई। कम से कम मौजूदा सरकार ने इस ओर ध्यान दिया और आज पी0 डब्लू0 डी0 विभाग का महत्व बढ़ गया है जो हमारे देश और प्रदेश के सड़कें और पुल बनाकर देता है। इस क्षेत्र में पी0 डब्लू0 डी0 ने बहुत ज्यादा काम किया है इसके लिए हम दोनों पक्ष के लोगों की प्रशंसा करनी चाहिए।

मान्यवर, अब मैं कुछ स्थानीय समस्याओं के बारे में कहना चाहता हूं हमारे यहां तुर्तीपार में बहुत लम्बे अरसे से एक पुल की मांग थी। चाहे गोरखपुर कमिश्नरी के लोग हों और चाहे बनारस के लोग हों इन सबकी यह मांग थी कि हमारी सरकार ने इस पुल को मंजूर कर दिया है जो 12 करोड़ 42 लाख रुपये का है इसके

लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। इसके साथ ही एक सुझाव और देना चाहता हूं कि बाढ़ से हमारे देवरिया की सड़कें बरबाद हो गई हैं। गोरखपुर से देवरिया होकर बिहार और देवरिया से रुद्रपुर होकर बिहार तक जो सड़कें जाती हैं इनकी हालत खराब है। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि वह इन सड़कों को ठीक करने की व्यवस्था करें। अन्त में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे यहां करवना मगहर मार्ग जो करीब-करीब बनकर तैयार हो गया है, किसानों को अभी तक उसका मुआवजा नहीं दिया गया है इसलिए मंत्री जी से निवेदन है कि उन किसानों को जिनकी जमीन इसमें गई है जल्द से जल्द मुआवजा दिलाने की कृपा करें। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

*श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए दो-तीन विषयों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक तो ब्रिज कारपोरेशन के बारे में जहां तक उसके कार्यकलापों का प्रश्न है इस सम्बन्ध में मैंने 22 मार्च और 16 नवम्बर को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी को एक पत्र लिखा था और उसमें मैंने कुछ ऐसी बातों का जिक्र किया था जो जनहित में महत्वपूर्ण थीं। इस समय इस ब्रिज कारपोरेशन में विदेशों से करोड़ों रुपये का विलासिता का सामान खरीदा गया है। बुदई ट्रेडिंग कम्पनी कुवैत से लगभग 50 लाख रुपये का विलासिता का सामान खरीदा गया है। दुबई में फुखराज गर्ग एक इंजीनियर थे जिन्होंने बी0 सी0 आर0, टेलीविजन आदि जितनी भी विलासिता के सामान थे खरीदे इसके बारे में वहां के प्रोजेक्ट मैनेजर ने यहां ब्रिज कारपोरेशन को एक पत्र भी लिखा लेकिन आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। अब मालूम हुआ है कि वह सर्विस छोड़कर भी चले गये हैं।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि शिपमैन के नाम पर लाखों रुपये की बर्बादी की जा रही है। पहले जे0 पी0 एजेन्ट नई दिल्ली की कम्पनी थी।

(3 बजकर 20 मिनट)

उसको छोड़कर बम्बई की मेसर्स फोरवेज एण्ड फोरवेज कैम्पवेल एण्ड कम्पनी को शिपमेण्ट के नाम पर बिना किसी टेण्डर, कुटेशन अथवा एग्रीमेण्ट के मनमाने ढंग से इस कार्य के लिये रख लिया, जो करोड़ों रुपया निगम का लूट रहे हैं। वर्ष 1985 में केवल तीन माह के अन्दर 40 लाख रु0 का डैमरेज लगा है, जिसका कोई हिसाब नहीं है।

इस समय नम्बर-दो का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जितने भी विदेशों में इंजीनियर हैं, अपनी तन्ख्वाह का 90 प्रतिशत देश में भेज देते हैं और 10 प्रतिशत में गुजारा करते हैं। बहरीन में बैंक के जरिये से सारा पैसा भेजा जा रहा है। बहुत ऐसे अधिकारी मिल जायेंगे, जिनका जी0पी0एफ0 और तमाम कटौतियां करने के बाद एक पैसा भी नहीं बचता है, नम्बर दो की कमाई से सारा गुजारा चलता है। ब्रिज कारपोरेशन की बहुत तारीफ की जा रही है, किन्तु निगम के अधिकारियों की कार्य क्षमता एवं दक्षता का सबसे बड़ा प्रमाण लखनऊ के गोमती सेतु से ही मिल

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाता है, जहां पर निगम के सभी अधिकारी पिछले लगभग एक वर्ष से इस छोटे से पुल के एक टेढ़े खम्भे को सीधा नहीं कर सके हैं। इसी प्रकार से अन्य अनेकों सेतुओं पर भी स्थिति यही रही है जिसमें हरैया मनोरमा सेतु, बस्ती, टोंस ब्रिज इलाहाबाद आदि उदाहरण के रूप में हैं। केवल विभाग की तारीफ करने की जरूरत नहीं है बल्कि इस समय पुलों के मामले में विदेशों में और दुनिया में जिस तरह से आधुनिकता आ गयी है, उस दृष्टि से देखें तो जितना करना चाहिये था, उतना ब्रिज कारपोरेशन नहीं कर पा रहा है।

इसके अलावा जो स्टील खरीदने का काम है, वह ब्रिज कारपोरेशन द्वारा लघु उद्योग निगम, कानपुर से नहीं खरीदा जा रहा है बल्कि स्थानीय तौर पर बढ़े हुए दर पर स्टील की खरीद की जा रही है और इस प्रकार सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस संबंध में जांच करायी जा रही है। मैंने एक पत्र लिखा था रिजर्व बैंक आफ इण्डिया को, उनका खत आया है कि जांच करायी जा रही है 6 महीने पहले तत्कालीन राज्य मंत्री सार्वजनिक निर्माण विभाग विदेश गये थे, मुख्यमंत्री जी ने बताया था कि काम तलाश करने के सिलसिले में गये हैं। मैं जानना चाहूंगा कि वहां से लौटने के बाद कितना काम मिला है कारपोरेशन को? राज्य मंत्री जी गये थे, कितना काम लेकर आये हैं? खाली हाथ गये थे, खाली हाथ वापस आये हैं या यों कहें कि भरे हाथ गये थे, खाली हाथ वापस आये हैं।

(लाल बत्ती जलने पर)

बनारस जनपद के अन्दर रामनगर से लेकर राजा तालाब तक पुल बन रहा है, उसके बनने की बहुत जरूरत है। उसके जरिये पूर्वांचल का यातायात अच्छा हो जायगा। गंगा पर जो पुल बन रहा है बी0 एच0 यू0 के पीछे मलैय्या गांव से जो बांध बनाया जा रहा है, उसे इस तरीके से बनाया जाय ताकि नरायनपुर टापी और नयापुराकलां, जहां पिछली बार लगभग 350 से 1500 मकान बर्बाद हो गये थे, ऐसा अब न होने पाये और किसान क्षति न उठाने पायें। 3 करोड़ रु0 सरकार का बच सकता है, अगर ईमानदारी से काम किया जाय। मैं चाहूंगा कि नरायनपुर, टापी और नयापुराकलां गांवों को बरबादी से बचाया जाय ताकि गरीब और हरिजनों की रक्षा हो सके।

श्री राम सिंह एडवोकेट—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं मा0 मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का स्वागत करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। जहां तक देश की प्रगति का सवाल है, मैं समझता हूं कि जब देश और प्रदेश में सड़कों का जाल बिछ जायगा, तो स्वतः वहां की तरक्की उससे आंकी जा सकती है। गांव से जो किसान लोग अपनी उपज लाते हैं उसे वे आसानी से शहर में भेज सकेंगे, हर तरह की सुविधा सड़कों के बन जाने से सम्भव हो सकेगी। मान्यवर, मैं अपने जनपद की समस्याओं की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान ले जाना चाहता हूं कि एक तो हमारे अपने जनपद में दो-तीन सालों से भावत पुल नहर ब्लाक एलाऊ विधान सभा क्षेत्र किशनी टूटा हुआ है। पिछले वर्ष मैंने तत्कालीन मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना की थी तथा उन को लिखा था। उन्होंने इसके लिये धन स्वीकृत करके भावत पुल बनाये जाने की बात कही थी जो कि आज तक नहीं बन पाया है। जब उसकी प्रगति के बारे में पता लगाओ तो कभी पता चलता है

कि ठेकेदारों के द्वारा पुल बनवाया जायेगा और कभी पता चलता है कि सेतु निगम को बनवाने के लिये दिया जा रहा है। वहां के लोग बड़े परेशान हैं और इसके कारण आवागमन की बड़ी दिक्कत है। किसान अपनी उपज मंडी में नहीं पहुंचा पाते हैं। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इसे स्वयं देख लें और सेतु निगम के द्वारा इस पुल का अविलम्ब निर्माण कराने की कृपा करें।

दूसरी समस्या मिसिंग रोड की है। आपकी जो सड़कें बन रही हैं वह मिसिंग रह जाती हैं। दोनों तरफ से बनाकर बीच में एक-एक, दो-दो मील छोड़ दी जाती हैं। मेरा निवेदन है कि मिसिंग रोड को प्राथमिकता के आधार पर बनवाया जाय। मेरे क्षेत्र में सड़क छिबरामऊ से बिशुनगढ़ बन चुकी है मेरे क्षेत्र में किशनी से सवापुर-सकोया तक सड़क बना दी गयी है और इसके बीच में 4 मील का रास्ता छोड़ दिया गया है। यदि यह बना दिया जाय तो छिबरामऊ से किशनी तक पक्का रास्ता लोगों के आवागमन के लिये हो जायेगा और इससे बड़ी सुविधा होगी।

एक निवेदन और भी है कि जितना पैसा इन सड़कों के लिये सेंक्शन होता है उसका पूरा उपयोग नहीं हो पाता है। तमाम जगह पर आपके निर्माण कार्य एक साथ शुरू कर दिये जाते हैं। सड़कों पर कहीं मिट्टी छोड़ दी जाती है, कहीं कम डाली जाती है और कहीं मिट्टी ही डाल दी जाती है। जब मिट्टी डाली जाती है तो उनके नीचे पेड़ आदि जो दबा दिये जाते हैं वे बरसात में फिर उग आते हैं और मिट्टी तो बह जाती है और जो सड़क थोड़ी बहुत बनायी जाती है वह फिर जैसी की तैसी हालत में हो जाती है। इसलिये मेरा सुझाव है कि एक टेक्नीकल सेल आप जिला स्तर पर नियुक्त करें जिसमें एक एक्जीक्यूटिव अधिकारी हो और दो इंजीनियर्स हों जिनके द्वारा सड़क बनाये जाने का सही आंकलन किया जा सके। इसके अतिरिक्त आप अपने यहां एक फ्लाइंग स्क्वाड की व्यवस्था करें जो कि आपकी तमाम सड़कों के निर्माण कार्य की प्रगति की चेकिंग किया करे, इससे सड़क निर्माण कार्य में अवश्य ही सुधार आयेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री राज किशोर सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी का भाषण बड़े गौर से सुना और वह भाषण आपने स्वयं बनाया तो नहीं था लेकिन इनके विभागीय सचिव ने जो कुछ लिख-पढ़ दिया, उसे इन्होंने यहां सुना दिया। मंत्री जी कहते हैं कि ईराक में हम बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। यह तो वैसे ही कहावत हो गयी कि जंगल में मोर नाचा, उसे किसने देखा? आपने चाहे वहां हवाई महल बनाये हों, नहरें खुदवाई हों, लेकिन हमारे अपने प्रदेश में जो यहां के गांव की जनता है, शहर की जनता है, प्रदेश की जनता है, आपकी कहां कौन सी सड़कें बन रही हैं, पुरानी सड़कें उपेक्षित पड़ी हुई हैं, ऊबड़-खाबड़ दशा में हैं, उनकी मरम्मत तो आप करा नहीं पाते, उन्हें बनवा नहीं सकते और आप नये विभाग की बात कर रहे हैं।

आपका विभाग जो सड़कें बनाता है तो उस पर मिट्टी डाल दी गयी थोड़ी दूर तक, उसके बाद बोल्डर डाल दिया और जब तक मिट्टी पर बोल्डर डाला जाय तब तक मिट्टी उड़ कर चली गयी, यह व्यय-भार किस पर पड़ रहा है? प्रदेश की जनता पर। बनारस में कई-कई जगहों पर कुछ

तरफ बोल्डर डाल दिया और दूसरी तरफ सड़क को छोड़ रखा है, जिस पर चलना भी सुविधाजनक नहीं होता है। और न आप उस मिट्टी को दबवाते ही हैं। चाहे हरहुआ हथिवार की रोड हो या राजा तालाब की सब जगह पर एक ही तरह का हाल है। मेरा सुझाव है कि आप जो काम उठावें उसको एक सिरे से लिया जाये और अन्त तक उसको मुकम्मल करके पहुंचाया जाय तो इस तरह से कोई बर्बादी नहीं होगी।

मान्यवर, आर0 ई0 एस0 में जो सड़कें बनती हैं, वह सोलिंग कर देते हैं और जो सोलिंग होती है वह थर्ड क्लास ईंटों से होती है और आप इंटर कोटिंग करते हैं और टाप कोटिंग करते हैं, तो जो आर0ई0एस0 ने बनाया है, उसमें कहीं-कहीं पर गढ़े होते हैं, तो फिर आपको नुकसान होता है।

मान्यवर, मैं पुलों के बारे में कहना चाहता हूं। बनारस में वरुना नदी बहती है। वर्षों से लोग मांग कर रहे हैं कि इस पर एक पुल का निर्माण कराया जाये, तो उस क्षेत्र का विकास होगा। सत्तनपुर के पास पुल की मांग की जा रही है। यहां पर पुल बन जाने से बनारस, जौनपुर और इलाहाबाद जुड़ जायेंगे। जो पुल कोरउत घाट के पास बनेगा वह इलाहाबाद मिर्जापुर को जोड़ता है और सम्पर्क मार्ग बन चुके हैं, इस ओर भी माननीय मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये। इनका निर्माण शीघ्रातिशीघ्र कराया जाये। इसके अलावा बहुत से नाले हैं, उन पर भी पुलों का निर्माण कराया जाये। इनके लिये इस्टीमेट भेजा गया है, लेकिन काम को हाथ में नहीं लिया गया है, इसलिये वहां की जनता को दिक्कत हो रही है। इस ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और आप इस पर विशेष ध्यान दें।

मान्यवर, जो आपका राजकीय निर्माण निगम है, उसमें 300 लोग बेकार पड़े हैं। वह ऐसे कर्मचारी हैं जो 10-10 साल से काम कर रहे हैं। उससे आपको नुकसान हो रहा है, तो आप इस ओर ध्यान दें और उनको काम पर लेने का प्रयास करें। उनकी समस्या हल हो सके।

मान्यवर, ठेके पर काम कराया जाता है, इसको बंद किया जाना चाहिये, जो लूट हो रही है वह समाप्त हो जाये।

मान्यवर, जी0टी0 रोड पर बनारस में बहुत अधिक भार है, और रोजाना एक्सीडेंट्स होते हैं और इनकी कल्पना नहीं की जा सकती है कि कब दुर्घटना हो जाये, इसलिये जितनी जल्दी हो सके आप राम नगर बाईपास को बनवावें। यह बहुत महत्वपूर्ण काम है। मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री शिव नारायण मिश्र–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

श्री अधिष्ठाता–

मैं कहना चाहता हूं कि बजट पर चर्चा 5 बजे तक चलेगी, मेरा प्रयास होगा कि जो नये माननीय सदस्य हैं उनको बोलने का अवसर अवश्य मिल जाये। मेरा प्रयास होगा कि जहां तक संभव हो सभी को अवसर मिल जाय।

श्री शिव नारायण मिश्र–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अपने विधान सभा क्षेत्र चांदा की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। हमारा विधान सभा क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ है और गोमती नदी के किनारे पर है। यहां पर एक दियराघाट

है, यहां गोमती नदी पर पुल बनाने की बड़ी आवश्यकता है। अगर यहां पर एक पुल निर्मित करा दिया जाये तो वहां की जनता को काफी राहत मिलेगी। मान्यवर, राष्ट्रीय मार्ग 56 में 159 से 161 कि0 मी0 तक सड़क काफी खराब है, दो वर्षों से उस पर निर्माण कार्य हो रहा है परन्तु अभी तक पूरा नहीं हुआ है और आपसे प्रार्थना है कि इस कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा कराने का कष्ट करें। कोइरीपुर के पास पीली नदी बहती है, इस पर पुल बनाने के लिये 1 लाख 80 हजार का इस्टीमेट बनाया गया था, लेकिन आज तक पुल का निर्माण नहीं हुआ है। 4 वर्ष तक के बच्चे स्कूल जब जाते हैं तो उनको नाव से पार करना होता है, इस पुल का निर्माण जनहित में शीघ्र कराने की कृपा करें। श्रीमन्, राष्ट्रीय मार्ग 56 पर हनुमानगंज, कामतागंज, लम्भुआ, चांदा बाजार पड़ता है इनमें पानी का निकास नहीं है, नाली नहीं है जिसके कारण भीषण गंदगी पैदा हो जाती है। मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि सड़क के किनारे पक्की नाली बनवाने की व्यवस्था करें। मान्यवर, हनुमानगंज से शम्भूगंज, शिवगढ़ मुख्य मार्ग को पी0डब्लू0डी0 में लेकर इसका निर्माण कराने की कृपा करें। ताकि आम जनता को राहत मिल सके। मान्यवर, मैं आपसे यह भी मांग करता हूं कि माननीय मंत्री जी, सुल्तानपुर-पखरौली मार्ग पर छतौना तक लेपन कार्य हो चुका है, 5 कि0मी0 अभी शेष है उसे शीघ्र पूरा कराया जाय। मुझे आशा है कि मंत्री जी इसी वित्तीय वर्ष में इसे पूरा करा देंगे।

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद। मैं माननीय मसूद खां साहब की कटौती पर बल देते हुए माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक निर्माण विभाग में लूट-खसोट होती रहती है और मिर्जापुर जनपद में इधर 5-6 सालों से ज्यादा लूट-खसोट हो रही है जब कि ज्यादातर प्रदेश की सड़कों में मांग मिट्टी की है, सीमेंट की है। मिर्जापुर जनपद में यह सब होती है तब भी टारगेट पूरा नहीं होता है। कहीं मिट्टी का काम है तो कहीं मिट्टी पड़ी है गिट्टी नहीं पड़ी है, जहां गिट्टी पड़ी है वहां तारकोल नहीं पड़ा है इन सब चीजों की ओर ध्यान देते हुए मैं अपने मिर्जापुर जनपद की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जैसा शत-रुद्र प्रकाश जी ने भी कहा बाई पास के बारे में। जो वाराणसी बाईपास का मार्ग बना है उस पर जो मल्लाह हैं, सीताराम निषाद जी मल्लाह की भावनाओं से अवगत होंगे, यदि उसका गाइड बंद 100 मीटर पूरब चलाया जाय तो इससे हजारों परिवारों को लाभ पहुंचेगा। हमारे लोकपति त्रिपाठी जी भी चाहते हैं कि वह पुल बन जाय मिर्जापुर के दक्षिणांचल में जाने के लिए। वहां अभी सोने की खान निकली है। बनारस से मिर्जापुर जाते समय अहरौरा रोड पर अप्रोच रोड का कार्य शुरू हो जाना चाहिए। एक बात और कहना चाहता हूं कि इलाहाबाद से लेकर यदि आप बलिया तक गंगा नदी के किनारे सड़क सहित तटबंध बनाने की कोशिश करें तो इससे कम से कम आवागमन के लिए भी सुविधा होगी और गंगा प्रदूषण निवारण के दृष्टिकोण से और बाढ़ को रोकने के दृष्टिकोण से भी ठीक हो जायेगा इस पर आप ध्यान दें। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि ये लोग जो इंजीनियर हैं पी0डब्लू0डी0 के, सेतु निगम

के गल्फ कन्ट्री के नाम पर, अभी हमारे उत्तर प्रदेश की विधान सभा के सदस्य महसूस किये होंगे ज्यादातर मल्लाह हो जाते होंगे। इसकी एजेन्सी पहले दिल्ली की थी अब बम्बई की हो गई है। वहां पर इंजीनियर्स करोड़ों करोड़ रुपये एय्याशी में लगाते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब ये लोग बाहर जाते हैं, तो एय्याशी के लिए जाते हैं, कनाडा जाते हैं अमेरिका जाते हैं तो डिबोटी हो जाते हैं लेकिन इंडिया में डिबोटी नहीं हो पाते हैं। राष्ट्रीय राज मार्ग नम्बर 2 और नम्बर 7 जो बनारस से गुजरता है, उस पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए और नई तकनीकी दृष्टिकोण से कोशिश करनी चाहिए कि किस तरह से हम इन राजमार्गों को बेहतर बना सकें। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर दो का जो बाई-पास बनारस से जाता है, उसे जल्दी पूरा करें।

श्री महमूदुल हसन अंसारी–

मान्यवर, आपने मुझे माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। माननीय मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है वह इस अन्दाज से पेश किया है, इस तरीके से पेश किया है उससे इस प्रदेश की तरक्की होगी। माननीय मंत्री जी ने सड़कों का जाल बिछा दिया है और एक हजार से 15 सौ तक की आबादी वाले गांव और 15 सौ से दो हजार तक की आबादी वाले गांवों में लम्बी सड़कें बनाने की कोशिश की है उसके लिये मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आपके माध्यम से उनसे यह कहना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र अफजलगढ़ जहां से मैं चुनकर आया हूं वह बिजनौर में है। वह बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। उस क्षेत्र की तरक्की के लिये ज्यादा सड़कों की आज जरूरत है मैं माननीय मंत्री जी से अर्ज करना चाहूंगा कि उस क्षेत्र में कुछ इलाके ऐसे हैं जैसे भोगपुर, वीरभान वाला, कुवाखेड़ा आदि जहां 30-30 किलोमीटर तक कोई सड़कें नहीं है। इसलिये इन सभी क्षेत्रों से गुजरने वाली एक लम्बी सड़क वहां पर बना दी जाय ताकि इन इलाकों में रहने वाले लोगों के लिये आने जाने में आसानी हो सके।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक बात और कहना चाहूंगा कि वीरभान वाला, भोगपुर से अफजलगढ़ आने के लिये रास्ते में राम गंगा नदी पड़ती है। उस पर चलने के लिये कोई पुल नहीं है। इसलिये मैं चाहूंगा कि वहां पर राम गंगा नदी (गऊघाट) पर एक लकड़ी का कच्चा पुल बनवा दिया जाय ताकि अफजलगढ़ आने वाले लोगों के लिये सहूलियत हो सके। साथ ही मैं मंत्री जी से यह भी निवेदन करूंगा कि अफजलगढ़ क्षेत्र में एक बड़ा अस्पताल बनाया जाय। मैं माननीय मंत्री जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे मंडल मुरादाबाद में 300 बिस्तरों वाला एक अस्पताल बन रहा है। मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र से लगे हुये क्षेत्र नजीबाबाद में एक ओवर ब्रिज बनाया जाय। इससे वहां के लोगों को बड़ा फायदा होगा और सारे मुल्क से हरिद्वार आने-जाने वाले लोगों के लिये आसानी हो जायेगी। वहां पर पुल न होने से लोगों को बड़ी तकलीफ उठानी पड़ती है। मैं आपके माध्यम से यह भी चाहूंगा कि हमारे इलाके में रायपुर से बढ़ापुर जाने के लिये कच्चा मार्ग है और उसे पुख्ता बनाया जाय और वहां पर रवी नदी पर पुल बनाया जाय। इसके अलावा सेरकोट के पास जो रवी नदी बहती है उसमें 3 बार बाढ़ आ

चुकी है। मैं चाहूंगा कि उस नदी में रुड़की के प्लान पर एक बांध बनाया जाय। इन अल्फाज के साथ मैं माननीय मसूद खां साहब से अर्ज करूंगा कि वे अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें और इस बजट को पास करें ताकि यह प्रदेश तरक्की कर सके। मैं आपके बजट का समर्थन करता हूं।

श्री विष्णुदेव –

मान्यवर, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, गावों के विकास के लिए सड़कों और पुलों का बहुत महत्व है बिना उनके गांवों का विकास होना संभव नहीं है। आजादी के बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग ने जितना सड़कों और पुलों का काम किया उसका अब तक का नतीजा यह है कि अभी भी गांव सड़कों से कोसों दूर हैं। आपने अभी बताया कि एक हजार की जनसंख्या वाले गांवों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने जा रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि दो हजार तक की आबादी के गांव भी अभी पक्की सड़कों से नहीं जुड़ पाये हैं। यह बात कागजों तक ही सीमित है आपके अधिकारी आपको गलत रिपोर्ट देते हैं। मैं अपने क्षेत्र के कुछ गांवों के नाम बताना चाहूंगा जिनकी आबादी दो हजार से ज्यादा है लेकिन वहां पक्की सड़क छोड़ दीजिये खड़ंजा भी नहीं लगा है, रास्ते भी पक्के नहीं बने हैं। मेरे क्षेत्र में लौवासाथ की आबादी दो हजार से अधिक है, धर्मपुर की आबादी दो हजार से अधिक है, इसी तरह मोलनापुर की आबादी दो हजार से अधिक है, और नरुल्लाहपुर, बेलाकसला पतजीत्रा, सिसवा गांव हैं इन सब की आबादी डेढ़ हजार से अधिक है लेकिन यहां पर अभी तक पक्की सड़क नहीं बनी है। यह सब कागज पर आपको दिखा दिया जाता है और आपको धोखा दिया जा रहा है। वास्तविकता यह है कि जो काम आपने पिछले साल शुरू किया था वह सब काम अधूरे पड़े हैं। आपको यह देखना चाहिये कि जो काम शुरू करें उनको कम से कम पूरा करा दें। पिछले वर्ष जितना सड़कों का काम हुआ वह सड़कें अधूरी पड़ी हैं। हमारे यहां एक गांव बीबीपुर है जहां के ब्रिगेडियर उस्मान हुए हैं जो पाकिस्तान की लड़ाई में शहीद हुए हैं। उनके गांव तक अभी तक सड़क नहीं बनी है।

हमारे यहां नत्थूपुर क्षेत्र में कोयागंज बाजार से जयरामगढ़ नकटा सिपाही इब्राहिमाबाद तक सड़क अभी तक नहीं बनी है उसे जल्दी बनाया जाय। इसी प्रकार ग्राम लखनौर, बैरियाडीह मार्ग पर हाहानाले पर पुल नहीं बना है उसे जल्दी बनाया जाय। तीसरा आजमगढ़ के ग्राम अटिरुपुर से सोनाडीह जिला बलिया के बीच हाहानाले पर पुल बनाया जाय। मधुबन बाजार में पक्की नाली बनाने और चौड़ी सड़क बनाने का काम शुरू किया गया है उसे जल्दी पूरा किया जाय। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आजमगढ़ की सड़कों के लिये जो धन स्वीकृत किया गया है वह काम अभी नहीं हो रहा है। मालूम हुआ है कि वह पैसा वापस हो रहा है। तो यह आपके कार्य की स्थिति है। इसी प्रकार जो दूसरे निर्माण के कार्य हैं उनकी भी यही हालत है। यहां से पैसा चला गया लेकिन वहां काम नहीं हुआ। आज सड़कों की बड़ी खराब हालत है। पुनर्निर्माण के नाम पर पैसा खर्च हो जाता है लेकिन सड़कें ज्यों की त्यों रह जाती हैं। आपको यह देखना चाहिये कि जितना पैसा सड़कों के लिये दिया गया है वह सब खर्च हो रहा है या नहीं। इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि जो सुझाव मैंने दिये

हैं उनको वह स्वीकार करेंगे। मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। मान्यवर, जहां तक सार्वजनिक निर्माण विभाग का प्रश्न है मैं अपनी सरकार और माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं कि इस विभाग ने हमारे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा दिया जिसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। श्रीमन्, इस विभाग को विशेषरूप से सेतु-निगम और राजकीय निर्माण निगम को मैं बधाई देता हूं कि इन्होंने न केवल अपने देश में बल्कि विदेशों में भी काम करके ख्याति प्राप्त की है। माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने किसी एक पुल के खम्भे के टेढ़े होने की बात की। लेकिन उनको इस बात की प्रशंसा करनी चाहिये अगर वह अन्य पुलों के निर्माण कार्य को देखें उदाहरण के लिए यहां से गोण्डा जाने वाले मार्ग पर घाघरा नदी पर पुल को देख लें। निर्माण कार्यों में जो समय निर्धारित किया गया था उस समय के अंदर ही पुल बनाकर तैयार हो गया है। श्री राजकिशोर सिंह ने कहा कि हमारे जो सेतु निगम और राजकीय निर्माण निगम हैं वह विदेशों में जाकर काम करते हैं, तो जंगल में मोर नाचा, किसने देखा। तो वह उस मोर की तरह है कि जो अपने काम (नृत्य) को ही नहीं देख पाते हैं। यहीं, लखनऊ में जहां वह रहते हैं, एनेक्सी सचिवालय को देखें जिसको राजकीय निर्माण निगम ने ही बनाया है, लखनऊ में ही पी0सी0एफ0 की बिल्डिंग को देखें जिसको निर्माण निगम ने ही बनाया है। लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि विपक्ष के माननीय सदस्यों को हमारी सरकार और हमारे अधिकारियों की आलोचना करते नहीं थकते और कहते हैं ऐय्याशी करते हैं जिससे वह अधिकारियों का मनोबल गिराते हैं। इसलिये मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सरकार द्वारा किये गये अच्छे कार्यों की प्रशंसा भी करनी चाहिए जिससे सरकार और अधिकारियों का मनोबल ऊंचा उठ सके।

मान्यवर, कार्य के क्षेत्र में हमारी योजनायें और दी जा रही हैं जिसके लिये सरकार बधाई की पात्र है लेकिन जब तक उनका कार्यान्वयन सही रूप से नहीं होगा तब तक उसका लाभ जनता तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिये मैं सुझाव देना चाहता हूं कि इस विभाग की कार्य-प्रणाली को देखते हुए एक सड़क तैयार हो रही है, पूरी नहीं बन पाती है लेकिन उसका उद्घाटन हो जाता है और फिर सड़क खराब होने में भी देरी नहीं लगती है, इसी तरह पुल बनकर तैयार हुआ और उसमें खराबी भी आ जाती है। मान्यवर, टेक्निकल लोग जो सड़क या पुल बनाते हैं, तो इनका एक मानक होता होगा कि नई सड़क या पुल बनेगा और दैवी आपदा नहीं आती है, तो कोई मानक होगा कि इतने समय तक सड़क या पुल खराब नहीं होंगे लेकिन आज इसका उल्टा देखने में आता है। इसलिये यदि कहीं सड़क, पुल या पुलिया निर्धारित समय के पहले ही खराब होती है तो जिसकी देखरेख में काम हुआ हो उसको सजा मिलनी चाहिए फिर वह चाहे जहां ट्रांसफर होकर गया हो।

मान्यवर, हमारे जनपद गोंडा नगर में हमारे विधान सभा क्षेत्र में, उपरि पुल (फ्लाई ओवर ब्रिज) का शिलान्यास भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने किया था, जो स्वीकृत हो चुका है, लेकिन उसका ऊपरी हिस्सा रेलवे विभाग द्वारा बनना है किन्तु पुल के दोनों तरफ

पी0डब्लू0डी0 द्वारा बनाया जाना है, शिलान्यास का पत्थर लगा हुआ रह गया है और आज तक उसका शुभारम्भ नहीं हो पाया है, इसलिये मैं मंत्री जी से मांग करता हूं कि इस पुल का कार्य पूरा किया जाये।

इन शब्दों के साथ मैं मान्यवर, आपके प्रति आभार प्रकट करते हुए मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का हृदय से अभिनन्दन एवं समर्थन करते हुए कटौती के प्रस्ताव रखने वाले माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे और वह अपने प्रस्ताव को वापस लेकर एक नई परम्परा कायम करें।

श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी–

मान्यवर, मैं प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय मार्गों एवं ग्रामीण क्षेत्रीय मार्गों का जो निर्माण कराया गया है और जो मार्ग विगत वर्षों में कच्चे बनाये गये हैं उन्हें शीघ्र ही पक्का कराया जाये। जिन मार्गों का निर्माण गतवर्षों में हुआ है, उनका राज्य स्तर पर जिस तरह रख-रखाव और अनुरक्षण होता है उसी तरह से, उनका भी रख रखाव और अनुरक्षण होना चाहिए वरना उनमें लगा हुआ धन बेकार हो जाता है और सड़कों का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। सड़कें ग्रामीण विकास की रीढ़ हैं और अनुरक्षण के अभाव में गांवों का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। गांवों में लघु और कुटीर उद्योग विकसित नहीं हो पाते हैं इसका कारण है कि गांवों की जनता शहरों में रोजी-रोटी के लिये पलायन कर रही है। शहरों में आवास प्रदान करना और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना एक बड़ी समस्या है। इसलिये अन्य विकास कार्यों में सड़कों का निर्माण सर्वाधिक प्राथमिकता का है। जिलों में जो सड़कें निर्मित हुई हैं, उनमें भी कोई सामंजस्य नहीं है। जैसे अलीगढ़ जनपद में सिकन्दाराऊ क्षेत्र में एक भी सड़क निर्मित नहीं की गई हैं। इस क्षेत्र में निर्माण के लिए स्वीकृत सड़कों को अन्य स्थानों पर निर्मित सड़कों की लम्बाई का समायोजन करने के लिए छोड़ दिया गया है। इस तरह से इस क्षेत्र को बिल्कुल शून्य कर दिया गया है। जिले के प्रभारी मंत्री 20 सूत्रीय कार्यक्रम से जब इस बारे में शिकायत की तो जांच के समय सा0 नि0वि0 के एस0ई0 ने यह बताया कि मण्डल में जो स्वीकृति से अधिक लम्बी सड़कें बन गई थीं, उनके खर्च को समायोजित करने के लिये सिकन्दराराऊ क्षेत्र की सभी सड़कों को काट दिया गया है। यह बात आपत्तिजनक है। यदि वित्तीय संसाधनों के अभाव में कोई कटौती भी करनी थी तो सभी क्षेत्रों में थोड़ी-थोड़ी करनी थी, एक ही क्षेत्र की सभी सड़कों के निर्माण कार्य को काट देना और उसको शून्य कर देना अन्यायपूर्ण है। इस क्षेत्र की जो कुछ बहुत महत्वपूर्ण सड़कें हैं नगला-जलाल-कपसिया-बाजीपुर, उसे आप शीघ्र निर्मित कराने की कृपा करें। इसी तरह से रतमानपुर मैकुरी खड़ंजा मार्ग को पक्का करने की कृपा करें, इस पर बसें भी चलती हैं। अन्त में कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री पूरन सिंह माहरा–

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री के बजट पर बोलने का मुझे अवसर दिया और मैं उनके द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। मैं उन्हें बधाई देता हूं कि उन्होंने सन् 1990 तक 15 सौ की आबादी वाले सभी गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने का अपना वायदा किया है और 1986 तक निर्धारित अपने लक्ष्य में 82 प्रतिशत सफलता प्राप्त कर ली

है। सन् 81 में इण्डियन रोड कांग्रेस ने जो 20 वर्षीय योजना सड़कों के लिए बनायी थी, उसमें उस समय यह मांग की गई थी कि इस तरह सड़क बनाने में करीब 64 हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी, उतना रुपया उपलब्ध नहीं हो रहा है। कृपया मंत्री जी उस आवश्यक व्यय को देखते हुए उस धनराशि को प्राप्त करने की कृपा करें। साथ ही मैं मंत्री जी को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि प्रदेश भर में हाट-मिक्स प्लान्ट के द्वारा सड़कों को चौड़ा बनाया जा रहा है और आवश्यकतानुसार बनाया जा रहा है। पहाड़ी क्षेत्र में कुछ विशेष जिलों को छोड़कर उस हाट मिक्स प्लान्ट के द्वारा सड़कों को बनाने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। इस विषय में इंजीनियर से पूछा जाएगा तो उसका यह कहना है कि इस तरह से जो खर्चा आता है उससे सारे पर्वतीय क्षेत्र की सड़कों को पेन्टेड किया जा सकता है।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र में जहां छोटे-छोटे नदी नाले हैं, वहां पुलों की व्यवस्था न होने से हर वर्ष दुर्घटनावश कई मौतें हो जाती हैं, इसलिये जो सड़कें मंजूर हो गई हैं पूरी नहीं हैं, तो भी उस मार्ग पर पड़ने वाले पुलों के निर्माण पर कार्यवाही करनी चाहिये। जब तक मार्ग बनेगा तब तक यह पुल पैदल पुलों का काम भी कर सकेंगे। रानीखेत में चार मोटर-मार्ग ऐसे हैं, जिसके लिए रक्षा विभाग ने 16 लाख रुपये की मांग की है, आप उस रुपये की व्यवस्था करा दें, ताकि वहां पर निर्माण कार्य शुरू हो जाए। शासकीय कार्यों में बन संरक्षण नियमों का सरलीकरण किया जाय।

अंग्रेजों के जमाने में अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंता को वर्क आर्डर इम्प्रेस्ट और चेक काटने की जो पावर थी, उसे वर्तमान समय में आप जब तक नहीं बढ़ायेंगे, कार्य को गति नहीं दी जा सकती है। कैश-क्रेडिट लिमिट का भी बढ़ाया जाय। बिना इसको बढ़ाये ठेकेदार व मजदूर से काम नहीं लिया जा सकता है। पहले वर्ष भर के लिए कैश क्रेडिट दी जाती थी, अब 2-2, 3-3 माह के लिए दी जाती है, जिससे हर तीसरे चौथे महीने कैश क्रेडिट प्राप्त करने के लिए बाबू को लखनऊ में आना पड़ता है और कार्य में भी बाधा पड़ती है। पूर्व की भांति आप हर खण्ड को वर्ष भर के लिये कैश-क्रेडिट योजना को लागू करें। आपने मान्यवर, बोलने का अवसर दिया, उसके लिए पुनः धन्यवाद देता हूं व बजट का समर्थन व कटौती प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं।

श्री सत्य प्रकाश विकल—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझको बोलने के लिये अवसर प्रदान किया। मान्यवर, मैं इस बजट पर बोलते हुये विशेष रूप से आगरा शहर की समस्याओं की ओर आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। आगरा में अनेकानेक सड़कें हैं जिन सड़कों को बनाने का दायित्व इस विभाग पर है। आज वह सड़कें बहुत बुरी हालत में हैं। नगर महापालिका आगरा ने 10 सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग को दीं परन्तु उन्होंने 3 के लिये जी0ओ0 किया और उन को बनाया, शेष 3 सड़कों को छोड़ दिया और वह आज भी लावारिस हालत में हैं उनका कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है, इनमें से एक महत्वपूर्ण सड़क यमुना रोड से जीवनी मंडी होती हुयी जवाहर पुल से गुजरती है। इस सड़क पर रोजाना हजारों वाहन चलते हैं।

अनेकों बार कहने पर भी यहां चर्चा करने पर भी सड़क नहीं बनी है जबकि दोनों विभाग माननीय मंत्री जी के पास हैं। कभी-कभी यह हालत देखकर मुझे ऐसा लगता है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग और नगर महापालिका के बीच में विश्वामित्र और मेनका का रिश्ता कायम हो गया है और इस रिश्ते के अनुसार नाजायज रूप से लावारिस सड़कें बेकार पड़ी हैं शकुन्तला के रूप में तो उन सड़कों की जिम्मेदारी लेने के लिये दोनों में से कोई तैयार नहीं है। इस सड़क पर हजारों वाहन चलते हैं और रोजाना ट्रैफिक जाम होता है, बिना ट्रैफिक जाम किये ट्रैफिक जाम होता है और विभागों के कान पर जूं नहीं रेंगती है। विभागों की रस्साकशी में अटकी इस सड़क रूपी शकुन्तला जिसकी जिम्मेदारी से दोनों ही विभाग कतराना चाहते हैं मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि वे निर्णय लें और इस महत्वपूर्ण राजमार्ग को अविलम्ब बनाने का आदेश देने की कृपा करें। आपके पास सेतु निगम है, बढ़िया से बढ़िया पुल बनाने का आप दावा करते हैं लेकिन आगरा का जवाहर पुल आज भी बीच में टूटा हुआ है। इस पर रोजाना ट्रैफिक जाम होता है। हजारों वाहन जो कानपुर, मेरठ और देहरादून से आते हैं वन वे ट्रैफिक होने के बावजूद भी ट्रैफिक जाम होने के कारण फंस जाते हैं इसके बीच में बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है जिससे काफी खतरा बढ़ गया है। दूसरी सड़क कटरा वजीर खां से जवाहर-पुल वाई पास होती हुयी सिकंदरा जाती है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग है। लेकिन यह नेशनल हाइवे आज मृत्युपथ बन गया है। साल में कम से कम 20–25 लोग मरते हैं। कोई ट्रक से कोई बस से कोई कार से कुचल कर मरता है। प्रतिवर्ष महिलायें, पुरुष और बच्चे मरते हैं लेकिन सड़क नहीं बन रही है। मुझे बहुत दुख हुआ जब मैंने देखा कि भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय से जो मांगें की गयी हैं जो आगणन प्रेषित किये गये हैं उसमें इस सड़क की चर्चा नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस नेशनल हाइवे के लिये जिस पर मथुरा-दिल्ली से आने वाले तमाम वाहन गुजरते हैं और आगरा महा नगर की अनेक कालोनियों तथा बस्तियों की आबादी गुजरती है तो इस सड़क को चौड़ा किया जाय और सेंट्रल चैनल देकर दो तरफा रास्ता बनाया जाय ताकि नेहरू नगर, कमला नगर, न्यू आगरा, बल्केश्वर आदि कालोनियों के लाखों लोग जो वहां रहते हैं उनके जीवन की रक्षा की जा सके तथा यह सड़क बढ़ती आबादी और यातायात का बोझ संभाल सके। इन दोनों सड़कों तथा जवाहर पुल का बनाया जाना बहुत आवश्यक है।

इसी के साथ-साथ मैं इस ओर भी ध्यान चाहता हूं कि इस विभाग की ओर से जो पुल और सड़कें बनायी जाती हैं उनके रख-रखाव की जिम्मेदारी निश्चित की जानी चाहिये। आप आंकड़ों का जाल फैला कर बता देते हैं कि सड़कें बन रही हैं जबकि वास्तविकता है कि सैकड़ों सड़कें बनने के बाद बेकार पड़ी हैं, उनकी दुर्दशा हो रही है और उन पर चलना मुश्किल है। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि जहां तक विभाग का ताल्लुक है तो विभाग में जो ए0ई0 हैं, डिवीजन्स हैं वह सभी विभागों के लिये आवास बनाकर देते हैं जिनका आवंटन जिलाधिकारी करते हैं लेकिन आपके विभाग के अनेकों अधिकारियों के पास रहने के लिये आवास नहीं हैं अलग-अलग और दूर-दूर रहने से उनमें ताल मेल नहीं बन पाता है। डिवीजन में गाड़ियों की कमी के कारण

ए0ई0 घर और दफ्तर में बैठे रहते हैं, काम पर नहीं जाते। तो इस ओर भी ध्यान देना चाहिये और यह देखना चाहिये कि इनकी इफीशियेंसी में और सक्रियता में कमी न हो। इन शब्दों के साथ जिन चीजों को मैंने उठाया है, मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी उन पर ध्यान देकर उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे।

चौधरी श्याम लाल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, किसी प्रदेश का आर्थिक उत्थान तभी होगा जब उस प्रदेश में यातायात के समुन्नत साधन होंगे और सड़कें होंगी। मान्यवर, अभी जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उसमें उन्होंने कहा है कि ग्रामीण अंचलों को सड़कों से जोड़ा जाय। तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत 1990 तक शत-प्रतिशत 1500 या इससे अधिक आबादी वाले 10,878 गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित है और एक हजार से 1499 तक आबादी वाले 11,081 गांवों को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित है और वर्ष 1985–86 तक जुड़ने वाले गांवों की संख्या जो 1500 या इससे अधिक आबादी वाले गांव हैं वह 8,364 हैं और एक हजार से 1499 तक आबादी वाले गांव की संख्या 6,064 है। और दोनों आबादी वाले गांवों को जो जोड़ने का परसेंटेज निकाला गया है वह है 76.9 प्रतिशत तथा 54.7 प्रतिशत। इसी प्रकार से वर्ष 1986–87 में 1500 से अधिक आबादी वाले गांवों को जोड़ने का लक्ष्य 633 है और एक हजार से 1499 तक 478 गांवों का लक्ष्य है और इसी वर्ष टोटल गांव की संख्या 8,997 है 1500 से अधिक आबादी वाले गांव की और एक हजार से 1499 तक आबादी वाले गांवों की संख्या 6,542 का लक्ष्य निर्धारित है जिनका प्रतिशत क्रमशः 82.7 और 59.00 प्रतिशत है। चूंकि मान्यवर, 1000 से 1499 तक आबादी वाले गांवों को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित (50 प्रतिशत) पूरा हो चुका है, इसलिए इस लक्ष्य को अब बढ़ाकर 70 प्रतिशत कर दिया गया है। यह हमारी उपलब्धियां हैं, जो उस पक्ष वालों को नजर नहीं आती है और जनता शासन में कार्य जो हुआ था वह केवल नक्शों पर ही मिलता है, मौके पर कोई भी सड़क नहीं मिलती है।

दूसरी बात एक और मैं अपने विरोध पक्ष के लोगों से कहना चाहूंगा जैसा कि इन्होंने इस विभाग द्वारा किये गये कार्यों को, और इनके अधिकारियों व कर्मचारियों की यदि तारीफ न करते तो कम से कम इसमें जो दो इकाइयां हैं एक सेतु निगम और दूसरा निर्माण निगम ने जो कार्य किए हैं, उनको नकारा नहीं जा सकता है, और यह दोनों इकाईयां बराबर लाभ में चल रही हैं। इन दोनों इकाइयों द्वारा जो कार्य हो रहे हैं, एक-एक करके मैं इनकी कुछ उपलब्धियां आपके सामने रखना चाहता हूं। निर्माण निगम केन्द्रीय शासन के दो प्रतिष्ठानों का कार्य कर रहा है, जो 20 करोड़ की लागत से बन रहे हैं। जिसमें से एक है काउन्सिल आफ साइन्टिफिक रिसर्च के अन्तर्गत गाजियाबाद में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर शोधशाला का निर्माण और दूसरा चण्डीगढ़ में स्थापित की जाने वाली मार्कोबाइल शोधशालाओं के निर्माण कार्य सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त मान्यवर, केन्द्रीय सरकार के और प्रतिष्ठान इण्डियन इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा कोटद्वार में स्थापित की जाने वाली फैक्ट्री

का कार्य व नेशनल हाइड्रो पावर के टनकपुर में स्थापित हो रहे बैराज परियोजना के कार्य प्राप्त किए हैं । क्या इन उपलब्धियों को आप नकार सकते हैं? आप तो केवल आलोचनाओं के लिए आलोचना करते हैं, कई तथ्य आपके पास नहीं हैं दूसरे सेतु निगम के कार्य आसाम से लेकर केरल तक पूरे प्रदेश में फैले हुए हैं और हाल में एक त्रिवेन्द्रम में स्टेडियम का उच्च गुणवत्ता एवं समय से पूर्व निर्माण पूरा करने के फलस्वरूप और भी बहुत से काम मिले हैं।अंत में मान्यवर, केवल यह बात कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस विभाग को निरन्तर आगे बढ़ाने के प्रयास में हैं और उन्होंने कहा कि तीन माह के बाद प्रत्येक योजना को आगे ले जाने के लिए बराबर पैसे देंगे।इन्ही शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं, जयहिन्द।

*श्री सुखपाल पाण्डे–

मा0 अधिष्ठाता महोदय आपने सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रस्तुत बजट पर मा0 मसूद साहब द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में जो बोलने का अवसर दिया, आभारी हूं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि किस प्रकार से मा0 मसूद साहब ने सरकार को सुझाव दिए हैं, अगर सरकार में जरा भी नैतिकता होगी तो उनके सुझावों को अवश्य मान लेगी।

मैं अधिक नहीं कहना चाहता हूं ।मैं आपका ध्यान अपने जिले की तरफ ले जाना चाहता हूं । बस्ती जिला पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ और सबसे बड़ा जिला है। इसकी हमेशा उपेक्षा हुई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वहां पर जिला नियोजन में दो करोड़ रु0 रखा गया था सड़कों के लिए। लेकिन यह बस्ती जिले की दुर्भाग्य थी कि यहां से एक करोड़ 14 लाख रु0 काट कर सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट में 88 लाख रु0 रखा गया, जिससे बस्ती जिले की एक करोड़ 14 लाख रु0 की क्षति हुई है। तो उसकी क्षतिपूर्ति होनी चाहिए । मैं अपने जिले की कुछ सड़कों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक सड़क हमारे यहां है अयोध्या, सिकन्दरपुर, मस्तिनवां, डुमरियागंज, नेपाल सीमा तक। इस सड़क पर विदेशों से अयोध्या आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए अयोध्या से जोड़ने का एक मात्र मार्ग है। 210 किलो मीटर अयोध्या की इस समय दूरी है। अगर इस सड़क का पूरा निर्माण कर दिया जाय, तो 210 किलो मीटर अयोध्या और नेपाल की जो दूरी है, वह घट कर 125 किलो मीटर हो जाएगी। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इसको अंतर्राष्ट्रीय मार्ग घोषित होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि मंत्री जी आज इस सदन में घोषणा करें।

गोंडा जिले के बारे में हमारे भाई उपाध्याय जी ने बड़े साहस के साथ बड़ी प्रशंसा की है, वह जो कहना चाहते थे, वह कह नहीं सकते हैं। वहां पर सड़कों पर जिस तरह से पैसे का अपव्यय किया गया है, वह उपाध्याय जी डर बस नहीं कह सके, क्योंकि वहां पर सामन्तवादी का राज्य है। मनकापुर बाई पास पर साढ़े 3 किलो मीटर पर 45 लाख रु0 खर्च हुआ। मैंने सेक्रेटरी साहब से अनुरोध किया, तो उन्होंने जांच करवाया, टेक्निकल सेल से जांच हुई, हमारे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तायल साहब भी गये होंगे, उन्होंने देखा होगा, इसकी जानकारी विभाग के टेक्निकल वालों को भी होगी। इस तरह से उपाध्याय जी के क्षेत्र में जहां उन्होंने इस बजट की प्रशंसा की है, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं, एक सड़क धानेपुर मार्ग है, जो माननीय राम पाल सिंह, विधायक के क्षेत्र में है, जिसमें दो लाख रु0 झाड़ी काटने का दिखाया गया है। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं शुक्ला जी यहां पर बैठे हुए हैं। वह जरा अपने अधीनस्थ अधिकारियों को आदेश दे दें कि वह अपने आदेशों का पालन करें। प्रमुख अभियंता का दो आदेश, एक 21-6-80 का है और दूसरा 15-1-83 का है, जारी हुआ कि मस्टर रोल के कर्मचारियों को जिनकी तीन साल की सर्विस हो गयी है, उन्हें स्थायी कर दिया जाय। बस्ती जिले में 336 कर्मचारियों की संख्या है, उन्हें स्थायी नहीं किया गया। उन्हें स्थायी किया जाय।

राज्य सेतु निगम में देश के अन्दर तथा विदेशों से मशीनें खरीदी गयीं, जिसकी सेतु निगम से एवं बोर्ड तथा राज्य सरकार से अनुमति नहीं ली गयी। आज मेरे अतारांकित प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि उक्त मामले की सतर्कता विभाग द्वारा गोपनीय जांच की जा रही है। मशीनरी की खरीद में जो छूट निगम को मिलनी चाहिए थी, वह नहीं दी गयी। वह अधिकारीगण खा गये। इसी तरह से आपके विभाग में पी0 डी0 मिश्रा नाम का एक असिस्टेंट इंजीनियर लाखों रुपये का गोल-माल और गबन किया, उसके खिलाफ जांच हो रही थी, परन्तु जांच के दौरान ही उसकी पदोन्नति करके पौड़ी में अधिशासी अभियंता के पद पर नियुक्त कर दिया गया और एक डिवीजन के बजाय, उसे दो डिवीजन का चार्ज दे दिया गया। ओबेराय, अधिशासी अभयंता के खिलाफ लाखों रुपये का गबन और भ्रष्टाचार का आरोप है और उस मामले को पूरा दबाया जा रहा है। उसे निलंबित करके पूरे प्रकरण की जांच कराई जाय। गोंडा जिले में कई सड़कों पर अधिशासी अभियंता के चहेते सहायक अभियंता तथा अवर अभियंताओं द्वारा खुलीलूट की जा रही है और कांग्रेस के प्रमुख जिम्मेदार लोग एम0 पी0, एम0 एल0 ए0 उसके मददगार हैं। बस्ती जिले में दो अधिशासी अभियंता हीरा लाल तथा अग्रवाल रिबर्ट किये गये, परन्तु सहायक अभियंता तथा अवर अभियंता के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। अधीक्षण अभियंता गोरखपुर उक्त मामले की जांच कर रहे हैं, उसमें वह लीपा-पोती करना चाहते हैं। जो सड़कें बनती हैं, एक ही साल में टूट जाती हैं। इसकी जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। इस प्रकार से मखौड़ा तथा कुसमोर घाट तथा पोहराये रजबापुर, मनोरमा नदी पर राज्य सेक्टर के पुल का निर्माण कराया जाय। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री निसार हुसैन—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे पहली बार इस सदन में बोलने का मौका दिया। आज जो बजट हमारे सार्वजनिक निर्माण विभाग का हमारे माननीय सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और किसी भी सूबे की तरक्की के लिए यातायात के साधनों, पुलों वगैरह के ऊपर ज्यादा निर्भर करना पड़ता है। आज जो माननीय मंत्री

जी ने बजट प्रस्तुत किया है उससे हमें यह आशा बंधी है कि हम सड़कों और पुलों के बनाने में और आगे बढ़ेंगे। मान्यवर, हमारी सरकार ने जो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम बनाया था उसके अन्तर्गत 1990 तक 1500 की आबादी तक के गांव शत-प्रतिशत और एक हजार से 1499 तक 50 प्रतिशत जोड़ने का लक्ष्य रखा था और इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने प्रत्येक जनपद में मास्टर प्लान तैयार कराया जिससे कि हम इन कामों के ऊपर नजर रख सकें। इसके लिए मैं अपने सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं इस अच्छे बजट को प्रस्तुत करने के संबंध में।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कुछ अपने क्षेत्र की समस्याओं को शासन के सामने रखना चाहता हूं। रामपुर में एक पुल बनाया जा रहा है उसमें मेरा निवेदन है कि उस कार्य में गति लाई जाय जिससे कि वह कार्य वर्षा से पहले पूर्ण हो जाय। इसके अतिरिक्त मेरे क्षेत्र में स्वार टांडा रामपुर में जो रोड है उस पर एक पुल बनाने की आवश्यकता है। यह मार्ग लगभग 10 साल पहले बना था। पुल के न होने के कारण उस क्षेत्र की जनता को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से सरकार से कि वह रामपुर स्वार रोड पर पुल जल्दी बनवायें। मैं शासन से यह भी निवेदन करूंगा कि वहा बेहला नदी के ऊपर भी एक पुल बनवाया जाय। मेरे क्षेत्र में हर वर्ष दरार से नैनीताल जनपद में जो डैम बनी है, उसका पानी छोड़ दिया जाता है जिससे सड़कें आदि टूट जाती हैं। पिछली बार जब सैलाब आया था और जो सड़कें टूटी हैं, अब तक उनमें सिर्फ मिट्टी का काम कराया गया है। मेरा अनुरोध है कि वह सड़के जो टूटी थीं, उन सड़कों के निर्माण का कार्य तुरन्त कराया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका पुनः आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जय-हिन्द।

[4 बजकर 18 मिनट]

श्री बाबू राम यादव—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव के समर्थन के लिये समय दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, आज मंत्री जी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग का जो बजट प्रस्तुत किया है, उसके संबंध में अगर हम यह कहें कि यह सार्वजनिक निर्माण विभाग सार्वजनिक लोगों का निर्माण नहीं करता, वरन् इंजीनियर्स और ठेकेदारों का निर्माण करता है। यह विभाग इतना अच्छा विभाग है कि प्रदेश की प्रगति इस विभाग पर निर्भर है। यह पूरा का पूरा विभाग भ्रष्टाचार में डूबा है। काम की घटिया दर होने के कारण यह चौपट हो रहा है। मान्यवर, जो काम हो रहे हैं, उनकी गुणवत्ता की तरफ किसी की नजर नहीं जा रही है। मेरा सुझाव है कि जो इंजीनियर जिस काम को करे, सड़क बनाये, पुल बनाये, भवन का निर्माण करे, उसके लिए उसको जिम्मेदार ठहराया जाय तथा इंजीनियर की सम्पत्ति को सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बद्ध किया जाय ताकि काम खराब होने पर उसकी वसूली उसकी सम्पत्ति से की जा सके। रोडों को आप देखें। इस वर्ष किसी सड़क से गुजरिये तो बोर्ड लगा रहता है कि पुल का निर्माण हो रहा है, दूसरे वर्ष इसी सड़क से गुजरिये तो बोर्ड लगा होगा पुल पर मरम्मत हो रही है। यह कितने शर्म की बात है। जो गांव और शहर के लोग अपना मकान बनाते हैं, जो तकनीकी ज्ञान नहीं रखते हैं,

उनके मकानों में कितना स्थायित्व रहता है। जो हमारे तकनीकी ज्ञान प्राप्त निर्माण कार्य करते हैं, उसकी छत बरसात में ही टपकने लगती है। आप जो कमीशन की दर बढ़ा रहे हैं, अगर यह दर इसी तरह बढ़ती रही तो सारा रुपया कमीशन में ही चला जायेगा और सड़कों पर गड्ढे पड़े रहेंगे।

नकल में हमारे इंजीनियर और यह सरकार माहिर है। मिलों के पत्थर बड़े और चौड़े लगाये जा रहे हैं, इसमें हरियाणा की नकल की गई है, हरियाणा की सड़कें कितनी अच्छी हैं। लाखों रुपया खर्च किया जा रहा है। यह तो उसी तरह से हुआ जैसे किसी बुजुर्ग महिला के मुंह में दांत न हों और उसके ओठों पर लिपिस्टिक लगा दें तो क्या अच्छा लगेगा। सड़कों पर गड्ढे पड़े हैं और पत्थरों को सजाया जा रहा है। हमारे इंजीनियर जनता की गाढ़ी कमाई को बरबाद कर रहे हैं। त्रिपाठी जी बैठे हैं, यह मिर्जापुर से चुनकर आते हैं। मैं रेनू सागर गया था, आनपारा थर्मल पावर स्टेशन का निर्माण हो रहा है। वहां पर इंजीनियर सीमेंट को बेच रहे हैं। मैंने जाकर बात की तो उन्होंने कहा कि एक ट्रक लेना हो तो 40 रुपये में और फुटकर लेना हो तो 42 रुपये बोरी सीमेन्ट हम देंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार से जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा बर्बाद हो रहा है। आपके यहां कोई जांच कमीशन है, कुछ है इसके लिये। मैं कहता हूं कि मंत्री जी सारी चीजों को नोट करें। वहां पर सरिया 4 रुपये किलो है। मान्यवर, पहले सड़कों पर खड़न्जा लगाया जाता था अब पत्थर की गिट्टी डाली जाती है, मेरे एक मित्र ने बताया कि जहां 40 ट्रक गिट्टी डाली जाती थी अब 25 ट्रक से काम चल जाता है सारा पैसा खा लिया जा रहा है। मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मिही लाल—

माननीय अध्यक्ष जी, आज मुझे पहली बार मौका मिला है सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट पर बोलने का, मान्यवर, मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। मेरा क्षेत्र चरखारी रियासत रहा है। मेरे क्षेत्र में केवल तीन गांव ऐसे हैं जो चरखारी से सूपा तथा चरखारी से सुदामापुरी और रिवई, यह रोड पर हैं। सड़क से जुड़े हुए हैं। सूपा का केवल एक गांव सड़क से जुड़ा हुआ है। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में पहली पंचवर्षीय योजना से आज तक काम पूरा नहीं हुआ है। चरखारी से राठ रोड का कार्य पहली पंचवर्षीय योजना से अभी तक पूरा नही हुआ है। इसे पूरा कराया जाय। न ही रिवई से काकुन होते हुए करवई का पुल ही बना है। केवल मिट्टी का कार्य हुआ है, इसे पूरा कराया जाय। इसी प्रकार मान्यवर, सूपा से श्रीनगर वाला रोड व विलखीपवा वाला पुल अभी तक नहीं बना है, जब कि जिला सेक्टर से पास भी हो गया है। इसी प्रकार गोहरारी से पनवाड़ी वाला रोड में आज तक कार्य शुरू नहीं हुआ है। इसको बनवाया जाय। मान्यवर, यह जरूरी है कि मा0 मंत्री जी चरखारी के ऊपर विशेष ध्यान दें। वहां आज तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। सड़कों का प्रदेश में जो जाल बिछाया जा रहा है, तो ऐसा मालूम होता है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में चरखारी एक इस प्रदेश से बाहर का हिस्सा है। चाहे नेताओं से या सरकारी अधिकारियों से सर्वे करा लिया जाय, चरखारी हमीरपुर की सबसे पिछड़ी हुई तहसील है। हमारे यहां चरखारी से बमरारा कम्होरी कवरई रोड है और खरेला से एचाना वाली रोड है, जिसमें पुलिया बन चुकी है लेकिन मिट्टी का

कार्य नहीं हुआ है । इसे कराया जाय। आज मुझे पहली बार मौका मिला है । मैं दामन फैलाकर आपसे भीख मांग रहा हूं कि हमारे चरखारी में सड़कों का जाल बिछाया जाय । इन शब्दों के साथ मैं मा0 मंत्री जी द्वारा रखे गए बजट का समर्थन करता हूं और कटौती का विरोध करता हूं ।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने कल से उठक-बैठक के बाद और बार-बार हमारे दल की उपेक्षा के बाद एक मौका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को दिया। कल कोई मौका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को नहीं दिया । मान्यवर, श्रमिकों के ऊपर चलने वाला यह विभाग जो निर्माण निगम है, वह श्रमिकों के कानूनों का बराबर उल्लंघन कर रहा है । मान्यवर, निर्माण निगम के बनाने का मुख्य उद्देश्य यह था कि ठेकेदारी की समाप्ति हो, भ्रष्टाचार की समाप्ति हो और, जो कम्पनियों को ठेका दिया जा रहा है उसकी समाप्ति हो। लेकिन मान्यवर, इस विभाग में 20 हजार से 30 हजार तक कर्मचारी हैं । कुछ कुशल और कुछ अर्धकुशल हैं । लेकिन उस बीच में कर्मचारियों की छटनी हुई है । छटनीशुदा कर्मचारी बाहर विधान सभा के गेट पर धरना दे रहे हैं । मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो निर्माण निगम के छंटनीशुदा कर्मचारी हैं, धरना रखे हुए हैं, उनकी मांगों पर विचार करें और उनको पुनः सेवा में लेने का कष्ट करें । मान्यवर, सामान्य सड़कों पर जो गैंगमेट काम करते हैं, उनके लिये कोई नियम कानून नहीं बनाया गया है । ड्यूटी के समय यदि किसी मजदूर या गैंगमेट की मृत्यु हो जाती है तो उसके एवज में उसके परिवार के किसी व्यक्ति को नौकरी में विभाग की ओर से सहायता का कोई नियम नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में कोई नियम बनाने का कष्ट करें । जो निर्माण स्थल हैं, जहां निर्माण कार्य होते हैं, वहां अधीक्षण अभियन्ता, अधीशासी अभियंता इन अधिकारियों का भी शिविर लगना चाहिए ताकि निर्माण कार्य की प्रगति को मौके पर देख सकें ।

मान्यवर, इसी के साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र की सड़कों की लगातार उपेक्षा बनी हुई है । पिछले वर्ष शासन द्वारा यह घोषणा की गई थी कि 15 सौ आबादी वाले गांव सड़कों से जोड़े जायेंगे । लेकिन, मैं बताना चाहता हूं कि बांदा जिले की नरैनी तहसील महुआ ब्लाक के गांव नंदवारा, नौहाई, प्रेमपुर, केसरवा आदि ऐसे गांव हैं, जिनकी आबादी 4-5 हजार होने के बाद भी, अभी तक उन्हें मुख्य सड़कों से नहीं जोड़ा गया है । मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि इन गांवों को उस घोषणा के तहत जोड़ा जाय । मान्यवर, कालिंजर चित्रकूट और खजुराहो से सीधा संबंध पड़ता है । मान्यवर, बागै नदी, जो रामनगर के पास पड़ती है, वहां पुल न होने की वजह से, कालिंजर और खजुराहो का संबंध टूट जाता है, काफी घूमकर जाना पड़ता है । इसलिए वहां के महत्व को देखते हुए पुल का निर्माण शीघ्र कराया जाय । मान्यवर, नरैनी विधान सभा क्षेत्र के बदछा-गुरमेऊ कच्ची सड़क के चारों तरफ 20-25 गांव हैं, वहां कोई आवागमन का कोई साधन नहीं है । मैं निवेदन करूंगा अतर्रा ब्रांच केन नहर की बांई पटरी पनगरा से अतर्रा तक सड़क पक्की कराई जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठें । जो भी सुझाव और

हैं, आप माननीय मंत्री जी को लिखकर के दे दीजिए ।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया ।

श्री अमर चन्द्र–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया । मान्यवर, जिस कुशलता से माननीय मंत्री जी ने इस बजट को प्रस्तुत किया है, उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं । मान्यवर, आगरा जनपद की सबसे बड़ी तहसील "बाह" की ओर मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

मान्यवर, यह तहसील बाह यमुना और चम्बल के बीहड़ों में स्थित है और मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा से लगी हुई है । यहां पर दो पुल हैं एक नारंगी घाट और दूसरा उसैत घाट । नारंगी घाट यमुना पर है और उसैत घाट चम्बल पर है । मान्यवर, इन दोनों पुलों पर ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से ठेके दिए जाते हैं और उसमें जनता की लूट की जाती है । मान्यवर, जहां 25 पैसे उतराई के लिए जाने चाहिए, वहीं यहां पर 1 रु0 या इससे अधिक लिए जाते हैं । मैं यह कहना चाहता हूं पी0 डब्लू0 डी0 के माध्यम से वहां पर निर्धारित वसूली हो और ठेकेदारी प्रथा समाप्त हो । मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इन पुलों के माध्यम से कुछ माफिया गैंग सक्रिय हैं । मान्यवर, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि कुछ दस्यु गिरोहों को मध्य प्रदेश की सीमा से उत्तर प्रदेश की सीमा में और मैनपुरी की सीमा से आगरा की सीमा में आये दिन उतरने में यहां माफिया के गैंग सहायता करते हैं और पुलिस भी कोई कार्यवाही नहीं कर पाती । इसलिए इन दोनों पुलों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है । इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत के लिए मुख्य प्रवेश का द्वार है । पुलों के निर्माण से दस्यु समस्या से आसानी से निपटा जा सकेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री अमर चन्द्र–

मान्यवर, अलीगंज एटा में जो मंत्रि-मंडलीय उप समिति की बैठक हुई थी उसमें प्रदेश के 12 दस्यु प्रभावित क्षेत्रों के लिए एक योजना बनाई गई थी । परन्तु, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक साल के बाद भी इस योजना पर कहीं भी कार्य रूप देखने में नहीं मिल रहा है । इसके अतिरिक्त मैं आगरा-इटावा मार्ग की ओर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं । मैं यह कहना चाहता हूं कि जो मार्ग आगरा से बाह होकर इटावा जाता है, उसको चौड़ा करने की आवश्यकता है । मान्यवर, अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि सेतु निगम को एक ठेका चम्बल लिफ्ट योजना के अन्तर्गत पम्प हाउस बनाने के लिए दिया गया था परन्तु विभागीय झगड़े के कारण अभी तक उस पम्प हाउस का निर्माण प्रगति पर नहीं है । इसलिए माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वे इस पर अविलम्ब कार्य शुरू करा दें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, आपने मुझे सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ज्यादा बातें न कहकर कुछ छोटे-मोटे सुझाव देना चाहूंगा क्योंकि हमारे माननीय मसूद साहब ने, जो भूतपूर्व सार्वजनिक निर्माण मंत्री भी थे, कोई कसर नहीं छोड़ी । सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जिला योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग को जो धन आवंटित होता है तो उसकी वित्तीय स्वीकृत में वर्षों लग जाते हैं । जिसका परिणाम यह होता है कि जिस काम को उसी वर्ष हो जाना चाहिए था उसमें दो-दो तीन-तीन साल लग जाते हैं । इसलिए माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि जो भी वित्तीय स्वीकृति हो, उसको वह तत्काल भेजवा दिया करें ।

मान्यवर, इस विभाग को केवल अपना ही धन खर्चा करना नहीं है अपितु इसे शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग से भवन निर्माण आदि के लिये धन मिलता है और इस क्षेत्र में इस विभाग की सबसे कम प्रगति है । मान्यवर, हमें जो उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण (दिग्दर्शिका) पुस्तिका उपलब्ध कराई गई है उसके पेज 30 के शीर्षक भवन निर्माण आयोजनागत को देखें । इसमें मुख्य अभियंता कार्यलय में परिवर्धन एवं परिवर्तन तथा कनेक्टिंग का निर्माण करने में अनुमानित लागत 50,50,000 रुपया थी । जो अब बढ़कर 59 लाख 25 हजार रुपया हो गयी । इस पर 11/79 में कार्य शुरू किया गया था जिसे 3/85 में जाकर पूरा कर पाये । इस प्रकार परिवर्धन, परिवर्तन एवं कनेक्टिंग में इतना समय लगा दिया गया है तो किस प्रकार प्रगति के कार्य त्वरित गति से हो पायेंगे । इसलिये माननीय मंत्री जी इस पर विशेष ध्यान देने की कृपा करें । लखनऊ के दीवानी न्यायालय के विस्तार में 36 नये कक्षों के बहुखण्डीय का निर्माण करने हेतु जो अनुमानित लागत थी वह 13 करोड़ 50 लाख रुपया थी जिसका यह केवल 62 प्रतिशत ही भौतिक सत्यापन कर पाये हैं । मेरठ मेडिकल कालेज की स्थापना में भी इन्हें तीन करोड़ नब्बे लाख अस्सी हजार रुपया मिला । इसका कार्य भी इन्होंने 11/77 को शुरू किया जो अभी भी पूरा नहीं हो पाया है । इस प्रकार कई जूनियर हाई स्कूल के भवनों के निर्माण में इन्हें शिक्षा विभाग से पैसा मिला है लेकिन मान्यवर, मुसीबत यह है कि इनके पास 1971-72 से शिक्षा विभाग का पैसा पड़ा हुआ है । जिस जूनियर हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल की उस समय कीमत 45 हजार और 25 हजार रुपये थी । आज कास्ट आफ प्रोडक्शन बढ़ जाने से उसकी कीमत क्रमशः 95 हजार 50 हजार रुपया हो गयी है । अब यह कहते हैं कि हमारे पास धन नहीं है । आप हमें धन उपलब्ध कराइये तब हम भवनों का निर्माण कर पायेंगे । कम से कम माननीय मंत्री जी इस ओर विशेष ध्यान देने की कृपा करें ।

मान्यवर, फाइनेंशियल हैंड बुक के बारे में एक बात कहना चाहता हूं कि यह हैण्ड बुक बाबा आदम के जमाने में बनी थी और उसे आज तक लागू किया गया है । उसमें धन खर्च करने की स्वीकृति अवर अभियंता, सहायक अभियंता और अधिशासी अभियंता को मिली हुयी थी । आज के हालात के मुताबिक उसे बढ़ाया जाना चाहिये । यदि आप इसे नहीं बढ़ायेंगे तो इन्हें छोटे-मोटे कामों के लिये वित्तीय स्वीकृति हेतु सचिवालय तक आना पड़ेगा जिसमें

काफी समय लग जायेगा और कार्य में विलम्ब होगा ।

मान्यवर, वित्तीय स्वीकृति के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जो भी स्वीकृति होती है उसे उसी वित्तीय वर्ष में विभाग को दे देना चाहिये लेकिन यह देखा जाता है कि आपके विभाग में इसमें सबसे बड़ी ढिलायी है ।

अंत में मैं कहना चाहता हूं कि बस्ती जिले में नेशनल हाई-वे की कमी है । महात्मा गौतम बुद्ध की जन्म स्थली बस्ती से अलगोड़वा मार्ग और मुखोड़ा मार्ग इन दोनों को राज मार्ग घोषित करने की कृपा करें ।

श्री दीप नारायण –

माननीय अधिष्ठाता जी, आपका आभारी हूं कि आपने सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया । मैं सबसे पहले माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किये हुए सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

अपने पड़ोसी विधायक मोहम्मद मसूद जी से निवेदन करता हूं कि उन्होंने सन् 1947 के पूर्व भारतवर्ष को देखा है, जिसमें सड़कों का बिल्कुल अभाव था, ऐसी स्थिति में मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें ।

मेरा क्षेत्र दक्षिण की तरफ से लालगंज जो स्वर्गीय त्रिवेणी राय जी का क्षेत्र रहा है, जिन्होंने अपने 4-5 बार के सेवाकाल में वहां पर सड़कों का जाल बिछा दिया, उत्तर की तरफ श्री मोहम्मद मसूद साहब का क्षेत्र है, जो वर्ष 1977 से 80 तक जब सार्वजनिक निर्माण मंत्री थे, इन्होंने भी अपने क्षेत्र में काफी सड़कों का निर्माण करा लिया । दुर्भाग्यवश मेरा क्षेत्र इन दोनों क्षेत्रों के बीच में पड़ता है, जो जनपद में बहुत ही पिछड़ा हुआ है ।

इसके साथ ही अपने क्षेत्र की समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । छतवारा में मेहनगर मार्ग पर मंगई नदी पर पुल सन् 1985 में ऊर्जा मंत्री माननीय सुनील शास्त्री जी द्वारा उसका शिलान्यास किया गया था। उस समय अधीक्षण अभियंता महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि यह पुल वर्ष 1986 की बरसात के पहले ही पूरा हो जायगा, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि अभी तक इसका काम शुरू नहीं किया गया । मेरी मांग है कि इस काम को अविलम्ब चालू करा दें । मेहनगर-डीहा मार्ग पर मंगई नदी के पुल का बनाना बहुत ही जरूरी है । इसकी वजह से लोगों को आने-जाने में बहुत परेशानी होती है । मेहनगर-लालगंज सीधे सम्पर्क मार्ग पर चन्दवेरा के पास बेसो नदी के पुल का निर्माण कराना बहुत जरूरी है ।

रासेपुर तितरा मार्ग पर नोनी नदी और बेसो नदी पड़ती है, जहां पर पुल का बनना बहुत ही जरूरी है । इन दोनों पुलों के बन जाने से यह सड़क सीधे गाजीपुर जाकर मिल जायगी ।

वाराणसी मार्ग पर लालगंज के पास बेसो नदी का पुल काफी पुराना हो गया है । इसे तोड़कर तुरन्त नया पुल बनाया जाय ।

रानी की सराय-कोयलारी मार्ग पर बीच में एक खण्ड-46 का शारदा सहायक नहर रजवहा पड़ता है । इस पर पुल का बनाना बहुत जरूरी है । यह सड़क कई साल पहले की बनी हुई है, लेकिन इस पुल के अभाव में बेकार पड़ी हुई है ।

इसके साथ ही कुछ मुख्य सड़कों के निर्माण की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । छतवारा-मेहनगर की

सड़कों की पेंटिंग (पीच एवं गिट्टी का कार्य) कराया जाय । ढेकमा से जमुआंवां होकर दरियापुर-बसही तक की सड़क का निर्माण कराया जाय । सराय मोहन-जैतीपुर सड़क पूरी कराई जाय । वाराणसी मार्ग से मई खरगपुर से अमानगंज होकर गुड़हर सड़क में मिला दिया जाय । रासेपुर-तितरा मार्ग को बाजीपुर की सड़क में मिलाया जाय । खरिहानी-बीबीपुर की सड़क बनाई जाय । अन्त में ठेकमा-बोगरिया बाजार तक नहर की पटरी से होकर सड़क बनायी जाय, जिसमें गोमाडीह से मेहनगर की सड़क नहर की पटरी से निर्माणाधीन है, शेष ठेकमा-गोमाडीह तथा मेहनगर बोगरिया बाजार तक को बनाया जाय । अंत में बजट का समर्थन करते हुए कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी –

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि-

नक्शों को न जांचो, मौके पे जाके देखो,
क्या चीज जी रही है, क्या चीज मर रही है ।

(इस समय 4 बजकर 45 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

मान्यवर, यह जितना महत्वपूर्ण विभाग है उतना ही महा भ्रष्ट भी है। मैं कहना यह चाहता हूं कि हमारे सीतापुर में जिला योजना कमेटी ने 20-7-85 को निर्णय लिया था कि सार्वजनिक निर्माण विभाग का जितना पैसा है 1 करोड़ 80 लाख रुपया था जो कि पता नहीं कैसे बाद में घटकर 1 करोड़ 37 लाख रुपया ही रह गया, कि उसके धन को उस जनपद के सभी विधान सभा क्षेत्रों में बराबर-बराबर खर्च किया जाय । लेकिन हद होती है मनमानी करने की और भ्रष्टाचार की कि किसी को बताये बिना ही केवल दो ही क्षेत्रों में उसका धन खर्च कर दिया गया, पता नहीं कहां उसे खुर्द-बुर्द कर दिया गया ? और किसी माननीय सदस्य को पता भी नहीं चला और उस जनपद के सभी क्षेत्रों को उपेक्षित कर दिया गया । ऐसा क्यों किया गया है यह हमें नहीं मालूम है ।

इसके कारण वह सारी क्षेत्र पीछे रह गया है और जिला कमेटी का अपमान अलग से हुआ । इस तरह से सम्मानित सदस्यों का ही नहीं बल्कि इस सदन का अपमान हुआ है ।

मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला सीतापुर जनपद के लहरपुर पुखरा पुल जो सड़क कटेसर से महादेवा अटरा तक जाती है, वहां हर साल दो-चार मौतें होती हैं। प्रति वर्ष जब बाढ़ आती है तो उधर नाव से जाना मुश्किल हो जाता है जिसके कारण दो भाई अलग-अलग हो जाते हैं, दो दिल अलग हो जाते हैं इसके अलावा हर साल वहां कई जानें जाती हैं । आज तक वहां निर्माण का कार्य नहीं कराया गया है ।

इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो बाईपास सीतापुर में बनाया जा रहा है वह बीचोबीच में पड़ रहा है । वहां पास में ही प्लाईवुड फैक्ट्री है उसके सामने ही बाईपास बनाया जा रहा है । उसे खैराबाद चुंगी के पास से निकाला जाना चाहिए। उसमें यह संशोधन करने की आवश्यकता है ।

दूसरा मामला यह है कि सीतापुर में एक सरकार ने आदेश किया है कि पुराने कार्यों को पूरा कराया जाय । मैं कहना चाहता हूं कि सीतापुर में केवल दो क्षेत्रों को छोड़ कर शेष सात विधान सभा क्षेत्रों के लिए कोई प्रस्तावित योजना नहीं है। इस साल की योजना सरकार के द्वारा अभी तक स्वीकृत नहीं की गयी । तो इस तरह

से वहां पुराने काम कराये जा रहे हैं तो कभी दूसरे और क्षेत्रों का नम्बर ही नहीं आ पावेगा ? सीतापुर के लिए जो नई योजना जिला योजना द्वारा प्रस्तावित की गयी है, उसे स्वीकृत किया जाय और पी0 डब्लू0 डी0 के बजट से हर क्षेत्र में काम कराया जाय । इसके साथ ही मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मंत्री जी द्वारा पेश बजट का विरोध करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष –

ऐसा है कि यह सवा बजे शुरू हुआ था । बोलने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है । मैं समझता हूं कि अब लोगों को बोलने के लिए टाइम देने से कोई फायदा नहीं होगा । इसलिए मैं मो0 मसूद खां को बुलाता हूं ।

(श्री मोहम्मद मसूद खां द्वारा बोलने के लिए खड़े होने पर व्यवधान)

अब बहुत लोग हैं । एक-आध होता तो बुलवा देता आप अपने मंत्री जी से बात कर लें । बहुत लोग हैं । यह सम्भव नहीं हो सकेगा ।

(व्यवधान)

इस पर चार घंटे बहस हो चुकी है, अब नहीं । आप सब बैठ जांय । आप लोग अपना-अपना आसन ग्रहण करें । मैंने मोहम्मद मसूद खां को बुला लिया है और वे बोलने के लिए खड़े हुए हैं ।

श्री मोहम्मद मसूद खां–

मान्यवर, चाहे इधर के लोग हों चाहे उधर के लोग हों, जितने लोगों ने इस पर अपनी तकरीर पेश की है, सभी ने मुबारकबाद दिया है । उधर के लोग मजबूर थे, इसलिए अन्त में एक वाक्य कहना पड़ा कि कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के विभाग में काम बहुत ज्यादा है और बकाया भी बहुत ज्यादा है । आप खड़ंजा और अर्थ वर्क को ले लें, इसे एन0आर0ई0पी0 और एल0 आर0एस0जी0पी0 के माध्यम से करायें ।

जिस प्रकार खाद्यान्न योजना में काम होता है, उसी तरह से इस काम को इस योजना में ले लें । आपका अग्रिम बजट है उसमें अग्रिम कार्य करें । मान्यवर, मैं रख रखाव के सिलसिले में कहना चाहता हूं जो आपका बजट है जाहिर है कि 1977 से 1980 के मुकाबिले में बहुत ज्यादा है । अगर सड़कों का रख रखाव समय से और पूरी तरह से किया जाये तो वह बहुत देर से खराब होगी । सबसे ज्यादा जो करप्शन होता है, वह रख रखाव वाले विभाग में होता है । माननीय मंत्री जी अगर ट्रान्सफर और पोस्टिंग करते होंगे तो उनको मालूम होगा कि हर इन्जीनियर यही चाहता है कि उसी जिले के रख रखाव वाले विभाग में उसको रखा दिया जाये । तो मान्यवर, मेरा कहना है कि मेन्टीनेन्स का जो पैसा है, उसका शुद्धीकरण करें, तो कुछ काम ठीक होगा । अभी हमारे पान्डे जी ने कहा कि जिला योजना से वित्तीय स्वीकृति के लिए फाइलें आती हैं और वह यहां पर काफी दिनों तक पड़ी रहती हैं और कभी-कभी चीफ इन्जीनियर के विभाग में जब इन्जीनियर हाजिरी नहीं देता है तो टकराव पैदा हो जाता है और क्वेरी कर दी जाती है और वित्तीय स्वीकृति मिलने में देरी होती है । तो आप देखें कि कितनी फाइलें वित्तीय स्वीकृति के लिए आयीं और कब गयीं, यह मार्च का महीना है, अगर वित्तीय स्वीकृत नहीं दी जायेगी, तो काम में विलम्ब होगा और इस प्रकार से आप करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं । मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि कमी करना आसान है और कमी दो प्रकार से हो सकती है, आप अधिकारियों से कह दें कि काम को वक्त से शुरू किया जाये और वक्त से पूरा किया जाये । रिवाइज्ड इस्टीमेट नहीं आना चाहिए, तो इस प्रकार से करप्शन दूर होगा।

मान्यवर, सबसे ज्यादा गड़बड़ी पी0 डब्लू0डी0 के जो भवन हैं उनमें होती है। 1971 का पैसा पड़ा है, 1977 का पैसा पड़ा है और जब तक उस भवन को ट्रान्सफर किया जाता है, तब तक वह खराब हो जाता है। तो इसको आप देखें। जिस साल बुनियाद पड़ी है, उसी वर्ष में उसकी छत पड़ जानी चाहिए। आजमगढ़ और बस्ती में 1977 से पैसा दिया हुआ है और काम नहीं बना है। आप इसको देखिए। मान्यवर, मैंने अपने जिले में देखा है कि 6×10 का पुल है, उसमें छत नहीं है, और बताया जाता है कि सीमेन्ट नहीं है। इस कारण वह सड़क बेकार पड़ी है। तो मान्यवर, यह काम कैसे रह जाता है। माननीय तिवारी जी ने यह कहा था कि 1500 हजार आबादी वाले आधे गांव सड़कों से जुड़ जायेंगे। 1971 की आबादी के अनुसार 1990 तक यह गांव सड़कों और पुलों से जुड़ जाने चाहिए और खुदा न खास्ता अगर यह 1980 में आ गये तो 1981 की आबादी लेगें, तो फिर 5 साल तक जोड़ते रहेंगे। फिर उसके 5 साल बाद 91 वाला आ जायेगा फिर 101 वाला आ जायेगा। यह क्या तमाशा है, पता यह चलेगा कि उत्तर प्रदेश में 1000 से 1500 आबादी वाले गांव ही जोड़े जायेंगे और कोई काम नहीं होगा तो इस वास्ते मान्यवर, इसकी योजना जो है उसे आप ठीक से बनावें। मान्यवर, मैंने देखा है कि अपने यहां बिलरियागंज और महराजगंज ब्लाक हैं, इन ब्लाकों में स्कीम नं0 2 से 5 तक की सड़कें बनी थी वह जमीन बिला मुआवजे की थी लेकिन उसको चौड़ा आप करेंगे तो उसको कम्पेन्सेशन देना पड़ेगा। माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने बनारस के बारे में जो गाइडबन्द के बारे में बताया कि इससे जो एलाइनमेन्ट बनाया जाता है वह बड़ा खर्चा वाला पड़ता है। इसके लिए किसी सीनियर आफिसर को भेजें जो यह देख ले कि उससे अच्छा और कम खर्चे वाला एलाइनमेन्ट हो तो उसको दे दें। मान्यवर, हमारे एक सदस्य ने तकरीर करते हुए जनता रिजीम में सड़कों की तादात पर कहा था कि बहुत कम बनी हुई थी तो मैं यहां के आंकड़े नहीं देना चाहता हूं।

एक लतीफे के जरिये से मैं कहना चाहता हूं कि एक मरतबे का किस्सा था कि एक पोलिटिकल सफरर चाइना का था और एक हिन्दुस्तान का था। दोनों में मुकाबला यह हो गया कि मुल्क के आजाद कराने में कितनी जानें किस मुल्क में ज्यादा गयी और इसका फैसला नहीं हो रहा था। अन्त में तय यह हुआ कि एक नाम हिन्दुस्तान वाला लें और उसके बदले चाइना वाले के सर का एक बाल उखाड़ लें। और इसी तरह से चाइना वाला एक नाम ले और हिन्दुस्तान वाले के सर का एक बाल उखाड़ ले। चाइना वाले ने कहा चाऊ एन लाई तो इन्होंने कहा ऊधम सिंह। उसने कहा चाऊ चुंग तो इन्होंने कहा, हुकुम सिंह का नाम ले लिया। तो इस प्रकार एक साथ उन्होंने 4-5 नाम ले लिए चुंग, फुंग तुंग तो उसके जवाब में हिन्दुस्तान वाले ने सारे बाल उखाड़ कर कहा जलियावाला बाग। तो जनता रिजीम में कितनी सड़कें बनी तो सारे बाल आपके उखाड़ लिए जायेंगे। तो मान्यवर, मैं यह कहने के बाद फिर गुजारिश करूंगा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग को प्रदेश के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। एक योजना बननी चाहिए जो सही हो, वक्त से हो और इसमें कम से कम हर गांव को सड़क और पुल से जोड़ा जाय। मान्यवर, मैं यह बात कहते हुए कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और आखिर में एक शेर गुजारिश करूंगा-

सैर की गुलशन के तेरे, फूल चुने शाद रहें।
बागबां बैठते हैं, गुलशन तेरा आबाद रहे।।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अनुदानों की मांगों पर चर्चा का उत्तर भाषण कैबिनेट स्तर के मंत्री द्वारा न दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

(सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री को पुकारे जाने पर)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, एक बहुत जरूरी बात है.

श्री उपाध्यक्ष–

दोनों में से एक ही आदमी तो बोल सकता है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

जिसको आप आज्ञा देंगे।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है, आप बैठ जायं। माननीय शतरुद्र प्रकाश जी बोलेंगे।

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, सबसे पहले मेरा आपसे यह निवेदन है कि जब हम लोग व्यवस्था का प्रश्न उठाया करें तो उसमें मुस्कराहट बाहर तो हो लेकिन अन्दर से उसमें गंभीरता होनी चाहिए। वरना इस सदन का स्तर कम हो जायगा मान्यवर, मैं गुजारिश करना चाहूंगा और आपका ध्यान 13 मार्च 1956 की इस सदन की कार्यवाही की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। उस समय माननीय नारायण दत्त तिवारी विपक्ष में थे। सत्ता पक्ष में नहीं बैठते थे। उन्होंने किसी विषय पर कटौती रखी थी। तो जब वे उस पर बोलने लगे तो यह कहा गया कि इसका उत्तर मंत्री जी दे दें। लेकिन अध्यक्ष ने इस पर यह व्यवस्था दी और कहा कि "कटौती के प्रस्ताव पर अंतिम उत्तर संबंधित मंत्री का ही हो सकता है।" श्रीमन्, अगर इस व्यवस्था पर हम गौर करें तो सम्बन्धित व्यक्ति का मतलब उस विभाग से सम्बन्धित मंत्री का ही है। मान्यवर, हमारे यहां राज्य मंत्री, उप मंत्री और कई स्तरीकरण मंत्रिपरिषद् के सदस्यों के हैं। यह बात सही है कि काबीना स्तर के मंत्री ही सरकार के नीति सम्बन्धी मामलों पर दिशा-निर्देशन की उद्घोषणा करते हैं। मान्यवर, मुझे जानकारी है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री श्री वीर बहादुर सिंह हैं जिनके पास 56 विभाग हैं और इस विभाग के काबीना स्तर के मंत्री भी वही हैं। हम चाहेंगे कि सरकार भी आपकी इस व्यवस्था का पालन करना चाहती है और करना भी चाहिए यदि वह अच्छी सरकार है तो। इसलिये मान्यवर, मैं यह गुजारिश करना चाहूंगा कि बजट का मामला है, अंतिम उत्तर माननीय सीताराम जी निषाद न देकर श्री वीर बहादुर सिंह ही कटौती के प्रस्ताव का अंतिम उत्तर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

(व्यवधान)

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मंत्रि-परिषद् में जो नीति निर्धारित होती है वह मंत्रि-परिषद् की बैठक में ही निर्धारित होती है। उसकी अब बैठक होती है तो उसमें राज्य मंत्री या उप मंत्री स्तर के मंत्री हिस्सा नहीं लेते हैं। तो माननीय मंत्री जी जब जवाब देंगे तो बहुत सी नीति की बातें भी बतायेंगे। हम कोई स्पष्टीकरण पूछेंगे तो वह नीति विषयक हो सकता है। माननीय सीताराम निषाद जी हमारे पुराने दल के भी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

साथी हैं, हम उनका सम्मान करते हैं तो जब हम कोई नीतिगत प्रश्न पूछेंगे तो वे उसका जवाब भयमुक्त होकर नहीं दे सकते और यदि बता देंगे तो झट से दूसरा दिन उनका पत्ता साफ हो जायेगा। इसलिये जो माननीय तिवारी जी ने, जो आपके महान नेता रहे हैं, उन्होंने कहा है। यहां पर राज्य मंत्री लोग बजट रखते हैं और नीति की बातें बताते हैं तो जो इस सदन का सम्मान है, गरिमा है वह इससे धीरे-धीरे कम हो रही है और मान्यवर, जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं जहां से परम्परायें निर्मित और खंडित होती हैं, इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस सदन की परम्परा को और गरिमा को बनाये रखने के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में आकर अंतिम उत्तर दें।

(श्री रघुवर दयाल वर्मा के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

वर्मा जी, अब आप बैठें। बहुत हो गया। उसी बात को दुहराना होगा। कोई नई बात नहीं है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, यह काफी महत्वपूर्ण है। एक मिनट सुन लीजिये।

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

मान्यवर, इस तरफ भी व्यवस्था होती है। तीन आदमी उधर से बोल लिये तो एक आदमी को इधर से भी बुलवा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष–

आपको भी बुलवा दूंगा।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने एक नीतिगत मुद्दा आपके सामने रखा है, कहां तक माननीय सीताराम निषाद जी हमारे प्रश्नों का स्पष्टीकरण दे सकेंगे। माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने पिछले समय इस बात पर जोर दिया था कि जो अंतिम उत्तर हो, जो नीति संबंधी उत्तर हो वह कैबिनेट स्तर के मंत्री का होना चाहिये। यह एक नीतिगत प्रश्न है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सीताराम निषाद जी राज्य मंत्री हैं, वह कैबिनेट में जाते हैं इसलिए वह नीतिगत प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम नहीं हैं, दूसरों की तरफ उनको दृष्टि डालनी पड़ती है और दूसरों की कृपा दृष्टि उनको मिलेगी या नहीं इसलिए वह इन बातों का व उत्तर नहीं दे पायेंगे।

(व्यवधान)

आप मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी को बुलवायें और उनसे जवाब दिलवायें और इस गंभीर मसले का निराकरण करें जो संसदीय परम्परा के अनुरूप होगा।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, जहां तक मैं मंत्री का मतलब समझ पाया हूं, मंत्री का मतलब, मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री और पार्लियामेण्टरी सेक्रेटरी से होता है। अगर कहीं आपने इस पर व्यवस्था कुछ और दे दी तो कल यह, यह व्यवस्था मांगेंगे कि अध्यक्ष पीठ से व्यवस्था सिर्फ अध्यक्ष ही दे सकते हैं और आप उपाध्यक्ष हैं आप व्यवस्था नहीं दे सकते हैं। इसलिए इस बात को भी ध्यान में रख लें वर्ना कल यह यही व्यवस्था मांगेंगे कि आप व्यवस्था नहीं दे सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं व्यवस्था दे रहा हूं। जो नियमावली है उसमें लिखा हुआ है,

मंत्री का तात्पर्य मंत्रिपरिषद् के किसी सदस्य से है और इसमें राज्य मंत्री, उपमंत्री या ऐसे सदस्य सम्मिलित हैं जिनको ऐसा मंत्री इन नियमों के अंतर्गत सौंपे गये किसी कृत्य का प्रत्यायोजन करे, यह मंत्री कोई भी हो सकता है, उपमंत्री हो सकता है। चूंकि अनुदानों की स्वीकृति का प्रस्ताव माननीय निषाद जी ने रखा है और वह राज्य मंत्री हैं इस नाते वह मंत्री की परिभाषा में आते हैं। अतः वह उत्तर दे सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने जो रूलिंग कोट की थी वह उसमें श्री एन0 डी0 तिवारी जी मंत्री के बोलने के बाद समय लेना चाहते थे।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मंत्री का मतलब कैबिनेट स्तर के मंत्री से है जिसकी व्याख्या नियमावली में दी गयी है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब यह हो गया। माननीय मंत्री जी बोलें।

1986-87 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 71-सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) अनुदान संख्या 72-सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन), अनुदान संख्या 73-सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास), अनुदान संख्या 74- सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक-भवन) तथा अनुदान संख्या-75 सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) (क्रमागत)

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री सीताराम निषाद)—

मान्यवर, इस सार्वजनिक निर्माण विभाग की अनुदानों पर दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों ने चर्चा में विशेष दिलचस्पी ली है और दोनों तरफ से महत्वपूर्ण सुझाव इस विभाग के कार्यकलापों के संबंध में दिये गये हैं। मैं उन सभी अच्छे सुझावों का स्वागत करता हूं। मैं उन सभी माननीय सदस्यों को बधाई देता हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया विशेष रूप से माननीय सदस्य जो इस विभाग के मंत्री भी रह चुके हैं जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, उन्होंने कुछ अच्छे सुझाव दिये हैं। उसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं।

मान्यवर, कुछ बिन्दु कटौती के प्रस्ताव में उठाये गये हैं। एक बात यह कही गयी कि मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने यहां घोषणा किया था कि 1500 से ऊपर आबादी वाले समस्त गांवों को और एक हजार से 1499 की आबादी के 50 प्रतिशत गांवों को सातवीं पंच वर्षीय योजना तक मुख्य सड़कों से जोड़ दिया जायेगा। तो हमारी सरकार उसी घोषणा के अनुरूप काम कर रही है और सातवीं पंच वर्षीय योजना के अन्त तक 1500 से अधिक आबादी वाले गांवों को जोड़ दिया जायेगा और एक हजार से 1499 की आबादी के गांवों के बारे में उन्होंने घोषणा किया था कि 50 प्रतिशत गांवों को जोड़ेंगे। लेकिन हमारी सरकार ने 70 प्रतिशत तक गांवों को जोड़ने का फैसला लिया है और 1971 की जनगणना के आधार पर यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

मान्यवर, सड़कों के लिंक रोड के सम्बन्ध में सुझाव दिया है, तो मैं बताना चाहता हूं कि मिसिंग लिंक रोड्स जिला सेक्टर योजना में ले जाने

की स्वीकृति की व्यवस्था की गयी है। इसी तरह मिसिंग पुल के बारे में कटौती के प्रस्ताव में कहा गया है तो पूरे प्रदेश में मिसिंग पुल का एक विस्तृत प्लान बना लिया गया है और उसमें प्राथमिकता के आधार पर ऐसे पुलों की स्वीकृति दी जा रही है जिससे मिसिंग पुलों का निर्माण हो जायेगा।

मान्यवर, जो कहा गया है कि डामर लेपन तक कार्य कराये जायं, तो इतना बड़ा प्रदेश है जिसमें यदि यह कार्य कराया गया तो बहुत कम क्षेत्र में और कम दूरी में सड़कों का निर्माण हो सकता है, इसलिये सभी क्षेत्रों में जो क्षेत्र अविकसित हैं, जहां सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है, इसलिये सभी क्षेत्रों में विकास का सन्तुलन बना रहे, इसलिये आवश्यक समझा गया कि सभी जगह कुछ न कुछ निर्माण कार्य कराये जायं। जो विकेन्द्रीकरण में व्यवस्था है उसके अनुसार माननीय सदस्य जिला नियोजन और अनुश्रवण समितियों एवं डी0 आर0 डी0 ए0 की समितियों में माननीय सदस्य बैठकर अनुदान जो जाता है, अपने-अपने क्षेत्रों में जहां आवश्यक वह समझते हैं कि कार्य जरूर हो, तो वह प्रस्ताव देते हैं और वही प्रस्ताव शासन में आते हैं और उस पर वित्तीय स्वीकृति भेजी जाती है जिसके अनुसार काम होता है, तो यह जिम्मेदारी माननीय सदस्यों पर है कि वह उसको देखें कि कहां पर वास्तव में आवश्यकता है, उसके अनुसार प्रस्ताव दिये जायं तो उसी तरह से उसकी स्वीकृति होगी।

मान्यवर, आपको और माननीय सदन को जानकर प्रसन्नता होगी कि प्रत्येक जिले में गांव को जोड़ने के लिये मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है और उसी के द्वारा एक हजार से ऊपर के सारे गांवों को शामिल कर लिया गया है और मास्टर प्लान के अनुसार कार्यक्रम चलाया जायेगा।

मान्यवर, कटौती के प्रस्ताव में चर्चा की गयी थी कि बकाया कामों के बारे में जानकारी दी जाये, तो मैं बताना चाहता हूं कि उस दिशा में हमारा विभाग काम कर रहा है और मार्च, 1985 तक 289 करोड़ रुपये लागत के कुल 3,330 कार्य अवशेष थे जो तीन वर्षों में पूरा करने का निर्णय लिया गया है। मान्यवर, जो काम स्वीकृत हों वही मौके पर हों, सही ढंग से हों, समय पर हों, उसके सम्बन्ध में हर तीन महीने में उच्च अधिकारियों की बैठकें होती हैं जिसमें जो काम स्वीकृत हैं उसमें बराबर स्क्रीनिंग होती है और उसके लिये बराबर निर्देशित किया जाता है। मान्यवर, सेतु निगम के बारे में कहा गया है। वह सेतु निगम जो अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति का निगम है, उसके बारे में यह बताया गया कि कोई कर्मचारी बाहर गया था, लेकिन उन्हें काम नहीं मिला। तो 1978 में तत्कालीन जो प्रोजेक्ट मैनेजर कम जोनल मैनेजर थे, जब स्वयं कटौती का प्रस्ताव पेश करने वाले माननीय सदस्य उस समय सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री थे, उसी समय वह गये थे और उसके बाद वह लौटकर आये। बाद में और अधिकारी जाते रहे और ईराक से काम मिलता रहा और तब से बराबर बहुत काम मिल रहा है। देश व विदेश की अनेक फर्मों से सामान मंगाया जाता है, किन्तु यहां पर यह आरोप लगाया गया कि ईराक की किसी फर्म विशेष से सामान मंगाया जाता है। तो

वास्तविकता ऐसी नहीं है, तमाम फर्मों से सामान मंगाया जाता है। सेतु निगम के बारे में अन्य भी कई माननीय सदस्यों ने ध्यान दिलाया है। श्री रघुवर दयाल वर्मा जी ने जमुना सेतु, आगरा के सम्बन्ध में सेतु निगम को लेकर आरोप लगाया है, तो उन्हें मैं अवगत कराना चाहूंगा कि जमुना सेतु, आगरा का कार्य सेतु निगम के द्वारा नहीं करवाया गया है, बल्कि विभागीय कार्यों के अन्तर्गत इसका निर्माण कराया गया था।

हाट मिक्स प्लान्ट के बारे में यह कहा गया कि इसके लिये इनके पास मशीनें नहीं हैं और सी0 पी0 डब्लू0 डी0 के द्वारा काम कराया जाता है। इस सम्बन्ध में मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा कि विभाग में जितने काम फैला दिये गये हैं और यह सोचा गया है कि जल्दी से जल्दी हमारे प्रदेश में सही रूप से सड़कों का सुधार हो, उस दृष्टि से विभाग में हाट मिक्स प्लान्ट्स की कुछ कमी पड़ गयी और उसे देखते हुए दूसरी एजेंसियों से भी आवश्यकता पड़ने पर उस मशीन को लिया गया है। जहां जिससे सरकार ने उचित समझा, लिया है और सी0 पी0 डब्लू0 डी0 से भी मशीनें मंगवा-कर कार्य कराया गया है, ताकि गुण-वत्ता बनी रहे। ऐसी स्थिति में उनकी मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश निर्माण निगम के बारे में यह कहा गया कि वहां पर 10-10 सालों के श्रमिकों को काम समाप्त होने पर बिठाल दिया जाता है। यह उनका नियम है कि जब किसी यूनिट में काम शुरू होता है और वह समाप्त हो जाता है तो उनके नियमानुसार मुआवजा देकर उनकी छटनी कर दी जाती है। लेकिन कुछ ऐसे भी अवसर आये हैं कि कहीं काम संमाप्त हुआ, तो कहीं दूसरे स्थान पर आवश्यकता पड़ी, तो उसमें के कुछ अच्छे कर्मचारियों को जो कार्य चाहते थे, उनको दूसरी जगह पर लगाने का प्रयास किया गया है। दो हजार की आबादी के गांवों को न जोड़ने की शिकायत की गई है, उस सम्बन्ध में यह कहना चाहूंगा कि अभी पन्द्रह सौ से अधिक आबादी वाले गांवों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है कि उनका भी गांव उसमें हो। वह निश्चित समझें कि उनका वह गांव जरूर से जरूर न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में जुड़ जायेगा।

मान्यवर, अधिकारियों और कर्म-चारियों को रेगुलर किये जाने के संबंध में कहा गया है, इस सम्बन्ध में जो विभाग की पुस्तिका दी गयी है, उसमें पृष्ठ संख्या 5 के अन्त में यह दिखाया गया है कि वर्ष 84-85 में कितने पद स्थायी किये गये हैं, उसके बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। एस0 ई0 पांच स्थायी किये गये हैं। ई0 ई0 स्थायी किये गये हैं। इस तरह से कुल 165 राजपत्रित अधिकारी और 1559 नीचे के अधिकारी और 195 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी स्थायी किये गये हैं।

(5 बजकर 20 मिनट)

13 कार्य प्रभारित कर्मचारियों को भी स्थायी किया गया है तो इस सम्बन्ध में भी काम किया गया है। मान्यवर, सेतु निगम के बारे में यह कहा गया है कि ईराक के अलावा और कहीं पर इसको काम नहीं मिला है। मान्यवर,

मैंने शुरू में ही निवेदन किया था कि नेपाल में भी सेतु निगम को काम मिला है और वहां पर पहले भी इसने काम किया है और आज भी वहां पर काम लगा हुआ है। देश की और भी तमाम जगहों पर यह निगम काम कर रहा है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि अभी हरिद्वार में कुम्भ मेला लग रहा है जहां पर 3.76 करोड़ रुपयों की लागत से कई सड़कों का निर्माण और 12 अस्थायी पुलों का निर्माण किया जा रहा है। 12 अस्थायी पुलों का निर्माण इसी सेतु निगम ने अल्प अवधि में करके एक कीर्तिमान स्थापित किया है।

मान्यवर, घाघरा नदी पर टाण्डा, जनपद फैजाबाद में इसी वित्तीय वर्ष में 13 करोड़ 41 लाख रुपये की लागत से और देवरिया में तुर्तीपार में 12 करोड़ 42 लाख रुपये की लागत से पुल बनाने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। वह भी सेतु निगम के द्वारा बनाये जायेंगे। सेतु निगम को यह जो ख्याति मिल रही है वह इसलिये कि यह सेतु निगम इस बात के लिये सक्षम हो चुका है कि हर 5 दिन में वह एक पुल तैयार करता है। यह कीर्तिमान इस राज्य सेतु निगम का है। मान्यवर, भारत सरकार के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक महत्व की योजनाओं के अन्तर्गत 109 करोड़ रुपये की लागत से 13 सेतुओं के निर्माण के लिये भी हमारी सरकार ने प्रयास किया है। इससे अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के काम होंगे। मान्यवर, डाकू ग्रस्त क्षेत्रों में सड़कों और पुलों के निर्माण के लिये भारत सरकार की सहायता से कुछ परियोजनायें स्वीकृत कराने का प्रयास हमारी सरकार ने किया है। इसमें 125 करोड़ रुपये से डाकू ग्रस्त 12 जिलों में मार्गों और पुलों का निर्माण किया जायगा।

मान्यवर, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि स्वर्गीया प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की इच्छा थी कि ट्राइबल्स जो हैं, आदिवासी जो हैं उनके गांवों को भी सड़कों से जोड़ने का प्रयास किया जाय। वर्तमान प्रधान मंत्री माननीय राजीव गांधी जिनको आदिवासियों से विशेष प्रेम है और वह उनकी बस्तियों और उनके घरों में जाकर उनकी कठिनाइयों को देखते हैं तो उनकी इच्छा के अनुकूल हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि आदिवासियों और जनजाति के लोगों के गांवों को जोड़ने के लिये पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण किया जायगा (मेजों की थपथपाहट) इसके लिये 7वीं पंचवर्षीय योजना में 193 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं जिससे आदिवासियों के गांवों को सड़कों से जोड़ा जायगा। मान्यवर, सार्वजनिक निर्माण विभाग के बारे में यह कहा गया कि रख रखाव करने वाले क्षेत्र में नहीं होते हैं जिससे कामों का फिजिकल वेरीफिकेशन नहीं हो पाता है, जांच नहीं हो पाती है। इसके लिये हमने फैसला किया है कि आगामी वर्ष में प्रत्येक तहसील पर हमारा एक सहायक इंजीनियर रहेगा और हर विकास खंड में एक अवर अभियन्ता स्थायी रूप से रहेगा, ताकि वह वहां पर रहकर कामों की देखभाल कर सके।

(मेजों की थपथपाहट।)

मान्यवर, इस प्रकार से हमारी सरकार का और इस विभाग का पूरा प्रयास

है कि हम गांवों का भी विकास करें और गांवों में सड़कों का जाल बिछायें और शहरों में अच्छी सड़कें बनायें और राष्ट्रीय मार्गों और राज्य मार्ग जो हैं उनको भी अच्छे ढंग से बनायें जिससे हमारे प्रदेश का विकास हो। इस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मान्यवर, यह भी कहा गया है कि अन्य प्रदेशों में, जो छोटे-छोटे प्रदेश हैं, वहां पर ज्यादा किलोमीटर सड़कें हैं। हमारा प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है और यहां पर संसाधनों की कमी है, इसी की वजह से हम उतनी सड़कें नहीं बना सके हैं लेकिन इस प्रदेश के विशाल होने के बावजूद भी बहुत कुछ किया गया है। जिससे इस प्रदेश में सड़कें बनी हैं और आगे भी इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें। (मेजों की थपथपाहट)

श्री उपाध्यक्ष–

मसूद साहब स्पष्टीकरण आप कुछ पूछना चाह रहे थे, वह आप पूछ लीजिए।

श्री मोहम्मद मसूद खां–

हमारा निवेदन है कि मैं हमेशा डिकोरम मेन्टेन करता हूं तो कम से कम यह भी अपने साथियों से इसके लिये कह दें। दूसरे मान्यवर, आपकी आज्ञा से तीन स्पष्टीकरण पूछना चाहता हूं।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, उधर से मा0 शतरुद्र प्रकाश जी ने ही एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था कि अन्तिम भाषण मा0 मंत्री जी का ही होगा और यही परम्परा भी रही है, स्पष्टीकरण तो पूछ सकते हैं, लेकिन उधर से कोई भाषण नहीं होगा।

श्री मोहम्मद मसूद खां–

मान्यवर, आपके माध्यम से एक स्पष्टीकरण पूछने से पहले यह जानना चाहूंगा कि मा0 मंत्री जी ने सड़कों के निर्माण के मार्च, 85 तक कुछ आंकड़े अपने भाषण के अन्त में बताये हैं, उन्हें जरा....

श्री उपाध्यक्ष–

उन आंकड़ों को छोड़िए, स्पष्टीकरण आप मांग लीजिए।

श्री मोहम्मद मसूद खां–

अगर मान्यवर, केवल आप स्पष्टीकरण की बात कह रहे हैं तो मा0 मंत्री जी यह केवल बता दें कि श्री राम प्रकाश, अधीक्षण अभियन्ता को शासनादेश का उल्लेख करके सेवा से मुक्त किये जाने का जिक्र किया था, तो उनके ऊपर कौन-कौन से आरोप थे इसे बताने का कष्ट करेंगे। (शोर व मेजों की थपथपाहट)

श्री सीताराम निषाद–

इसको दिखवा लेंगे। (घोर व्यवधान)

श्री राम सरन–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से केवल यह मालूम करना चाहता हूं कि अगर आप अपना नाम उत्तर प्रदेश में पैदा करना चाहते हों तो आप उत्तर प्रदेश की सड़कों को इतना ही चमकदार बनवा दीजिये जितना कि आप खुद चमकदार हैं। (हंसी)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं आपके माध्यम से जैसा कि मा0 मंत्री

जी ने अपने भाषण में कहा कि ब्रिज कारपोरेशन को बहुत कार्य दूसरे देशों में मिल रहे हैं और उसने पहले इतने-इतने कार्य किये हैं, तो मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि वित्तीय वर्ष 1985-86 में ब्रिज कारपोरेशन को कौन-कौन से और किन-किन देशों में कार्य मिले हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

यदि आपको इसकी जानकारी हो तो मा0 मंत्री जी बता दीजिये।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, आपने कहा कि माननीय मंत्री को जानकारी हो, तो वह बता दें। लेकिन माननीय मंत्री जी ने कुछ नहीं बताया। मान्यवर, माननीय मंत्री जी को यदि जानकारी हो, तो वह बता दें और यदि न जानकारी हो, तो यही बता दें कि उन्हें जानकारी नहीं है।

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, सीताराम निषाद जी कम से कम अपनी बिरादरी की भावनाओं को समझें। जितने पुल बन रहे हैं, जितने पीपे के पुल बन रहे हैं, उन पर पथकर की वसूली, उसकी लागत खर्च से ज्यादा आ गयी हो, तो क्या पथकर वसूली स्थगित कर देंगे या पथकर समाप्त करेंगे और मान्यवर, मल्लाहों की जो श्रमजीवी, मत्स्य जीवी सहकारी समितियां हैं, उनका ठेका मल्लाहों की समितियों को देने के लिए विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, यह नीति सम्बन्धी प्रश्न है,। इस पर विचार करने की आवश्यकता है।

श्री लक्ष्मी नारायण–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। मान्यवर, सहारनपुर से लेकर एटा–मैनपुरी तक तथा बरेली से लेकर मुरादाबाद – बिजनौर तक 17 जिलों में एक किलोमीटर भी खड़ंजा से डामर डालने की योजना नहीं है, जबकि पूर्वी क्षेत्र में गोरखपुर, वाराणसी तथा मध्य क्षेत्र में रायबरेली व सुल्तानपुर आदि जिलों में 22573 किलोमीटर सड़कों पर खड़ंजे से डामर डालने की योजना है। क्या माननीय मंत्री जी पूर्वी और मध्य क्षेत्रों की तरह पश्चिमी जिलों में भी खड़ंजे से डामर डालने की योजना बनायेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

मान्यवर, इसका उत्तर तो दिलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष–

इसे छोड़ दें।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

आप लोग बैठें। जब वह जवाब ही नहीं दे रहे हैं, तो काहे को आप लोग परेशान हो रहे हैं?

श्री लक्ष्मी नारायण–

मान्यवर, हमारे प्रश्न का उत्तर दिलवा दें। यह नीतिगत प्रश्न है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ खुला भेदभाव है। मान्यवर, इसका उत्तर दिलवायें।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

अब इसे छोड़ें। आप सब बैठें।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 71–सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)

के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 71–सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 52,15,90,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 72– के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 72– सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 24,00,78,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 73–के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 73-सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 8,84,43,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 74- के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 74-सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 23,57,20,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 75–के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 75–सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 2,42,64,95,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

"उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द और समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) विधेयक, 1986" को दिनांक 13 मार्च, 1986 के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के उपरान्त लिए जाने के सम्बन्ध में कार्य मंत्रणा समिति का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी आज दिनांक 11 मार्च, 1986 की बैठक में सदन के दिनांक 13 मार्च, 1986 के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के उपरान्त निम्नलिखित कार्य लिये जाने की सिफारिश की है :–

"उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) विधेयक, 1986 पर विचार एवं उसका पारण" –(दो घण्टे)

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन, कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना श्री उपाध्यक्ष द्वारा सदन में गई है, सहमत है।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना मा0 उपाध्यक्ष ने आज सदन में दी है, सहमत है।

(प्रस्ताव उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की अस्वीकृत सूचनाओं को आगामी उपवेशनों में ग्राह्यता के लिए पुनः सुने जाने के सम्बन्ध में उठाए गए प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष–

दो रूलिंग जो रिजर्व थीं, वह रूलिंग मैं सुना देना चाहता हूं।

दिनांक 7 जनवरी, 1986 को प्रक्रिया सम्बन्धी एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया था कि यदि नियम 56 के अन्तर्गत प्राप्त किसी सूचना को किसी दिन अस्वीकृत किया जा चुका हो, तो उसे आगामी उपवेशनों में ग्राह्यता के लिये पुनः सुनने की अनुज्ञा दी जानी चाहिए अथवा नहीं। चूंकि प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण था, अतः मैंने पक्ष और विपक्ष के अनेकों सदस्यों को अपना विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया था।

इस विचार विमर्श के दौरान कई मुद्दे उठाये गये थे। पहली बात यह कही गयी कि नियम 56 के अन्तर्गत यदि कोई सूचना किन्हीं पूर्ववर्ती तिथियों में अस्वीकार कर दी जाय तो उन्हें अनुवर्ती उपवेशनों में ग्राह्यता के लिए भी नहीं सुनना चाहिए। दूसरी बात यह कही गई कि यदि कोई सूचना नियम 300 के अन्तर्गत अस्वीकार कर दी जाय तो नियम

56 में उसे सुनने में कोई बाधा नहीं है। तीसरी बात यह कही गयी कि प्रतिदिन अधिकतम 5 सूचनाओं को ग्राह्यता पर सुनने का प्रयास किया जाता है। अतः यह सम्भव है कि पहले दिन कोई सूचना महत्व की दृष्टि से प्रथम पांच स्थानों में ग्राह्य न हो। ऐसी स्थिति में यदि दूसरे दिन उसे प्रथम 5 स्थानों में वरीयता प्राप्त हो जाती है तो उसे न सुनना समीचीन न होगा। चौथी बात यह कही गई कि किसी सूचना की ग्राह्यता की शर्तें नियम 58 में अंकित हैं और यदि कोई सूचना इन शर्तों को पूरा करती है तो मात्र इस कारण उसे अग्राह्य नहीं किया जाना चाहिए कि एक दिन पूर्व उसे अस्वीकार किया जा चुका है। पांचवी बात यह कही गयी कि यदि किसी दिन किसी सदस्य द्वारा दी गई नियम 56 की सूचना बिना सुने अस्वीकार कर दी जाय और दूसरे दिन किसी अन्य सदस्य द्वारा उसी सूचना को देने पर ग्राह्यता पर बोलने का अवसर मिल जाय तो पहली सूचना देने वाले सदस्य के मन में असन्तोष उत्पन्न हो सकता है। मैंने इस संबंध में प्रक्रिया नियमावली का अध्ययन किया और विगत वर्षों में मा0 अध्यक्षों द्वारा दिये गये निर्णयों का अवलोकन किया। जहां तक प्रक्रिया नियमावली का सम्बन्ध है, उसमें ऐसा कोई प्राविधान नहीं है जो प्रश्नगत मामले पर प्रकाश डाल सके। नियम 58 (1) में यह व्यवस्था अवश्य की गयी है कि एक दिन में एक से अधिक प्रस्ताव नहीं किये जायेंगे, पर यह नियम तभी लागू होता है जब नियम 57 के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अध्यक्ष द्वारा अनुमति प्रदान कर दी जाय। अनुमति प्रदान करने के पूर्व यदि अध्यक्ष ग्राह्यता करने हेतु एक से अधिक सदस्यों को सुनने का अवसर प्रदान करते हैं तो वह नियमों के प्रतिकूल नहीं कहा जा सकता।

जहां तक पूर्व निर्णयों का सम्बन्ध है, मैं मा0 सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगा कि दिनांक 8-9-80 को श्री राजेन्द्र गुप्त ने नियम 56 की एक सूचना दी थी जो मा0 अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार कर दी गयी थी बाद में उसी दिन मा0 नेता विरोधी दल के अनुरोध पर उसे वक्तव्य हेतु स्वीकार कर लिया गया। इसी तरह दिनांक 17-3-82 को श्री हरिवंश राय आदि सदस्यों ने दीवानी कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में नियम 56 की सूचना दी थी। तत्कालीन अध्यक्ष ने कार्यवाही के पृष्ठ 938 पर कहा था कि चूंकि यह सूचना कई दिनों से आ रही है, अतः इसे वक्तव्य हेतु स्वीकार किया जाता है।

दिनांक 24-8-82 की कार्यवाही के पृष्ठ 612 तथा 615 देखने से ज्ञात होता है कि नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचना को अस्वीकार कर दिया गया था पर उसी विषय पर नियम 56 की सूचना को वक्तव्य हेतु स्वीकार कर लिया गया। इसी तरह दिनांक 3-3-82 को ट्रकों की हड़ताल के विषय में एक सूचना नियम 56 के अन्तर्गत श्री मोहन सिंह ने दी थी। इस सूचना पर तत्कालीन मा0 अध्यक्ष ने 6-3-82 को वक्तव्य का निदेश दिया दिनांक 4-3-82 को फिर वही सूचना श्री कुबेर भण्डारी ने दी थी, जो वक्तव्य निर्धारित हो चुकने के कारण अस्वीकार की गयी थी। दिनांक 6 मार्च, 1982 को इस सम्बन्ध में शासन की ओर से वक्तव्य दे दिया गया। तदुपरान्त दिनांक 13-3-82 को श्री राजेन्द्र गुप्त ने पुनः वही मामला उठाया और उनको सुनने के उपरान्त, उस पर शासन को कुछ निदेश दिए गए। दिनांक 15-3-82 को श्री मोहन सिंह ने पुनः ट्रकों की हड़ताल जारी रहने पर नियम 56 में सूचना दी। उस

सूचना पर विभिन्न दलों के सदस्यों को सुनना मुनासिब समझा गया और सरकार को निदेश दिया गया कि वह मामले में कृत कार्यवाही से उसी दिन सदन को अवगत कराये । चूंकि ट्रकों की हड़ताल जारी थी इसलिए दिनांक 19-3-82 को पुनः उसी विषय पर कार्य स्थगन प्रस्ताव आया जो पहले अस्वीकार कर दिया गया था। तदुपरान्त व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। बाद में नेताओं की सहमति से उस विषय पर एक घंटे की चर्चा निर्धारित की गयी।

दिनांक 25-7-74 को कतिपय सदस्यों ने लखनऊ विश्वविद्यालय में अनियमितता तथा भ्रष्टाचार के बारे में नियम 56 में सूचना दी थी जिसे वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया। तदुपरान्त दिनांक 29-7-74 को एक अन्य सदस्य ने उसी विषय पर सूचना दी तो तत्कालीन अध्यक्ष ने यह आदेश दिया कि अनुवर्ती सूचना देने वाले सदस्य का नाम भी पूर्व सूचना में शामिल कर दिया जाय। दिनांक 14-8-74 की कार्यवाही के पृष्ठ 1338 से ज्ञात होता है कि श्री मोहन लाल कपूर ने पुस्तकें तथा कापियों की समस्या के बारे में कई बार नियम 56 में सूचनाएं दी थीं और अंतिम बार दिनांक 14-8-74 को उसे एक घंटे की चर्चा के लिए स्वीकार किया गया। इसी तरह दिनांक 28-12-78 की कार्यवाही के पृष्ठ 1440-1441 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि श्री श्यामधर मिश्र तथा श्री देव बहादुर सिंह द्वारा प्रस्तुत नियम 56 की सूचना, जो एक दिन पूर्व अस्वीकृत कर दी गई थी, वक्तव्य हेतु स्वीकार कर दी गई।

वर्ष 1952 से 1967 तक के प्रकाशित निर्णयों के संकलन पृष्ठ 151 पर यह कहा गया है कि यदि अनावश्यक होने के कारण किसी सूचना को एक दिन पूर्व नामंजूर कर दिया गया हो, तो दुबारा उसे नहीं उठाना चाहिये। । उसी पुस्तक के पृष्ठ 180 पर दिनांक 26-8-58 को यह निर्णय दिया गया था कि यदि स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाय, तो नियम 56 की सूचना दुबारा दी जा सकती है । दिनांक 3-2-82 को श्री गोपीनाथ वर्मा ने फैजाबाद जनपद में डा0 अम्बेदकर तापीय विद्युत परियोजना के सम्बन्ध में नियम 56 की सूचना दी थी जो बिना सुने अस्वीकार की गयी। अगले दिन वही सूचना श्री वर्मा तथा कतिपय अन्य सदस्यों ने पुनः प्रस्तुत किया और उसे भी बिना सुने अस्वीकार कर दिया गया। दिनांक 10-2-82 को तीसरी बार वही सूचना प्रस्तुत की गयी और फिर उसे बिना सुने अस्वीकार कर दिया गया। दिनांक 9-2-82 की कार्यवाही के पृष्ठ 796 को देखने से ज्ञात होता है कि श्री फिरंगी प्रसाद विशारद ने शहीद स्मारक के शिलान्यास के समय लाठी चार्ज के बारे में नियम 56 के अंतर्गत एक सूचना दी थी जो बिना सुने अस्वीकार कर दी गयी। इसके पूर्व भी इसी प्रकार की सूचना दी गयी थी जो बिना सुने अस्वीकार कर दी गयी। बाराबंकी में लाठीचार्ज के बारे में नियम 56 की सूचना श्री जंग बहादुर वर्मा ने 27-2-75, 28-2-75 तथा 13-3-75 को दी थी पर उसे 13-3-75 को नियम 51 के अन्तर्गत स्वीकार किया गया। कौल एवं शकधर की पुस्तक "संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार" के हिन्दी संस्करण के पृष्ठ 482 पर विद्वान लेखकों ने कहा है कि "यदि किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत कार्य स्थगन के प्रस्ताव के बारे में अध्यक्ष अनुमति नहीं प्रदान करते तो बाद में तत्सम्बन्धी सूचना के विषय में अथवा उसकी अस्वीकृत के

कारणों के सम्बन्ध में कोई प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी जाती। किन्तु यदि कोई सदस्य पुनर्विचार हेतु प्रार्थना करता है और अध्यक्ष का समाधान हो जाय कि उस विषय को सभा की जानकारी में लाने का समुचित आधार है तो वह सदस्य को अगले दिन उस प्रश्न को उठाने की अनुमति देता है और इस बात का बिलकुल ध्यान नहीं रखा जाता कि उक्त सूचना पिछले दिन दी गई थी।"

कार्य स्थगन प्रस्तावों पर विधान परिषद् की संसदीय अध्ययन समिति ने अपना प्रतिवेदन दिनांक 3-4-84 को प्रस्तुत किया था। उक्त प्रतिवेदन के पृष्ठ 4 पर यह संस्तुति की गयी थी कि उन मामलों पर कार्य स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता जिन पर हाल ही में बहस हो चुकी हो। जिन मामलों को बिना चर्चा के अस्वीकृत कर दिया गया हो, उनके बारे में प्रतिवेदन में कोई संस्तुति नहीं की गयी है।

उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि किसी एक उपवेशन में नियम 56 की अस्वीकृति सूचनाओं को दुबारा प्रस्तुत करने पर नियमों में कोई प्रतिबन्ध नहीं है। परम्परानुसार ऐसी सूचनाओं को पीठासीन अधिकारी अपने विवेक से सुनते भी रहे हैं और अस्वीकार भी करते रहे हैं। ऐसे मामलों में विषय की गम्भीरता उसका महत्व एवं उसकी अविलम्बनीयता तथा अध्यक्ष का विवेक ही निर्णायक रहा है।

पूरे मामले पर विचार करने के उपरान्त मैं इस मत का हूं कि कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचना को मुख्यतया तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है:—

1. ऐसी सूचनाएं जिनकी ग्राह्यता पर सुनकर अथवा बिना सुने अध्यक्ष चर्चा या वक्तव्य का निर्देश दे अथवा शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कोई अन्य कार्यवाही का निदेश दे।

2. ऐसी सूचनाएं जिनकी ग्राह्यता पर सदस्यों को सुनने के बाद, अध्यक्ष उसे अस्वीकार कर दें।

3. ऐसी सूचनाएं जिन पर किसी सदस्य को बिना सुने और बिना किसी निर्देश के अध्यक्ष पीठ द्वारा अस्वीकार कर दिया जाय। जहां तक पहली श्रेणी की सूचनाओं का सम्बन्ध है, चूंकि अध्यक्ष पीठ द्वारा उचित निदेश दे दिया गया है, अतः जब तक कोई विशेष परिस्थिति न हो, उन्हें दुबारा सदन में उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। दूसरी श्रेणी की सूचनाओं को चूंकि ग्राह्यता पर सुन लिया गया है, अतः उन्हें भी सामान्यतया सदन में दुबारा उठाने की अनुज्ञा नहीं दी जानी चाहिए। जहां तक तीसरी श्रेणी की सूचनाओं का प्रश्न है, मेरी राय में, जब तक नियमावली में तदनुसार संशोधन न कर दिया जाय, उन्हें पीठासीन अधिकारी के विवेक पर छोड़ना ही समीचीन होगा।

कार्य स्थगन प्रस्तावों का मुख्य उद्देश्य अविलम्बनीय लोक महत्व के किसी निश्चित विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना होता है और चूंकि इसमें सदन की कार्यवाही रोक कर सूचनांकित विषय पर चर्चा की मांग अन्तर्ग्रस्त रहती है, अतः माननीय सदस्यों को विषय की गंभीरता, उसके महत्व और उसकी असाधारण प्रकृति के बारे में स्वयं संतुष्ट होने के उपरान्त ही नियम 56 के अन्तर्गत सूचना दी जानी चाहिये। जनजीवन की सामान्य घटनाओं के विषय में नियम 56 के अन्तर्गत सूचना देना उक्त प्राविधान का उचित प्रयोग नहीं कहा जा सकता यह भी एक स्वस्थ परम्परा नहीं है कि

जिन विषयों को माननीय सदस्य किसी अन्य नियमों में उठाने में असफल हो अथवा कठिनाई महसूस करें अथवा जिन्हें विगत उपवेशनों में अध्यक्ष पीठ से अस्वीकृत कर दिया गया हो, उन्हें नियम 56 के अंतर्गत उठाने का प्रयास किया जाय।

वर्णित परिस्थितियों में मैं चाहूंगा कि नियम 56 की सूचनाओं को विनियमित करने हेतु इस सदन की नियम समिति गम्भीरता से विचार करे और सदन की सहमति से अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाये।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाओं पर दिये गये वक्तव्य में सूचनांकित विषय से अतिरिक्त विषय को कार्यवाही से निकाल दिये जाने के सम्बन्ध में उठाये गए औचित्य के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष–

अब अगली सूचना पर निर्णय इस प्रकार है।

दिनांक 1-3-86 को नियम 56 की एक सूचना पर शासन की ओर से वक्तव्य आया। उस दिन सदन में यह तर्क उपस्थित किया गया था कि वक्तव्य में सूचनांकित विषय के अतिरिक्त सामग्री भी शामिल की गई है। अतः उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय। मैंने उस पर अपनी रूलिंग रिजर्व कर ली थी अब वह रूलिंग दे रहा हूं।

नियम 56 की सूचनाओं को अस्वीकार करते हुए यह परम्परा रही है कि अध्यक्ष पीठ से उस विषय पर वक्तव्य का निदेश शासन को दिया जाय। ऐसे निदेशों के अनुपालन में शासन द्वारा वक्तव्य दिया जाता है। प्रश्न यह है कि यदि शासन द्वारा इस प्रकार का वक्तव्य दिया जाय तो क्या उसके किसी अंश को अध्यक्ष पीठ से इस आधार पर कार्यवाही से निकाला जा सकता है कि वह अनर्गल या सूचनांकित विषय से असम्बद्ध था।

नियम 56 की सूचनाओं पर स्वीकृत वक्तव्य के लिये कोई स्पष्ट प्राविधान नियमावली में नहीं है। यदि ऐसे वक्तव्यों के सम्बन्ध में नियम 51(2) लागू किया जाय, तो कौल और शकधर की पुस्तक "संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार" के पृष्ठ 453 का निम्नांकित अंश संगत प्रतीत होता है :–

"ध्यानाकर्षण सूचना के उत्तर में दिया गया वक्तव्य किसी प्रश्न का उत्तर तो होता नहीं और इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि उसमें केवल तथ्य ही बताये जायें। वक्तव्य में सरकार या मंत्री की राय, निष्कर्ष तथा निर्णय हो सकते हैं और आवश्यक नहीं कि यह इस प्रकार का हो कि इसके सम्बन्ध में सभा में सम्पूर्ण मतैक्य हो।"

उपरोक्त उद्धरण से यह स्पष्ट होगा कि वक्तव्य की शब्दावली के सम्बन्ध में मत वैभिन्य हो सकता है और अध्यक्ष पीठ के लिये यह निर्णय करना कि वक्तव्य का कौन सा अंश संगत है और कौन सा अंश असंगत, न तो उचित होगा और न सम्भव।

सदन में विधायकों को भाषण की स्वतंत्रता प्राप्त है। ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब माननीय सदस्यगण अपने मौखिक भाषणों के दौरान चर्चाधीन विषय से हटकर भी अपनी बात कह देते हैं। जो व्यवस्था मौखिक भाषणों के विषय में प्रचलित है उसके विपरीत

व्यवस्था लिखित भाषणों अथवा वक्तव्यों पर लागू करना उचित न होगा । किन्तु यदि कोई सदस्य अपने मौखिक अथवा लिखित वक्तव्यों में नियम 304 का उल्लंघन करता है, तो उस नियम के अन्तर्गत आने वाले शब्दों या वाक्यों को निकालने पर अवश्य ही विचार किया जायेगा ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 51 के अन्तर्गत 6 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । जिसमें से मैंने श्री फरीद महफूज किदवई की बुढ़वल शुगर मिल में व्याप्त भ्रष्टाचार की सूचना को केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है । और दूसरी श्री बेनी प्रसाद वर्मा व अन्य की जो बाराबंकी के थाना असन्दरा के अन्तर्गत एक युवक की हत्या के सम्बन्ध में है, को वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है । बाकी को अस्वीकार किया है ।

शाहजहांपुर में भारतीय खाद्य निगम के गेहूं की बिक्री में अधिकारियों द्वारा कथित अनियमितता किये जाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

एक सदस्य–

वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री (श्री मानपाल सिंह एडवोकेट)–

[राज्य सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा आवंटित गेहूं/चावल के वितरण का कार्य उचित दर की दुकानों के माध्यम से सम्पन्न कराती है तथा इस प्रकार आवंटित गेहूं/चावल का भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से उठान निर्धारित निर्गत दर पर राज्य सरकार कराती है। माननीय विधायक ने शाहजहांपुर के भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों की कथित सांठ-गांठ से गैर लाइसेन्स धारी खाद्यान्न व्यापारियों को दिये गये जिस गेहूं का उल्लेख अपनी सूचना में किया है, उससे राज्य सरकार का खाद्य विभाग संबंधित नहीं है । वैध खाद्यान्न लाइसेन्स धारियों को भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से गेहूं की खुली बिक्री की व्यवस्था स्वयं निगम द्वारा लागू की गई है तथा इस व्यवस्था में राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। फिर भी माननीय सदस्य विधान सभा की प्रश्नगत सूचना के सन्दर्भ में भारतीय खाद्य निगम की आख्या प्राप्त की गयी है, जिसके अनुसार स्थिति निम्नवत् है ।

शाहजहांपुर के स्थानीय भारतीय निगम डिपो से गेहूं की खुली बिक्री दिनांक 21-12-1985 को प्रारम्भ हुई और दिनांक 30-1-1986 तक 18,860 कुन्तल गेहूं बिका न कि 30,000 कुन्तल । इस 18,860 कुन्तल गेहूं में से 9,140 कुन्तल के लिए रिलीज आर्डर 30-1-1986 को जारी किया गया, परन्तु इसमें से वस्तुतः 7,666.75 कुन्तल गेहूं भारतीय खाद्य निगम द्वारा दिनांक 30-1-86 को निर्गत किया गया, शेष 1,473.25 कुन्तल गेहूं दिनांक 31-1-86 को

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अन्तमूर्ल्य जमा कराने के पश्चात् पुनरीक्षित दर पर निर्गत किया गया । दिनांक 30-1-86 को 7,666·75 कुन्तल गेहूं की बिक्री के मामले की जांच भारतीय खाद्य निगम द्वारा कराई जा रही है ।]

जहां तक गैर लाइसेन्सी खाद्यान्न व्यापारियों को गेहूं बेचे जाने का प्रश्न है, भारतीय खाद्य निगम की आख्या के अनुसार गेहूं लाइसेन्सधारी व्यापारियों को ही बेचा गया क्योंकि गेहूं क्रय करने वाला प्रत्येक व्यापारी अपने आवेदन पत्र में अपना लाइसेन्स संख्या भी अंकित किये था । फिर भी इस सम्बन्ध में आवश्यक छानबीन भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जा रही है ।]

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, मैंने नियम 51 के अन्तर्गत जो सूचना दी थी उसमें दो प्रश्न किये थे:–

1–भारतीय खाद्य निगम द्वारा बगैर लाइसेंसधारी व्यापारियों को गेहूं बेंचा गया था ।

2–30 तारीख को पुनरीक्षित दामों के बजाये पिछले दामों पर ही सस्ते दर पर गेहूं को बेंच दिया गया जिसमें भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों और व्यापारियों की मिली भगत रही और आपने वक्तव्य में इन दोनों को स्वीकार भी किया है और दोनों तथ्यों की जांच के लिये भी आपने लिखा हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पुनरीक्षित दाम में 18 रुपये की जो बढ़ोत्तरी हुई थी इसकी सूचना शाहजहांपुर के भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों को कब प्राप्त हो गयी थी। यदि बेचने से पूर्व प्राप्त हो गई थी तो फिर गेहूं को पुराने दाम पर क्यों बेंचा गया?

श्री मान पाल सिंह एडवोकेट–

मान्यवर, पहले मैं माननीय सदस्य को एक बात बता दूं कि भारतीय खाद्य निगम के ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। आपने पुनरीक्षित दाम पर गेहूं न बेंचे जाने के बारे में पूंछा है इस संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि तीस तारीख को 9 हजार एक सौ चालीस कुंतल रिलीज आर्डर जारी किया गया था। लेकिन उसमें से सात हजार छः सौ छियासठ दशमलव पचहत्तर कुंतल गेहूं भारतीय खाद्य निगम द्वारा दिनांक 30 तारीख को निर्गत किया गया । और शेष 1,443-75 कुन्तल गेहूं को अन्तमूर्ल्य जमा कराने के पश्चात पुनरीक्षित दर पर निर्गत किया गया। दिनांक 30-1-86 को 7666-75 कुन्तल गेहूं के बिक्री के मामले की जांच भारतीय खाद्य निगम द्वारा करायी जा रही है।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा था कि भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों को पुनरीक्षित दामों की सूचना कब मिल गयी थी जब कि इसकी घोषणा रेडियों और टैलीविजन के माध्यम से 30 तारीख से पहले ही की जा चुकी थी?

श्री मानपाल सिंह एडवोकेट–

मान्यवर, वहां से जो हमको रिकार्ड उपलब्ध कराया गया है उसमें यह बात नहीं लिखी गई है । सम्भवतः यह घोषणा 29/30 तारीख की रात को हुयी थी लेकिन हमारे पास कोई साक्ष्य उपलब्ध

नहीं है जिससे यह प्रमाणित होता हो। इस पर जांच हो रही है। जांचोपरान्त जो तथ्य सामने आयेंगे उससे आपको अवगत करा दिया जायेगा।

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि 29/30 की रात को इसकी घोषणा हुयी है जबकि घोषणा इससे पहले हुयी थी। यदि हम इसको भी मान लें तो 30 तारीख को पुनरीक्षित दामों पर गेहूं क्यों नहीं बेंचा गया ? आपने भी स्वयं स्वीकार किया है कि 7666.75 कुंतल गेहूं पुराने दामों पर बेंचा गया। प्रागदर्शन में भी यह बात साबित हो गयी है कि आपके अधिकारियों ने बगैर लाइसेंसधारी व्यापारियों को गेहूं बेंच दिया। जब कि होता यह है कि आपके यहां लाइसेंसधारी व्यापारियों की लिस्ट होती है। आपने अपने अंतिम पैरा में लिखा भी है कि गैर लाइसेंसी खाद्यान्न व्यापारियों को गेहूं बेंचे जाने का जहां तक प्रश्न है भारतीय खाद्य निगम की आख्या के अनुसार गेहूं लाइसेंसधारी व्यापारियों को ही बेंचा गया क्योंकि गेहूं क्रय करने वाला प्रत्येक व्यापारी अपने आवेदन पत्र में अपना लाइसेंस संख्या भी अंकित किये था। फिर भी इस संबंध में आवश्यक छानबीन भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जा रही है। आपने यह स्पष्ट नहीं किया है कि भारतीय खाद्य निगम का कौन अधिकारी इसकी जांच कर रहा है। जिन अधिकारियों ने इसमें अनियमितता की है क्या आप इन्हें हटवाकर इसकी जांच करवायेंगे?

श्री मानपाल सिंह एडवोकेट—

मान्यवर, मैंने पहले भी अर्ज किया कि भारतीय खाद्य निगम हमारे क्षेत्र में नहीं आता है। चूंकि आपका प्रश्न वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया था इसलिये जानकारी मांगी गयी थी।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, इसको अब समाप्त करें, माननीय मन्त्री जी, आप बैठें।

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, जब आपने प्रश्न स्वीकार कर लिया है तो उनको उत्तर देने दें। मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मन्त्री जी आश्वासन देंगे कि उन अधिकारियों को स्थानान्तरित करके ही जांच करायेंगे?

श्री उपाध्यक्ष—

जब यह उनके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है, तो फिर अधिकारियों को स्थानान्तरित कैसे करेंगे ? आप बैठें।

जनपद हरदोई के पिहानी नगर में तहसील मुख्यालय स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में याचिका†

श्री अशोक बाजपेयी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से विधान सभा क्षेत्र जनपद हरदोई के पिहानी नगर में तहसील मुख्यालय स्थापित किये जाने विषयक श्री प्रमोद कुमार गुप्ता तथा श्री कृष्ण मुरारी बाजपेयी निवासीगण जनपद हरदोई द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 59 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
11 मार्च, 1986

†छापी नहीं गयी।

नत्थी 'क'

[देखिए नियम 29(4) के ता0प्र0सं01 का उत्तर पीछे पृष्ठ 9 पर।]

जिला कानूनी सहायता और परामर्श समितियों के पदाधिकारी एवं सदस्यों की सूची

1—जिला न्यायाधीश	सभापति
2—जिलाधिकारी	सह सभापति
3—जिला सरकारी अधिवक्ता (सिविल, अपराधिक, राजस्व) ..	सदस्य
4—यथास्थिति, कारागार अधीक्षक या जेलर	सदस्य
5—उप श्रमायुक्त/श्रम विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी (यदि जिले में कोई तैनात हो)। ..	सदस्य
6—पुलिस अधीक्षक	सदस्य
7—जिला सूचना अधिकारी	सदस्य
8—जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
9—असिस्टेंट एडजूटेंट जनरल या उसके द्वारा नाम-निर्दिष्ट सब-एरिया हेडक्वार्टर का अधिकारी।	सदस्य
10—जिला सैनिक कल्याण परिषद्, उत्तर प्रदेश का सचिव ..	सदस्य
11—सोशल एक्शन ग्रुप के दो प्रतिनिधि, जिनको जिला समिति के सभापति द्वारा प्रस्तुत किया जायगा तथा बोर्ड के प्रशासनिक अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायगा। ..	सदस्य
12—सात अधिवक्तागण, जो बोर्ड के सभापति के परामर्श से बोर्ड के प्रशासनिक अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट किए जायेंगे।	सदस्य
13—एक महिला समेत दो सामाजिक कार्यकर्ता जो बोर्ड के सभापति के परामर्श से बोर्ड के प्रशासनिक अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट किए जायेंगे।	सदस्य
14—अनुसूचित जाति का एक प्रतिनिधि तथा पिछड़ी जाति का एक प्रतिनिधि जिसे बोर्ड के सभापति के परामर्श से प्रशासनिक अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायगा।	सदस्य
15—विधि प्रवक्ता, जो बोर्ड के सभापति के परामर्श से प्रशासनिक अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायगा।	सदस्य
16—बोर्ड के सदस्य जो सम्बन्धित जिले के निवासी हों। ..	सदस्य
17—जिला न्यायालय द्वारा नाम-निर्दिष्ट कोई चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट अथवा जुडीशियल मजिस्ट्रेट अथवा मुन्सिफ मजिस्ट्रेट।	सदस्य सचिव
18—जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी	सदस्य

नत्थी 'ख'

(देखिए अता0प्र0सं0 20 का उत्तर पीछे पृष्ठ 32 पर)

दशहरा के अवसर पर कस्बा जैदपुर, जनपद बाराबंकी में हुए दंगा के सम्बन्ध में घटना का विवरण

कस्बा जैदपुर, जनपद बाराबंकी में रावण दहन के बाद झाकियां दर्शनार्थियों के साथ वापस मन्दिर गढ़ी कटीस आ रही थीं जहां से पुनः रामलीला स्थल पहुंचना था। जब झांकियां मन्दिर जा रही थीं तो रास्ते में छोटे इमामबाड़े (कस्बा जैदपुर) के पास करीब 9 बजे रात्रि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भीड़ पर पत्थर के टुकड़े फेंके गए, जो छेदालाल पुत्र धनी लोनिया निवासी मसनपुरवा मजरे अब्दुलापुर के पैर में तथा गैस बत्ती को लेकर चल रहे मोकरन पुत्र भीखा ग्राम अब्दुलापुर के दाहिने हाथ में लगा। इस बात को लेकर जलूस रोक दिया गया कि जब तक पत्थर फेंकने वालों का पता नहीं चलेगा तथा जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक मौके पर नहीं आ जायेंगे जलूस अग्रसर नहीं होगा। घटना की सूचना मिलने पर क्षेत्राधिकारी व परगनाधिकारी, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक आदि अधिकारीगण जलूस को समझा बुझाकर गन्तव्य स्थल तक पहुचाये। जलूस से वापस जा रहे शिवकुमार पुत्र सुन्दर लाल एवं उसकी मां को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। अन्य दो व्यक्ति हरिश्चन्द्र, कमलेश कुमार को, जो जलूस देखकर अपनी रिश्तेदारी में जा रहा था अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चाकू डण्डा से मारकर घायल कर दिया गया। करीब के ग्रामों से लोगों ने एकत्रित होकर टंकी चौराहा पर आगजनी की घटना कर दी, जिससे 10 छोटी-बड़ी दुकानें आंशिक रूप से जल गयीं। प्यारे लाल पुत्र सोहन लाल मो0 पोतेदारान की दुकान में भी आग लगाई गयी। हर सम्भव प्रयास करके स्थिति पर नियन्त्रण कर लिया गया। सभी घटित घटनाओं के सम्बन्ध में अपराध पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

संसद पुस्तकालय

नत्थी 'ग'

(देखिए अता0प्र0सं0 29 का उत्तर पीछे पृष्ठ 35 पर।)

दिनांक 13 अक्तूबर, 1985 को बरेली में आयोजित लोक अदालत में निस्तारित किए गये प्रत्येक अधिनियम एवं धारा के अन्तर्गत वादों की सूची

1—विभिन्न सन्धिकर्ताओं द्वारा निस्तारित कराए गए व्यावहारिक मामलों की कुल संख्या—11

(अ)	निषेधाज्ञा	5 मामले
(ब)	धारा 20 (मध्यस्थतम अधिनियम)	1 मामला
(स)	धारा 9 (हिन्दू विवाह अधिनियम)	2 मामले
(द)	प्रकीर्णवाद अकिंचन प्रार्थना	1 मामला
(य)	रुपया वसूली व हिसाब देही	1 मामला
(र)	प्रिस्क्राइब्ड अथोरिटी	1 मामला
	कुल ..	11 मामले

2—विभिन्न सन्धिकर्ताओं द्वारा निस्तारित कराए गए आपराधिक मामलों की कुल संख्या—901

(अ)	भारतीय दण्ड संहिता	55 मामले
(ब)	आबकारी अधिनियम धारा—60	98 मामले
(स)	मोटर वाहन अधिनियम	228 मामले
(द)	बांट तथा माप अधिनियम	292 मामले
(प)	दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा—107/116	228 मामले
	कुल ..	901 मामले

3—विभिन्न संधिकर्ताओं द्वारा निस्तारित कराए गए राजस्व के मामलों की कुल संख्या—274

(अ)	176 जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम ..	26 मामले
(ब)	229-बी जमीं0 विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम ...	7 मामले
(स)	122-बी0जमीं0 विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम ..	11 मामले
(द)	33/39 एल0आर0अधि0	9 मामले
	क—34 एल0आर0अधि0	110 मामले
	ख—210 एल0आर0अधि0	3 मामले
	ग—41 एल0आर0अधि0	8 मामले
	घ—34/35 एल0आर0 अधि0	95 मामले
	य—इजराय	1 मामला
	र—पी0पी0 ऐक्ट	4 मामले
	कुल ..	274 मामले

सत्यमेव जयते

4—विभिन्न संविकर्त्ताओं द्वारा निस्तारित कराए गए चकबन्दी के मामलों की कुल संख्या—6542

(अ)	धारा 9 क (1) स0च0 अधिनियम	6364 मामले
(ब)	धारा 9 क (2) स0च0 अधिनियम	143 मामले
(स)	धारा 11 (1) स0च0 अधिनियम	35 मामले
	कुल ..	6542 मामले

5—विभिन्न नियमित न्यायालयों द्वारा निस्तारित कराए गए आपराधिक मामलों की कुल संख्या—434

(अ)	109 दण्ड प्रक्रिया संहिता	2 मामले
(ब)	मोटर वाहन अधिनियम	70 मामले
(स)	नगरपालिका अधिनियम	111 मामले
(द)	धारा 13 जुआ अधिनियम	17 मामले
(य)	धारा 34 पुलिस अधिनियम	35 मामले
(र)	धारा 10 वन अधिनियम	2 मामले
(क)	वाणिज्य अधिनियम	77 मामले
(ख)	जिला परिषद अधिनियम	105 मामले
(ग)	वी0डी0 अधिनियम	7 मामले
(घ)	125 दण्ड प्रक्रिया संहिता	8 मामले
	कुल ..	434 मामले

6—विभिन्न नियमित न्यायालयों द्वारा निस्तारित किए गए श्रम सम्बन्धी मामलों की कुल संख्या—50

(अ)	धारा 20(3) न्यूनतम वेतन अधिनियम ..	10 मामले
(ब)	धारा 15(3) वेतन भुगतान अधिनियम ..	9 मामले
(स)	धारा 7 आनुतोषिक भुगतान अधिनियम	31 मामले
	कुल ..	50 मामले

7—विभिन्न नियमित न्यायालयों द्वारा निस्तारित किए गए राजस्व के मामलों की कुल संख्या—6

	34 एल0आर0 अधिनियम	6 मामले
	कुल	6 मामले

8—विभिन्न नियमित न्यायालयों द्वारा निस्तारित किए गए चकबन्दी के मामलों की कुल संख्या—104

(अ)	धारा 9-क (1) स0च0 अधिनियम	92 मामले
(ब)	धारा 9-क (2) जी0च0 अधिनियम	10 मामले
(स)	धारा 11 (1) जी0च0 अधिनियम	2 मामले
	कुल	104 मामले

उक्त पैरा 1 से 8 तक उल्लिखित अधिनियमों के अन्तर्गत निस्तारित वादों का कुल योग—8322

विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिए अता0प्र0सं0 35 का उत्तर पीछे पृष्ठ 38 पर)

सूची

क्रमांक	अवर अभियन्ता का नाम	31-3-85 को अस्थाई उचन्त की अवशेष धनराशि	उचन्त की अवधि	वर्तमान में अवशेष धनराशि
1	2	3	4	5
1	श्री डी0एन0 सिंह	3292.02	10/84 से 1/85	3292.02
2	श्री एम0एल0 गुप्ता	9751.00	7/82 से 1/85	9751.00
3	श्री राम जी सिंह	1867.46	9/84 से 1/85	1867.46
4	श्री राम अनूठा पाण्डे	183.45	8/84	शून्य
5	श्री फेकू प्रसाद	15304.23	10/84 एवं 1/85	शून्य
6	श्री एस0एम0आर0 रिजवी	9335.00	11/84 एवं 1/85	शून्य
7	श्री एस0एस0 हुसैन	3530.65	10/84 एवं 1/85	शून्य
8	श्री ए0एन0 चौरसिया	48.00	9/84 एवं 1/85	शून्य
9	श्री अनवर आलम	160-40	6/84 एवं 11/84	160.40
10	श्री एम0एन0 उपाध्याय	16.50	11/84 एवं 1/85	शन्य
11	श्री रवि प्रकाश श्रीवास्तव	224.00	10/84 एवं 1/85	शून्य
12	श्री प्रकाश नारायण	683.85	6/84 एवं 7/84	शून्य
13	श्री हसनैन खां	10845.75	12/78 से 5/79	10845.75
14	श्री हरे राम सिंह यादव	4.00	7/81	शून्य
15	श्री बी0एन0 मिश्रा	703.77	10/79	703.77
16	श्री बी0 डी0 राय	185.00	6/82	185.00
17	श्री चन्द्र शेखर	13.60	1/81	शून्य
18	श्री के0 एम0 गुप्ता	285.08	3/81	शून्य
19	श्री एम0ए0 हसन रिजवी	599.05	9/84 एवं 1/85	599.05
	योग	57032.81		27404.45

नत्थी 'ङ'

(देखिए अता0प्र0सं0–77 का उत्तर पीछे पृष्ठ 52 पर।)

दिनांक 9–10–85 को नगर देवां रोड पर अवैध कटान की लकड़ी से लदी ट्रक के पकड़े जाने की घटना का विवरण।

दिनांक 18–10–85 को समय 23.20 पर सूचना प्राप्त हुई कि ट्रक नं0 यू0पी0 जे0–741 पर हरे आम की लकड़ी लदी है जो के0डी0 सिंह बाबू मार्ग से होती हुई स्टेशन रोड को जायगी। थोड़ी देर में ट्रक नं0 यू0 पी0 जे0–741 दिखाई दिया जिसे रुकने का इशारा दिया गया, परन्तु वह तेजी से मुड़कर स्टेशन रोड को जाने लगी जिसे मोटर साइकिल से ओवरटेक करके पुलिस लाइन चौराहे से थोड़ी दूर देवां रोड पर रोका गया। ट्रक रुकते ही एक व्यक्ति कूद कर भाग गया। गवाहान व कर्मचारीगण की मदद से घेर कर वह पकड़ लिया गया। ट्रक पर हरे आम की लकड़ी पाई गयी। ट्रक ड्राइवर व ठेकेदार मो0 रशीद खां को गिरफ्तार करके धारा 4/10/14 ग्राम सुरक्षा वन अधिनियम के अन्तर्गत चालान किया गया। ट्रक व लकड़ी पुलिस के कब्जे में ले ली गयी। विवेचनोपरान्त दिनांक 28–1–86 को आरोप-पत्र न्यायालय भेजा गया।

विधान सभा प्रदेश प्रदेश

नत्थी 'च'

(देखिए अता0प्र0सं0—87 का उत्तर पीछे पृष्ठ 56 पर।)

प्रतिनियुक्ति भत्ता पाने वाले अधिकारियों की सूची

सर्वश्री—

1— नरेश चन्द्र सक्सेना
2— मोहन लाल पिंजानी
3— प्रेम दयाल गुप्ता
4— राजेश कुमार माथुर
5— प्रमोद कुमार अग्रवाल
6— सुरेश चन्द्र वर्मा
7— दिनेश मोहन गप्ता
8— योगेन्द्र कुमार जैन
9— अम्बिका प्रसाद मिश्रा
10— शिव स्वरूप सारस्वत
11— विजय कुमार
12— गोपाल कृष्ण पाण्डेय
13— देवेन्द्र कुमार जैन
14— एस0के0टी0 गोविला
15— धर्म चन्द्र लालवानी
16— एस0एन0 सिंह
17— कल्याण दास अग्रवाल
18— प्रह्लाद सिंह त्यागी
19— रजनी तुषार सुषमा
20— बागेश्वर प्रसाद
21— एस0पी0 रस्तोगी
22— सतीश चन्द्र अग्रवाल
23— विनोद कुमार
24— कृष्ण कुमार मित्तल
25— राम निवास गोयल
26— राजेश चन्द्रा
27— एस0के0 रस्तोगी
28— के0एस0नेगी
29— वी0पी0सिंह
30— एन0के0 श्रीवास्तव
31— जितेन्द्र कुमार पन्त
32— सुरेन्द्र कुमार
33— असलम महमूद शमसी
34— एम0जेड0 अन्सारी
35— राज कुमार माथुर
36— महेन्द्र कुमार
37— शुकदेव प्रसाद त्रिपाठी
38— नन्द किशोर प्रसाद
39— प्रवेन्द्र सिंह
40— आर0के0 सिंघल
41— बसन्त राम
42— सुरेश चन्द्र चौहान
43— कुलदीप सिंह गोयल
44— सैयद एजाज मेंहदी रिजवी
45— उमेश चन्द्र अग्रवाल
46— एन0आर0 भट्टाचार्य
47— सुबाता दास गुप्ता
48— अयोध्या नाथ
49— के0एल0 सहगल
50— झिन्कू प्रसाद सिंह
51— गौरी शंकर गुप्ता
52— विष्णु कुमार अग्रवाल
53— कुलवन्त राय जैन
54— कृपा शंकर लाल
55— मुरली मसन्द
56— घनी चन्द्र जैन
57— खेम सिंह
58— निरंजन लाल विश्वकर्मा
59— रघुराज शरण गोयल
60— विजेन्द्र स्वरूप माथुर
61— अब्दुल वासित साबरी
62— सीता राम सिंह
63— निरंजन राम
64— ओम प्रकाश धमीजा।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिए अता0प्र0सं0-91 का उत्तर पीछे पृष्ठ 58 पर)

तालिका

एजेंट का नाम	डिपो का नाम	आपूर्ति की गयी जलौनी लकड़ी की वर्षवार मात्रा (घन मीटर में)	
		वर्ष 1983-84	1984-85
1—श्री बच्ची सिंह, शान्तिपुरा, किच्छा, नैनीताल।	किच्छा	686.471	1000.00
2—श्री हरीश कुमार वागा, गदरपुर, नैनीताल।	गदरपुर	676.060	656.89
3—श्री गिरीश चन्द्र रुद्रपुर।	रुद्रपुर	1026.826	808.139
4—श्री जगमोहन सिंह बरेली रोड, हल्द्वानी।	सितारगंज	..	634.257
5—श्री नूर अहमद हल्द्वानी।	हल्द्वानी	23.808	539.061
6—श्री खीमानन्द सनवाल, हल्द्वानी।	भीमताल	327.184	761.806
7—श्री चन्दन सिंह विष्ट टम्प्टन काटेज, नैनीताल।	रानी बाग शमशान घाट	250.000	927.268
8—श्री हर प्रसाद थापा अल्मोड़ा।	गरमपानी	..	..
योग, 8 एजेण्ट		2990.349	5327.422

नत्थी 'अ'

(देखिए अता0प्र0सं0–116 का उत्तर पीछे पृष्ठ 64–65 पर)

महेश बघेल,
उपाध्यक्ष,
उ0प्र0 युवा जनता।

71, वर्द्धमान हाउस,
महात्मा गांधी रोड, आगरा

दिनांक: 22–6–1985

माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
आगरा।

विषय—दि0 19–20 की रात्रि थाना सदर बाजार आगरा की बुन्दू कटरा चौकी के पुलिस कर्मियों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार की निष्पक्ष एजेंसी (सी0आई0डी0) से जांच व दोषी पुलिस कर्मियों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर तत्काल कार्यवाही करने एवं जांच की निष्पक्षता हेतु तैनात पुलिस कर्मियों को हटाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन यह है कि 19–20 जून की रात लगभग 9 बजे मैं अपने बुन्दू कटरा स्थित नगला भवानी सिंह तेल मिल की छत पर खाना खा रहा था। उस समय छत पर मेरे क्षेत्र की देहात के लोग कुछ रिश्तेदार एवं श्री बदन सिंह एडवोकेट, प्रताप सिंह एडवोकेट, श्री वीरेन्द्र सिंह एडवोकेट व छोटा भाई छत पर बैठे थे और मिस्त्री व दूसरे भाई मशीन पर कार्य कर रहे थे। उसी समय थाना सदर के अन्तर्गत बुन्दू कटरा चौकी के प्रभारी सहित एस0आई0 श्री बी0डी0 शर्मा, एस0आई0 फूल सिंह, दीवान घनश्याम कौशिक एवं लगभग 15 सिपाही मील पर संदिग्ध तरीके से बदमाशों की जैसी चाल पर अनाधिकृत रूप से अन्दर प्रवेश करवाए और जाते ही मिस्त्री व छोटे भाई की एस0आई0 बी0डी0 शर्मा ने पिटाई कर दी और मिल के कार्य को बन्द करा दिया।

तदुपरान्त उपरोक्त पुलिस कर्मी छत पर आए और मैंने उनसे आने का कारण पूछा तो वे कुछ बता नहीं सके तो मैंने उनसे इस प्रकार अनाधिकृत तरीके से आने का विरोध किया और मिस्त्री व छोटे भाई की अकारण पिटाई के प्रति नाराजगी व्यक्त की तो एस0आई0बी0डी0 शर्मा व एस0आई0 फूल सिंह ने उत्तेजित होकर कहा कि तुम कोई नवाब नहीं हो जिससे हम तुम्हारे यहां पूछकर आते। हम इलाके के मालिक हैं। हम चाहेंगे सो करेंगे। तू ज्यादा बड़ा नेता बनता है, तू हमारी शिकायत करता है। ज्यादा बकवास करेगा तो तुझे भी बन्द कर देंगे। और मुझे छत से नीचे खींच लाए, तो मैंने उनसे कहा, अब आप सब लोग यहां से चले जाओ। सुबह तुम्हारे अधिकारियों से बात कर लेंगे। तो एस0आई0 श्री बी0डी0 शर्मा ने मुझे अपमानित किया और कहा कि सुबह तक हम तुझे अधिकारियों से बात करने लायक नहीं रहने देंगे।

उसके बाद नीचे खड़े स्कूटर के कागज एस0आई0 फूल सिंह ने मांगे, तो मैंने उन्हें कागज दिखा दिए और कागज एस0आई0 महोदय ने अपने पास रख लिए तथा एक सिपाही को आदेश दिया, स्कूटर थाने ले जाओ।

तदोपरान्त पुलिस कर्मी मुझे जबरदस्ती थाने ले जाने लगे। रास्ते में चौकी प्रभारी ने एस0आई0 बी0डी0 शर्मा व एस0आई0 फूल सिंह को समझाने का प्रयास किया कि श्री बघेल एक सामाजिक व राजनैतिक व्यक्ति हैं। उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो एस0आई0 शर्मा ने कहा कि हमारी प्रतिष्ठा का सवाल है। हम इसे ईद पर जरूर बन्द करेंगे और थाने ले जाकर अकारण ही हवालात में बन्द कर दिया, जबकि एक सामाजिक व राजनैतिक व्यक्ति का अपमान ही नहीं, बल्कि सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले का मखौल है।

इसके बाद पुलिस कर्मियों ने मन्त्रणा करके मुझे आधा घण्टे बाद हवालात से निकाला चूंकि मुझपर कोई केस ही नहीं बनता था, वे मुझे छोड़ने को तैयार थे, लेकिन उनके छोड़ने की शर्त हिन्दू सभ्यता व संस्कृति के विपरीत थी, जिसे मैंने मानने से इंकार कर दिया। तब मुझे एस0 आई0 श्री बी0डी0 शर्मा ने मारा पीटा और कहीं से शराब लाकर मेरे कपड़ों के ऊपर छिड़क दी और मेरे मुंह पर पोत दी और जबदस्ती कुछ शराब मेरे मुंह में डाल दी और फिर जिला अस्पताल डाक्टरी मुआयना करने हथकड़ी लगा कर ले गए। तब मैंने डाक्टर से कहा कि मेरे साथ यह पुलिस कर्मी जुल्म कर रहे हैं। मैं एक आर्य समाजी परिवार में पैदा हुआ हूं औरमेरा पूरा परिवार आर्य समाजी परिवार है। यह लोग मेरे चरित्र हनन के लिए मुझ पर झूठा जुल्म थोपना चाह रहे हैं। इन्होंने मेरे कपड़ों पर, मेरे मुंह पर शराब छिड़की है और जबरदस्ती मुंह में शराब उड़ेली। यह मेरे कपड़ों को आप देख लें। आप कृपया किसी दबाव में न आयें। वास्तविक तथ्यों को देखें। मैंने कभी भी मादक पदार्थों का उपभोग नहीं किया है, लेकिन डाक्टरों ने भी मेरी एक नहीं सुनी और पुलिस की इच्छा के अनुकूल मेरा फर्जी डाक्टरी मुआयना कर दिया। जब मैंने उनसे कहा कि मेरी ब्लड और यूरीन भी टेस्ट करिए, मगर उन्होंने ब्लड व यूरीन नहीं लिया और जबरदस्ती पुलिस कर्मियों ने हस्ताक्षर की जगह मेरा अंगूठा डाक्टर के रजिस्टर पर लगा दिया।

अस्पताल से थाने लाए और ऐसा ही बी0डी0 शर्मा ने पुनः मुझे मारा पीटा, अपमानित किया व जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया और कहा कि गड़रिया जाति से मुझे जन्म से नफरत है, यह जाति तो भंगियों से भी नीची हैऔर तू साले एम0एल0ए0 कभी बनेगा भी तो अस्थायी। हम तो स्थायी एम0एल0ए0 हैं। तू किस चोर जनता पार्टी, का व्यक्ति है। मेरा भाई तो प्रदेश कांग्रेस(आई) का अध्यक्ष है। अब तू अधिकारियों को जितनी चाहे, उतनी शिकायत कर लेना, अखबार में छपवा देना। हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पायेगा।

थाने पर रात्रि से ही क्षेत्रीय जनता व सामाजिक कार्यकर्ताओं का जुड़ना शुरू हो गया। जनता के बढ़ते हुए आक्रोश एवं दबाव के कारण सुबह 8 बजे थाने से रिहा कर दिया।

पुलिस ने सब कुछ इसलिए किया कि मैं इस क्षेत्र में एक सामाजिक व राजनैतिक कार्यकर्ता होने के नाते नैतिकता के आधार पर हो रहे गलत कार्यों का मैं विरोध करता रहता हूं। इस क्षेत्र में खुले हुए जुए के अड्डे, बिक रही टिंचर, जिजर, सट्टे गलत तरीके से पुलिस द्वारा बैरियर लगाकर यातायात से कर वसूल करना, नम्बर दो की इस क्षेत्र में बन रही डबल सेविंग व थम्स अप के सम्बन्ध में मैंने शिकायतें की हैं।

अतः आपसे निवेदन है कि आप न्याय दिलाने का कष्ट करें।

भवदीय;
महेश बघेल।

पी0 एस0 यू0 पी0—एल0 61 वि0 सभा0—(101)—1986—813।